राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार;

26 फरवरी, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक
11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि का सवर्ण जाति के व्यक्तियों को बेचान

19. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा यह मांग प्राप्त हुई है कि उनकी कृषि भूमि को सवर्णों को बेचने की छूट दी जावे ताकि भूमि का पूरा मूल्य मिल सके? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये और नहीं तो क्यों?

(2) क्या उक्त मांग करने वालों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर भूमि बेचनी पड़ती है और सवर्ण जाति के लोग ही खरीदते हैं तथा रोक के कारण आधी कीमत पर अपने खास अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम करा लेते हैं, बाद में भू-उपयोग बदलवा कर अपने नाम करा लेते हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई विचार कर रही है?

राज्य मंत्री राजस्व (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) जी हां। वर्तमान नीति यथावत रखी जा रही है, इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है।

(2) उल्लिखित तथ्य व्यावहारिक हो सकते हैं किन्तु आम तौर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के जन प्रतिनिधियों का यह मानना है कि वर्तमान कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे अन्यथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है प्रश्न के भाग-1 व 2 में विरोधाभास है। प्रश्न के भाग-एक में आप कह रहे हैं कि वर्तमान नीति में पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है और प्रश्न के भाग-2 में आप कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई चेंजेज किया गया तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मेरा इसमें सवाल यह है कि अगर आपको इनके नाम से जमीने रखनी हैं तो भी आपको मौजूदा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि जब यह नीति बनायी गयी थी उस समय भी व्यावहारिक थी, लेकिन आज जमीनों की जिस प्रकार कीमतें बढ़ी हैं और आये दिन जमीनें बिक रही हैं, उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपका यह हो कि इन्हीं के नाम से जमीन रहनी चाहिये, चेंज नहीं होनी चाहिये तो आपको इसमें यह प्रावधान करना पड़ेगा कि यह जमीनें कोई खरीद ही नहीं सकता सिवाय उत्तराधिकार के इस जमीन का चेंज नहीं हो। अगर जमीन रखनी है तब तो आप यह व्यवस्था करो और मौजूदा व्यवस्था है इसमें न तो जमीन मिल रही है और न उनको आर्थिक लाभ हो रहा है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिये आपको इसमें परिवर्तन तो करना पड़ेगा। दोनों सूरत में, अगर जमीन रखनी है तो आप यह कर दो कि यह कोई खरीद ही नहीं सकता। तब तो इनके पास जमीन रहेगी। आज आये दिन यह जमीनें बिक रही हैं। आपको पता है, हमको पता है, सभी को पता है। तो लाखों लोगों के भाग्य का सम्बन्ध हैं इसमें। इसलिये आप इसमें कोई कारगर व्यवस्था करिये। मौजूदा जो ढीली नीति है इससे न तो जमीनें बच रही हैं और न इनको पैसे मिल रहे हैं।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भाग–1 और 2 में जो विरोधाभास बताया है वह तो है नहीं, क्योंकि हमने यह कहा है कि वर्तमान में जो प्रावधान हैं, वह यथावत रखे जाएंगे और अगर इनमें संशोधन किया जाता है तो आम तौर पर इस वर्ग के सभी माननीय जन प्रतिनिधियों की पिछले अनके वर्षों से यह राय चली आ रही है कि आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं करें। जहां तक आप यह कह रहे हैं कि इसको उत्तराधिकार के साथ जोड़ दो तो उसमें तो अगर उसी वर्ग के कोई लोग उससे ऊंची कीमत पर या अच्छी कीमत पर लेने को तैयार हैं तो उसको भी आप रोकना चाह रहे हैं, उससे हमको लाभ कहां पड़ा? यह विरोधाभास वाली स्थिति, इसलिय इसमें है ही नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जमीन तो आज बिक रही है और सवर्ण लोग खरीद रहे हैं और आधे पैसे में खरीद रहे हैं, अगर इनको जमीन रखनी है तो आप यह व्यवस्था करें कि इनकी जमीन बिकेगी नहीं। उत्तराधिकार के नाम से ही हस्तान्तरित होती रहेगी।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सख्ती के प्रावधान पहले भी थे और आज भी सख्ती से कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी गैर एस.सी., एस.टी. की

(डा. (श्रीमती) कमला)

जमीनों के नाम अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। और अगर बेनामी ट्रांसफर कर रहा है और यह नोटिस में आता है कि यह जमीन बेनामी रखी हुई है और अदालत में कोई आवेदन पेश करेगा तो उसको जमीन वापस लौटाई जायेगी और इससे खाली करायी जायेगी और यह प्रावधान दे रखा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप या तो मेरी बात को समझे नहीं या आप टालना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से कोई सवर्ण खरीदता है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? अगर कोई सवर्ण के नाम से हो जाती है वह तो चेंज हो जाती है लेकिन आजकल लोग इतने समझदार हो गये कि जैसे मुझे जमीन खरीदनी है तो मेरे विश्वास के आदमी के नाम से कराऊंगा। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते और कीमत भी आधी मिलेगी। अगर आपको जमीन रखनी है तो बेचने पर प्रतिबन्ध ही लगाओ न।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, कायदे में वह जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता और आपसी मेलजोल से अगर किसी को कोई खेती करने के लिये दे रखी है तो वह उसके मर्जी की बात है। बाकी अगर वह एतराज करता है कि साहब, यह बिना मेरी मर्जी के मेरी जमीन पर काबिज है तो पहले तो हमने 30 वर्षों की मियाद लगा रखी थी कि 30 वर्ष तक भी अगर कोई नोटिस में लायेगा तो हम उसको हटा देंगे। अब वह मियाद भी हटा दी। अब यह भी कर दिया कि एडवर्स पजेशन के नाम से भी अगर जमीन अपने कब्जे में करना चाहेगा तो वह भी नहीं की जायेगी। इसलिये पूरा पुख्ता इन्तजाम किया है कि कोई भी मजबूरी में या किसी दबाव में अपनी जमीन को किसी को देने के लिये कार्यवाही न करे।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया या तो बात को टाल रही हैं या समझ नहीं रही हैं। मैं यह कह रहा हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से ही सवर्ण लोग खरीद रहे हैं, उसमें आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। कार्यवाही तभी कर सकते हैं जब सवर्ण के नाम से खरीदी हो। इसलिये केवल आपको जमीन इनकी रखनी है तो इसमें दिक्कत कहां है? आप यह कर दीजिये कि यह किसी को नहीं बेचेंगे तो इनके पास जमीन रहेगी। आपने भाग–2 में यही तो कहा है। मैं यही कह रहा हूं कि विरोधाभास है। आपने कहा कि जमीनें इनके पास रहनी चाहिये और पहले वाले में कह दिया कि नीति में परिवर्तन की जरूरत नहीं है। परिवर्तन नहीं करोगे तो न इनके पास जमीन रहेगी और न इनको पूरे पैसे मिलेंगे, मेरा यही सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह प्रतिबन्ध आवासीय भूमि पर लागू नहीं है? आवासीय भूमि किसी भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति सवर्ण जाति को बेच सकता है। आप यह बतायें कि क्या यह सही नहीं है कि विकासशील शहर है उसकी सीमा में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन आती है, उसका भू-रूपान्तरण करने का सरकार ने नीतिगत निर्णय ले रखा है और जब यह भू-रूपान्तरण होता है उसको हाउसिंग सोसायटी खरीद लेती है फिर 90 बी के अन्दर सरकार के पास चली जाती है और 90 बी की कार्यवाही करने के पश्चात् वह जमीन पिछले दरवाजे से सवर्ण जाति के पास आ रही है या नहीं आ रही है। आपने अपने उत्तर में कहा है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा मांग प्राप्त हुई है। आपने कहा है जी हां। जब आपको मांग प्राप्त हुई है तो इस मांग पर विचार किस स्तर पर कब किया गया और कब यह फैसला किया गया कि वर्तमान नीति यथावत रखी जायेगी? मेरे तीनों सवालों का जवाब दे दें।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने नगरीय भूमि की बात कही कि कृषि भूमि पर यह लागू है अगर उसको सम्परिवर्तन कराकर नगरीय काम के लिये, व्यावसायिक काम के लिये उसका परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसकी पहले से व्यवस्था चली आ रही है। इसलिये उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। दूसरा आपने कहा मांग चल रही है। किन्हीं लोगों का एक आवेदन आया था, कोई प्रतिनिधि हो, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिये उसके सन्दर्भ में यह सवाल पूछा गया। सामान्यजनों की तरफ से कोई एक एप्लीकेशन थी, न कि कोई जन प्रतिनिधियों की तरफ से। पिछले वक्त में जब मैं राजस्व मंत्री थी तब यह बात आयी थी तब सभी माननीय सदस्यों को बुलाकर मैंने बात की थी। इस बार भी जब टिनेंसी और रेवेन्यू एक्ट में परिवर्तन या रि-राइटिंग का काम चला तब भी वापस पूछताछ की कि हम यह परिवर्तन करें क्या? भूमि की कीमत अच्छी मिले, तो सभी ने जिन-जिन से बात की उन्होंने यही कहा कि आप इसको कतई मत करिये। इस बहाने से हमारे पास जितनी भी जमीन है, एक आधार है वह भी हमारा खतम हो जायेगा। इसलिये वह हमने नहीं किया। फिर यह दोनों बिल आ रहे हैं, इसमें फिर जैसी आम राय आयेगी, उसके हिसाब से फिर सोचेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की कृषि भूमि का फिजिकल पजेशन गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के पास है। क्या राज्य सरकार यह मंशा रखती है कि एस.सी., एस.टी. की कृषि भूमि पर गैर कानूनी उन्होंने अपना फिजिकल पजेशन कर रखा है, गिरवी

(श्री नन्दलाल मीणा)

के नाम पर, क्या सर्वे करा करके ऐसे फिजिकल पजेशन को, जो गैर कानूनी है, छुड़वाने का विचार रखती है?

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री): मैं इसका जवाब पहले दे चुकी हूं कि जहां-जहां भी राज्य सरकार के नोटिस में ऐसे कोई मामले आते हैं तो उनकी तुरन्त कार्यवाही की जाती है और अगर एडवर्स पजेशन के नाम पर भी कोई चेष्टा करता है तो उसको भी हमने पाबन्द कर दिया।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हो यह रहा है...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : गिरवी में रखी है उसकी बात बताइये, यह एडवर्स पजेशन छोड़िये।

श्री अध्यक्ष : आपने एक सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ लिया है। श्री संयम लोढ़ा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : काफी देर से वे कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया न। सवाल बड़ा रिलेवेंट है, जवाब तो आये।

श्री अध्यक्ष : रिलेवेंट है तो सब रिलेवेंट पूछ रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : इल्लीगल फिजिकल पजेशन के बारे में पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। वह तो नहीं कहेगा, उसको तो गांव वाले गिरवी रख कर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ग्रामदानी की व्यवस्था है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के नाम की जो खातेदारी दर्ज थी उसको बदल कर सामान्य वर्ग के लोगों के नाम पर किया गया। पिछले साल भी मैंने आपके माध्यम से यह जानकारी चाही थी और तब सिरोही के जिला प्रशासन ने जांच भी करवायी थी। खाली कृष्णगंज में 27 ऐसे प्रकरण पाये गये और वाडेली में 3 प्रकरण पाये गये जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के नाम की जमीन सामान्य वर्ग के नाम पर कर दी गयी। पूरे जिले में ग्रामदानी व्यवस्था के अन्दर अनूसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है और आज भी उनकी जमीनें दूसरों के नाम पर की जा रही हैं, और वह गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकार्ड पर अवेलेबल है। जिला प्रशासन ने आपको जानकारी भी भेजी है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार ग्रामदानी व्यवस्था खतम कर राजस्व विभाग की व्यवस्था को

(श्री संयम लोढ़ा)

ग्रामदानी गांवों पर लागू करने का विचार रखती है? क्या सरकार राज्य के समस्त जिलों में सक्षम अधिकारी के माध्यम से इस बात की जांच करवायेगी कि इन ग्रामदानी गांवों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की भूमि कितनी सामान्य वर्ग के नाम पर की गयी?

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, अभी जब तीन माह तक प्रशासन गांवों के संग अभियान चला था उसमें एक प्रमुख मुद्दा वहां पर पूरे प्रशासन को, पूरे जन प्रतिनिधियों को यह भी दिया गया था कि इस तरह का अगर कोई एलिनेशन आफ लैंड एस.सी., एस.टी. का कहीं किसी भी किस्म का, रजिस्ट्री हो, कोई गिरवी रखा हो, कोई जबरदस्ती कब्जा किया हुआ हो उन सबके बारे में इन सारे मामलों को पुख्ता तौर पर निस्तारण करें और राज्य सरकार के स्तर पर इस पर कार्यवाही अपेक्षित हो तो वह हमें भेजें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ गया है। आप एक ही सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं। आप तीन सप्लीमेंटरी थोड़े ही पूछेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : जवाब तो आना चाहिए। इनके विभाग के अधिकारी कहते हैं हम कुछ ही नहीं कर सकते, रेवेन्यू के नियम लागू नहीं होते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक भी सप्लीमेंटरी का जवाब मंत्री महोदया ने नहीं दिया।

डा. (श्रीमती) कमला : कैसे नहीं दे रही?

श्री अध्यक्ष : फिर किसका जवाब दे रही हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सब गोलमोल बात है।

श्री संयम लोढ़ा : आना चाहिए, अध्यक्ष महोदय। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी कहते हैं हमको कोई अधिकार ही नहीं है, हमारे कोई नियम इन पर लागू नहीं होते। वहां गरीबों की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं। एक विधवा महिला मुझे रोते हुए मिली थी, वह बता रही थी।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : जो अध्यक्ष होता है ग्रामदानी गांव का वही अलाट कर देता है और वही कलक्टर होता है इसलिए इसका मतलब जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. (श्रीमती) कमला : ग्रामदानी गांव का इसके अन्दर शामिल है, अगर वहां पर ऐसी स्थिति है तो उस पर भी कलक्टर को कार्यवाही करने का अधिकार है। अगर कहीं नहीं किया गया है और आप नोटिस में ला रहे हैं, क्योंकि हमारे नोटिस में जितनी चीजें आयी हैं उनका हम निस्तारण करते रहते हैं अगर नोटिस से बाहर है और आज आप बता रहे हैं तो मैं मालूम करूंगी इसको।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री संयम लोढ़ा : जांच करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब बिलकुल संतुष्टिपूर्ण है और प्रश्नकर्ता राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग स्वयं की भूमि को बेचते हैं तो उनको खरीदने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग सक्षम हैं। मैं तो सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो पंजीयन शुल्क 11 परसेंट है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति की जमीन एक-दूसरे को बेचान करते हैं, क्या सरकार उस पंजीयन शुल्क को घटाने की मंशा रखती है?

दूसरा निवेदन है कि 1972 और 1975 के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति को जो अलाटमेंटशुदा जमीनें हैं आज तक मौके पर कब्जा नहीं दिलवाया गया, क्या सरकार भौतिक सत्यापन करवाकर उन पर कब्जा दिलवाने की मंशा रखती है?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल है।

श्री अध्यक्ष : डा. रामप्रताप। नन्दलालजी, आप सप्लीमेंटरी पूछ चुके हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। लाखों बीघा जमीन आदिवासियों और हरिजनों की सवर्णों के पास फिजिकल पजेशन में है और कोई शिकायत नहीं करता है, शिकायत करता है तो उसके झगड़े पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार गैर कानूनी फिजिकल पजेशन के बारे में सर्वे करके हरिजनों और आदिवासियों को वह जमीन वापस लौटाना चाहती है या नहीं? मेरा सीधा सा सवाल है।

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, इस निमित्त दो माह का एक अभियान चलाकर पूरा सर्वे करके, पूरा फिजिकल वैरिफिकेशन कर के तथ्यों को इकट्ठा किया जायेगा और फिर उसकी कार्यवाही कर दी जायेगी। क्योंकि यह अभियान चलाया था। हो जाना चाहिए था।

श्री नन्दलाल मीणा : बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उससे मैं पूरा इत्तफाक रखता हूं लेकिन माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि जैसा आपने फरमाया कि आप अभी एक्ट में संशोधन करने जा रही हैं। एस.सी., एस.टी. की जमीन सवर्ण लोग खरीद तो नहीं सकते लेकिन एस.सी., एस.टी. के अन्दर ही इट सैल्फ एक क्लास ऐसी पैदा हो रही है जो करोड़पति है और वह आम गरीब हरिजन और आदिवासी की जमीन खरीद रहे हैं। आप एक्ट में इसके बारे में क्या करने जा रही हैं? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलालजी।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सवर्ण जाति की जो जमीन है, जो अलाटशुदा है उस जमीन का हासल तो शिड्यूल्ड कास्ट के दे रहे हैं और उसकी जमीन पर कब्जा दूसरे आदमियों ने कर रखा है जिसकी कार्यवाही, जैसाकि उप मुख्य मंत्रीजी ने बताया अभियान के लिये, उस अभियान में भी कार्यवाही हुई परन्तु आज तक हासल तो वह भर रहे हैं और कब्जे उन लोगों के हैं और उनको आज तक जमीन नहीं मिली।

दूसरा निवेदन है कि अभी यह बता रहे थे कि शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन जनरल के हो जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि नहीं होनी चाहिए। यह गरीब आदमियों की जमीन खरीद लेंगे तो उनके पास जमीन नहीं रहेगी। पहले भी मंत्री महोदय ने सबको बुलाया था और बातचीत करी थी तो सबने मना किया था कि शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन दूसरा आदमी, जनरल आदमी खरीद नहीं सके, ले नहीं सके। उसी एक्ट में वह कानून रखें नहीं तो गरीबों के पास जमीन नहीं रहेगी, मेरा यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कानून आम जनता के लिए, आम अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये है केवल जन प्रतिनिधियों के लिए नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मौजूदा कानून का लाभ उन एस.सी., एस.टी. के लोगों को मिल रहा या नहीं मिल रहा, इसके लिए क्या उनकी रायशुमारी करने का सरकार का इरादा है या नहीं?

दूसरा निवेदन है कि एक ही गांव के अन्दर एक खेत एस.सी. का है और दूसरा सवर्ण का है, सवर्ण, सवर्ण को बेचता है तो कितनी कीमत मिलती है और एस.सी., एस.सी. को बेचता है तो कितना अन्तर उसमें रहता है? क्या आपने कभी इसका असेसमेंट किया है? जैसा डाक्टर साहब ने

(श्री सांवर लाल)

कहा कि उसमें भी एक ऐसी क्लास डवलप हो गयी जो गरीबों की जमीन खरीदती है। मेरा निवेदन है कि क्या आपका इरादा है कि उस जमीन के बेचान पर या तो रोक लगा दो शत-प्रतिशत...

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में पूछिये, क्या भाषण दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल : अगर आप एस.सी., एस.टी. का भला चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि क्या सरकार का यह इरादा है कि एस.सी., एस.टी. की जमीन कोई भी नहीं खरीद सकता?

डा. (श्रीमती) कमला : यह तो कानून ही मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आपके विभाग में गिरदावरी में कभी कब्जा दर्ज होता था, अभी कब्जा दर्ज करना बन्द कर रखा है? खातेदार का कब्जा माना जाता है। क्या यह सही है कि अधिकांश माननीय सदस्य कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन पर बेनामी ट्रांजेक्शन हो करके और सवर्ण लोगों का कब्जा है?

अभी आपने खुद ने यह फरमाया है कि राजीखुशी अगर कोई किसी को बाने देता है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपका कथन पूर्णतया फेस वैल्यू पर लेता हूं कि सरकार और सरकार का प्रशासन पूरी कार्यवाही करता है अगर कोई शिकायत करता है तो। परन्तु अधिकांश केसेज ऐसे हैं जिसमें शिकायत कोई नहीं करता है। शिड्यूल्ड कास्ट के उनके खुद के नौकर होते हैं जिनके नाम जमीन खरीद लेते हैं वो। तो क्या आप ऐसा कोई विचार रखती हैं कि जिससे आपका जो आब्जैक्ट है इस सैक्शन 43 का, वह तो डिफीट हो जाता है। क्योंकि मूल आब्जेक्ट यह है कि एस.सी. का शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण तो हो रहा है। जब सवर्णों ने जमीन उनके नाम से खरीद रखी हैं और खुद बोते हैं और जो नौकर हैं उनके खातेदारी में नाम दर्ज है तो क्या आप कब्जे को खातेदारी को समानान्तर रूप प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान करेंगी? कब्जा भी सवर्ण जाति का हो और अगर एस.सी. का आदमी शिकायत भी न करे तो भी उससे कब्जा लेकर उसको दिलाया जाए। क्या इस प्रकार की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है?

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि जिन एस.सी. एस.टी. की जमीनें हैं। वे पैसा लेकर सवर्ण कास्ट के काश्तकारों को अपनी जमीनें बता देते हैं इसलिए जिसने पैसा लेकर जमीन बता दी है वह तो इसलिए नहीं बताना चाहता है और जो खेती कर रहा है वह इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं खेती

(डा. (श्रीमती) कमला)

करता रहूं इसलिए स्वतः ही इनके द्वारा इस बात की जानकारी आ जाए वह तो होगा नहीं। इसलिए अधिकारियों की यह ड्यूटी बनती है हमने उनको पाबन्द किया है लेकिन पूरी तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। यह मुझे भी जानकारी है बावजूद इसके कि कैम्प चलाते हैं, पाबन्दियां भी करते हैं और सर्कुलर भी भेजते हैं तो इसलिए जो मैंने अभी कहा है कि इस मुद्दे पर विशेष तौर पर दो माह का एक सर्वेक्षण अभियान चलाकर इनको भेजकर इसकी रिपोर्ट मंगवायेंगे और उसके मुताबिक जो कोई मामले पैंडिंग हैं या कोई रह रहे हैं जिसका नोटिस नहीं लिया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गिरदावरी चालू कराओ न। गिरदावरी में कब्जा दर्ज करवाओ न आप।

डा. (श्रीमती) कमला : गिरदावरी में तो लिख नहीं जाता न कि किसने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पटवारी अगर ईमानदारी से दर्ज करेगा तो हो जाएगा।

डा. (श्रीमती) कमला : ऐसे तो कर रहे हैं लेकिन वह पूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, अमरारामजी। श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खुद ही कह रही हैं कि अधिकारी आपकी मानते नहीं हैं तो फिर कैम्पों में...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मानते नहीं, यह नहीं कह रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने खुद ने कहा है।

डा. (श्रीमती) कमला : आप बड़ी से बड़ी हुकूमत ले आयेंगे तो भी लैप्सेस रहते हैं। जो सच्चाई है, वह मैं आपके सामने कह रही हूं। आप भी जानते हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सांवर लाल : xxx

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लालजी, आप बैठिए। एक सप्लीमेंटरी प्रश्न।

श्री सांवर लाल : xxx

डा. (श्रीमती) कमला : मेरा जवाब तो सुनो आप। बैठो तो सही। आपने एक

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. (श्रीमती) कमला)

तो यह कह दिया कि आप जन प्रतिनिधियों को ही सब कुछ क्यों मान रहे हो। मैं इसलिए मान रही हूं। (व्यवधान) जरा आप बिराजें। यानी जन प्रतिनिधि फ्री। (व्यवधान) आपको नहीं कह रही हूं उनको कह रही हूं।

श्री सांवर लाल : ×××

डा. (श्रीमती) कमला : आप सुनिए तो सही।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। उनके सप्लीमेंटरी प्रश्न के साथ जवाब दे दीजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सैक्शन 42 में एस.सी. की जमीन को सवर्ण को, सवर्ण कास्ट को बेचने पर प्रतिबन्ध है परन्तु अमूमन क्या होता है कि दावा करवाकर सवर्ण कास्ट से पुराना कब्जा मानते हुए उनकी डिक्रियां जारी कर दी जाती हैं। आपने कहा कि आप दो महीने में सर्वे करवायेंगी, तो ऐसी जो डिक्रियां हो चुकी हैं, पिछली बार मैंने बजट सत्र में भी निवेदन किया था कि मेरे यहां जैतारण में श्री ताराचन्द खत्री हैं एस.डी.ओ. उन्होंने एस.सी. की जमीन की सवर्ण कास्ट की डिग्री जारी कर दी थी और आपने जांच करवाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा था फिर आपके जवाब में भी आया था कि उसने डिक्री कर दी है परन्तु उसने डिक्री निरस्त कर दी है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की राज्य सरकार की मंशा है क्या जिसने डिक्री जारी कर दी?

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि जो रेट औरों की है, क्या एस.सी. एस.टी. की भी सेम रेट रखेंगे? जो जमीन नहीं बिक रही हैं, अगर सेम रेट होगी तो खरीदने वाला भी सवर्ण कास्ट भी पीछे हटेगा। रेट कम होने की वजह से ये खरीदी जाती हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एस.सी. और एस.टी. के हितों का जो संरक्षण करना चाहते हैं तो आपने अभी जो व्यवस्था कर रखी है यदि आप काश्त गिरदावरी का आर्डर कर देंगे तो निश्चित रूप से जो काश्त कर रहा है, खातेदार नहीं है, एस.सी. का खातेदार है लेकिन सवर्ण उस पर काश्त कर रहा है तो क्या आप काश्त गिरदावरी का इरादा रखते हैं तो निश्चित रूप से एस.सी. और एस.टी. की भूमि का रिकार्ड आयेगा वरना आपके अभियान से कतई नहीं आयेगा। जब

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम)

तक आप यह प्रोविजन नहीं करेंगी। खाता गिरदावरी की बजाय काश्त गिरदावरी करेंगी तब ही उसका समाधान होगा।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री अमराराम (धोद) : क्या सरकार यह विचार रखती है?

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य जिन्होंने एतराज किया कि आप जन प्रतिनिधियों से ही क्यों पूछना चाह रही हैं...(व्यवधान) मैं सब बता दूंगी, आप सुनिए तो सही।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए–बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भी बता दें कि अधिकारी आपकी क्यों नहीं मानते हैं? अधिकारी आपकी मानते ही नहीं, आप जवाब क्या देंगी?

डा. (श्रीमती) कमला : आप बोलते ही जायेंगे तो, आपकी तो बहुत मान रहे थे। हमारी तो मानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ही ने तो कहा है। हमारी तो सरकार चली गयी इसलिए हमारी तो नहीं मानते।

डा. (श्रीमती) कमला : हुकुम चलाना और उसको लागू करवाना राज का दायित्व है वह दायित्व हम निभा रहे हैं लेकिन आपकी तरह असत्य नहीं बोल सकते। सौ परसेंट पुख्ता व्यवस्था है इसमें एक भी लैस नहीं है। यह असत्य बोलने वाली बात मैं नहीं कह सकती।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो काश्त गिरदावरी कराओ सब हट जाएगा। अपने आप रिकार्ड में आ जायेगा।

डा. (श्रीमती) कमला : समझ गयी आप जो कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधि सारी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मैं मानती हूं और यह आप भी जानते हैं। इसलिए मैंने यह बात कही तो कौनसी आधारहीन बात कही और कौनसी असत्य बात कही? सही कहा है। जन प्रतिनिधि अपने–अपने क्षेत्रों से पूछकर अपने क्षेत्र के लोगों की भावना के अनुरूप अपनी बात कहते हैं और उस बात को वजन भी देना पड़ता है क्योंकि प्रजातंत्र में जन प्रतिनिधि जनता के अभिभाषक के रूप में हैं इसलिए इसमें कोई एतराज की चीज नहीं है।

दूसरा, आपने कहा है कि काश्त गिरदावरी शुरू कर दें तो आपको अपने आप से इसके बारे में पता लग जाएगा। आपको पता है कि बहुत समय पहले यह व्यवस्था थी। उसको समाप्त किया गया था। अब उसको वापस लागू करने के लिए, नया री–राइट करने के लिए जो कानून ला रहे

(डा. (श्रीमती) कमला)

हैं, उसमें आप लोगों की जैसी राय आयेगी उसके हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। अभी इसमें नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : हमारी तो राय ही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह प्रशासनिक आदेश से होगा, कानून की जरूरत नहीं है इसमें।

श्री सांवर लाल : मैं आपसे केवल यह पूछ रहा था कि आपकी इच्छा है क्या कि एस.सी. एस.टी. के लोगों का जनमत जाना जाए? नहीं है तो क्या कारण है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मूल प्रश्न को तो ले गये।

डा. (श्रीमती) कमला : जो यहां बैठे हैं, मैं यह मान लूं कि आप जनता की राय के रेलेवेंट नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री सांवर लाल : आप जनता का भला नहीं चाहते, आप जनता की राय को पसन्द नहीं करते, यह कहना चाहते हो क्या आप? अभी आपने कहा था, आपने सदन में कहा था कि मेरे पास प्रतिवेदन आया मैंने उस पर विचार नहीं किया।

डा. (श्रीमती) कमला : आप कह दीजिए कि मैं अपनी जनता को रिप्रजेंट नहीं करता हूं, तब मैं आपकी बात पर विचार करूंगी।

श्री सांवर लाल : मैं रिप्रजेंट करता हूं। आप अगर जनता से पूछते तो मुझे क्या एतराज है। आप मेरी जनता से पूछ लीजिए। कोई कानून बनाया है तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

खादी ग्रामोद्योग की मार्जिन मनी योजना

20. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने खादी ग्रामोद्योग के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये बिक्री कर में छूट देने की नीति बना रखी थी? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने बिक्री कर की छूट की मार्जिन मनी योजना को वापस ले लिया है? यदि हां, तो कब से?

(3) उक्त बिक्री कर की छूट की मार्जिन मनी योजना को वापस लेने से खादी ग्रामोद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(4) क्या सरकार बिक्री कर में छूट देने की योजना वापस लागू करेगी? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री रतन लाल ताम्बी) : (1) हां, यह सही है कि राज्य सरकार ने बिक्री कर में छूट देने की नीति बना रखी है। यह नीति दिनांक 20.4.1956 से लागू है जो समय समय पर संशोधित होती रही है।

(2) यह सही नहीं है। मार्जिन मनी योजनान्तर्गत बिक्री कर की छूट को वापस नहीं लिया गया है किन्तु छूट के विषयों को पुनः निर्धारित करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(3) उक्तानुसार योजना वापस नहीं ली गयी है।

(4) योजना वापस नहीं ली गयी है। अतः पुनः लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट आफ राजस्थान कामर्शियल टैक्सेज डिपार्टमेंट का एक पत्र पढ़ रहा हूं। पत्र क्रमांक एफ. 16(56) टैक्स सीसीटी/87/पी.टी.आई./8218 दिनांक 24 फरवरी, 2003 In response to your above referred letter, it is informed that the issue is under active consideration of the Finance Department. As per discussion held in FD, except soap, brick kiln, marble and Kota stone units, the existing sales tax exemption benefits to the Khadi & Village Industries Sector are likely to continue. मेरा कहना है कि साबुन का जो उद्योग है उस उद्योग के द्वारा बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और उसके कारण खादी उद्योग को बहुत भयंकर लोस होगा। इसलिए इस सोप के बारे में आप कंसीडरेशन कर सकते हैं। इस सोप को भी सैल्स टैक्स के बारे में एग्जम्पशन किया जाय। इस बारे में आपने लैटर भी लिखा है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं, मुझे बताने की कोशिश करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : साबुन,मार्बल, ईंट, कोटा स्टोन चार को छोड़कर सारी छूट पहले से निर्धारित है, वह बराबर जारी है। चार के लिए खादी बोर्ड द्वारा पुनः ध्यान आकर्षित किया गया है और मामला फाइनेंस विभाग में विचाराधीन है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : दूसरा प्रश्न यह है कि क्या खादी कमीशन द्वारा पांच करोड़ के मार्जिन मनी के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो खादी बोर्ड को ब्याज दे उसके भौतिक व वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हो गये, यदि नहीं तो क्यों नहीं? आंकड़े बता दें।

श्री रतन लाल ताम्बी : इस वर्ष के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लक्ष्य तीन हजार के लगभग थे और उसमें फरवरी तक दो हजार के लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं और उसके बाद इस अन्तिम महीने में ही ज्यादातर लक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस बारे में प्रयास कर रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इस नोडल अधिकारी के एकतरफा निर्णय से वर्तमान वित्तीय वर्ष में बोर्ड ने कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये।

श्री रतन लाल ताम्बी : इन चार को छोड़कर सबके जारी किये जा रहे हैं और चार के भी 2002-2003 के पहले के वर्षों के बराबर जारी किये जा रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह जारी जो किये जा रहे हैं यह कब जारी किये गये?

श्री रतन लाल ताम्बी : यह पहले मामला विचाराधीन था उस समय थोड़ा डिले हुआ था। अब बराबर जारी किये जा रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कौनसे महीने से जारी किये हैं?

श्री रतन लाल ताम्बी : जो भी शेष हैं मार्च तक जारी कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में बोर्ड पूरी तरह से लगा हुआ है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो ईंट उद्योग पहले आपने जिन लोगों को परमिशन दे दी क्या उनको तो दस साल की छूट थी सैल्स टैक्स में, वह छूट आगे रहेगी या नहीं रहेगी, उसके बारे में बताने का कष्ट करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने अभी यह निवेदन किया था चार मामले अभी ईंट उद्योग, साबुन, मार्बल, कोटा स्टोन यह 2002 तक के तो बराबर दिये जा रहे हैं और 2002 और 2003 के मामले में फाइनेंस विभाग में और खादी बोर्ड के बीच में यह मामला चल रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने पहले उनको दस साल के लिए छूट दे दी। उस आदमी ने उद्योग लगा लिया। अब आपने 2002 तक तो दे दी। दो साल तक क्या करेगा वह? वह बैक आउट आप कैसे होओगे? बैक आउट होंगे या नहीं होंगे? इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि 2002 तक तो दे दी आपने, लेकिन आप जब उसने वह उद्योग लगाया जिस रोज, तो आपने दस साल की छूट दी उसको। और आज दस साल की छूट के बाद उसने अपना उद्योग लगा लिया और आपने फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री रतन लाल ताम्बी : हमने नहीं भेजा। बजट में फाइनेंस विभाग ने घोषणा की थी।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह घोषणा तो खादी बोर्ड की है ना?

श्री रतन लाल ताम्बी : पुनरावलोकन हम कर रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने पुनरावलोकन किया।

श्री धर्मपाल चौधरी : सरकार ने यह घोषणा करके चालीस लाख रुपया एक आदमी का ईंट उद्योग में लगवा दिया और उसको मरवा दिया। दस साल तक हम आपको सैल्स टैक्स की छूट देंगे, आप अपने ग्राम में जाकर ईंट का उद्योग कीजिए। और आज उद्योग लगाने के बाद आप कह रहे हैं कि 2002 तक तो हम छूट देंगे, आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने। तो ऐसा आपने क्यों किया, इसके बारे में सरकार क्या कहेगी? मुख्यमंत्री जी भी यहीं बैठे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यहीं बैठा है, उन लोगों का क्या होगा?

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने आपसे यही निवेदन किया है कि हम भी इस बात में लगे हुए हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, लगे क्या हैं, सरकार आपकी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका है।

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, तो यह चल रहा है मामला, इसमें विचार होना बाकी है निर्णय होना।

श्री धर्मपाल चौधरी : इसका जवाब दे, सरकार क्या कर रही है?

श्री संयम लोढ़ा : फाइनेंशियल ईयर खतम हो रहा है। टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : इसमें विचार करने की क्या बात आ गयी? यहां सरकार बैठी है सारी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा साल खतम हो रहा है और अगर सरकार तुरन्त फैसला नहीं करेगी तो जितने भी यह उद्योग लगे हुए हैं साबुन से सम्बन्धित, उन सब पर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। यह फरवरी खतम हो रहा है और आप फैसला नहीं कर रहे हैं इस पर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं यह जो चार उद्योग ईंट, भट्टा, साबुन और कोटा स्टोन गिनाया है...

श्री अध्यक्ष : आपको मैंने अनुमति नहीं दी है। उन्होंने सप्लीमैंटरी पूछा है उसका उत्तर आने दीजिए। आप तो वैसे ही खड़े हो गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खड़े होने के लिए आपने कहा था। अब तो खड़े होने का टाइम आ रहा है क्षेत्र में।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने निवेदन यह किया है कि खादी बोर्ड ने...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इसका पहले वाले का उत्तर नहीं आया।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब करीब 11 महीने निकल गये और सरकार ने इस बिन्दु पर फैसला नहीं किया। अब सारे उन लघु उद्योग वालों के लिए टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होने का समय आ गया। सरकार को तुरन्त दो दिन में इस बारे में फैसला करना चाहिए जिससे जो सांस उनकी रुकी हुई है वह सामान्य गति से चल सके।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन कर चुका हूं कि खादी बोर्ड की तरफ से मांग बराबर चल रही है, फाइनेंस विभाग पर बराबर प्रयत्न किया जा रहा है कि इसको वापस देखें।

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रयत्न से क्या होगा? जिसने पैसा लगा दिया, सरकार यहां बैठी है, आज तक कितने लोगों को बेरोजगारी का नाम, उनको बरबाद करने पर तुली हुई है सरकार कि इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई भी सवाल आपसे पूछिए सरकार से, हर बार हर डिपार्टमेंट का जवाब आ जाता है कि हमारे पास साधन नहीं है, हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप कितने दिन तक और प्रयत्न करोगे? नवम्बर के बाद अपने घर पर प्रयत्न करोगे।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को वित्त विभाग से जानकारी ले करके जवाब देना चाहिए। यह जवाब उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप हर वक्त खड़े हो जाते हैं प्रोफेसर सांवर लालजी, आप बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन चार उद्योगों का आपने जिक्र किया, अनुदान तो देती है केन्द्र सरकार उसमें आपका कोई योगदान नहीं है राजस्थान सरकार का और खादी बोर्ड का। उस अनुदान को पांच लाख से तीस लाख, बीस लाख जो दिया गया है उस पर आपको सिर्फ सेल्स टैक्स की छूट देनी है और जो चारों ईंट भट्टा, साबुन, मार्बल और कोटा स्टोन यह कंजूमर आइटम हैं। आपके हमारे ही नहीं, आम जनता गरीब से गरीब को ईंट काम आती है और पत्थर है ही नहीं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसे क्षेत्र में जो ईंट भट्टे हैं वहां पर ईंट भट्टों पर सेल्स टैक्स आप खतम कर देंगे तो वास्तव में आम आदमी पर इसका भार कम हो जायेगा। इसलिए कृपा करके मुख्य मंत्री महोदय बैठे हैं, अभी गुफ्तगू करके बताने का कष्ट करें कि आप वित्तीय स्वीकृति इसको दे रहे हैं और इन चार उद्योगों को भी सेल्स टैक्स की छूट में शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी बैठे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : ईंट उद्योग दस साल की जो आप बात कह रहे हैं, खादी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बोर्ड ने कभी इस प्रकार की घोषणा नहीं की कि दस साल तक छूट देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह इन्होंने पूछा है, मैंने नहीं पूछा।

श्री रतन लाल ताम्बी : कभी नहीं की।

श्री धर्मपाल चौधरी : की हुई है, आपको यह ही नहीं पता। आपके डिपार्टमेंट में की हुई है...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : बिलकुल तैयारी के साथ हैं। खादी बोर्ड ने कभी घोषणा नहीं की...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बिलकुल तैयारी के साथ हैं खादी ग्रामोद्योग ने जब लाइसेंस जारी किया, दस साल की छूट दी थी।

श्री रतन लाल ताम्बी : पूरी तैयारी के साथ हैं। खादी बोर्ड ने कभी घोषणा नहीं की। तैयारी के साथ कह रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी जो हाथों से काम होता है और साबुन बनता है उसका बता दीजिए आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साबुन का काम तो...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह मानव श्रम पर आधारित है।

श्री रतन लाल ताम्बी : हमने इसका मांगा है और कार्यवाही इसीलिए फाइनेंस पर हम कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साबुन और ईंट भट्टा, कोटा स्टोन, मार्बल एक आम आदमी का कंजूमर आइटम है...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सेल्स टैक्स की छूट देने का मामला बिलकुल फाइनेंस विभाग का है। फैसला उन्होंने ही किया है। खादी बोर्ड द्वारा कभी ऐसी घोषणा नहीं की।

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, उद्योग लगाने वाला, उसकी पूर्व में तैयारी करके तय करता है कि मुझे कितने वर्ष के लिए उद्योग चलाना है। केवल एक वर्ष के लिए उद्योग नहीं चलाया जाता है। इसलिए माननीय मंत्रीजी का यह जवाब खादी बोर्ड बराबर...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : पुराने मामलों में कोई रोक नहीं है। 31 मार्च, 2002 तक कोई रोक नहीं है। उसकी छूट की कार्यवाही बराबर चालू है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने नवीनीकरण क्यों नहीं किया? आपने उन उद्योगों का नवीनीकरण क्यों नहीं किया? क्यों फाइल को रोक रखा है आपने?

श्री वृद्धिचन्द जैन : जिस नोडल अधिकारी के एक तरफा निर्णय से वर्तमान वित्तीय वर्ष में बोर्ड ने कर मुक्ति प्रमाण

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पत्र जारी नहीं किए और खादी बोर्ड ने कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने के महत्वपूर्ण कार्य में लिये जिस नोडल अधिकारी के विरुद्ध में 16 सी.सी. में चार्ज शीट लम्बित है। यदि हां, तो ऐसे अधिकारी को आपने कार्य क्यों सौंपा जिन्होंने इतना विलम्ब किया और विलम्ब के कारण खादी को बहुत ही नुकसान हुआ है। मार्जिन मनी का उपयोग नहीं किया जा सका।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या मंत्री महोदय, यह बतायेंगे कि यह चार उद्योग जिनसे आपने यह छूट वापस ली है उस पर उस कारण से वित्त विभाग को कितनी आमदनी होने का अंदेशा है? क्या आपने इसको कैलकुलेट किया है कि कितनी आमदनी इन चार क्षेत्रों से वित्त विभाग को हो जाएगी? जो उन्होंने अपने बजट में विथड्रा की है घोषणा, उसके फलस्वरूप क्या आपने आकलन किया कि कितनी आमदनी उनको होगी और कितने उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और कितने उद्योग उसके फलस्वरूप बन्द हो जायेंगे? क्या आपने इसका आकलन किया है?

श्री रतन लाल ताम्बी : हमने यह माना है कि इसमें प्रभावित हो रहे हैं इसीलिए तो हम बराबर लड़ रहे हैं। उनसे बराबर बात चल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किससे लड़ रहे हो आप?

श्री मानिक चन्द सुराना : वित्त विभाग से लड़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंत्री यह कहे कि हम लड़ रहे हैं सरकार से, उसी सरकार से लड़ रहे हैं जिस सरकार में आप हो...(व्यवधान) इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती।

श्री रतन लाल ताम्बी : उस मुद्दे को हम बराबर रख रहे हैं उनके सामने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार के मंत्री यह कहें कि वित्त विभाग से लड़ रहे हैं। यह कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बात है।

श्री रतन लाल ताम्बी : हमारे पास जितने भी आए थे, उनसे बातचीत चल रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह भीलवाड़ा की आम सभा में नहीं बोल रहे हो आप। मंत्री महोदय, आप सदन में बोल रहे हैं, आप किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? आपने कितने पत्र लिखे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं, मंत्री महोदय, यह जानना चाहता हूं कि कितनी आमदनी, कितना राजस्व इसमें सन्निहित है? क्या आपने इसका आकलन किया है कि इससे दस करोड़, बीस करोड़, पच्चीस करोड़ कितने रुपये की आमदनी राज्य को हो जाएगी?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह भीलवाड़ा की आम सभा में थोड़े ही बोल रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हो, आपने क्या-क्या पत्र लिखे हैं? क्या कार्यवाही की है आप वह बताइये।

श्री मानिक चन्द सुराना : इससे हजारों छोटे उद्योगों को बन्द करने पर उतारू, माननीय मुख्य मंत्रीजी आप स्वयं बैठे हैं। मामला यदि खादी और वित्त विभाग का है तो आप स्वयं फाइल मंगवाइये और देखें कि यह छोटे उद्योगों को जो राहत पहले दी हुई है उसको विथड्रा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसमें मेरा निवेदन है कि आप इंटरवीन करें और इस सम्बन्ध में तत्काल एक दो दिन में आर्डर इस सम्बन्ध में जारी करवाएं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कल भी सदस्यों ने जो सवाल पूछा उसमें उद्योग मंत्रीजी ने वित्त विभाग को बीच में लाकर खड़ा कर दिया और सवाल खतम हो गया। आज भी जब हम सवाल पूछ रहे हैं फिर वित्त विभाग को, हम तो सरकार से अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार की ओर से पूरा जवाब आना चाहिये। इनको अगर वित्त मंत्रीजी से बात है तो पहले करके फिर जवाब देना चाहिये। हर सवाल को अगर इस तरीके से टाल देंगे तो सदन में सवाल पूछने का अर्थ क्या रहेगा?

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए जो बात उजागर की उससे यह लगता है कि वह अपने विभाग की तरफ से तो इन उद्योगों को राहत देने के लिये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि हम लड़ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि एक विभाग सरकार का दूसरे विभाग से लड़े और यह वर्सन एक मंत्री यहां इस सदन में अपना प्रकट करे, इसका मतलब तो यह है कि आपकी कोई सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, विषय बहुत ही सामान्य उद्योगों के ऊपर है और वह भी आप फरवरी के महीने में इस पर निर्णय अधूरा छोड़ रहे हैं। तो इस साल के टैक्स के बारे में क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं है। क्या स्थिति बनेगी उद्योग की, इसके बारे में पता नहीं। एक खादी मंत्री यह चाहते हैं कि इन लोगों को छूट रहे जिससे यह छोटी इंडस्ट्री गांवों तक जो चल रही है और जो कंजूमर तक पहुंच रहा है, यह भार किसी उद्योग वाले पर नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप लगाओगे, जायेगा तो कंजूमर के ऊपर ही। और जो छोटे मोटे उद्योगों से साबुन या जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इन सब पर इफैक्ट पड़ना है। इसलिये यह तो दोनों की लड़ाई चल रही है उसमें रक्षा तो आप ही कर सकते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो आप ही मुख्य मंत्रीजी बतायें कि इस मांग को लेकर वित्त विभाग और खादी मंत्रीजी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसका कोई हल है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी से आप बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह वर्कर ओरियेंटेड इंण्डस्ट्री है। इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम मिलता है इसलिये मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जगमाल सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दोनों विभाग आपस में लड़ रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, आपको जवाब देना चाहिये। हालत क्या हो गयी है, आपके एक मंत्री कह रहे हैं छूट देनी चाहिये और एक मंत्री कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लड़ने का मतलब कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं है। एक मुद्दा है इसमें दोनों...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) : लड़ाई से यह मतलब नहीं है कि कोई हाथापाई हो रही है। लड़ाई से यह मतलब है कि परामर्श चल रहा है। बातचीत चल रही है। यह अर्थ है। इसका मतलब फैसला हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने खुद कहा है और पहले उप मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारे अधिकारी नहीं मानते।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मंत्रीजी कह रहे थे पिछले बजट में इसके ऊपर वित्त मंत्रालय ने विथड्रा करने की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ शिकायतें ऐसी आ रही थीं कि उससे छूट का दुरुपयोग हो रहा है। पर सदन की भावना को देखते हुए मैं खुद हस्तक्षेप करूंगा और जल्दी ही फैसला करायेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कुटीर उद्योगों को कोई नुकसान न हो, जो पहले इंडस्ट्री लग चुकी हैं उसे मैं खुद देखूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : ताम्बीजी का भला कर दिया आपने।

प्रश्न संख्या-21

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जगन्नाथ, श्री मदन दिलावर।

राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन द्वारा आयोजित सेमीनार

22. **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री जगन्नाथ)

(1) सरकार द्वारा राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन बेनर तले हरीश चन्द्र माथुर संस्थान में दो दिवसीय सेमीनार वर्ष 2002 में कब और क्यों, किसके आदेश से आयोजित की गयी थी? सेमीनार आयोजित करने का उद्देश्य क्या था?

(2) उक्त आवेदन में कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया जिसमें कितने सरकारी अधिकारी व कितने स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि थे?

(3) उक्त बाहर से आने वाले प्रतियोगियों में से प्रत्येक पर कितना–कितना खर्चा हुआ तथा यह खर्चा किस–किस पर हुआ?

(4) उक्त सेमीनार पर कुल कितना खर्चा हुआ?

(5) उक्त आयोजन से सरकार को क्या लाभ मिला?

समाज कल्याण मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3.9.2002 को राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार दिनांक 19 व 20 नवम्बर, 2002 को आयोजित की गयी।

सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामजिक सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विषय विशेषज्ञों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श करने हेतु इस सेमीनार का आयोजन किया गया।

(2) इस सेमीनार में 282 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें 92 सरकारी अधिकारी एवं 148 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा 39 अन्य थे।

(3) सेमीनार में बाहर से आने वाले प्रतिभागियों को यात्रा व्यय का भुगतान किया गया जिसकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(4) उक्त सेमीनार पर कुल 14 लाख 59 हजार रुपये का व्यय हुआ।

(5) उक्त आयोजन से राज्य सरकार को अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं के समन्वय में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने एवं कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के विचार एवं सुझाव प्राप्त हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आवश्यक सुधार लाने में सहयोगी सिद्ध होंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खण्ड दो में बताया है कि 282 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। उसमें कहा है कि 95 तो सरकारी अधिकारी थे, 148 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि थे और 39 अन्य थे, तो यह अन्य कौन थे? उनके नाम बतायें और किस हैसियत से इस सेमीनार में शामिल हुए?

मेरा दूसरा प्रश्न है, मंत्री महोदय ने बताया कि 14 लाख 59 हजार रुपये इसमें खर्च हुए हैं। यात्रा और मानदेय पर 2,77,732 खर्च हुए हैं तो अन्य खर्चा किस-किस पर हुआ, वह अलग-अलग बताएं।

तीसरा प्रश्न, जो सहभागी इसमें आए हैं, उनमें अमेरिका से आने वाले को तो पांच हजार रुपये किराये के यात्रा व्यय के नाम पर दिये हैं। जो बैंग्लोर से आये हैं उनको 21,000 यात्रा व्यय के नाम पर दिया है। उदयपुर से आये हैं उनको 1,524 और एक दूसरे प्रतिभागी जो उदयपुर से आये हैं उनको 497 रुपये दिये हैं। तो यह किस आधार पर इन्होंने इसका आकलन किया है?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि केवल भोजन पर कितना खर्चा हुआ तथा एक समय के एक व्यक्ति के भोजन पर कितना-कितना खर्चा आया तथा अलग-अलग समय के भोजन पर क्या क्या मेन्यु था, यह माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य ने अपनी तरफ से जो शंका जाहिर की है, उसमें अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न में व्यय का विवरण मांगा था, वह इस प्रकार है।

आगंतुकों का यात्रा व्यय भुगतान 2,07,732, विषय विशेषज्ञों को मानदेय 70,000 रुपये...

श्री मदन दिलावर : वह नहीं पूछा मैंने। वह तो बता दिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अलग-अलग मांगा है। भोजन एवं आवास व्यवस्था पर व्यय 3,02,217 स्टेशनरी, कम्प्यूटर सामग्री और आगंतुकों को दिये गये किट् पर, चाय आदि पर 1,91,592 रुपये, विज्ञापन एवं बैनर आदि में व्यय 13,149, टैंट आदि की व्यवस्था पर 31,080 रुपये, कुल 6,13,707 रुपये है।

व्यय का विवरण जिनका भुगतान किया जाना शेष है उनमें आगंतुकों एवं सेमीनार की व्यवस्था हेतु किराये पर लिये गये वाहनों का आर.टी.डी.सी. को भुगतान 1,14,970 रुपये है। मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिये गये रात्रि भोज पर व्यय 55,283 रुपये, जयपुर घोषणा पत्र के मुद्रण पर व्यय 2,07,375 और राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय विभिन्न प्रिंटिंग व्यय 2,67,713 रुपये, इस प्रकार 6,45,341 रुपये की राशि का भुगतान अभी देना है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर 14,59,101 रुपये है।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पर यह सेमीनार आयोजित किया गया जिस पर मुद्दे क्योंकि बहुत-बहुत सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित थे और हमने इस सेमीनार के माध्यम से...

श्री मदन दिलावर : मैंने मैन्यु पूछा है। मैन्यु पूछा है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सुनिये तो सही। उपलब्धियां जब आपको प्राप्त हो गयीं। आप डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज़ के हित में नहीं रहना चाहते हैं। उसके ऊपर विचार करके, उसको अच्छी तरह से पूरे हिन्दुस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, प्रत्येक राज्य के अन्दर एक दिशा–निर्देश देना चाहते हैं। उसी में आप रोड़ा डाल करके यह कहते हैं कि व्यय क्यों हुआ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ, यह क्या बात हुई?

श्री छोगाराम बाकोलिया : बिल अप्रूव कर दिया है और बिल अच्छी तरह से एग्जामिन करके पास कर देते हैं। उसके अन्दर जवाब दे...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपसे जवाब नहीं बनता, ढंग से नहीं देना चाहते तो मत दीजिये, लेकिन यह रोड़े–रोड़े क्या है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : 700 रुपये क्यों मिले, जिसने जितना क्लेम किया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अकाल का टाइम है, 14 लाख रुपये बरबाद किये हैं जनता के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी सादगी और मितव्ययता की बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : हम ज्यादा क्यों देंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक तरफ राजस्थान में लोग अकाल से मर रहे थे...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप क्या जानते हैं इसमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 14 लाख रुपये खर्च कर दिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : राजस्थान की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के मामले में...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे प्रश्न का पूरा जवाब दिला दो, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : राजीव गांधी पेयजल मिशन में...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्रीजी, मैं बता दूं मेन्यु क्या था।

डा. करण सिंह यादव : सामाजिक सुरक्षा तो सामने वालों का विषय ही नहीं

(डा. करण सिंह यादव)

है। गरीब की, दलित की, असहाय की, नि:शक्त की तो सामने वाले सोच ही नहीं सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने पांच सितारा होटल में 14 लाख रुपये खर्च कर दिये।

डा. करण सिंह यादव : यदि किसी आदमी ने उस सेमीनार को अटैंड किया होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : करण सिंह जी, अभी तक आप ठीक थे, क्या हो गया आपको?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सुनिये आप मेरी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। बंशीवाल जी का क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि भोजन का मेन्यु क्या था और एक टाइम के भोजन पर एक व्यक्ति पर कितना खर्चा किया है। पाइंटेड सवाल था तो आप बता दें।

श्री संयम लोढ़ा : खर्च तो आपकी प्रदेशाध्यक्ष से पूछिये जो हेलीकाप्टर से चुनावों में नीचे नहीं उतरीं। उनसे पूछो कि खर्चा कहां से किया। कहीं नहीं नीचे उतरीं, एक गाड़ी में नहीं बैठीं। इनसे पूछिये कि खर्चा कहां से आया। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यह गरीबों के लिए खर्च किया गया है?

श्री रोहिताश्व कुमार : यह तो सरकारी खजाने से खर्चा हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा : उनसे पूछो कि वह हेलीकाप्टर का खर्चा कहां से आया। तीन-तीन विधान सभा क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव में वह हेलीकाप्टर से गयी हैं। वह करोड़ों रुपये कहां से आये, उनसे पूछे आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : चोखी ढाणी में क्या हुआ? चोखी ढाणी में क्या खर्चा हुआ, वह बता दीजिये आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब मंत्री बन गये, अब क्यों बोलते हो?

श्री रोहिताश्व कुमार : इस तरह से गरीब का नाम ले करके खजाने को लुटवा दिया फालतू फंड में।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, कोई खजाना नहीं लुटाया गया है। और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपके जैसे हेलीकाप्टर में नहीं गये थे।

श्री मदन दिलावर : आपका प्रोटेक्शन चाहिये, श्रीमान्।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमने आगे बढ़ने के लिये कदम उठाये हैं, कोई अपव्यय नहीं किया है। और जो एलीगेशन लगा रहे हैं, वह निराधार है। हमने जो खर्च किया है वह नीति संगत किया है।

श्री मदन दिलावर : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, मंत्रीजी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ऐसे बोलने से ही थोड़े चार्ज लग सकता है। आप बैठें, सुनिये आप। हमने किसको बुलाया था वह भी आप सुनिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : पाइंटेड सवाल है।

श्री मदन दिलावर : मेन्यु बतायें, इसका मेन्यू क्या था।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप लोग तो बुलाने के लायक ही नहीं थे क्योंकि सामाजिक सुरक्षा जानते ही नहीं हो। एक तो डा. निर्मला मूर्ति, कार्यकारी आचार्य, आई.आई.पी. अहमदाबाद। दूसरा जो बुलाया रामगोपाल जी अग्रवाल, अध्यक्ष, आई.आई.पी. संयुक्त राज्य अमेरिका।

श्री मदन दिलावर : आप तो मेन्यु बताएं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप एक बार और सुन लीजिये...(व्यवधान) अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके यहां नाच हुआ...(व्यवधान) आपने क्या किया चोखी ढाणी में?

श्री छोगाराम बाकोलिया : श्रीमती इंदिरा हरवे, कार्यकारी निदेशक, सीएफडीए, अहमदाबाद। श्री एस.एन. नरेन्द्र देव, प्रो. आरती...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेन्यु के बारे में बताये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या खाया, क्या पीया वह बताएं, मेन्यु बताएं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जो बुलाये गये उनके नाम हैं। ए.आर.नन्दन, कार्यकारी निदेशक, पापुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया, स्वामी बालेश्वर नन्दन, रामकृष्ण मिशन...

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, सेमीनार के फलस्वरूप राज्य सरकार ने क्या अपने विभागों को दिशा-निर्देश दिये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमन्, प्रश्नकाल समाप्त होने को हो गया, मेरा जवाब नहीं आया है। इनको मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देना पड़े।

श्री छोगाराम बाकोलिया : डा. एस.एस. सब्बाराव, नेशनल यूथ बिग्रेड, इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को बुलवाया गया और विशेषज्ञों को बुलाया गया। जिन्होंने बहुत गम्भीर

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

विचार-विमर्श करके कई निर्णय लिये जिनके अन्दर...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सेमीनार में कई विषयों पर चर्चा की गयी। सामाजिक सुरक्षा के बारे में, उत्पादन एवं रोजगार में, बिजली के बारे में विचार किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्यपूर्ण प्राप्ति करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विचार किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्यों बाइबल पढ़ रहे हो?

श्री रोहिताश्व कुमार : खजाना लूटना चाहते हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : इसके माध्यम से सारे राज्यों को...(व्यवधान) इसमें सौ दिन के रोजगार प्राप्ति के लिये सभी स्थानों को कहा गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या खाया, क्या पीया, क्या मेन्यु है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप बात करते हो क्या किया है, मैं नहीं सोच सकता हूं कि और कोई राज्य सरकार इस तरह से कार्य कर सकती है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने 14 लाख, 16 लाख जो भी खर्चा किया, उसके विचार मंथन के फलस्वरूप राज्य सरकार ने क्या दिशा-निर्देश जारी किये?

श्री छोगाराम बाकोलिया : यही तो सुना रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी आप तैश में नहीं आएं। आपने जो दिशा-निर्देश जारी किये उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें और माननीय विधायकों को सर्कुलेट करें मैं यह कह रहा हूं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सुराणाजी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तो हमने इसके बारे में विचार किया।

श्री मदन दिलावर : मेरा जवाब नहीं आया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य, सुनिये। एक ऐसा विषय जो जनजाति, ग्रामीण विषयों में राजस्थान सरकार...(व्यवधान) नि:सक्तजन एवं

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए हम निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रण लेते हैं। यह विचार किया गया है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, विनम्र शब्दों में निवेदन किया है...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अगर कोई निर्देश जारी किये हैं तो वह माननीय विधायकों को सर्कुलेट करें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार का मामला तथा वृद्ध नागरिक, विधवाओं, निःशक्त, विमंदित व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना के द्वारा भी सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हमने नागरिकों की सम्पूर्ण समन्वय...(व्यवधान) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। मंत्रीजी, आप बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने तो एक ही सवाल पूछा था कि क्या आपने इस सेमीनार के बाद कोई दिशा–निर्देश जारी कर दिये, अगर कर दिये तो उसकी एक प्रति सदन की टेबल पर रख दें। इतनी ही बात पूछी थी, आपसे यह सारी रामकथा तो पूछी नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेन्यु भी बतायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल इतना ही कि अगर आपने जारी कर दिये तो किस तारीख को जारी किये हैं,उसकी कापी रख दो। इतना ही पूछा है। अगर आपने दिशा–निर्देश जारी कर दिये तो उसकी एक प्रति हाउस की टेबल पर रख दें। बस इतनी ही बात है। यह पढ़ने में कोई फायदा नहीं है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सुनिये तो सही।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : दोषी वह लोग हैं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अध्यक्ष महोदय, इस सेमीनार के अन्दर गरीब तबके के लोगों को फायदा हुआ। अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं को फायदा हुआ।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपके नेता ने जो प्रश्न पूछा है वह रेलेवेंट प्रश्न है, उसके अन्दर हमने...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारा दूसरा एतराज है...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और महिला तबकों को फायदा होगा।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपके ज्ञानवर्द्धन के लिए आपके नेता ने जो प्रश्न पूछा है, वह रेलेवेंट प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो शब्द कहे हैं उस पर हमें गहरा एतराज है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। संयम लोढ़ा, आसन पैरों पर, आप बैठिये। आसन पैरों पर, दिलावर जी, बैठिये।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र तिजारा की अपूर्ण सड़कें

21. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में विधायक की सिफारिश पर कृषि उपज मण्डी की कौन-कौनसी सड़कें के डामरीकरण का कार्य किया जाना था? उक्त में कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये तथा कौन से कार्य शेष हैं? उक्त कार्यों में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(2) उक्त कार्यों को कौन ठेकेदार कर रहा है? क्या कार्य समय पर नहीं करने के कारण ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया है?

(3) अब सरकार कब तक उक्त शेष कार्यों को पूर्ण करा देगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में माननीय विधायक महोदय की सिफारिश पर नाबार्ड के सौजन्य से कृषि उपज मण्डी की 9 सड़कों का कार्य सुदृढ़ीकरण व उन्नयन परियोजना फेज (प्रथम) में स्वीकृत हुआ था। (सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ') 9 सड़कों में से 3 सड़कों में गांव के हिस्से को (जो नहीं कराया जाना है) छोड़कर सभी कार्य समय पर पूर्ण हो चुके हैं एवं कोई कार्य शेष नहीं है। चूंकि कार्य समय पर पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए अग्रिम कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(2) उक्त कार्यों के संवेदकों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। संवेदकों द्वारा कार्य समय पर पूर्ण कर दिया गया है। अत: काली सूची में डालने की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(3) कार्य समय पर पूर्ण हो चुके हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मन्दिर श्री सीताराम जी ग्राम कानरपुरा (जयपुर) की भूमि का नामकरण

35. **श्री हीरा लाल सहरिया (किशनगंज):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री सीताराम जी बिराजमान ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर की जो भूमि श्रीनारायण पुत्र श्री भूरा एवं श्री सुण्डा पुत्र श्री हनुमान तथा श्री रूडादास वगैरह के नाम दर्ज कर दी गई थी उसके सम्बन्ध में एक रेफरेंस प्रार्थना-पत्र न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा स्वीकार कर मूल प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र की राजस्व मण्डल अजमेर ने सुनवाई पूर्ण करके अपना निर्णय दे दिया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं के मन्दिर श्री सीतारामजी से सम्बन्धित भूमि का रेफरेंस प्रकरण तहसीलदार चौमूं द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर में प्रस्तुत करने पर सुनवाई किया जाकर निर्णित कर रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के पत्रांक एडीएम/4/2001/2168 दिनांक 3.11.2001 द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया गया था।

(2) जी नहीं। वर्तमान में भी प्रकरण राजस्व मण्डल में जैरकार है जिसमें आगामी सुनवाई तिथि 30.4.2003 है।

तहसील बहरोड़ (अलवर) का तकास्मा प्रकरण

36. **श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में न्यायालय, उप जिला कलेक्टर, बहरोड़ जिला अलवर के यहां चल रहे प्रकरण संख्या 196/99 में जानबूझकर देरी करने बाबत कई शिकायतें राज्य सरकार व जिला कलेक्टर अलवर को प्राप्त हो रही हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलेक्टर बहरोड़ द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को डिक्री कुरेजात जारी कर 15 दिवस में पालना के तहसीलदार को निर्देश दिये थे? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की डिक्री की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रार्थिनी के उक्त आदेश की पालना कराने बाबत तहसीलदार बहरोड़, उप जिला कलेक्टर बहरोड़ व जिला कलेक्टर अलवर को कई बार प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(4) क्या राज्य सरकार विधवाओं/विकलांगों के ऐसे प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करने व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विधवा के मामले में तकास्मा कराकर उसे उसके स्वर्गीय पति की खातेदारी पर कब्जा दिलवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बहरोड़ के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 196/99 न होकर यह प्रकरण संख्या 165/99 है, जो विधवा से सम्बन्धित है। जानबूझकर देरी की कोई शिकायत राज्य सरकार व जिला कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। निर्णय की प्रति संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में प्रार्थिनी के वाद पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना पत्र तहसीलदार, उप जिला कलेक्टर, बहरोड़ या जिला कलेक्टर अलवर को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5) विधवा के प्रकरण का अन्तिम निस्तारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर बहरोड़ द्वारा दिनांक 17.2.2003 को किया जाकर तकसीम की डिक्री पारित की जा चुकी है तथा डिक्री का रेकार्ड में अमल दरामद कर प्रार्थिनी को कब्जा दिया जा चुका है।

(निर्णय की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आयुक्त भू-प्रबन्ध जयपुर के समक्ष विचाराधीन जांच

37. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के अधिकारी/कर्मचारियों की सीमाज्ञान रिपोर्ट बदल देने की जांच सही पाये जाने पर उनके विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही कई वर्षों से आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर के यहां लम्बित है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही में देरी के क्या कारण हैं? अब कब तक कार्यवाही करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्राथमिक जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके हैं तथा नियमित जांच हेतु जांच अधिकारी

(राजस्व मंत्री)

नियुक्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।

(2) दोषी राजसेवकों के विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रकरण नियमित जांच में है। जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर माह अप्रैल, 2003 तक निर्णय ले लिया जावेगा।

जिला अलवर के साबी नदी क्षेत्र की भूमि का नियमन

38. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बानसूर, मुण्डावर व तिजारा (अलवर) में कई वर्षों से काफी भूमिहीन/लघु कृषकों द्वारा साबी नदी क्षेत्र में कृषि कास्त की जा रही है तथा उक्त कई कृषकों ने अपनी पेटे काश्त की भूमि में पक्के मकान/कुएं आदि भी बना लिये हैं? यदि हां, तो तहसीलदार कृषि काश्त की जा रही भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नदी पेटे भूमि का उस पर काश्त कर रहे कृषकों को खातेदारी अधिकार/नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील तिजारा में साबी नदी क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। शेष तहसील बानसूर में 58 एवं मुण्डावर में 137 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर काश्त की जा रही है। अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" संलग्न है।

(2) जी नहीं। नदी तल की भूमि पर खातेदारी अधिकार/नियमन किया जाना वर्जित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील बस्सी (जयपुर) की भूमि के अपठनीय राजस्व नक्शे

39. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के राजस्व ग्रामों के नक्शे कटे–फटे जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पहुंच जाने से जरूरतमंद नक्शा चाहने वालों को नक्शा प्रतियां निर्धारित शुल्क जमा कराने के बावजूद भी नहीं मिलने से राजस्व कार्य बाधित हो रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) जिला जयपुर में राजस्व नक्शों की प्रति चाहने वाले कुल कितने आवेदक कब से नक्शे प्राप्ति के लिए तहसील कलेक्ट्रेट कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की तहसील बस्सी एवं चाकसू के कौन–कौन से राजस्व नक्शे जीर्ण–शीर्ण फटे–पुराने अपठनीय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त तहसील के शीघ्र नये नक्शे तैयार करवा कर राजस्व कार्यों को सुचारू रूप से निस्तारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिन राजस्व ग्रामों के नक्शे अस्पष्ट, कटे–फटे तथा अपठनीय है उनकी नकलें तहसील कार्यालय में उपलब्ध नक्शे की स्पष्ट प्रति से जारी कर दी जाती है।

(2) जिला कार्यालय जयपुर एवं जिले की तहसीलों में राजस्व नक्शे की प्रति चाहने सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र नकल जारी करने हेतु शेष नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की तहसील चाकसू एवं बस्सी में क्रमशः 83 एवं 49 ग्रामों के नक्शे जीर्ण–शीर्ण, कटे–फटे, अपठनीय है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' तथा ''ब'' संलग्न है।

(4) जिला कलेक्टर, जयपुर को यह निर्देशित किया गया है कि वे भू–प्रबन्ध विभाग के सहयोग से नये नक्शे तैयार करें।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

पूर्व सहायक कृषि अधिकारी हरमाड़ा (जयपुर) के विरुद्ध जांच

40. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सहायक कृषि अधिकारी हरमाड़ा (जयपुर) व वर्तमान सहायक कृषि अधिकारी असनावर जिला झालावाड़ द्वारा जिला जयपुर में राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने व एजेंट बनने के कृत्यों की जांच में उक्त व्यक्ति के लिप्त पाये जाने पर इसके हस्ताक्षरों की जांच कराने हेतु उप निदेशक कृषि (शस्य) ने हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराये जाने को अधिक उपयुक्त बताया था? क्या उक्त जांच विशेषज्ञ से कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने हेतु कोई यू.ओ.नोट विधायकों की मांग के कारण प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम रहे? उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त यू.ओ.नोट के साथ तत्कालीन पंचायत चुनाव में निर्वाचित ग्राम पंचायत घिनोई के सरपंच के मतगणना अभिकर्ता ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर में मुकदमा नं. 5/2000 में सशपथ बयान दिया था की प्रति भी भिजवाई गई थी?

(श्री हीरालाल सहरिया)

यदि हां, तो क्या न्यायालय में पेश उक्त बयान को आधार मानकर उक्त सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में भेजे गये उक्त यू.ओ. नोट दिनांक 12 नवम्बर, 2002 के साथ प्राप्त समस्त परिशिष्टों के आधार पर सरकार उक्त कर्मी को निलम्बित कर इस प्रकरण की पुन: निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है?

(5) अब उक्त प्रकरण में दोषी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 ''क'' के तहत कब तक कार्यवाही कर दण्डित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक जांच में ऐसा उल्लेख है। परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फार्म नं. 10 की मूल प्रति के स्थान पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई गई थी। इसलिए मूल के अभाव में एफ एल से जांच कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) जी हां। प्रकरण की राज. असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के तहत जांच की जाकर लोक सेवक को दोषी पाये जाने के कारण दण्डित किया जा चुका है एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 क के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर के स्तर से कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। परन्तु लोक सेवक के फार्म नं. 10 पर हस्ताक्षर होने की रिपोर्ट के आधार पर व आरोप प्रमाणित होने के कारण पूर्व में ही सीसीए 16 के अन्तर्गत दण्डित किया जा चुका है।

(4) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134-क के अन्तर्गत कार्यवाही में यदि लोक सेवक के विरुद्ध दण्डादेश पारित होते हैं तो विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

(5) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 ''क'' के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में ट्रेक्टरों की खेती से औषधियों को क्षति

41. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में ट्रेक्टर द्वारा खेती करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है और रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि ट्रेक्टर से खेती करने से रेगिस्तानी जिलों में पाला, सेवणघास, घास, हर्बल आदि औषधियां अरगी तूंबा का उत्पादन दिनों दिन घटता जा रहा है?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बैलों की जोड़ी और ऊंटों से खेती करने से उत्पादन अच्छा होता है?

(4) क्या ट्रेक्टर से खेती रेगिस्तानी क्षेत्रों में उपयोगी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार शोध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ट्रेक्टर द्वारा खेती करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम नहीं होती है और न ही रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है।

(2) जी नहीं। ट्रेक्टर खेती करने का साधन मात्र है। पाला, सेवण घास एवं हर्बल आदि औषधियों के उत्पादन के घटने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। बैलों की जोड़ी और ऊंटों से खेती करने पर ट्रेक्टर की तुलना में कम क्षेत्र में फसलों की बुवाई की जा सकती है, परन्तु इसका उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) जी हां। ट्रेक्टर के उपयोग से कम समय में अधिक क्षेत्र में खेती की जा सकती है। अभी तक इस संदर्भ में कोई शोध किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जंगली गायों हेतु गऊशाला की व्यवस्था

42. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर की तहसील मुण्डावर, तिजारा व बानसूर का साबी नदी क्षेत्र के पूरे राठमेवात क्षेत्र के कृषक आवारा पशुओं से तृस्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त जंगली गायों को सिरस्का अभयारण्य या गऊशालाओं में पहुंचाने की व्यवस्था करने व रोजड़ों के शिकार/मरवाने की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त समस्या से कृषकों को कब तक राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला अलवर की तहसील मुण्डावर, तिजारा व बानसूर के कृषक आवारा, देशी, जंगली गायों के झुण्डों व रोजड़ों से तृस्त हैं।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-11(27) वन/51 दिनांक 19.1.1996 के द्वारा ऐसी नील गायें (रोजड़े) जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, को मारने की अनुमति देने के लिये अलवर जिले के भी प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजरों को प्राधिकृत किया गया है।

(कृषि मंत्री)

उक्त के अतिरिक्त राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अधिकारी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4 की उपधारा (1) (ग) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है जो जन धन को हानि पहुंचाने वाले रोजड़ों के प्रति कार्यवाही की अनुमति दे सकते हैं। रोजड़ों को पकड़ कर अभ्यारण्य में छोड़े जाना व्यवहारिक नहीं है।

(3) ऐसे रोजड़े जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं को बिन्दु सं. 2 में वर्णित प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेकर नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

सिंचाई खण्ड बारां में अनियमित पदोन्नति

43. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मोहम्मद अली, मेला ग्राउण्ड, गोपाल कालोनी बारां ने सितम्बर व अक्टूबर, 2000 में माननीय सिंचाई मंत्री, मुख्य अभियन्ता, जयपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कोटा व जिला कलक्टर बारां को श्री मदन लाल मीणा वरिष्ठ लिपिक सिंचाई खण्ड बारां के सम्बन्ध में कोई शिकायतें की थी? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की जांच किस किस अधिकारी से कब-कब कराई गई तथा जांच के निष्कर्ष क्या रहे? जांच रिपोर्ट अनुसार दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी? जांच प्रतिवेदनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत जांच विचाराधीन होने व चार्जशीट तैयार होने के उपरान्त भी इस प्रकार से भ्रष्ट कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति देकर सम्मानित किया गया है? यदि हां, तो क्या पदोन्नति करते समय पदोन्नति देने वाली समिति कर्मचारियों के पिछले रिकार्ड नजर अन्दाज कर पदोन्नति देने के लिए अधिकृत है? यदि हां, तो ऐसे आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो पदोन्नति किस आधार पर की गई?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायती पत्र दिनांक 25.9.2000 की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) उक्त शिकायत की जांच श्री आर.पी. त्यागी, अधिशासी अभियन्ता एवं प्रावै. सहायक वास्ते अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सम्भाग, कोटा से करवाई गयी है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच

(सिंचाई मंत्री)

प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24.7.2001 को सेवानियम-53(1) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृति के किये जाने वाले कर्मचारियों के प्रेषित प्रकरण (जिसमें श्री मदन लाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक का प्रकरण भी शामिल है), राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। श्री मदन लाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक ने उन्हें राजस्थान राज्य सेवा नियम-244(2) के अन्तर्गत राज्य सेवा से नहीं निकाले जाने की प्रार्थना करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4600/2001 प्रस्तुत की है। यह याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) श्री मदन लाल मीणा को सिंचाई विभाग के आदेश क्रमांक 8312 दिनांक 15.6.1996 के द्वारा वर्ष 1995-96 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत नियमानुसार किया गया। जबकि इनके खिलाफ शिकायती आरोप दिनांक 17.6.1999 को प्राप्त हुये तथा कार्यवाही दिनांक 24.7.2001 को की गई।

उपरोक्त पैरा में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(जांच प्रतिवेदन की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील अटरू के कूकर तालाब की भराव क्षमता

44. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील अटरू स्थित कूकर तालाब कितनी भूमि में स्थित है तथा वर्षाकाल में उसमें पूरी क्षमता से भरने में क्या बाधाएं हैं?

(2) उक्त तालाब को पूरी क्षमता से भरने हेतु क्या-क्या करना पड़ेगा तथा उक्त पर कितनी राशि का व्यय होगा?

(3) उक्त तालाब अपनी पूरी क्षमता से भर जावेगा तो उक्त तहसील के कौन कौन से गांवों का जलस्तर बढ़ सकता है तथा कितने गांवों की कितने हैक्टेयर जमीन सिंचित हो सकती है?

उत्तर

(1) कूकर तालाब तहसील अटरू में ग्राम कुण्डी के पास 25 हैक्टर भूमि में स्थित है। तालाब की पूरी भराव क्षमता तालाब के सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाने के पश्चात् ही अर्जित हो सकती है।

(2) कूकर तालाब की पूरी भराव क्षमता अर्जित करने के लिए तालाब के अपस्ट्रीम में, कट आफ ट्रेंच, पाल स्लोप पर मिट्टी डालकर सुदृढ़ीकरण एवं पिचिंग का कार्य तथा वाईवाश कटिंग का कार्य करवाना आवश्यक है। इन कार्यों पर लगभग 25 लाख व्यय होने की सम्भावना है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) तहसील अटरू के ग्राम कुण्डी के आसपास लगभग एक से दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जलस्तर के बढ़ने की सम्भावना है तथा तालाब की मरम्मत के पश्चात् लगभग 30 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की जा सकेगी।

प्रश्न संख्या–45

(स्थगित)

जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित लघु सिंचाई परियोजनाएं

46. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2001–2002 में चालू विभिन्न सत्रह लघु सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में चल रही हैं? यदि हां, तो प्रत्येक लघु सिंचाई परियोजना पर वर्ष 2001–2002 में कितनी राशि का प्रावधान है और उक्त परियोजनाएं कब तक पूर्ण की जाकर कितने क्षेत्र में कब से सिंचाई आरम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2001–2002 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उक्त जिले की छह लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया है? यदि हां, तो उक्त छह परियोजना की लागत क्या होगी और किन गांवों के कृषकों की जमीन सिंचित की जायेगी? वर्ष 2001–2002 में कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान रखा? क्या उक्त निर्माण कार्य विभाग अथवा ठेकेदारों द्वारा करवाया जा रहा है? यदि हां, तो निविदाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2001–2002 में चित्तौड़गढ़ जिले में केवल 8 सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन थी। परियोजना पर आबंटित राशि पूर्ण होने का सम्भावित वर्ष एवं सिंचित क्षेत्र का विवरण प्रपत्र ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 2001–2002 में तीन परियोजनाओं पर ही कार्य आरम्भ किया गया। उक्त परियोजनाओं पर किये गये लागत, व्यय, लाभान्वित गांव एवं सिंचित क्षेत्र का विवरण प्रपत्र ''ब'' पर संलग्न है। उक्त तीनों सिंचाई परियोजनाओं को ठेकेदारों के माध्यम से निर्मित कराया जा रहा है। निविदाओं की प्रति प्रपत्र ''स'' पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान पर रोक

47. श्री अमराराम (धोद): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री अमराराम)

(1) राज्य में वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन कितने लोगों को दी जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि कई पेंशनधारियों को वर्तमान में पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान (फरवरी, 2003) में 3,06,934 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

(2) वर्तमान में 8688 पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान रोका हुआ है। इन पेंशनधारियों में से अधिकांश पेंशनधारी ऐसे हैं कि जिनकी पात्रता के बारे में संशय होने के कारण स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से जांच हेतु निवेदन किया गया है। कुछ मामलों में से पेंशनर्स का जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना अथवा कोषालय में व्यक्गित उपस्थित न होने से पेंशन भुगतान रुका हुआ है।

जिला बीकानेर के ग्रामीण विकास कार्यों में अनियमितता

48. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में वर्ष 1998-99 से 2001-02 में ग्रामीण विकास के माध्यम से कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित कितनी शिकायत क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई थी? अब तक प्रकरणवार की गई कार्यवाही के विवरण सहित शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में सम्बन्धित व्यक्ति को दोषी पाये जाने के बावजूद भी अब तक दण्डित नहीं किया गया है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब कब तक कार्यवाही की जावेगी? क्या जांच में कतिपय व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को जांच अधिकारी ने बचाने का प्रयास किया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब उक्त दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 से 2001-2002 में विकास कार्यों से सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायकों द्वारा 24 शिकायतें की गई। प्रकरणवार की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जांच व मूल्यांकन के आधार पर 03 ग्राम पंचायतों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के मशीनों से कार्य करवाना पाये जाने पर तद्नुसार भुगतान राशि अस्वीकृत की गई है तथा सम्बन्धित सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दो अन्य प्रकरणों में जांच विचाराधीन होने के कारण जांच उपरान्त ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

उक्त प्रकरणों की जांच में जांच अधिकारियों द्वारा किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं किया गया है।

(3) आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रक्रियाधीन है, जांच उपरान्त शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला कोटा के अपूर्ण विद्यालय भवन

49. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति अटरू, बारां, छबड़ा, छीपाबड़ौद, मनोहरथाना व सांगोद (कोटा) में प्राथमिक/राजीव गांधी एवं शिक्षाकर्मी विद्यालय कुल कितने हैं?

(2) उक्त में से कितने विद्यालयों के भवन वर्तमान में अपूर्ण हैं तथा उक्त को किस मद से बनाये गये और अपूर्ण भवनों को सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है? अपूर्ण भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समितियों में विद्यालय भवन अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? क्या कार्य पूर्ण नहीं होने में कोई अधिकारी/कर्मचारी/सरपंच/ग्राम सेवक/अध्यापक दोषी है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अटरू, बारां, छबड़ा, छीपाबड़ौद, मनोहरथाना तथा सांगोद में संचालित प्राथमिक विद्यालय/राजीव गांधी पाठशाला एवं शिक्षा कर्मी पाठशालाओं का विवरण इस प्रकार है:–

(2) उक्त में से पंचायत समिति सांगोद की दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत रा.गा.पा., सारोला तथा रामनगर के भवन अपूर्ण हैं।

पं.स. का नाम	रा.प्रा.वि.	रा.गा.पा.	शिक्षा कर्मी पा.
1. अटरू	88	06	12
2. बारां	80	11	07
3. छबड़ा	101	41	026
4. छीपाबड़ौद	105	70	04
5. मनोहरथाना	165	95	16
6. सांगोद	109	31	14
योग	648	254	79

(ग्रामीण विकास मंत्री)

पंचायती राज विभाग द्वारा अपूर्ण भवन पूर्ण करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) ग्राम पंचायत मामौर तथा कनवास के तत्कालीन सरपंचों द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया। जिसके लिये विकास अधिकारी, सांगोद द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत समिति बस्सी (जयपुर) में उद्योगों हेतु स्वीकृत ऋण

50. **श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या** खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समितियों में ग्रामोद्योग हेतु खादी प्रसार अधिकारी का पद स्वीकृत है? यदि हां, तो ऋण स्वीकृत करने के लिये ये पंचायत समिति क्षेत्र तक ही समिति है या पंचायत समिति के बाहरी व्यक्तियों के भी ऋण स्वीकृत कर सकते हैं?

(2) गत आठ वर्षों में पंचायत समिति, बस्सी (जयपुर) में किन-किन व्यक्तियों को, किस-किस उद्योग के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? पंचायत समिति क्षेत्र बस्सी एवं इससे बाहरी क्षेत्र की स्वीकृत ऋणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत किये गये ऋणों में कौन-कौन उद्योग चालू हैं तथा कौन-कौनसे बन्द हैं एवं किन-किन उद्योग स्वामियों को किस-किस बैंक से कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ है और कितना-कितना सब्सिडी का लाभ दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितियों में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों का पद स्वीकृत हैं। पंचायत समिति क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं का नियमानुसार लाभ ले सकता है, पंचायत समिति का ही निवासी हो यह आवश्यक नहीं है। क्षेत्र से बाहर का व्यक्ति भी ऋण लेकर किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र में नियमानुसार ऋण स्वीकृत करवा सकता है।

(2) गत आठ वर्षों में पंचायत समिति बस्सी (जयपुर) में विभिन्न उद्योगों में संलग्न सूची अनुसार कुल 148 व्यक्तियों को कुल 327.37 लाख की राशि ऋण में तथा कुल 90.00 लाख रुपये की राशि बतौर अनुदान स्वीकृत की गई है। सूचना परिशिष्ट -1 संलग्न है। पंचायत समिति बस्सी के बाहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों की पृथक सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(3) उक्त स्वीकृत किये गये ऋणों के अन्तर्गत चालू व बन्द तथा किन-किन उद्योग स्वामियों को किस-किस बैंक से ऋण दिया गया ऋण व सब्सिडी की सूचना परिशिष्ट-1 व 2 संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मण्डी क्षेत्र की सड़कों का निर्माण व रख-रखाव

51. **श्री अमराराम (धोद):** क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी क्षेत्र की सड़कों के निर्माण व रख-रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में विपणन बोर्ड एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों ही सड़क निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य करते हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) प्रो. सांवरलाल, सदस्य की ओर से अजमेर जिले के गांवों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की पुनरीक्षित मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एक भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से जिला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में घर में घुसकर एक 16 वर्षीय युवक के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने से हुई कथित मौत के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से नावां (नागौर) लवण क्षेत्र की लीज रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं। अत: स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, कोलायत के अन्दर एक बालक की निमर्म हत्या हो जाए...

श्री अध्यक्ष : डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, आसन पैरों पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, अगर इस तरह के विषय को, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, कई फर्जी नाम जोड़े हैं कांग्रेसियों ने, फर्जी नाम... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, अंकित नहीं करें।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरलाल, अंकित न हो।

(6) डा. रतनलाल जाट एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के सहकारी क्षेत्र की तीनों स्पिनिंग मिलों के होने की सम्भावना के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।

(12.03 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम, 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं (1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से राज्य में त्रिशूल पर प्रतिबन्ध लगाने का हौव्वा खड़ा करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम बुटाटी के उच्च प्राथमिक विद्यालय को शीघ्र क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(3) प्रो. सांवरलाल, सदस्य की ओर से अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के 17.8 हैक्टेयर भूमि पर खनन कार्य चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से राजगढ़ (चूरू) में परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राज्य के किसानों के कृषि कनेक्शनों को सामान्य में नहीं बदलने एवं हार्स पावर चार्जेज को समायोजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से उदयपुर डिवीजन में ट्रेण्ड आयुर्वेद कम्पाउण्डरों को रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से झुंझुनूं जिले के पुलिस थानों के मालखानों में पड़ी शराब को नीलाम करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मदन दिलावर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था और स्थगन प्रस्ताव का विषय यह था कि बीकानेर के कोलायत क्षेत्र के अन्दर एक हरिजन बालक...।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजिए प्लीज। एक मिनट बिराजिए प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके इस स्थगन प्रस्ताव पर अभी बोलने की अनुमति नहीं मिली है। (व्यवधान) पूरी बात सुनिए, उसके बाद भी इस पर एक पर्ची आई हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस पर बोलने की अनुमति दे दें साहब।

श्री उपाध्यक्ष : वह देखेंगे, अभी काहे को आप उस पर कमिट करा रहे हो? लेट अस सी, उस वक्त क्या स्थिति बनती है, उसको देखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर्ची आई है, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह निर्मम हत्या हुई है, जिस तरह वातावरण बना हुआ है, उसमें सरकार को तो कहें कि वक्तव्य दे, चाहे पर्ची के माध्यम से वक्तव्य दे।

श्री उपाध्यक्ष : Let the situation arise. मौका आने दीजिए। Let the situation arise. अभी क्यों कर रहे हो आप?

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, कंजर बालक की जो मौत हुई है उस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट ग्वारियों ने कराई, कंजरों ने कराई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिए मेरी बात को। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : उसमें एस.एच.ओ. के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 307 का मुकदमा मानकर पुलिस प्रशासन ने दर्ज किया है एस.एच.ओ. के खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन रहे हैं मेरी बात को?

श्री मानिक चन्द सुराना : और 307 उसकी डैथ के बाद 302 में कंवर्ट हो गया। आपने थानेदार को सस्पैण्ड किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब सरकार ने मुकदमा एस.एच.ओ. के खिलाफ दर्ज किया है...

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उसको तो आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रश्न अभी हाउस में आएगा, किसी और माध्यम से आएगा तो उस वक्त जैसी स्थिति होगी उस पर चर्चा हो जाएगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उस वक्त अवसर प्रदान करें ताकि हम तथ्यात्मक स्थिति सदन के समक्ष रख सकें।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा था कि जब यह मामला सदन में आये तो गृह मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : उस वक्त आ जाएगा, उसको आने दीजिए सदन में, लेट इट कम। मुख्य मंत्री हैं, उप मुख्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कोई न कोई तो बैठेगा, उसका प्रश्न आएगा तब करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह नोटिस हमने कल दे दिया था। मैं सोचता हूं कि आसन की तरफ से क्योंकि इस विषय की गम्भीरता को देखकर पहले से ही अगर सरकार यह तैयार होकर आए कि हम इस पर स्टेटमेंट दे देंगे तो हमारी जानकारी, उनकी जानकारी में अगर कहीं आपस में विरोधाभास है तो स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे विषय पर कम से कम इस प्रकार की कोई संवेदनशील घटना हो गई हो और आपने पुलिस पर एक्शन भी कर लिया हो तो चलकर सरकार को अपनी तरफ से आना चाहिए कि हम इस पर स्टेटमेंट कराएंगे, बात खतम हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आने दीजिए न, लेट इट कम, आएगा न अभी यह इश्यू। श्री मदन दिलावर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राज्य में त्रिशूल पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान में विधर्मी लोग बिना रोक-टोक गौ माता की हत्या कर रहे हैं, मन्दिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों का अपमान कर रहे हैं तथा हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से तो सरकार निपटने में विफल रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार का पूरा संरक्षण है, परन्तु जो राष्ट्रभक्त हैं, गौ माता को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, राष्ट्र की आन-बान और शान पर मर मिटने को तैयार हैं ऐसे बजरंग दल के तपस्वी लोगों पर आजकल सरकार की नजर टेढ़ी है। सरकार को कष्ट इस बात का है कि ये लोग ''वंदेमातरम्'' का नारा क्यों देते हैं। ''हाथों में तलवारें सीने में है तूफान, रक्षा करे देश की बजरंग दल के जवान।'' बड़ी मुश्किल से मिली

(श्री मदन दिलावर)

है आजादी इसे खोने न देंगे, देश के दुश्मनों व गद्दारों को चैन से जीने न देंगे। इन पंक्तियों को गुनगुनाने वाले राष्ट्रभक्तों पर सरकार धारा 153(ए), 153(बी) आई.पी.सी. की धारा में शम्भू सिंह पुत्र फतेह सिंह चारण, संयोजक, बजरंग दल, जोधपुर, गिरधारी दान पुत्र मंगल दान चारण, बजरंग दल, जोधपुर अरूण माथुर पुत्र जगन्नाथ, हेमसिंह को 26.8.2002 को गिरफ्तार करती है। इनका कसूर मात्र इतना था कि देश में हो रही वास्तविक घटनाओं से देशवासियों को अवगत कराना था। अब बजरंग दल का त्रिशूल भी कांग्रेस सरकार के सीने में चुभने लगा है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शक्ति और भक्ति शस्त्र और शास्त्र ही सिखा सकते हैं और उसी की पालना में हमारे महापुरुषों ने किसी न किसी रूप में शक्ति का प्रतीक अपने साथ रखा, जैसे कि शिवाजी की तलवार, महाराणा प्रताप का भाला, श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, परशुराम जी का परसा, श्रीराम का धनुषबाण, भगवान शिव का त्रिशूल, बजरंगबली का घोटा व महारानी दुर्गा माता का खंजर किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर हम भी उन्हीं की संतान हैं और उन्हीं की प्रेरणा से यदि हम शक्ति और भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर इस सरकार के सीने में दर्द क्यों होता है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसको पढ़िए। आई विल नोट अलाउ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, क्या ये हथियार आपकी परमिशन से लेकर आये हैं?

श्री मदन दिलावर : इसमें आपने क्रास लगा रखा है, उसके अलावा मैं एक शब्द भी नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह मुझे मालूम है, आप इसको पढ़े।

श्री मदन दिलावर : मैं इससे हटकर नहीं बोलूंगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य यह हथियार आपकी परमिशन से लेकर इस सदन में प्रविष्ट हुए हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय दिलावर जी, इसको नीचे रखिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य हथियार लेकर कैसे आ गये अन्दर? इससे तो आदमी की जान भी जा सकती है। क्या इन्होंने आपसे परमिशन ली है?

श्री संजीव कुमार : आज ये त्रिशूल लेकर आये हैं, कल हथियार लेकर आएंगे, ये कल सदन में तलवार लेकर आएंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यदि परमिशन नहीं ली है तो इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। बहुत गलत बात है, हथियार

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लेकर यहां सामने खड़े होकर त्रिशूल बता रहे हैं, जाने कोई भगवान शिव के अवतार ये ही पैदा हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बन्द करा दिया।

श्री मदन दिलावर : त्रिशूल पर प्रतिबन्ध की बात करना सम्पूर्ण हिन्दू समाज का अपमान है, जिसे बरदाश्त नहीं किया जा सकता। यदि इस पर प्रतिबन्द लगाया गया तो राजस्थान में भूचाल आ सकता है। यदि प्रतिबन्ध लगाना ही है तो फिर राष्ट्रविरोधी इस देश को तोड़ने वाली शिक्षा देने वाले मदरसों व मस्जिदों जहां पर जबरदस्त विस्फोटक सामग्री भरी हुई है उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कहां से पढ़ रहे हो आप?

श्री मदन दिलावर : आपने जो काटा हुआ है, इसमें से ही पढ़ रहा हूं। आप पूछ लें, अभी मैंने एक शब्द भी इधर-उधर नहीं पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां से पढ़ रहे हो?

श्री मदन दिलावर : शपथ लेकर कहता हूं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अपने घर से लिखकर यहां पढ़कर सुना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आई बिल नोट अलाउ। आपने यह दिया है, यह पढ़ लो। नहीं पढ़ना है तो बैठ जाओ।

श्री मदन दिलावर : वही पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो वह इसमें नहीं है।

श्री मदन दिलावर : है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है, मेरे पास है इसमें नहीं है।

श्री संजीव कुमार : इसमें लिखा हुआ नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं। त्रिशूल का नहीं लिखा हुआ है फिर भी पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आई बिल नोट अलाउ ।

श्री मदन दिलावर : नहीं, मैंने एक शब्द भी अलग नहीं पढ़ा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान) आप कहां से पढ़ रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये तो राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ है।

श्री मदन दिलावर : अगर आप दुबारा पढ़वाना चाहते हैं तो मैं दुबारा पढ़ देता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राठौड़ साहब, आप राष्ट्रदोही नहीं है। यह राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ है, आप बैठ जाइए कृपा करे के।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री संजीव कुमार : एक ही चीज को बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप कहां से पढ़ रहे हो, बोलो।

श्री मदन दिलावर : यह पहला पैरा पूरा हो गया है, दूसरे पैरे पर आया हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : कौनसा स्थगन प्रस्ताव है जिसके तहत ये पढ़ रहे हैं? स्थगन प्रस्ताव का विषय क्या है?

श्री मदन दिलावर : जहां त्रिशूल लिखा हुआ है, त्रिशूल पर प्रतिबन्ध।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आगे बोलो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप इनको किस बात के लिए अलाउ कर रहे है? ये यहां कौनसा मुद्दा लेकर आये हैं? गवर्नमेंट जो भी चाहेगी, एक्शन लेगी आप इससे हमको डर बात रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : सरकार को यह जानकारी है कि कुछ मुस्लिम असामाजिक तत्व राजस्थान को खतरा पैदा हो गये हैं। जिसकी सीआईडी (सीबी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अजमेर जोन की रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है। यह काफी लोक महत्व का मामला है, अत: मैं माननीय गृह मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। हो गया। प्लीज सिट डाउन। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : ये खत्म तो करें। इस त्रिशूल का डर लग रहा है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम बुटाटी के उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने विषयक

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के ग्राम बुटाटी, जो पंचायत मुख्यालय है तथा ग्राम पंचायत की जनसंख्या 10 हजार के लगभग है, यहां प्राथमिक विद्यालय सन् 1953-54 में खुला था तथा सन् 1976-77 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। इस विद्यालय के भवन में 14 कमरे हैं। विद्यालय 9 बीघा जमीन में है एवं चारों ओर चारदीवारी बनी हुई है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत तथा 2001-2002 में परीक्षा परिणाम 95 प्रतिशत रहा है। सन् 1996-97 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नति के विभागीय प्रस्ताव के अनुसार प्रथम स्थान

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

पर था, परन्तु खेद का विषय है कि इस शाला का क्रमोन्नत अभी तक माध्यमिक स्तर पर नहीं किया गया है। वर्तमान वर्ष 2002-2003 में मात्र 150 छात्र संख्या एवं मात्र 500 की जनसंख्या के गांव जो पंचायत मुख्यालय भी नहीं है उन स्कूलों को क्रमोन्नत करके माध्यमिक स्तर पर बढ़ा दिया गया। जबकि राजनीतिक भेदभाव के कारण बुटाटी का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसकी कुल छात्र संख्या 1098 है, जिसमें छात्राओं की संख्या 474 है तथा संख्या के हिसाब से पूरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना की सभी उच्च प्राथमिक पाठशालाओं से अधिक है। अत: मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुटाटी (नागौर) को शीघ्र क्रमोन्नत करने की घोषणा करें ताकि छात्र-छात्राओं को आठवीं से अगली कक्षा में जाने हेतु अन्यत्र नहीं जाना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल। आप बोलिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि...

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो त्रिशूल हाउस में लेकर आये हैं यह असली है या नकली है, इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की परम्पराएं आगे नहीं रहें, मेहरबानी करके आप आदेश दें और इसको वाच एण्ड वार्ड जब्त करे।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वह त्रिशूल नहीं है, वह तो कागज का टुकड़ा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह कुछ भी है, आज कागज आया है, कल सही भी आ जाएगा, असली भी आ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सांवर लाल : अब आपको इस कागज से ही डर लग रहा है। जब असली त्रिशूल आ जाएगा तो क्या होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमको तो आपसे भी डर नहीं लग रहा।

श्री सांवर लाल : इससे ही डर लग रहा है क्या?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपसे भी नहीं डर रहे हैं जो इनसे डरें। यह सदन की परम्परा है।

श्री सांवर लाल : तो बैठ जाओ, फिर काहे की चिन्ता कर रहे हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह सदन की परम्परा है।

श्री सांवर लाल : अगर डर नहीं लगता है तो फिर क्यों कह रहे हो? यह साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाने वाला है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय हरिसिंहजी, आप राष्ट्रद्रोही थोड़े ही हैं। ये तो राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रवण लालजी, बैठें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो देशभक्त हो, हम आपको देशभक्त मानते हैं। यह राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हथियार लाने की जरूरत नहीं है हाउस में। सभी देशभक्त हैं, किसी भी देशभक्त को यहां हथियार लाने की जरूरत नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके खिलाफ नहीं है ये। जो आई.एस.आई. के एजेंट हैं उनके खिलाफ है। (व्यवधान) यह त्रिशूल उनके लिए है जो देशद्रोही हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आतंकवादी हैं। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप जयपुर में सिर पर रखकर घूमिए न, कौन मना कर रहा है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पर आपको डर क्या लग रहा है इस कागज से?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं तो आपसे भी नहीं डर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आज भी आप ऐसी बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री श्रवण कुमार : मन्दिर के नाम पर लूटकर खाते हो। आपका कोई काम है क्या?(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार : मन्दिर के त्रिशूल के नाम पर ही कमाने लग गये हो, यही काम बचा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, प्लीज। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्दिर के नाम पर देश को बरबाद कर दिया, कितना ही जवानों को कटवा दिया। आज यह मन्दिर के नाम पर और त्रिशूल के नाम पर कमाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी।

अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की स्थिति

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अजमेर जिले के कस्बों ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 5 वर्ष से भयंकर अकाल पड़ रहा है। रोजगार चारा व पानी का गम्भीर संकट है, रोजगार में भेदभाव व भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों को रोजगार राजनीतिक आधार पर उपलब्ध हो रहा है। जिससे जनता में भयंकर आक्रोश है। आपसे अनुरोध है कि भेदभाव समाप्त करें, चारा परिवहन अनुदान का समय पर

(श्री सांवर लाल)

भुगतान करें, पानी की समुचित व्यवस्था करें अन्यथा जनता आंदोलित होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में खनन कार्य चालू करवाने विषयक

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में दो मण्डावर श्रमिक सोसाइटियों मण्डावर में पिछले 40 वर्षों से पट्टे लेकर खनन कार्य किया जा रहा है। मैंने पिछले विधान सभा सत्र के दौरान इस पर प्रश्न लगाया था। उसमें खनिज विभाग द्वारा जवाब मिला था कि 17.8 हेक्टेयर भूमि में खनन कार्य को नहीं रोका गया है। कुल 25 हैक्टेयर भूमि के पट्टे जारी किये थे। जिसमें से 17.8 हैक्टेयर भूमि में कार्य को नहीं रोका था। लेकिन अब खान विभाग द्वारा खनन कार्य को रोक दिया गया है।

इस खनन कार्य में लगभग पांच हजार लोगों के परिवार पलते हैं। गरीब आदमी इस सोसाइटी में हैं। अत: आपसे निवेदन है कि 17.8 हैक्टेयर भूमि पर खनन कार्य चालू करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

राजगढ़, जिला चूरू में बस स्टेण्ड विषयक

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत राजगढ़ (चूरू) में परिवहन निगम का बस स्टेण्ड बनाने बाबत विशेष उल्लेख।

महोदय, राजगढ़ जिला चूरू की आबादी 50 हजार से ज्यादा है। यहां से हरियाणा के लिए बहल-भिवानी, रोहतक-हिसान, सिवानी-भिवानी, दिल्ली-चण्डीगढ़ समस्त हरियाणा एवं पंजाब के लिए बसें संचालित होती हैं तथा तारानगर, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, रतनगढ़, झुंझुनूं पिलानी एवं पूरे राजस्थान के लिए परिवहन निगम की बसें संचालित होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्राइवेट बसें भी काफी तादाद में संचालित होती हैं। वर्तमान में नगरपालिका का एक बस अड्डा संचालित है जिसमें सैकड़ों दुकानें आबंटित हैं। बस अड्डे पर जगह बहुत कम हैं। प्राइवेट एवं निगम की बसें खड़ी करने के लिए बिलकुल भी जगह नहीं है। रूट की बसों को खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है। बसों का संचालन में काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बसों के संचालन से आगे की सड़क पर करीब-करीब एक एक घंटे तक जाम लग जाता है। जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, ट्रेफिक जाम हो जाता है।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अलग से बस अड्डा नहीं बना तो आने वाले समय में काफी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मेरा सुझाव है कि वर्तमान में टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग एवं वन विभाग के बीच जो सरकारी भूमि पड़ी है उस पर परिवहन निगम का बस अड्डा निर्मित किया जाय। वर्तमान में जो नगरपालिका का बस अड्डा है उससे प्राइवेट बसें संचालित हों तथा पास ही परिवहन निगम का बस अड्डा बने। वह दूर नहीं होगा ताकि यात्रियों को प्राइवेट बसों से परिवहन निगम एवं परिवहन निगम से प्राइवेट बसों तक जाने में ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी एवं परेशानी भी कम उठानी पड़ेगी। श्रीमान्, यदि समय रहते परिवहन निगम का बस अड्डा नहीं बनाया गया तो आगे गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

अत: मेरा निवेदन है कि परिवहन निगम राज्य सरकार से जमीन आबंटित करवा कर बस अड्डा बनाने की कार्यवाही करें ताकि आगे आने वाले समय में इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

प्रशिक्षित आयुर्वेद कम्पाउण्डरों को रोजगार देने विषयक

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उदयपुर डिवीजन में ट्रेंड आयुर्वेद कम्पाउण्डरों को रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख।

महोदय उदयपुर डिवीजन आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वर्ष 1982 से ट्रेंडशुदा आयुर्वेद कम्पाउण्डर बेकार बैठे हुए हैं। आदिवासी छात्रों को उदयपुर में 40 छात्र प्रतिवर्ष ट्रेनिंग दी जाती थी लेकिन विगत 2 वर्षों से यह ट्रेनिंग बन्द कर दी गई है क्योंकि 200 से ज्यादा ट्रेंड युवक बेकार बैठे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वर्ष 1992 से 1998 तक बी.जे.पी. के शासनकाल में एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया है। कई छात्र तो ओवरएज हो गये हैं और अभी कई छात्र धरने पर बैठे हुए हैं।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि इन बच्चों को यथाशीघ्र रोजगार दिया जाय, नियुक्ति मेरिट बनाई जाय व मेरिट में ओवर एज वाले छात्रों को पहले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सम्भाग से ट्राइबल एरिया से आये हुए लोग 5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और 10-10 साल हो गये वह ओवरएज हो रहे हैं, सरकार कुछ सोचे, विचारे क्योंकि यह पूरे सम्भाग का मसला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर, जितने भी कम्पाउण्डर हैं, आज 10 साल

(श्री जीतमल खांट)

से बैठे हुए हैं। सरकार ने, बी.जे.पी. की तरफ से भी पिछले समय में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आपका भी यह चार साल का कार्यकाल निकल गया, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का इस ओर ध्यान दिलावें क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इन गरीब परिवारों से निकले हुए जो बच्चे हैं उनको आपकी तरफ से, आसन की तरफ से कोई व्यवस्था देकर माननीय मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलावें और इन गरीब बालकों को कोई न कोई उचित राहत पहुंचावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस का और माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऊर्जा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, बातों में मशगूल हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऊर्जा मंत्रीजी सुनो तो सही।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी का तो मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और वह बातों में मशगूल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वह।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): यह तो रोज ध्यान आकर्षित करते हैं। आज क्या विशेष ले आये, मान्यवर।

कृषि विद्युत कनेक्शन को सामान्य श्रेणी में नहीं बदलने विषयक

श्री अमराराम (धोद) : विशेष यही है कि आप आइये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो राजस्थान के उन किसानों की जिनकी घोषणा के बाद जिस तरह से काटा गया है। विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत राज्य के किसानों के कृषि कनेक्शनों को सामान्य में नहीं बदलने एवं हार्स पावर चार्जेज को समायोजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण करने से सम्बन्ध में।

महोदय, मैं आपका ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। 1.4.2000 के बाद हुए कृषि कनेक्शन नर्सरी, चोर योजना, चारा योजना को दो वर्ष बाद सामान्य में नहीं बदल कर किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है क्योंकि नर्सरी चारा एवं चोर योजना के वक्त कम्पनियों के बिजली अधिकारियों को यह निर्देश था कि दो वर्ष पूरे करने के बाद सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा लेकिन आपने आदेश निकाल दिया कि यह दो वर्ष बाद सामान्य में नहीं बदला जाएगा।

अभी ऐसे 23632 किसान परिवार हैं

(श्री अमराराम)

जिन्होंने सरकार की घोषणा और घोषित नीति के तहत बिजली विभाग में आवेदन किया कनेक्शन लिया और दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद आज भी उनको सामान्य में नहीं डालकर आपने आदेश दिया है कि कट आफ डेट तक उस पंचायत समिति में उनका कनेक्शन आएगा उस समय उनको सामान्य में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने दो साल के डबल बिल देने के वायदे के साथ एप्लाई किया था और अब आपने आदेश उनको 14 साल तक डबल बिल देने के लिए फरमाया है। मैं समझता हूं कोई भी उपभोक्ता या किसान सरकार की घोषित नीति के तहत...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं उनसे बात कर रहा था तब तक आप बिलकुल ही आफ लाइन हो गये।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, नहीं आफ लाइन कहां हूं उसी जगह पर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात कर रहे हो?

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं तो कहते हैं कि ध्यानाकर्षण करता हूं। तो कौनसे नियम के तहत आप मेरा ध्यानाकर्षण कर रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद) : 295 पर।

श्री रामनारायण चौधरी : चिट पर बोल रहे हैं आप तो। आप तो चिट पर बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आपको क्या पता चिट पर बोल रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : ध्यानाकर्षण का नियम है कि प्रक्रिया के तहत आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दीजिये, मैं पूरा जवाब दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : यह प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ही है मंत्री महोदय। आप अगर नियम नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दूं। 295 के तहत आपका ध्यानाकर्षण है और इसलिए है कि इस सरकार ने इस वायदे के साथ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पढ़ो।

श्री रामनारायण चौधरी : 295 में ध्यानाकर्षित नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के लिए अलग नियम है उसका पढ़ लीजिये आप। यह तो चिट के ऊपर आप अपनी बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ो-पढ़ो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वे तो विनम्रता से आपसे कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, आप कीजिये, आप नियमों के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कीजिये, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, उत्तर तो आपने दे दिया, यह आपका ही उत्तर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको पढ़ो न। 295 पढ़ दो।

श्री अमराराम (धोद) : ...आदेश निकला दिया कि यह दो वर्ष बाद सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा तथा नर्सरी श्रेणी में हार्सपावर चार्जेज को प्रति माह हार्सपावर 25 रुपये बिल में समायोजित करने के आदेश थे लेकिन इस आदेश को भी कम्पनियों ने आगामी आदेश तक समायोजित नहीं करने के आदेश दिए जाएं। चार वर्ष से भी अधिक समय के बाद भी यह आदेश नहीं दिया गया है जिससे किसानों के जमा अग्रिम राशि को समायोजित नहीं करके किसानों के साथ किसान विरोधी कार्य किया गया। वहीं जिन किसानों ने मुर्गीपालन के नाम से कृषि कनेक्शन लिए गए हैं, जो मुर्गीपालन का कार्य न करके केवल कृषि कार्य में उपयोग कर रहे हैं, उनको भी सामान्य में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

अत: मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अकाल पीड़ित किसानों के साथ वादाखिलाफी की गई है। इनको दुरुस्त करके किसानों को राहत पहुचाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

झुंझुनूं जिले के पुलिस थानों में रखी शराब को नीलाम करने विषयक

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव इस प्रकार निवेदन करूंगी कि झुंझुनूं जिले के विभिन्न थानों में पकड़ी गई लाखों रुपये की अवैध शराब के ढेर ने न केवल मालखानों में अनावश्यक जगह रोक रखी है और न्यायालय में मामलों के वर्षों बाद होने वाले निस्तारण से सरकारी राजस्व को भारी हानि हो रही है। जिले के पुलिस थानों के मालखानों में अन्य सामान के अलावा करीब 80 लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब पड़ी हुई है।

मई, 2002 के आंकड़ों के अनुसार इन मालखानों में देशी शराब के दो लाख 45 हजार पांच सौ पाउच व छह हजार बोतल, अंग्रेजी शराब की चार हजार पांच सौ बोतल, पांच सौ अद्दे तथा 43 हजार पव्वे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही 1600 लीटर खुली दारू, साढ़े तीन हजार लीटर हथकढ़ शराब व इसकी पांच सौ बोतल भी मालखानों में अनुपयोगी पड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ मामले तो 1990 से न्यायालय में विचाराधीन पड़े हुए हैं। आबकारी विभाग व पुलिस द्वारा समय-समय पर पकड़ी गई इस अवैध शराब के भण्डार ने स्थानाभाव के बावजूद थानों में बेकार जगह घेर रखी है। न्यायालय में मामलों के निस्तारण में होने वाले विलम्ब के कारण मालखानों में पड़ी यह शराब समय के साथ छीजती जाती है। करीब चार-पांच साल बाद जब फैसला होता है तो यह शराब उपयोग के लायक न रहने पर प्राय: नष्ट कर दी जाती है। यह अलग बात है कि कुछ सुराप्रेमी पुलिसकर्मी जरूर बीच-बीच में मालखाने से उठाकर शराब का उपयोग कर लेते हैं।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैं कहना चाहूंगी कि जैसे ही अवैध शराब जब्त की जावे तभी उसी समय मामले का निस्तारण हो सके तो पकड़ी गई शराब की नीलामी से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।

मेरी जानकारी के अनुसार अन्य जिलों में जब्त की गई अवैध शराब के मामलों का निस्तारण सात दिन में हो जाता है जिससे उस माल की नीलामी के जरिये सरकार को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हो जाता है। झुंझुनूं जिले में थानों में वैसे ही जगह का अभाव है ऊपर से लम्बित मामलों के कारण भारी मात्रा में सामान ने अनावश्यक जगह रोक रखी है, जिससे पुलिसकर्मियों को परेशानी में डाल रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

प्रदेश में बढ़ती अपहरण की घटनाएं

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में किस तरह के हालात हो गये हैं उसका बखान करते हुए मुझे बड़ी पीड़ा और शर्म हो रही है। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि इन दिनों अपहरण की घटनाएं बहुत ही बढ़ती जा रही हैं जिसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी ही कम है। पिछले वर्ष राज्य में अपहरण की 2500 घटनाएं घटीं जबकि वर्ष 2000 में राज्यभर में 3010 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद वर्ष 2001 में अपहरण के 2718 मामले सामने आये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किस पर बोल रहे हो?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं अपहरण पर बोल रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : यह होम डिपार्टमेंट की बहस थोड़े ही है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अपहरण पर बोल रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि किस तरह की घटनाएं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पर्ची पर जो विषय है उस पर बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पर्ची पर ही बोल रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें यह हत्याओं का कितनी हुई और कितनी नहीं हुई, यह इसमें नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अपहरण के ऊपर बोल रहा हूं, हत्याओं पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अपहरण पर बोलो न तो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अपहरण पर ही बोल रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोल रहे हो, आप तो आंकड़ों को बोल रहे हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे पास जो आंकड़े हैं वे तो बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्टेट पर्ची पर आओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैंने अपहरण पर पर्ची दी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बातें आप होम डिपार्टमेंट की ग्रांट आये तब बोल लेना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं अपहरण के ऊपर ही बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हा, बोलो-बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं कोई हत्याएं या अन्य विषय पर नहीं बोल रहा हूं। मैं अपहरण पर बोल रहा हूं और अपहरण के मामले में बता रहा हूं कि इस प्रदेश में अपहरण के कितने मामले दर्ज हुए हैं। विभिन्न जिलों के थानों में अपहरण के 2587 मामले दर्ज हुए हैं। अपहरण की घटनाओं में संभ्रात परिवारों के साथ हुई घटनाएं तो उजागर हो गई मगर जो अन्य घटनाएं हुई हैं वे मामले अब तक खोले नहीं गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंज इलाके में लापता सौरभ और सुधा की हत्या कर दी। लाश तो मिल गई मगर उनके अपहरण की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। रामगंज इलाके की श्रीमती सुधा शर्मा का 6 नवम्बर, 2001 को अपहरण हो गया। पुलिस अंधेरे में ही भटकती रही और उसकी लाश चंदवाजी के पास कुएं में मिल गई। रामगंज में कांवटियों की पीपली के पास पांच साल का मासूम सौरभ 14 अगस्त, 2002 को घर के बाहर खेलता-खेलता अचानक गायब हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दौसा में जो बालक का अपहरण हुआ है...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं सदन को बताऊं तो सही कि इस राज के अन्दर क्या हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर लाश कुएं में कहां से गिर गई? (व्यवधान) ऐसे कैसे बोलने दें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप लोग बोलें तो कुछ नहीं और दूसरा कोई बोले तो आप उसको रोके। (व्यवधान) क्या हम सदन को अवगत नहीं करा सकते इस बात को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वही कह रहा हूं। माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मेरी बात सुन लें। बहुत ही गम्भीर मामला है। अभी दौसा में अपहरण हो गया...

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर है तो आपको और अवसर मिलेगा उस पर बोल लेना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दौसा में अपहरण हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है, पर्ची का सिस्टम यह है, पर्ची का तरीका यह है कि जिस मकसद पर आपको पर्ची दी उस विषय पर आप बोलें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कल दौसा में जिस बालक का अपहरण किया गया था उस बालक को भी और उसके तीनों मुलजिमों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। बालक दौसा पहुंच गया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न सब्जैक्ट खतम। अब क्या बात रही? अब क्या बचा है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सूचना देना चाहता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मसला खतम हो गया जिस पर पर्ची आपने दी थी। अब आगे वाले माननीय सदस्य को अवसर प्रदान करें। यह बात ही खतम हो गई न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मुझे बोलने से रोक कैसे रहे हैं? मैं पर्ची के माध्यम से बोल रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय गृह मंत्रीजी ने अभी आपके सामने स्थिति से अवगत कराया है, आपकी बात खतम हो गई वह तो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो। नहीं, नहीं, आप बैठिये। आपको सूचना मिल गई कि वे गिरफ्तार हो गये। (व्यवधान) सुनो मेरी। मेरी पूरी बात सुनो। आप सुनिये, मेरी पूरी बात सुनो। उसके उपरान्त भी आप इस सम्बन्ध में और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दो लेकिन अपार्ट फ्रोम देट आप दूसरी बात मत करो। सूचना तो आपको मिल गई।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वही निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद आप धन्यवाद दो, कुछ करो वह आप कर दो। बोलो बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : धन्यवाद तो बाद में दूंगा, मेरी सुनो तो सही, धन्यवाद तो बाद में दूंगा, मैंने कल टेलीफोन किया दौसा कोतवाली थाने के अन्दर और आज सवेरे भी मैं कम से कम 10 टेलीफोन कर चुका हूं इसी विषय को लेकर, कल जैसे की अपहरण हुआ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया और आज सवेरे से...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुझे रात को 10 बजे इस बात की सूचना मिली, डी.आई.जी. जो झुंझुनूं गया हुआ था, तत्काल मैंने उसको रवाना करके दौसा भेजा, एस.पी. को भेजा, यहां क्राइम ब्रांच के दो आदमियों को और भेजा, रात को ही उस बच्चे को जो उनके रिश्ते में ही कोई मौसेरा भाई लगता है उसको रात में गिरफ्तार कर लिया दो लड़के जो उसके साथ गये थे, उनको आज सेपाऊ

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है और हमने तत्काल कार्यवाही की है जिसकी वजह से समय पर हम मुलज़िमान और बालक को भी ला सके हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो गई बात।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, रात को 10 बजे की घटना बता रहे हैं गृह मंत्रीजी और यह बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह रामू। बात समाप्त हो गई, खतम हो गई बात। प्लीज बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था उपाध्यक्ष महोदय और उसका अपहरण हुआ था। नहीं, नहीं मेरी आप सुनो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। सुन लिया। आप बिराजो ना तो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और अवसर आयेगा तो आ जायेगी सूचना। आप बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, मैं अभी देऊंगा। आप मुझे दो मिनट सिर्फ दीजिये। मैं सिर्फ एक मिनट में ही बात कह दूंगा अपनी। सुनिये आप। मैंने कोतवाल से यह बोला कि यह मामला सदन में उठ सकता है तो शहर कोतवाल क्या बोलता है...

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपके सहयोग से भी हो गया तो क्या बुरी बात है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप सुनिये तो सही मेरी बात को, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनें आप। मैं जानकारी दे रहा हूं गृह मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्रीजी को धन्यवाद दीजिये विधायक महोदय।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : काहे का धन्यवाद आपको।

श्री उपाध्यक्ष : उनको यह जानकारी है ना सब।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको काहे का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने किस-किस तरह के अधिकारी क्षेत्र में लगा रखे हैं। उस थानेदार को मैंने जब उससे कहा कि अगर आपने इस पर तत्काल कार्यवाही नहीं की तो यह मामला सदन में उठ सकता है तो थानेदार यह बोलता है कि सदन में उठने से क्या होता है, ऐसे मामले तो सदन में उठते रहते हैं। वह इसलिए बोलता है...(व्यवधान) वह इसलिए बोलता है, वह इस राज के केबिनेट मंत्री परसादी लाल मीणा का ब्याई है...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य जो सदन में वक्तव्य दे रहे हैं, वह मुझे लिख कर दे दें तो मैं जांच करवाऊंगा और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। थैंक्यू।

श्री उपाध्यक्ष : अंत में धन्यवाद ही दिया। बिराजिये बिराजिये।

प्रत्येक जिला स्तरीय अस्पताल में एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने विषयक

श्री यशवन्त सिंह (रामू)(नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह में डाक्टर और मरीजों की पीड़ा पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का अगर ध्यान हो...माननीय मंत्री महोदय, ट्रांसफर छोड़कर इधर ध्यान दे लो...(व्यवधान) माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, सुनो, कितनी महत्वपूर्ण बात है। ट्रांसफरों में उलझ रहे हो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो इस राजस्थान का विधायक सी.एस. से प्रोटोकोल में ऊंचा है। चीफ सेक्रेटरी का हो सकता है, मकान बड़ा हो, हमारा मकान छोटा है जिनमें रूणी लग रही है, जिनमें पानी नहीं आता हो लेकिन बड़े ही शर्म की बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डाक्टरों की व्यवस्था इन दो डिस्पेंसरीज में है, बार-बार हमने आपसे आग्रह किया कि यहां कोई सीनियर डाक्टर लगाया जाये। राजस्थान विधान सभा में एक जूनियर डाक्टर है संजीव, उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन हरजीरामजी नहीं है, वह डाक्टर अगर एक जगह चला जाता है दूसरा मरीज बीमार हो जाता है तो डाक्टर उपलब्ध नहीं होता है। कम से कम हमारे मकानों की सुविधा का ध्यान नहीं रखो तो हमारी जान की रक्षा. का तो ध्यान रखो और सीनियर डाक्टर लगाने का यहां कष्ट करें।

दूसरा, मैं एस.एम.एस. अस्पताल में एक्सरे विभाग के डाक्टरों की जो पीड़ा है और मरीजों को जो पीड़ा है, आप जानते हैं, पूरे राजस्थान भर से मरीज एस.एम.एस. अस्पताल में आता है चाहे एक्सीडेंट का केस हो, चाहे झगड़े का केस हो, चाहे मारपीट का केस हो, स्थानीय मामलों में कोई घटना चूरू में हो जाती है तो उसकी एम.एल.आर. वहां लिख दी जाती है, एक्सरे और भर्ती के लिए, इलाज के लिए यहां एस.एम.एस. अस्पताल में भेज दिया जाता है। सीनियर डाक्टर यहां पर उसका इलाज करते हैं, एक्सरे करते हैं

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

और कोर्ट में जब उनकी पेशी होती है तो एक महीने में 20 दिन, कभी भरतपुर, कभी सवाईमाधोपुर, कभी चूरू, कभी गंगानगर, कभी दौसा, एक महीने में 20 दिन डाक्टर टूर पर रहता है। जब कोई मरीज आता है एक्सरे के लिए तो जूनियर रेजीडेंट डाक्टर उनकी सोनोग्राफी और एक्सरे वगैरह करते हैं और वह मरीज, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी सेवाओं से वंचित रहता है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक्सरे मशीन उपलब्ध हो, वहीं उनका एक्सरे करवाया जाये और वहां जो मेडिकल आफिसर है, उनसे ही एम.एल.आर. बनवाकर स्थानीय कोर्ट में पेश की जाये जिससे कि इस डाक्टर का समय बच सके। क्योंकि यहां से अगर डाक्टर जाता है, मान लो उसको गंगानगर जाना हो तो दो दिन खराब होते हैं, बेकार में टी.ए.डी.ए. जाता है, पुलिस का सिपाही 3-3 बार जाता है, कभी एक्सरे प्लेट लेने आ रहा है, कभी एम.एल.आर. की रिपोर्ट लेने आ रहा है, कभी और कुछ लेने आ रहा है अगर वहीं स्थानीय अस्पताल में यह सुविधा हो जाये, जिला हैडक्वार्टर पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाये तो सरकार के धन की बचत भी हो और मरीजों को सही सुविधा उपलब्ध हो सके।

तीसरा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके वार्डों की जो स्थिति है, जो सक्षम डाक्टर है, उनके वार्ड बने हुए हैं फाइव स्टार जैसे। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिये जे.पी. ऋषि का वार्ड, आई.सी.यू. का जो वार्ड है, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी का नहीं, न अपने मदेरणा साहब का, न डिप्टी स्पीकर साहब का, न आपका चैम्बर होगा, उससे बढ़िया चैम्बर उसका है क्योंकि सारा पैसा जो रिलीफ सोसायटी का है, जो मशीनों पर खर्च होना चाहिए, वह पैसा अपने वार्ड में साज और सज्जा पर लगा दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो डाक्टर आपरेशन करके निकलता है, थका हुआ आता है, न उसके बैठने की व्यवस्था है, न उसको चाय-पानी की व्यवस्था है, मंत्रीजी भी वहां अगर पहुंच जाये तो कोई भी डाक्टर हो, उसके पास जगह नहीं है कि वह आपको वहां बैठकर चाय पिला सके। कोई उसका जानकार आ जाये, मरीज आ जाये तो कम से कम इसकी व्यवस्था की जाये।

नम्बर दो, मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अस्पताल में ऐसी लाइब्रेरी स्थापित की जाये, अस्पताल परिसर में कोई लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है, एक लाइब्रेरी उपलब्ध कराई जाये जिससे डाक्टरों का ज्ञानवर्द्धन हो सके। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टरों की एक जे.एम.ए. संस्था है, उसमें डाक्टरों की एक सेमीनार होती है। राजस्थान सरकार की तरफ से 50 घंटे उस क्लब में या उस जे.एम.ए. में सेमीनार होती

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

है और बड़े ही शर्म की बात है उपाध्यक्ष महोदय, उसकी पिछले एक साल से लाइट कटी पड़ी है। क्या डाक्टरों के साथ में, जोकि आम जनता को बचाने का काम करते हैं, जो पीड़ा से इतने पीड़ित हैं कि न तो ढंग से मरीज को देख सकते हैं और न वहां ढंग से अपने परिवार को रख सकते हैं तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यही विनम्र निवेदन है, जो-जो बातें मैंने कही हैं, उनको अपने लेवल पर इनमें सुधार करके, इनकी सुविधाओं का ध्यान रखवायें। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह त्रिशूल को लेकर फिर यहां बैठे हैं, कोई त्रिशूल से हम डरते-वरते नहीं हैं और इनका त्रिशूल है, वह तोगड़ियाजी का त्रिशूल नहीं है। वह तो दूसरा चाकू लेकर घूमते हैं, वह दूसरा त्रिशूल है। यह नया यहां लेकर आये हैं।

एक माननीय सदस्य : अच्छा है, उसको यहां रख दो।

श्री मदन दिलावर : आप चैक कर सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनको कहिये कि यह त्रिशूल कागज का है, यह बांटे तो हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री मदन दिलावर : तोगड़ियाजी के त्रिशूल में और इस त्रिशूल में, इनकी आकृति में ज्यादा अन्तर नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन ऐसी चीजें हाउस में नहीं लानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको रख दो मेहरबानी करके प्लीज।

श्री मदन दिलावर : यह त्रिशूल नहीं है, त्रिशूल की आकृति है।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हाउस के अन्दर लाना उचित नहीं है और इनसे कहिये कि अपना त्रिशूल लेकर बाहर जायें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बोलें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं और सदन का समय खराब करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्ची पर बोलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, हम समय नहीं खराब कर रहे, इनको त्रिशूल लेकर के बाहर भेजिये। त्रिशूल यहां नहीं रह सकता। यह गलत बात है कि त्रिशूल यहां लिये बैठे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो राष्ट्रभक्त हो, यह राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ है, यह देशद्रोहियों के खिलाफ है। आप आतंकवादी थोड़े ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, बोलो।

श्री सांवर लाल : आकृति से ही कैसे भयभीत हो रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप या तो इसको डिस्प्ले न करें या बाहर रख दें।

श्री मोहन लाल मोदी : यह राष्ट्रद्रोही काम नहीं है?

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे यह कागज का हो, चाहे लकड़ी का हो...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आई डोंट अलाउ। नहीं।

डा. (श्रीमती) कमला : लेकिन सदन की परम्पराओं के मुताबिक इस तरह का आइटम सदन में लाया गया, यही एक पहले तो आपत्तिजनक है। और फिर आपने अभी कहा कि आपने इसको जब्त करने के लिए कह दिया है, नहीं किया वह तो वहीं का वहीं रखा है। इसलिए परम्पराओं को कायम रखना आवश्यक है।

श्री मदन दिलावर : आपकी अनुमति हो तो सदन के पटल पर रख देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पटल पर नहीं, आप इसको बाहर रखिये। अब इसको बाहर रखिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह थर्मोकोल का है...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : किसी भी वस्तु का है लेकिन यह लाया हुआ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे असली त्रिशूल से क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बाहर रखिये इसको। (व्यवधान) समझ में नहीं आ रहा क्या?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह चित्र है और चित्र से ही भयभीत हो रहे हैं तो असली त्रिशूल से क्या होगी इनकी हालत, कल्पना कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मार्शल को आर्डर दीजिये कि त्रिशूल को और इन साहब, दोनों को ही बाहर भेज दें। आप मार्शल को आर्डर दीजिये खोज करके इनका त्रिशूल लें।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने एक व्यवस्था दे दी है, उसको आप इम्पलीमेंट भी करवाइये।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कर रहा हूं न तो। आप माननीय सदस्य, इसको बाहर रखकर आइये।

श्री मदन दिलावर : किस को?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह थर्मोकोल का है उसका क्या...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस त्रिशूल को बाहर रखकर आइये।

श्री मदन दिलावर : त्रिशूल है ही नहीं, किस को रखना है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप। प्लीज।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, त्रिशूल नहीं है, अगर कांग्रेसी कोई इससे भयभीत हो रहे हैं तो इसका इलाज किसके पास है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको बाहर रखकर आइये।

श्री सी. पी. जोशी : यह कोई तरीका थोड़े ही है हाउस में।

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस तरह का क्या नाटक कर रहे हैं। मार्शल को पहले खुद को ही जब्त कर लेना चाहिए था। आपने कहा मैंने आदेश दे दिया, फिर भी नहीं हुआ। यह तो आगे जाकर इसकी और भी परम्पराएं बढ़ती रहेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा, बोलो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिना अनुमति के मार्शल कैसे जब्त कर लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इनका हौसला बुलन्द कर रही हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : कोई मतलब नहीं है इसका। सुमित्राजी, आपने और हमने तो बहुत दुनिया झेली है लेकिन यह परम्परा के खिलाफ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आफत क्रियेट करने वालों में सबसे अव्वल हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : ताकत आत्मा की चाहिए न कि हथियारों से अपने आप को सुरक्षित रखने की।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उप मुख्य मंत्री महोदय, हो गया, यह चेप्टर क्लाज हो गया। आप तो राष्ट्रभक्त हो।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये न आप। (व्यवधान)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में घोटाले विषयक

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर्ची के माध्यम से राजस्थान रोडवेज, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में हो रहे भारी घोटाले, गबन और गड़बड़ियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली बार कार्मिक मंत्री, जरा ध्यान दें कार्मिक मंत्रीजी, यह ट्रांसफर्स में मत उलझिये, जरा इधर दीजिये, सदन चल

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रहा है, कोई तमाशा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार कार्मिक मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि 16 सीसीए की जिनके खिलाफ चार्जशीट है, 16 सीसीए में जिनको आरोपित किया गया है वह फील्ड में, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी सर्विस पर काम नहीं करेंगे परन्तु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में एक अधिकारी हैं श्री पी.एस. श्रीमाली, उनको जांच के दौरान दोषी पाया गया। वह निलम्बित हुए और निलम्बन के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने कितने ही चार्जेज उन पर लगाये और उसकी एफ.आई.आर. के हिसाब से चालान भी कोर्ट में पेश हुआ। परन्तु उस व्यक्ति को अभी तक भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में, उनका नाम है श्री पी.एस. श्रीमाली, 16 सीसीए के बावजूद उनको फील्ड में लगाया हुआ है जो सरकार के यहां पर दिये हुए आश्वासन की वायदा खिलाफी है। यह पी.एस. श्रीमाली क्या गुल खिलाते हैं, पी.एस. श्रीमाली साहब वह अधिकारी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये हरेक चीफ मैनेजर से इकट्ठा करके, एक-एक, दो-दो लाख रुपये प्रति माह इकट्ठा करके वर्तमान एम.डी., नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने नोटिस उनके नाम का नहीं दिया है, वर्तमान एम.डी. को एक-एक, दो-दो लाख हरेक चीफ मैनेजर से इकट्ठा करके वह देते हैं पी.एस. श्रीमाली, और पिछली बार उनको हटा दिया गया और जाते-जाते पूर्व एम.डी. और वर्तमान एम.डी. जो लाखों-करोड़ों के घोटाले में लिप्त हैं, और इतना ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ, बैठो न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें न, यह बोल रहे हैं न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अनुबंधित बसों को लगा करके, मैं राजस्थान रोडवेज में ही यात्रा करता हूं, प्राइवेट में यात्रा नहीं करता। मैं 19 जनवरी को श्रीगंगानगर को एक कार्यक्रम में गया। भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन था, वहां जब गया, वहां से लौट करके वापस आया राजस्थान रोडवेज में बैठने के लिए तो पता लगा कि राजस्थान रोडवेज की कोई डीलक्स आगार की बस पहले जो चलती थी, वह अब नहीं चलती। श्रीगंगानगर से राजस्थान की रोडवेज नहीं चलती, सिर्फ अनुबंधित चलती है। उसका कारण यही है, उसमें मिस्टर पी.एस. श्रीमाली जैसे व्यक्ति जिनको 16 सीसीए का नोटिस दिया जा चुका है, शामिल हैं और वर्तमान एम.डी., लाखों-करोड़ों रुपये चीफ मैनेजरों से वसूल करते हैं, इसलिए अनुबंधित बसें वहां लगाई जाती है। यह प्रत्येक डिपो का है। एक डिपो का मैं एग्जाम्पल दूंगा। उससे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्री भी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : और क्या करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उप मुख्य मंत्रीजी बहुत उलझे हुए हैं, मैं इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा लेकिन इनकी देखरेख में यह विभाग सम्भालने के बाद, पहले भी टिकट घोटाले हुए हैं, टिकट रोडवेज के नकली छप करके, भरतपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ, और कई जगह हुए...

एक माननीय सदस्य : दिल्ली भी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दिल्ली में अभी हुआ है। परन्तु इस समय जो घोटाले हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। दस लाख के अवैध नकली टिकट चीफ मैनेजर द्वारा दिल्ली में बंटवाये और उसमें एम.डी. साहब की शह है। कैसे शह है कि वहां जो एजेंट उन्होंने नियुक्त किये हैं, एजेंट नियुक्त किये जाते हैं राजस्थान रोडवेज से, उसकी नियुक्ति ऊपर से होती है। एम.डी. साहब ने उसकी अनुमति दी। उस एजेंट के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। मैं एजेंट को बरी नहीं कर रहा, एजेंट भी उतना ही दोषी है जितना कि वह चीफ मैनेजर। परन्तु एम.डी. साहब उस एजेंट को तो पकड़े रखना चाहते हैं, उसके खिलाफ आरोप लगाना चाहते हैं लेकिन चीफ मैनेजर को बचाना चाहते हैं। एम.डी. साहब की सीधी इस दस लाख की नकली टिकटों में लिप्तता है जो वर्तमान एम.डी. रोडवेज हैं। यह एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। पूरी बात सुन लें, बैठे रहें, एक साथ जवाब दें। कृपया एक साथ जवाब दें, अभी तो बकाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इनको सुन लो, फिर बोल देना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक चीफ मैनेजर हैं आबू रोड के।

श्री उपाध्यक्ष : आप वहां से यहां आ गये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सीधे आरोप कैसे लगा रहे हैं, किन नियमों के तहत लगा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : कोई विधान सभा का नियम तो होगा न सीधा आरोप लगाने के लिए। किन नियमों के तहत लगा रहे हैं? आप बताइये, कहें तो सही न कोई, किन नियमों के तहत लगा रहे हैं। (व्यवधान) आप यह क्या बुलवाना चाहते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : करोड़ों के घोटाले हैं यह, एक एग्जाम्पल दिया है। आप सदन का समय न खराब करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : ऐसे नहीं लगा सकते हो।

एक माननीय सदस्य : करोड़ों रुपये के घोटाले हुए हैं इसमें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : श्रीमान्, समय न खराब करें।

श्री मोहन लाल मोदी : मूंछों वालों को छूट दे रखी है आरोप लगाने की।

श्री रामनारायण चौधरी (विद्युत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। आरोप लगाइये, आरोप लगाने के नियम बने हुए हैं। नोटिस देना पड़ता है। ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं किसी के खिलाफ? यह कोई तरीका थोड़े ही है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 16 सीसीए का नोटिस, आरोप हैं क्या, पहले लग चुके आरोप, मैंने लगाये हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने लगाये, आपकी सरकार ने और आपकी सरकार ने जांच कराई है सतर्कता विभाग से और आपकी सरकार ने जांच कराई है लोकायुक्त...

श्री मोहन लाल मोदी : नाम तो लिया है इन्होंने, कैसे नहीं लिया।

श्री रामनारायण चौधरी : आप यहां भी लगा सकते हैं लेकिन पहले नोटिस दीजिये, कायदे से लगाइये आप, यह क्या हुआ, चिट देकर आप बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : जो आदमी हाउस में नहीं है उसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, जरा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह यह है कि माननीय विधायकजी जो आरोप लगा रहे हैं, या तो नियमों के तहत आप आयें। आप ऐसे एकदम वेग एलीगेशन बड़े-बड़े अधिकारी के खिलाफ लगा रहे हैं तो कोई उसका आधार होना चाहिए, बिना आधार के आपको नहीं लगाने चाहिए। आपने जो अभी बोला है...

श्री मोहन लाल मोदी : यह तो आदत है इनकी, आदत पड़ गई।

श्री बनवारी लाल बैरवा : किसी भी दोषी कर्मचारी को नहीं बख्शा जायेगा, मैं यह सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मोदीजी, आपको तो सिवाय चौबीस घंटे +++ के अलावा कोई काम नहीं है। आप तो लूटते हो लोगों को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये, अब हो गया न।

श्री मोहन लाल मोदी : यह +++ आपकी ही है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, आपकी मूल बात आ गई, अब क्या है, समाप्त हो गया, बस खतम करो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, मूंछों की तारीफ हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा एग्जाम्पल, एक अधिकारी आबू रोड के हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कह दीजिये कि इसकी जांच करायें, बस खतम हुआ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साहब, पूरा कर लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न पूरा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी नहीं हुआ। जो मुख्य बात और रह गई है, पी.एस. श्रीमाली साहब के जो काम हैं उसमें चीफ मैनेजर हैं रोडवेज के आबू रोड के, उन्होंने डूंगरपुर में लाखों रुपये वसूल किये और वहां आपने जांच करवाई है। पहले पूरी बात सुन लें, जांच तो आपने करवाई है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत मुनासिब होगा कि माननीय विधायकजी वह लिखकर दे दें, मैं उनकी जांच करा लूंगा और किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही में हिचकिचाहट बिलकुल नहीं होगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, उनको निलम्बित करके, निलम्बित करके, ऐसा मामला है, डूंगरपुर का रिकार्ड जला दिया...

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कह दिया, आप जो भी कुछ देंगे उसकी जांच करा देंगे, और क्या चाहिए आपको?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, भले आदमी हैं, जांच तो करायेंगे ही। यह भले उप मुख्य मंत्री हैं, जांच तो करायेंगे ही लेकिन उनके खिलाफ एस.के.सिंह जो वहां चीफ मैनेजर है...

श्री उपाध्यक्ष : एक्शन तो जांच के बाद ही होगा, पहले होता ही नहीं है ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूरी बात तो आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : जांच होगी तभी तो एक्शन होगा, काहे का एक्शन होगा।

श्री मदन दिलावर : मैंने लिखकर दिया है दिल्ली का डेढ़ करोड़ का घोटाला। दिल्ली डिपो में डेढ़ करोड़ का घोटाला, अभी कुछ नहीं किया है।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : इसलिए इनकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए कि लिख कर दे देंगे तो कार्यवाही करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री)**:** उपाध्यक्ष महोदय, किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाने के नियम बने हुए हैं, प्रक्रिया बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, आप बिराजिये। बिराजिये बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले उसका नोटिस देना पड़ता है कि क्या वाक्या है सी.एम.डी. के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चीफ मैनेजर, रोडवेज, आबू रोड ने...

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जांच कब तक करा देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जिसने रोडवेज की जमीन बेच खायी है।

श्री सांवर लाल : कोई समय–सीमा तो होनी चाहिए जांच की।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज की जमीन बेच खायी है देलवाड़ा स्टैण्ड की। उसके खिलाफ आपने विजिलेंस की जांच करायी है आपने मंत्री जी ने और फिर दुबारा जांच हुई। दो–दो जांच के बाद और जब हमने आपको पत्र लिखा मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा। मुख्य मंत्रीजी का जवाब मेरे पास नामजद एस.के. सिंह के नाम पर है मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया है। जांच हो रही है। चीफ सेक्रेटरी को लिखा, एम.डी. रोडवेज को लिखा तो उन श्रीमान् चीफ मैनेजर ने जो जमीन बेच खायी है बस स्टेण्ड की और उन्होंने डूंगरपुर का लाखों करोड़ों का रिकार्ड जला दिया, उनके ऊपर चार्जेज लगे। विजिलेंस की मैंने जांच नहीं करायी। पहले एक बार जांच हुई, फिर आर.ए.एस. अधिकारी उर्मिला राजोरिया ई.डी. हैं, डाइरेक्टर विजिलेंस, उन्होंने जांच की। और जब एम.डी. को कहा तो एम.डी. साहब ने उनको बचाने के लिए अब की बार वहां ई.डी. विजिलेंस तीसरे गये और नवलजी और नवलजी को कह करके फिर उनकी जांच करवाने के लिए भेजा है। बार–बार ऐसे भ्रष्ट और बेइमान अधिकारी को क्यों बचाना चाहते हैं, एक बात।

दूसरी बात यह है कि जिन कर्मचारियों ने उनके खिलाफ शिकायत की उन कर्मचारियों को, रोडवेज ने गलत प्रथा आपने डाली है, वह पहली बार डाली है 55 साल या रोडवेज की जब से स्थापना हुई, ट्रांसपोर्ट में ट्रेनिंग के नाम पर उनको भेज दिया जाता है। एक कर्मचारी कंडक्टर ने शिकायत की कि मेरे से 10 हजार रुपये चीफ मैनेजर ने मांगे। और जब मैंने उनकी शिकायत की, उन्होंने ट्रेनिंग पर भेज दिया। इतना ही नहीं किया उनके दूसरे भाइयों को भी भेज दिया और असत्य एफिडेविट पेश किया कि ये तीन–तीन भाई हैं रोडवेज में। इसलिए इन लोगों ने यहां गड़बड़ कर रखी है। जबकि वो देशभक्त हैं। उनको राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अवार्ड दिया है।

तीसरी बात यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात अब क्या है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक रह गयी अन्तिम बात। उसके साथ में...

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, एक पर्ची में तो एक ही बात होगी न, एक ही इश्यू उठाया है और आप मुझे लिख कर दीजिये न, मैं उसकी जांच करा लेता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको दे दिया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : दोषी कर्मचारियों को कहीं नहीं बख्शा जाएगा। आप चिन्ता मत कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, आप लिख कर दे देना। कह दिया न उन्होंने, जांच करा देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक अंतिम दो मिनट, सिर्फ दो मिनट। अंतिम बात यह है कि इस चीफ मैनेजर के खिलाफ जो विजिलेंस की तीसरी जांच करायी जा रही है, पहली दो जांच आप देख लें उसके नम्बर मेरे पास में हैं, पूरे दस्तावेज मेरे पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ये दे देना आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप कह रहे हैं समय हो रहा है। आप धैर्य से पूरी बात सुन लें। उस चीफ मैनेजर ने क्या किया है, उस चीफ मैनेजर ने जो वहां कारनामे किये हैं, एक ए.टी.आई. को यातायात प्रबन्धक बना दिया। और यातायात प्रबन्धक मुख्यालय ही बनाता है, मुख्यालय से पूछा नहीं, मुख्यालय की अनुमति नहीं, यातायात प्रबन्धक बना दिया। उसने असत्य एफिडेविट कोर्ट में दे दिया, कोर्ट में उनको फटकार पड़ी। वो भी नाम आप नहीं लेना चाहते हैं, मुझे कह रहे हैं मैं तो नाम ले सकता हूं। लेकिन आपको लिख कर डिटेल जांच के लिए दूंगा उस यातायात प्रबन्धक ने ड्यूटी चार्ज ले करके एक-एक कंडक्टर जो जूनियर है, उनको तो लगाया आफिस में, और जो सीनियर हैं वो लग गये रूट पर। या जो जूनियर और सीनियर हैं उनको किसी को रूट पर किसी को आफिस में, और इस यातायात प्रबन्धक का, असत्य एफिडेविट, इस चीफ मैनेजर का असत्य एफिडेविट और कोर्ट में ये गिल्टी हो गये, विजिलेंस के द्वारा गिल्टी हो गये, अपराधी हो गये। आपने इंक्वायरी करायी और ये जो 16 सी.सी. के अधिकारी, इनके खिलाफ जांच आप करायें तो एम.डी. सहित सबकी जांच आप करवायें। मैंने आपको दस्तावेज दे दिया है। इसके साथ में आप कह रहे हैं एम.एल.ए. की हैसियत से लैटर पैड पर मैं भी आपको जांच के लिए दे रहा हूं। लेकिन कितने दिनों में जांच पूरी करके कब तक सजा देंगे, यह जरा कृपया बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमल कटारा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये जरा बता दें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले बीच बीच में खड़े हो रहे थे माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न जांच करा देंगे, आप दे देना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कब तक करायेंगे और कब तक सजा देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर सारी बात आ गयी फिर लिख कर दे दें फिर यहां क्या हम समय जाया करने के लिए आते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये बिराजिये। श्री कनकमल कटारा, आप बोलिये।

श्री सांवर लाल : उप मुख्य मंत्री की जानकारी में आ गया फिर कह रहे हैं कि लिख कर दीजिये...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप कब तक जांच करायेंगे, कब तक सजा देंगे?

श्री सांवर लाल : सदन में आपकी जानकारी में कोई बात ला दी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कार्यवाही कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री कनकमलजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह पूरे दस्तावेज हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी ही इसकी जांच करा ली जाएगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : समय, समयावधि माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमलजी। समय नहीं होता इसमें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं टाइम। टाइम लिमिट, साहब। टाइम लिमिट बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दें न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनको बोलने दे रहे हैं। आप टाइम लिमिट तो बता दो, साहब, बहुत जल्दी का मतलब क्या?

श्री उपाध्यक्ष : टाइम आज तक किसी का हुआ ही नहीं। बिराजिये आप तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी टाइम आपका है। महीने बाद चुनाव हैं साहब टाइम हमारा आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, कनकमजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय 9 महीने बाद तो हो ही जाता है साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह टाइम बता दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) : 9 महीने बाद भी आप वहीं विराजेंगे। अगर ईश्वर ने किया तो आप 9 महीने बाद भी उसी सीट पर बिराजेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है धन्यवाद आपको। जांच के लिए जल्दी करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : वो कह दिया आपने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने पक्का कर दिया, दादाजी, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमलजी।

बीकानेर जिले के कोलायत थाने में पुलिस पिटाई से हुई मौत विषयक

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में एक ऐसे विषय को यहां ला रहा हूं कि पुलिस की पिटाई से एक किशोर की मौत का मामला हमारे सामने आया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर के कोलायत थाना पुलिस का एक मामला, इसमें कोलायत थाने के अन्दर माखनलाल, उम्र 15 वर्ष, अनुसूचित जाति के एक किशोर को पीट-पीट कर बेरहमी से मारा, उसको पीटा। और पिटाई से उसकी जान चली गयी। माखनलाल मूलतः जोधपुर का निवासी था और वह अकाल की इस विभीषिका में, मजदूरी की तलाश में था।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह बांसवाड़ा में जाकर बोला?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय हीरासिंहजी प्लीज। आर्डर।

श्री कनकमल कटारा : माननीय उपाध्यक्षजी, बड़ा गम्भीर विषय है, कल आपका और हमारा भी बच्चा हो सकता है। एक गरीब बच्चे का सवाल है। जो इस अकाल की विभीषिका में जोधपुर से बीकानेर अपनी बुआ द्रोपदी जिसके यहां मजदूरी के लिए गया हुआ था। कोलायत थाना पुलिस ने किसी मामले में जांच कर रही होगी और उस द्रोपदी महिला के घर में जबरदस्ती घुस करके उस माखनलाल, उस 15 वर्ष के अनुसूचित जाति के बच्चे को बेरहमी से पीटा। और उसी हालत में उसको हास्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद में उसके दादी ने जिस प्रकार की जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी है मैं आपके माध्यम से सदन के सामने पढ़कर सुनाता हूं। "दिनांक 24.2.2003 को 11.50 पी.एम. मुसम्मात मरहरी गनिहार जाति उम्र 70 साल पेशा घरेलू निवासी चिंघाणा थाना पुलिस चौकी जिला जोधपुर में दरियापथ पर बयान किया कि मेरा पोता माखनराम उम्र 15 साल अपनी बुआ द्रोपदी पत्नी दिलेवरराम के पास अकाल की वजह से मजदूरी करने आया हुआ था। मुझे पता चला कि कंजरिया एवं थाना पुलिस कोलायत वालों एवं गंवारिया का आपस में झगड़ा हो गया है जिसमें थाना कोलायत एवं गंवरिया सिपाहियों ने मेरे पोते के साथ मारपीट की है जो घायल अवस्था में कोलायत में ही है। जिस पर मैं शनिवार को मारपीट के पश्चात् सोमवार को चिंघाण से कोलायत पहुंची क्योंकि मेरा बेटा टांकीराम जेहाल मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। पुलिस रोजाना कोलायत में कंजरों के घरों में आकर मारपीट करती रही जिस

(श्री कनकमल कटारा)

पर हम दोनों छुपे रहे। आज मेरे पोते माखनराम की हालत खराब होने पर मैं मजबूर होकर बीकानेर अस्पताल पहुंची। मेरा पोता 9 वार्ड में 48 नम्बर बैड पर भर्ती है जिसकी हालत गम्भीर बनी हुई है। कोलायत थानेदार व गंवरिया थाने के सिपाहियों ने मेरे पोते माखनराम जो बेकसूर है के साथ मारपीट की है कि इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए यह एफ.आर. दर्ज की है।" और मेरा आपसे निवेदन है कि एक ऐसे गरीब बालक के साथ इस प्रकार की घटना हुई है ऐसा राजस्थान में 10-11 स्थानों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से पीट-पीट करके हत्या कर दी गयी है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे निर्दयी और ऐसे कृष स्वभाव वाले ऐसे पुलिस अधिकारियों की जांच की जाए और उनको दण्डित किया जाए। इनकी कार्यवाही की जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिन्होंने इस बालक को मारा है, इनके खिलाफ 302 की कार्यवाही की जाए और उसको एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, मैं यह निवेदन करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया? आपको क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की घटना का वर्णन इस सदन में किया गया है यह इस सरकार के चलते पहली घटना नहीं है। सरेआम एक अबोध बालक जिसकी उम्र 16 साल पुलिस निर्मम हत्या कर दे।

श्री उपाध्यक्ष : किस पर बोल रहे हैं, हो गया न? कह दिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी, सदन में बैठे हुए हैं वक्तव्य दें। गृहमंत्रीजी का वक्तव्य दिलायें...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह किस नियम के तहत बोल रहे हैं माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। आप इनको बैठने के निर्देश जारी करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कई बार सदन की परम्परा रही है इस तरह के मामले...(व्यवधान) यह संवेदनशील मामले हैं (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : यह सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने का प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक 16 साल का अबोध बालक और पुलिस उसकी निर्मम हत्या कर दे...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो, आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। मैं कराता हूं, आप बैठिए।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को मौका दीजिए सब शांति हो जायेगी। आप गृह मंत्रीजी की बात सुन लीजिए उसके बाद अपने आप शांति हो जायेगी।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठिए, अंकित नहीं हो रहा है, क्या फायदा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिए, या तो आप सुन लीजिए आप इसको डायल्यूट करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे उनको कहने का मौका देंगे तभी तो कहूंगा, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं उसका क्या इलाज है If you want to dilute this question I am not confirmed.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। माननीय सदस्य, आप उनका स्टैटमेंट सुनकर बाद में बोल लेना Let him complete first.

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : उसी पर स्टैटमेंट आयेगा और क्या आयेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह सब बात आप उनकी सुनोगे तभी तो आप करोगे, यही तो कह रहा है और क्या कह रहा है. Let the statement come.

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं चाहते हैं उनका स्टैटमेंट?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा सागवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया। उसमें कहा कि यह झगड़ा दो समुदायों के बीच हुआ था। एक थे गवारिया और दूसरे थे कंजर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, आप अभी स्टैटमेंट दे रहे हैं क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, मैं अभी कोई स्टैटमेंट नहीं दे रहा हूं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप अभी स्टैटमेंट दे रहे हैं क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इस सारी घटना पर विस्तृत स्टैटमेंट कल दूंगा, समय निर्धारित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : कल बोलियेगा, खतम हुई बात, बीच में फायदा क्या है इससे। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती कमलाजी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

1. अधिसूचना संख्या प.14(1)राज 6/2002/51 दिनांक 13.9.2002 जिसके द्वारा आदेश संख्या प.5(109)राज–8/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या प. 11(1)राज–6/2002/52 दिनांक 27.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या प. 6(6)राज–6/92/63 दिनांक 28.12.2002 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या प. 6(30)राज–6/2002/4 दिनांक 25.1.2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला हेतु भू-आबंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या प. 14(1)राज–6/2002/51 दिनांक 29.1.2003 जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक प. 5(109)राज/बी/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है।

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन। श्री बनवारीलाल जी बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचना

उपनिवेशन विभाग

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये

(डा. (श्रीमती) कमला)

गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की 12 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

1. अधिसूचना संख्या प. 4(1)उप/95 दिनांक 28.8.2002 जिसके द्वारा राजस्थान गेलेंट्री अवार्ड्स (नगद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 में परिवर्तन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या प.4(17)उप/97 दिनांक 11.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या प.4(13)उप/88 दिनांक 11.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जवाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1978 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या प.4(3)उप/99 पार्ट दिनांक 11.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर भूमि का स्थायी आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या प.4(2)उप/99 दिनांक 11.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भांखरा परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या प.4(6)उप/97 दिनांक 11.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1984 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या प.4(4)उप/98 दिनांक 16.10.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1984 में संशोधन किया गया।

8. अधिसूचना संख्या प.4(17)उप/99 दिनांक 23.10.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या प.4(3)उप/2001 दिनांक 23.10.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन) नियम, 1968 में संशोधन किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या प.20(9)उप/98 दिनांक 8.1.2003 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या प.4(11) उप/97 दिनांक 23.1.2003 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर भूमि का स्थायी

(डा. (श्रीमती) कमला)

आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या प.4(3) उप/99 दिनांक 11.2.2003 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर भूमि का स्थायी आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

प्रतिवेदन

राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन (31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के विभिन्न प्रतिवेदन

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की तीसरी रिपोर्ट वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 खण्ड II तथा चौथी रिपोर्ट वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 खण्ड II सदन की मेज पर रखता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद। डा. करण सिंह।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस दसवें सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के सारगर्भित अभिभाषण पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए यहां आम आदमी की भावनाओं को दर्शाना चाहूंगा जिसने गत चार वर्ष में राजस्थान के इतिहास में एक स्वर्णिम शुरूआत की है। राजस्थान की सरकार ने गत वर्षों में हर क्षेत्र में उन्नति की है। यद्यपि लगातार चार वर्षों के भयंकर सूखे के बावजूद जिस कुशल प्रबन्ध का, अकाल प्रबन्धन का परिचय राज्य सरकार ने दिया है उसमें प्रदेश ही नहीं देशभर में सरकार के कार्य की सराहना की जा रही है। इस सदी के भीषण अकाल को देखते हुए राज्य सरकार ने अगस्त माह से ही अकाल के राहत कार्य शुरू कर के एक ऐतिहासिक शुरूआत की है और आज की तारीख में राजस्थान में लगभग 55 लाख श्रमिक 10 दिन के रोजगार पर लगे हुए हैं। यह कटु सत्य है कि इतने भीषण अकाल को देखते जहां राजस्थान का आम आदमी, गरीब आदमी पिसता जा रहा था वहां केन्द्र की सरकार उसको राजनीति का मुद्दा बनाये बैठी रही। यहां अगस्त माह में जब 6 हजार करोड़ का आबंटन करने का पहला ज्ञापन

(डा. करण सिंह यादव)

दिया केन्द्र सरकार के काम पर जूं तक नहीं रेंगी। केन्द्रीय अध्ययन दल वापस आया तब 7519 करोड़ रुपये का संशोधित ज्ञापन दिया गया। 50 लाख मैट्रिक टन गेहूं की मांग की गई। सरकार ने घोषणा की कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनायी है। अखबारों के माध्यम से आम आदमी यह जानने की ललक में था कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को क्या अनुदान, क्या सहायता इस विपत्ति के मौके पर देती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बहुत अर्से तक तो टास्क फोर्स की मीटिंग ही नहीं हो पाई। राजस्थान की जनता को पुराना सन् 1986 के अकाल का वह दिन ध्यान है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हमारी वर्तमान नेता श्रीमती सोनिया गांधी के साथ यहां गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सड़क रास्ते से, पैदल, गाड़ियों से अकाल की विभीषिका को देखने के लिये आये थे और केन्द्र सरकार ने राजस्थान की जनता को भारी सहयोग दिया था। केन्द्र सरकार से ऐसे सहयोग की ही अपेक्षा रखने वाली राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ, बहुत वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे वर्तमान प्रधान मंत्रीजी को देश-विदेशों में जाने के लिये पता नहीं कहां से समय उपलब्ध हो जाता है। हर महीने हम सुनते हैं कि आज वह यहां यात्रा करने जा रहे हैं, कल वह विदेश यात्रा करने जा रहे हैं। कल मलेशिया में बैठे हुए थे, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए वह कुछ घंटे भी निकालकर यहां नहीं आ सके। चार साल, में तीन साल, में नहीं आए। जब कभी भी बात चलती, इस सदी का भीषणतम अकाल है, उससे बड़ी राजनीति और क्या हो सकती है।

जब आप अकाल से पीड़ित गरीब लोगों की दुविधा को देखने के लिए नहीं आ सकते, उस केन्द्र सरकार से राजस्थान का गरीब आदमी क्या आशाएं रख सकता है, यह बहुत भारी वेदना है। महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आए, आकर उन्होंने जैसलमेर, उदयपुर और बाड़मेर के अकाल के कामों को देखा, अकाल पीड़ित लोगों के बीच में गए, राज्य सरकार के कामों को देखा। राष्ट्रपतिजी के पास समय है, उप-राष्ट्रपतिजी के पास समय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के पास राजस्थान की गरीब जनता को देखने का समय नहीं है। इस बात को राजस्थान की जनता अपने दिमाग की डायरी में भलीभांति नोट कर रही है।

राजस्थान की जनता इस बात को जानती है और समझ भी चुकी है। समझे हुए तो पहले दिन से ही थे कि जो दिल्ली में राज करने वाले लोग हैं वह गरीब के हिमायती नहीं है, पिछड़ों के हिमायती नहीं हैं, दलितों के हिमायती नहीं हैं। अपंगों के हिमायती नहीं है, नि:शक्तजनों के हिमायती नहीं हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि वह ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाला

(डा. करण सिंह यादव)

काम करते रहे। कभी थोड़ा सा अनाज दे दिया। बीच-बीच में अखबारों के माध्यम से घोषणा करते रहे कि राजस्थान की सरकार को जो पैसा हम दे रहे हैं वह उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है। हकीकत यह है कि राजस्थान की सरकार ने इस अकाल के अन्दर जो काम अपने साधन, अपने बूते से किए हैं उसको देखकर आज भी राजस्थान का ग्रामीण अभिभूत है। और उसका विश्वास है कि इस सरकार ने आज तक किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया। मेरे भाइयों ने अखबारों में कुछ छपवाने की कोशिश की लेकिन हमारे मुख्य मंत्री और हमारी सरकार उनसे चार कदम आगे है। आज हर गांव के अन्दर दो क्विंटल अनाज मौजूद है, आज हर पंचायत में पांच क्विंटल अनाज मौजूद है, हर तहसील में 25 क्विंटल अनाज है। सरकार ने कहा कि सूचना आपकी और जिम्मेदारी हमारी। कम से कम सूचना तो दीजिए।

और तो और, ऐसे लोग जो असहाय हैं, विकलांग हैं, किसी कारण से मजदूरी पर नहीं जा सकते, घर पर बैठे हैं, उनको घर जाकर 50 क्विंटल अनाज और 30 रुपये प्रतिमाह का अनुदान राजस्थान सरकार देती है। राजस्थान में कोई आदमी भूखा नहीं सोता। कोई आदमी भूख से नहीं बिलख रहा। बिलख रहे हैं तो कुछ अखबार वाले और हमारी विपक्ष की पार्टी। केन्द्र में बैठी हुई पार्टी, जिनके दिमाग में है कि किसी भी तरह से राजस्थान का गरीब आदमी इस सरकार से नाराज हो। राजस्थान का गरीब नाराज होगा तो आपसे नाराज होगा। आपकी सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश को देने के लिए तो बहुत पैसा है, उड़ीसा को देने के लिए बहुत पैसा है, गुजरात में संकट आया तो बहुत पैसा है, लेकिन राजस्थान में पैसे की बात तो छोड़िए, माननीय प्रधानमंत्रीजी, उप प्रधानमंत्रीजी, दो घंटे का समय निकालकर भी राजस्थान में अकाल पीड़ित लोगों को देखने के लिए नहीं आ सके। यह राजस्थान के आम गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ी वेदना है, उसके मन में है। उसको जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन वोट की पेटी पर वोट डालने का मौका मिलेगा, उस दिन वह अपने आक्रोश को जनता के सामने बताएगा कि राजस्थान का आम गरीब आदमी क्या कर सकता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : नाकों चने चबवा देंगे, नाकों चने।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : ब्लड प्रैशर नपवा लेना। बी.पी. कितना है आपका?

डा. करण सिंह यादव : मेरा बी.पी. काफी ठीक है, आप अपने बी.पी. की चिन्ता कीजिए। वह माननीय सदस्य यहां नहीं हैं जो कल-परसों कह रहे थे कि वे सारे वासु एक्सप्रेस में, मैडम वासु एक्सप्रैस में बैठकर चले जाएंगे। राजस्थान की जनता

(डा. करण सिंह यादव)

बहुत समझदार है जिसने आपको 33 के आंकड़ों में समेटकर रख दिया। आज भी जनता देख रही है, यह पीछे जो चुनाव के छोटे-मोटे परिणाम हैं उनकी गलतफहमी में मत रह जाइयेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि चार साल में राजस्थान की सरकार ने हर क्षेत्र के अन्दर काम किया है।

आप किसी भी क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए, चाहे सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे शहरी विकास का क्षेत्र हो, चाहे गरीब आदमी को मदद करने का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र आप उठाकर देख लीजिए। चुनाव के समय जब लोगों के वोट डालने का वक्त आएगा तो उस वक्त देखेंगे कि उन लोगों ने आठ वर्षों में क्या किया। राजस्थान को क्या देकर गए, वह टूटी फूटी सड़कें जिनके ऊपर अगर जच्चा ट्रैक्टर या ट्राली में निकल जाए तो डिलीवरी हो जाए, बच्चा हो जाए, ऐसी सड़कें आप देकर गये थे। 600 करोड़ रुपये लगाकर राजस्थान के सड़क उन्नयन कार्यक्रम आज राजस्थान के गांवों में सड़कों का जो कार्यक्रम हो रहा है उसका संदेश समूचे राजस्थान में है। अगर चार साल बाद कोई आदमी राजस्थान आता है और सीधा जयपुर में आता है तो उसको रात के समय यह लगेगा कि मैं जयपुर नहीं आया, कहीं और चला गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को और पूर्व स्वायत्तशासन मंत्रीजी को, जो यहां बैठे हैं, दो-दो, जिनके कार्यकाल में एशियन डवलपमेंट बैंक से ऋण लेकर, एशियन डवलपमेंट बैंक के ऋण से पहले भी अपने खुद के संसाधनों से, जे.डी.ए. के संसाधनों से, यू.आई.टी. के संसाधनों से, आज जयपुर में आने वाले आदमी को यह लगता है कि कहीं वह पेरिस में तो नहीं आ गया। कहीं हैदराबाद में तो नहीं आ गया, कहीं बैंगलोर में तो नहीं आ गया, कहीं भूल से दिल्ली की सड़कों पर तो नहीं उतर गया। साफ चौड़ी सड़कें, इतना अच्छा फ्लाई ओवर, अच्छी लाइटिंग एक कोस्मोपोलीटन टाउन का नजारा जयपुर शहर देता है। यह राजस्थान का पढ़ा लिखा आदमी, सम्भ्रान्त आदमी जब आता है, चाहे देश से आए, विदेश से आए, उसको यह महसूस होता है कि राजस्थान की सरकार ने काम किया है।

आज गांव के अन्दर अगर कोई आदमी उतर कर आता है, मैं खुद के क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे बहुत शर्म आती थी और मैं बहुत दावे के साथ कहता था कि इन सड़कों के ऊपर पहले से विधायक और जनप्रतिनिधि गण क्या कर रहे थे। पहली बार जनता ने देखा कि उन टूटी-फूटी सड़कों पर जहां पहले थैकले लगते थे, चेपे लगते थे, पेच लगते थे, वह पूरी की पूरी सड़कें नवीनीकरण हुई हैं। लोगों के दिमाग में यह

(डा. करण सिंह यादव)

मैसेज है। उनको यह मालूम है कि इलाके की अधिकतर सड़कें, लगभग सवा सौ, डेढ़ सौ किलोमीटर रोड्स ऐसी होंगी जिनको पूरा फ्रैश पेवर रोड बनाया गया है, यह काम राजस्थान के आम आदमी के दिमाग में है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भी राजस्थान सरकार ने पहल करके उस योजना का लाभ सबसे पहले उठाया। राजस्थान में यह सड़क क्रान्ति हुई। जिस तरह विकास के कार्य राजस्थान में सड़क के क्षेत्र में हुए हैं वह मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के सामने सबसे बड़ा मैसेज है कि यह सरकार विकास करने वाली सरकार है। आप आठ सालों के अन्दर जो कुछ छोड़कर गए वह लोगों को याद रहेगा जिस दिन वोट की घड़ी आएगी, चुनाव की घड़ी आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सुबह सदन में चर्चा चल रही थी कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा सेमिनार क्यों की गई। मुझे उन माननीय सदस्य की सोच पर तरस आता है कि गरीब आदमी के लिए, विकलांग आदमी के लिए सामाजिक न्याय की कोई बात करें, वह उनको पसन्द नहीं है। इनके नेता हवाई जहाजों में घूमते रहे, पैसा बरबाद करते रहे। वह उनको पसन्द है। शायद उनके हेलीकाप्टर से एक दौरे में इतना पैसा खर्च हो जाता होगा जितना उस सेमिनार पर हुआ जहां देशभर के, 100-150 लोग, बहुत बड़े वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग उपस्थित हुए थे। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र में, इन लोगों के लिए जो काम किए हैं चार साल में, किसी भी सरकार के लिए गौरव का विषय हो सकता है।

सवाई मानसिंह अस्पताल में सारी उम्र डाक्टरी करते हुए, हृदय रोगों का इलाज करते हुए, मुझ जैसे आदमी के लिए सदा त्रासदी रहती थी कि कैसे गरीब आदमी को प्रेस्क्रिप्शन दूं कि आपका आपरेशन एक लाख में होगा, डेढ़ लाख में होगा, दो लाख में होगा, जमा करा दें। आज राजस्थान का गरीब आदमी अपना मेडिकेयर रिलीफ कार्ड लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल में या किसी भी अस्पताल में जाकर दिल का वाल्व बदलवा लेता है, गुर्दे का आपरेशन करवा लेता है। वह कभी सवाई मानसिंह अस्पताल और जयपुर की शक्ल तक नहीं देख सकता था। यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। पिछले साल में 10 करोड़ रुपये लागत के 2013 ऐसे रोगियों को लाभान्वित किया गया जिनके दिल के वाल्व बदले गये, जिनके बाई-पास आपरेशन हुए, जिनके कैंसर के आपरेशन हुए, जिनके गुर्दों का प्रत्यारोपण हुआ, जिनके पेस-मेकर लगे। ये वे लोग थे जो आपके समय में असहाय होते हुए, पुरानी सरकार के समय में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका इलाज हो सकता है। कैसे भूल जाएंगे, ये गरीब परिवार? दो हजार गरीब परिवार बी.पी.एल. के, जिनके आपरेशन हुए वे कैसे भूल जाएंगे इस सरकार के कामों को? और इसके अलावा मुख्य मंत्री

(डा. करण सिंह यादव)

सहायता कोष के माध्यम से जो 10 करोड़ रुपये खर्च करके लगभग 4 हजार आदमियों को आंशिक सहायता दी गयी, 20 प्रतिशत की सहायता दी गयी, मैं पहले भी सवाई मानसिंह अस्पताल में था, कितनी सहायता दी जाती थी? आज सवाई मानसिंह अस्पताल के हृदय रोग के डाक्टरों के ऊपर इस बात का दबाव है कि हृदय रोग विभाग में इतने ज्यादा मरीज आते हैं कि डाक्टर उनका आपरेशन कर नहीं पाते हैं, उनको इंतजार करना पड़ता है। और उसकी शिकायतें होती हैं कि डाक्टर हमें इंतजार करा रहा है। दरअसल ये वे गरीब लोग हैं जो पहले कभी सोच नहीं सकते थे। आज उनमें इतना आत्मविश्वास आया, आज उनमें कांफिडेंस आया, आज उनको मालूम है कि हमारी रक्षक हमारी सरकार है और हमारी सरकार हमारा आपरेशन करवाएगी। नि:शक्तजन, कोई पहली बार हुए हैं क्या राजस्थान में? डिसएबिलिटी कमिश्नर दामोदर थानवी से पहले क्या कोई डिसएबिलिटी कमिश्नर, डिसएबल्ड लोग थे नहीं क्या? कभी अखबार में पढ़ा, समाचार में कहीं नाम आता था 3 प्रतिशत का आरक्षण नौकरियों में सुनिश्चित ही नहीं किया, पाठ्यक्रमों में आप नहीं कर पाए, पुरानी सरकार बी.जे.पी. की नहीं कर पायी। सोच नहीं था इनका गरीब आदमियों के प्रति। अगर सोच होता तो जो काम हमने किया, मेडिकल कालेज में, इंजीनियरिंग कालेज में, पोलीटैक्निक कालेज में, आई.टी.आई. के अन्दर जो आरक्षण नि:शक्तजनों को दिया वह पूर्ववर्ती सरकार दे सकती थी और राजस्थान का नि:शक्त इस बात को जानता है। 10 हजार आपरेशन पोलियो करेक्शन के पिछले साल हुए हैं, 10 करोड़ रुपये की राशि उस पर आबंटित खर्च हुई है। पूववर्ती सरकार के समय में एक करोड़ रुपये की भी राशि अगर नि:शक्तजन पर खर्च हुई हो तो उसका ब्यौरा दे दें, माननीय सदस्यगण, जो बोले हैं उस पर। यह राजस्थान का गरीब आदमी जानता है।

मैं राज्य सरकार की नौकरी में रहता हुआ भी अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिये काम करता था। मैं उस पूववर्ती सरकार के सामने बारबार गुहार करता था कि यद्यपि मण्डल कमीशन तो यहां पर पूर्ववर्ती राज्यपाल महामहिम बलिरामजी भगत, राष्ट्रपति शासन के दौरान लागू किया था। नौकरियों में तो आरक्षण हो गया था लेकिन इन पिछड़ों को मेडिकल कालेज में, इंजीनियरिंग कालेज में, पोलीटैक्निक में, आई.टी.आई. में आयुर्वेद में, नर्सिंग में, फार्मेसी में, बी.एड. में, एम.एड. में, एम.एससी. में इनमें मौका दीजिए जिससे कि ये आगे बढ़कर आ सकें, नौकरियों के लायक हो सकें। उस पूर्ववर्ती सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। और तो और मजाक किया करते थे, ओ.बी.सी. का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेज नहीं कहकर, वह शब्द मैं यहां नहीं बोलना चाहता, उसका मजाक करके

(डा. करण सिंह यादव)

बोला करते थे। आज इस अशोक गहलोत की सरकार को धन्यवाद देना पड़ेगा जिसने राजस्थान में 21 प्रतिशत का आरक्षण मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में किया। आप नहीं कर सके। प्रतिपक्ष में जो बैठे हैं लोग-बाग 33 के आंकड़े में सिमट करके वह 33 में आप इसलिये रहे कि आप यह काम नहीं कर सके और हम वापस जीत करके इसलिये आएंगे कि यह सब काम जो आप नहीं कर सके वह काम हमने किये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नौकरी ही नहीं मिली तो जरूरत हीं कहां रही 21 प्रतिशत की?

श्री अमराराम (धोद) : आपके मंत्री केबिनेट के यह कहते हैं कि राजस्थान में कि इस आरक्षण के माध्यम से अयोग्य लोग आ रहे हैं और योग्य लोग पिछड़ रहे हैं। यह सरकार के मंत्री का बयान है।

डा. करण सिंह यादव : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : शैलेन्द्रजी जोशी ने, सरकार के मंत्री ने बयान दिया है कि यह रिजर्वेशन की व्यवस्था है...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा।

श्री अमराराम (धोद) : इससे अयोग्य आ रहे हैं और योग्य रह रहे हैं। सरकार की मंशा तो यह है।

श्री जीतमल खांट : यह हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान है, यह सही बात है।

श्री अमराराम (धोद) : आप सरकार से बाहर बैठे हुए लोगों की हो सकती है, समर्थन करने वालों की हो सकती है लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता यह है कि रिजर्वेशन के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं वह अयोग्य हैं और जो योग्य हैं वह पिछड़ रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : यह बिलकुल सही बात है। यह कहा है। यह हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने यह बयान दिया है।

डा. करण सिंह यादव : ऐसा है धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आरक्षण तो अब बहुत प्रिय सब्जैक्ट हो गया। मुझे ध्यान है 4 साल पहले जब सदन में मैं कभी आरक्षण के मुद्दे पर बात करता था तो मुझसे कई लोग कहते थे कि डाक्टर साहब, आपने क्या यह टण्डीरा मोल ले लिया, रिजर्वेशन ओ.बी.सी.। अब आरक्षण तो इतना पवित्र और पाक शब्द हो गया कि उसमें जितने भी सब लोग हैं जो बहुत ही सवर्ण जाति या जिनको हम बहुत ही ऊंची जातियां कह रहे हैं, वह सब भी अब आरक्षण के लिये दौड़ रहे हैं, चाहे वह मेरे ब्राह्मण भाई हों, चाहे हमारे राजपूत भाई हों। तो इसलिये आरक्षण के माध्यम से कोई

(डा. करण सिंह यादव)

ऐसा मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार में कोई ऐसा आदमी कहता हो, यह तो एक डिसएबल्ड को किसी कारण से जो पीछे रह गया...

श्री राजेन्द्र पारीक : डाक्टर साहब, यह तो वैतरणी है, वैतरणी। और हर आदमी चाहता है कि वैतरणी...(व्यवधान) और माननीय सदस्य भी उसके पक्षधर हैं। और अंदरुनी खाते में यह भी इस बात को समझते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कहने की बात अलग है माई डियर, हर आदमी जो भी दु:खी है, जो भी पिछड़ा हुआ है उसका स्वागत है। ब्राह्मणों में जो गरीब है उनका भी यह हक बनता है।

श्री अमराराम (धोद) : बी.जे.पी., कांग्रेस...पारीकजी, (व्यवधान) आप और बी.जे.पी. तो पार्टी छोड़ दी कि पार्टियों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। हम ब्राह्मण हैं। ये राजेन्द्रजी पारीक और भाभड़ा जी, और इधर बैठे हुए लोग जातीय मंचों पर जाकर यह कहते हैं कि पार्टियों से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। अब तो पार्टियां रहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो वैसे ही...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के सदस्य। और कांग्रेस के सिम्बल पर जीतकर आये हैं। आप लोगों की तरह से नहीं करते हैं। अपनी जाति के उसमें जा करके आप भी इस तरह की घोषणा करते हैं। इसलिये यह जाति की बात यहां करने की जरूरत नहीं है। जो भी आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण का हक है और उसको आरक्षण मिलना चाहिए। वह किसी भी जाति का हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, आपको तो उन्होंने डियर कह दिया। आप भी कुछ कहकर बंद करो ना बात को। आप को डियर कह दिया और क्या चाहिए आपको। बिराजो ना अब आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : इतना बढ़िया वक्तव्य आ रहा था, फिर कहां बीच में आपने यह अपना अड़ंगा डाल दिया।

श्री अमराराम (धोद) : यह कांग्रेस पार्टी के कहां रह गये, यह तो ब्राह्मणों के नेता हो गये। जातियों के सरदार हो गये, पार्टियों की तो कोई नीति नहीं रही। अब जातियों के सम्मेलन से हम समाज को और राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं और उस दौड़ में दोनों पार्टियों के एक साथ मिले हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। आप भी शामिल हो गये।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान की जनता को बचाने के लिये, गरीब की मदद के लिये एक जगह आने के लिये तैयार नहीं हैं लेकिन जाति के उत्थान के लिये एक जगह जाने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप भी यह घोषणा करिये कि आप इस जाति के नहीं हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मैं पार्टी का हूं, मैं पार्टी का हूं, पार्टी की नीति रखने के लिये आया हूं, पार्टी की नीति के अनुसार काम करता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, यह इस देश का दुर्भाग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय पारीक साहब, बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : और मुझे भी कहते हुए संकोच नहीं है यह इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि आज हम जातियों में विभक्त हो गये। इस मुल्क के नहीं रहे और हम जो इण्डियन लिखते हैं तो मात्र इसलिये लिखते हैं कि हमें नौकरी का लालच है। वरना आप और हम...मुझे इस बात का संकोच नहीं है हम जातियों के होकर रह गये। यह शर्मनाक स्थिति है और आप भी उसके प्रबल पक्षधर हैं। आप कहिये कि आप नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये। यह बहस राज्यपाल महोदय के...,बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : कह ही रहा हूं। मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आया हूं यहां कोई जाति के रूप में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं भी कांग्रेस के विधायक के रूप में आया हूं। कांग्रेस का सदस्य हूं। और कांग्रेस की आइडियोलाजी में विश्वास रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : और पार्टी के रूप से बात करता हूं। लेकिन आप लोग लोगों को धोखा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, आप बिराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। बिराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, अमरारामजी, पारीक साहब, बिराजिये। राजेन्द्रजी पारीक, सिड डाउन प्लीज। माननीय सदस्य, यह बहस राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही है, आरक्षण पर थोड़े ही हो रही है।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण को प्रिय, पवित्र और पावन शब्द बनाया है अशोक गहलोत

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. करण सिंह यादव)

सरकार ने। लोगों को लगा कि आरक्षण के माध्यम से पिछड़े हुए लोगों को अपोर्च्युनिटी मिल सकती है और यह सरकार इस बात के लिये प्रतिबद्ध है। मुझे बहुत खुशी है जब हमारी सरकार यह कहती है कि 10 प्रतिशत आरक्षण अन्य वर्गों के जो सो.काल्ड अपर क्लासेज के पिछड़े हुए लोगों को, उनके गरीब लोगों को, आर्थिक दृष्टि से पीछे रहने वाले लोगों को भी आरक्षण की सुविधा दी जाए। यह बात हमारी सरकार हमारी पार्टी करती है। पहल करे तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे जिसके पास केन्द्र के अन्दर सत्ता है, वह ऐसा ले करके आए, वहां पर पास करवाए कि आर्थिक आधार के ऊपर उनको आरक्षण दिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी तो आंर्थिक आधार पर आरक्षण की सदैव पक्षधर रही है लेकिन यहां सिर्फ जबान की बात करते हैं। उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव आरक्षण का विरोध किया। देश में आग लगायी और चुनाव जीतने के लिये सीकर की सभा में आ करके एक मिनट में आरक्षण की घोषणा करके गये। हमारे बराबर के भाई थे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर वे वाकई में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो यह बात दिल्ली से आएगी। दिल्ली बोले इस बात को कि 10 प्रतिशत इन वर्गों को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, वैश्य को, जो इन वर्गों के निर्धन हैं, इकोनोमिक बैंकवर्ड हैं, डिप्राइव्ड क्लासेज हैं, उनको आरक्षण मिले। यह प्रावधान ऊपर से करना होगा। लेकिन उन लोगों का सोच नहीं है। यह काम हम करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय डाक्टर साहब, जो सीकर में घोषणा हुई उसके बारे में क्या आप प्रसन्नता व्यक्त करते हो?

डा. करण सिंह यादव : मैं अच्छी कर रहा हूं, मैं उसमें प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं और मैं यह कह रहा हूं कि 10 प्रतिशत आरक्षण, उसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, यह दूसरा सब्जैक्ट लीजिए। इसको बन्द करिये आप।

डा. करण सिंह यादव : मैं बन्द कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 10 प्रतिशत आरक्षण इकोनोमिकली अन्य जो डिप्राइव्ड क्लासेस हों, आरक्षण की जो बात है, वह भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली की गद्दी पर कांग्रेस बैठेगी तब हम करेंगे इस काम को। वे नहीं कर सकते क्योंकि यह लोग कभी गरीबों और उन लोगों के पक्षधर नहीं रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 10 प्रतिशत आरक्षण तब मिलेगा जब दिल्ली की सरकार को आप बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने वर्ष दिल्ली में शासन किया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पचास वर्षों तक आपने शासन किया। और आप में अगर हिम्मत है और डाक्टर साहब आपका प्रभाव है अपनी सरकार पर, तो बैकवर्ड कमीशन बना हुआ है यह राजस्थान का, उसमें पारित करवाओ न। आपके पास रिपोर्ट पड़ी है। (व्यवधान) आपके पास बैकवर्ड कमीशन का 11वां और 12वां प्रतिवेदन पड़ा है। उसमें साफ लिखा पड़ा है, करो न हिम्मत आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब। माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : मण्डल कमीशन की रिपोर्ट भी कांग्रेस के वक्त में लागू नहीं हुई। यह भी वी.पी.सिंह साहब के टाइम, संयुक्त मोर्चे की सरकार थी उस समय लागू हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट कब आई और लागू कांग्रेस की सरकार रहते हुए दो तिहाई बहुमत होते हुए भी लागू नहीं किया।

(13.43 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री जीतमल खांट : देश का प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह था जिसने, वी.पी. सिंह ने पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर अपनी कुर्सी को त्याग कर भी मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया है। डाक्टर साहब, इसको तो वी.पी. सिंहजी ने कुर्सी को लात मारकर पूरे हिन्दुस्तान के गरीबों और पिछड़ों की हिमायत की और उन्होंने हक दिलाने का काम किया है, इसलिए सबको वी.पी. सिंह साहब की जय बोलनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप वी.पी. सिंहजी के लिए दो शब्द बोल दो।

डा. करण सिंह यादव : माननीय सदस्य, माननीय डाक्टर साहब, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के लिए दो शब्द बोलूंगा जिन्होंने नर्सेज के लिए और फार्मेसी के अन्दर आरक्षण लागू किया था। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय डाक्टर साहब और माननीय सदस्यगण से यह निवेदन है कि इस कंट्रोवर्शियल पाइंट को छोड़कर और अभिभाषण पर आप आइये। आप बिराजिये।

डा. करण सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, यह तो अपने मन की पीड़ा कहते हैं कि इस सरकार में बैठे लोग तो +++ हैं, वे तो उनकी सुनते नहीं हैं। सदन के माध्यम से कोई मन की पीड़ा कहते हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं डाक्टर साहब आपको फिर से सलाह दे रहा हूं कि आप एक ख्यातिनाम चिकित्सक रहे हो और अब भी मौका है कि अभी इस दल को जो दलदल में जा रहा है और दीवार पर लिखा है कि आठ महीने पश्चात् इन लोगों को आगे नेस्तनाबूद हो जाएंगे, इधर आ जाओ, फिर आप पर विचार किया जा सकता है। फिर अपन बैठकर सामाजिक समरसता की बात करेंगे।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तब सामाजिक न्याय पर अपन बैठकर विचार करेंगे।

श्री सभापति : आप बिराजिये, यह डाक्टर हैं।

डा. करण सिंह यादव : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को मैं सभापति महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर दलदल में जा रहे होते तो यह माननीय सदस्य जो राजगढ़ से आये हैं, नदबई से आये हैं और हमारे नगर से आये हैं, वे कांग्रेस को आकर जोइन नहीं करते। उनको कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास था, कांग्रेस के भविष्य पर विश्वास है इसलिए वे कांग्रेस में आये हैं।

डा. महेश जोशी : और माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब, आपके लिए वसुंधरा एक्सप्रेस में कोई जगह नहीं है। (व्यवधान) आपके लिए वहां पर कोई जगह नहीं है, आपके लिए यही जगह है।

श्री अमराराम (धोद) : कई व्यक्तियों को कराया था इन्होंने तो...(व्यवधान) एक नहीं, ऐसे माननीय सदस्य, निर्दलीय थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जोइन किया था। आपने तो चार को ही करवाया है, इन्होंने तो 15 को करवाया था और वही हालत आपकी होनी है जो इनकी हुई थी, उससे बुरी होने वाली है।

श्री सभापति : माननीय सी.पी.एम. सदस्य साहब, बहुत बोल चुके हैं, अब आगे चलने दीजिए। आगे चलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह बात क्यों कह रहे हैं?

श्री सभापति : अब चलने दीजिए, ठीक है।

डा. करण सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, वह हालत हमारी इसलिए नहीं होगी कि राजस्थान की जनता उस काम को जानती है। किसने किये वृद्धों की पेंशन को बढ़ाकर 100 रुपये से 200 रुपये? किसने की यह विधवाओं की पेंशन 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये? माननीय, आप जब बानसूर की बात कह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप और राठौड़ साहब ने मिलकर वैतरणी पार कर ली। अबकी बार जब वे अकेले तेरेंगे तो जब पता चलेगा उनको। यह ठीक है कि

(डा. करण सिंह यादव)

आप तीनों मिलकर, जब आप खुद अपनी लड़ाई में मशगूल होंगे तब डाक्टर साहब को पता चलेगा कि बानसूर कैसे पार होगा। कोई मामूली सा, कोई हजार-पांच सौ का आंकड़ा रह गया था।

श्री सभापति : ठीक है।

डा. करण सिंह यादव : और किसने बढ़ाई यह विकलांगों की पेंशन, 125 रुपये से 200 रुपये? किसने वृद्ध दम्पत्तियों के 150 से 200, 300 रुपये पेंशन बढ़ाई है? किसने राज्य सरकार में आरक्षित पदों को भरने का संकल्प लिया है? किसने बैकलाग को कम्प्लीट करने का संकल्प लिया है? यह सारी बातें राजस्थान का गरीब आदमी, अनुसूचित जाति का आदमी, पिछड़ा आदमी जानता है। आप राजस्थान के अन्दर 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत आरक्षण देते थे, शिक्षण संस्थाओं में, मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज के अन्दर जो पूर्ववर्ती सरकार थी। अब यह राजस्थान में आबादी के हिसाब से 12 प्रतिशत और 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात थी, उस सरकार के सामने सैकड़ों बार प्रतिवेदन दिये गये लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। यह हमारी वर्तमान सरकार थी जिसने आज इस आरक्षण को पूरा किया। यह बात, यह मैसेज भी सारी अनुसूचित जाति और जनजाति के अन्दर आज मौजूद है और वे लोग देखेंगे कि राजस्थान में सत्ता में वापस लौटकर कौन आदमी आता है।

माननीय सभापति महोदय, आज किसी भी क्षेत्र को देखें, चाहे शिक्षा का सार्वजनीकरण का मामला हो, 24 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं, इन चार सालों में जितने अधिक स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, 24500...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 21 हजार हैं।

डा. करण सिंह यादव : चलिए, 21,000 माने तो भी अपने 21,000 में 10 लाख विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है। आज बहुत कम संख्या के अन्दर, राजस्थान में गांव-गांव में घर-घर जाकर इस सरकार ने देखा कि कोई बच्चा घर पर तो नहीं बैठा है। अध्यापक लोग लेकर, गांव के जन-प्रतिनिधियों के साथ उनको स्कूल लेकर आये और आज राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। इस सरकार का प्रयास है कि यहां पर अधिक से अधिक स्कूल खोलें। पिछले साल एक हजार स्कूलों को मिडल स्कूल में कन्वर्ट किया गया। 450-500 स्कूलों को लगभग सैकण्डरी स्कूल बनाया गया और 384 स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी और साथ में निजी क्षेत्र के अन्दर लगभग 1200 स्कूलों को सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया, यह सरकार की उपलब्धियां हैं। जिनको, जिस गांव में स्कूल खुल जाता है, सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पूरा का पूरा गांव नाचता है, खुश

(डा. करण सिंह यादव)

होता है, प्रसन्न होता है। और इस बात की उम्मीद करता है, उस दिन का इन्तजार करता है कि किस तरह से इस सरकार के एहसान का, इस विधायक के एहसान का बदला चुकायें। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, और जो नई नीतियां आपने, इस सरकार ने स्व-वित्त पोषित, सैल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस, आज आप कहीं भी चाहें, अपनी स्कूल में विज्ञान संकाय खुलवाना चाहें तो जन सहयोग के आधार पर खुलवाइये। आप कालेज के अन्दर पोस्टग्रेजुएट खुलवाना चाहें और कालेज के अन्दर नये संकाय खुलवाना चाहें तो आप सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से खुलवाइये। बहुत थोड़ा-सा खर्चा विद्यार्थी का, थोड़ा सा जन-सहयोग, थोड़ा-सी विधायक कोष की राशि, इन सबसे मिलकर आज राजस्थान में नये सब्जैक्ट खुल रहे हैं। नये विषय खुल रहे हैं। नये संकाय खुल रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, छह विश्वविद्यालय होते थे, आज 12 विश्वविद्यालय हैं। हर स्पेशलिटी का, संस्कृत का, आयुर्वेद का, विधि विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, बीकानेर यूनिवर्सिटी, यह सब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है।

मुझे इस बात का दु:ख है कि आपके दिमाग में, मेरे विपक्षी साथियों के दिमाग में यह बात आती है कि यह काम हम नहीं कर पाये। वह समय निकल गया। अब यह काम करने का कभी समय नहीं आ पायेगा। यह समय उनको मिलेगा जो काम करके लोगों के बीच में दिखाते हैं। बिजली के क्षेत्र में बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कहिये, आपका दिल जानता है कि जो 1200 मेगावाट यूनिट बिजली का उत्पादन पिछले चार सालों में हुआ उसकी प्रधानमंत्री और प्रभु साहब, जो आज गर्वनमैंट में नहीं हैं, वे खुले मन से प्रशंसा करके गये थे और देश के जितने भी अखबार इकानेमिक टाइम्स जो हैं, वे सब कहते हैं कि राजस्थान ने एक बहुत बड़ा जम्प लिया है बिजली के उत्पादन में और साल के अन्त तक जब हम करीब 1700 या 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर लेंगे, जो पिछले पचास साल के...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक साथ जम्प लिया है नीचे की तरफ आपने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज का अखबार कह रहा है कि डेढ गुणी बिजली हो जाएगी, क्या करेंगे? केवल हम उत्पादन का डेढ गुणी हो जाएगी टैरिफ तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : अखबार की बात, अखबार को रहने दीजिए। बोलने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डेढ़ गुणी हो जाएगी, आज ही आया है, क्या करेंगे हम?

डा. करण सिंह यादव : और राजस्थान सरकार ने इन सालों में और खास तौर से इस वर्ष छह घंटे लगातार बिजली देकर किसानों के दिल को जीता है। मिनिमम चार्जेज खतम करके किसानों के दिल को

(डा. करण सिंह यादव)

जीता है। शिफ्टिंग चार्जेज खतम करके किसानों के दिल को जीता है। आज कनेक्शन प्रायोरिटी को बी.आर. के बावजूद लगाने की गारंटी देकर किसानों के दिल को जीता है। और शाम को छह से दस बजे तक बिजली देकर किसानों के दिल को जीता है। मैं सही कह रहा हूं, आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर देखिये कि पहले जब क्षेत्रों में जाते थे, आज कोई किसान बिजली की बात नहीं करता। आज बिजली से किसान संतुष्ट है। आप लोगों को छोड़कर, इन 32 व्यक्तियों को छोड़कर राजस्थान में आज कोई किसान, बिजली को लेकर कोई आन्दोलन नहीं हो रहा है। यह सारी बातें, यह सारा मैसेज राजस्थान की जनता के सामने है। राजस्थान ने जो प्रयास किये हैं, राजस्थान का आम आदमी, जो गरीब आदमी है, ईमानदार है वह इस बात को जानता है कि कौन उनके लिये जीता है, कौन उनके लिये मरता है। कौन उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखता है। कौन उनके लिये बिजली ला रहा है, कौन उनके लिये पानी ला रहा है। कौन उनको विकास के माध्यम से लेकर जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : आप चिकित्सा मंत्री होने चाहिये थे, करण सिंह जी। डाक्टर साहब को चिकित्सा मंत्री होना चाहिये था। हम इनको चिकित्सा मंत्री देखना चाहते थे लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि इतने योग्य व्यक्ति के साथ इतनी ज्यादती की इस सरकार ने, कि हमें कष्ट हो रहा है।

डा. करण सिंह यादव : आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। आने वाली विधान सभा में जनता की कृपा से जीतकर आऊंगा और मेरी पार्टी जीतकर आयेगी तब आपकी मनोभावनाएं पूरी होंगी, मैं ऐसा समझता हूं।

श्री मदन दिलावर : यह तो मुंगेरी लाल के सपने हैं।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं अधिक न कहकर महामहिम राज्यपाल महोदय ने राजस्थान में जो प्रशासन है, उसकी चुस्ती की बात कही है। अब गांव-गांव में इस बात का संदेश है, अब वह बात नहीं रही कि डाक्टर अपनी डिस्पेंसरी में नहीं है, नर्स नहीं है, कम्पाउण्डर नहीं है। टीचर कभी आते हैं या नहीं आते हैं। गांव के प्रशासन को वहां की समितियों को, स्थाई समिति को इतना उत्तरदायी बनाया है कि आज गांव में उसकी हाजिरी होती है। सरपंच उसकी हाजिरी लेता है। इस बात का मैसेज आम आदमी के पास पहुंचा है। प्रशासन गांवों के संग के माध्यम से आम गरीब आदमी की मदद हुई है। उनके झगड़ों का, उनके आक्षेपों का, उनकी समस्याओं का निस्तारण हुआ है। यह सारे संदेश राजस्थान में हैं। राजस्थान की जनता शांति में जीना चाहती है। राजस्थान के अन्दर गुजरात और गोधरा के बाद में कई तरह के प्रयास हुए।

(डा. करण सिंह यादव)

यहां पर अशांति करने के प्रयास हुए। केन्द्र में बैठी हुई सरकार और साम्प्रदायिक पार्टियां इस बात की कोशिश में हैं कि हम राजस्थान में ऐसा कोई वातावरण बनायें। लेकिन राजस्थान का शांतिप्रिय नागरिक राजस्थान सरकार की अभिशंसा को, राजस्थान सरकार की मंशा को जानता है, उसके साथ है। छिटपुट घटनाओं के बावजूद हमारा प्रशासन उन पर सख्ती से काबू कर पाया और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान पूरे प्रदेश में शांति बनाये हुये है और इसी शांति को बनाये रखते हुये आने वाले साल में और विकास के कार्य करेंगे। उन विकास के कार्यों को महामहिम ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया। राजस्थान की सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इसी कामना के साथ कि यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, वह राज्यपाल जी के इस अभिभाषण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर सफल साबित हुई है। इस बात पर संवैधानिक पद पर आसीन आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण देकर राजस्थान की गहलोत सरकार की उपलब्धियों पर जो मोहर लगायी है, इसके लिये मैं हृदय की गहराइयों से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, सम्मानीय महामहिम ने अपनी अन्तरात्मा से और अपने श्रीमुख से गहलोत सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो अविरल विकास गाथा है जो चहुंमुखी विकास किये, जो सर्वांगीण विकास किये, उनका जो बखान किया, हृदय से उनके प्रति मैं फिर आभार प्रकट करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार ने जनहित में 300 से अधिक कल्याणकारी फैसले करके विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाया है। इस बात का बखान आदरणीय महामहिम जी ने किया है। सभापति महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार ने कमजोर तबकों, अनुसूचित जाति व जनजाति के, गरीब, निर्धन, असहाय व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया। राजस्थान में चाहे अकाल हो, किसी भी प्रकार की विपदा हो, हर संकट के समय उन गरीबों के साथ, संवेदनशील रूप से और जवाबदेह रूप से पीड़ित व्यक्ति के सामने हर प्रकार की सहायता मुहैया करायी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पूरे राजस्थान के तमाम पीड़ित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई। सभापति महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार ने सभी वर्गों को मूलभूत सुविधाएं दी हैं और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिये हर प्रकार से संरक्षण प्रदान किया है।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

सभापति महोदय, सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने की है लेकिन जब कोई भी आदमी राजस्थान की धरती पर जब सृष्टि के माध्यम से जन्म लेता है तो उस बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी तक तमाम प्रकार की सामाजिक सुरक्षा राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदान करती है। जब बच्चा राजस्थान की इस धरती पर जब जन्म लेता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, अशोकजी गहलोत ब्रह्मा जी से बड़े हो गये, सीधा यह कहना चाहते हो? सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर यह रहस्योद्घाटन हुआ है। सभापति महोदय, हम उन ब्रह्मा जी की पूजा किया करते थे, आज मालूम पड़ा सिंगारिया साहब अशोक जी गहलोत को ब्रह्मा जी मानते हैं।

श्री देवीलाल बैरवा : ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बनायी। यह तो सृष्टि की बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये आप तो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी वास्तव में लोक देवता हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह नये लोक देवता कहां पैदा हो गये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह रहस्योद्घाटन हो रहा है ब्रह्मा जी का, लोक देवता के रूप में हमारे मुख्य मंत्री जी...(व्यवधान) यह पहली बार मालूम पड़ा।

श्री मदन दिलावर : लगता है रामदेवजी महाराज, तेजाजी महाराज जैसे हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब इन लोक देवता का नाम भी बता दो। इनका मन्दिर कहां है? किस भू-माफिया के यहां इनका मन्दिर है? इन लोक देवता का मन्दिर कहां है?

श्री मदन दिलावर : लोक देवता जी की पूजा कैसे की जाये?

श्री सभापति : राठौड़ साहब, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें पूजा-अर्चना का तरीका भी बतायें इन लोक देवता का।

श्री सभापति : सुनिये राठौड़ साहब, यह गहन विषय है, मनन करने योग्य है। आप बोलने दीजिये। यह बहुत गहन विषय है, इसका मनन कीजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह स्तुति हो रही है?

श्री धर्मपाल चौधरी : यह स्तुति हो रही है या अभिभाषण पर बहस हो रही है? यह अभिभाषण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अभिभाषण है। लोक देवता हैं। ब्रह्मा हैं लोक देवता।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, कल तो यह आप बना रहे थे जनता के कि हम माई-बाप हैं और अभी ब्रह्मा बन गये। अभी लोक देवता बन गये। कल क्या बनोगे?

श्री सभापति : आप विराज जाओ। (व्यवधान) सब बता देंगे, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, एक बड़ी अटैची, उसमें कई तरह के नोट, उनसे खुश होते हैं, उससे ही खुश होते हैं यह लोक देवता।

श्री सभापति : दे देंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आप किस विधि से शांत रह सकते हैं, जरा वह विधि हमें बता दें। हम आपकी पूजा-अर्चना कर लें।

श्री मदन दिलावर : लोक देवताओं के ++++ थोड़ी विधि तो बता दीजिये लोक देवता की कैसे पूजा करूं।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : राठौड़ साहब, आपकी भारत सरकार ने सोना बेच दिया, एल्युमिनियम बेच दिया, पैट्रोल पम्प बेच रहे हैं। यह काम तो आपके होते हैं, बेचा-बेची के काम हमारे नहीं होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पण्डित जी, आप भी मानते हो क्या कि आपके अशोक गहलोत लोक देवता हैं, ब्रह्मा का अवतार हैं, आप मान रहे हो क्या? आप भी कह दीजिये वहां से। कह दीजिये न।

श्री आर. पी. शर्मा : अपनी अपनी भावनाएं हैं। वह अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। राठौड़ साहब, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। आप तो मदन दिलावर जी को क्या मानते हो, हमें मालूम है।

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना की और अशोक जी गहलोत राजस्थान में गरीबों की सेवा कर रहे हैं, यह कहा है इन्होंने तो।

श्री सभापति : विराजिये आप। चालू रखिये अपना भाषण।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, इस धरती पर जब बच्चा सृष्टि के माध्यम से जन्म लेता है तो उसकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान की गहलोत सरकार ने ली है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पल्स पोलियो की दवाई पिलाने का काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है। उसके स्वस्थ शरीर का निर्माण करने के लिये, उसको पौष्टिक आहार देने के लिये विटामिन ए की खुराक उसको पिलाई गई है। सभापति महोदय, उस बच्चे का शरीर स्वस्थ्य बने, उसको पौष्टिक आहर मिले तो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान की गहलोत सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पहल करके हर गांव

++++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

और मजरे और ढाणियों के अन्दर जो स्कूलें हैं- पहली से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिये घूघरी का वितरण किया गया है। लाप्सी का वितरण किया गया ताकि गरीब का बच्चा अपनी स्कूल में जा करके, पढ़-लिख कर और उस पोष्टिक आहार का सेवन करके अपने शरीर को सुगठित बना सके। यह राजस्थान की गहलोत सरकार ने बच्चों के प्रति सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, जिन गांव मज़रों और ढाणियों के अन्दर, पंचायत हैडक्वार्टर पर या प्राथमिक स्कूल जाने में जो बच्चे वंचित थे, उन गरीब तबके के बच्चों के लिए गांव, मजरे और ढाणियों के अन्दर 40 बच्चों के ऊपर वहीं का मास्टर लगा कर उन बच्चों के अन्दर शिक्षा का अलख जगाने के लिए पूरे राजस्थान के अन्दर 28 हजार से ज्यादा राजीव गांधी पाठशालाएं खोल कर साक्षर बनाने का बीड़ा राजस्थान की गहलोत सरकार ने उठाया है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं शिक्षा का दर्पण योजना चलायी गयी इसके माध्यम से जो बच्चे स्कूल के नामांकन से वंचित रह गये थे उनका मूल्यांकन का काम भी शिक्षा दर्पण योजना के माध्यम से किया गया। शिक्षा आपके द्वार योजना के माध्यम जो बच्चे फिर स्कूल जाने से वंचित रह गये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जब एक वक्ता बोल रहा हो, आसन और उस वक्ता के बीच में से निकलने की परम्परा अपने यहां पर नहीं है। आप तो बहुत समझदार हैं।

एक माननीय सदस्य : फटकार लगाओ।

श्री सभापति : नहीं, फटकार तो कुछ नहीं है, मैं इनको याद दिला रहा हूं कि यह परम्परा अपने यहां नहीं है। इसलिए जो माननीय सदस्य बोल रहा है उसके और आसन के बीच में नहीं निकलें। इस परम्परा को निभाएं।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री)**:** सभापति महोदय, यह परम्परा अपने यहां ही नहीं...(व्यवधान) वहां यही परम्परा लागू है जो श्रीमान् फरमा रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) **:** परम्परा यह भी है कि अपनी सीट से बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी : सीट पर जाता तब तक गाड़ी छूट जाती।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने शिक्षा आपके द्वार के माध्यम से जो बच्चे स्कूल से वंचित रह गये थे उनको स्कूलों से जोड़ करके साक्षरता से और शिक्षा से जोड़ने का काम किया है।

इतना ही नहीं, एक अनुठी शिक्षा मैत्री योजना चलायी। जो गरीब का बच्चा अपने खेत पर काम करने जाता है और दो जून

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

की रोटी कमाने के लिए जाता है लेकिन शिक्षा के समय पर वह स्कूल में नहीं जा पाता। उसके लिए शिक्षा मैत्री योजना का गठन किया गया है ताकि सायं 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चाहे वह शिक्षा आंगनबाड़ी केन्द्र के अन्दर पढ़ना चाहे, चाहे अपने गांव की हताई पर बैठ कर पढ़ना चाहे, चाहे वहां के सामुदायिक भवन में बैठ कर पढ़ना चाहे, 20 बच्चों के ऊपर शिक्षा मैत्री योजना का गठन किया गया और हजार रुपये वहीं के गांव के मास्टर को देने की अनुठी योजना चलायी ताकि कोई भी बच्चे से लेकर अधेड़ उम्र का गरीब तबके का आदी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इतना महत्वपूर्ण कार्य राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, आपको तो पता ही है कि जो तत्कालीन सरकारें थीं, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को गिरवी रख रखा था, एक बनिये की दुकान खोल रखी थी कि लाओ तीन लाख रुपये तो प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल खुलवा देवें। लाओ 5 लाख रुपये, आपके उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल खुलवा दें। लाओ 7 लाख रुपये, आपके माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक के अन्दर क्रमोन्नत करवा देवें। इस प्रकार के तत्कालीन सरकारों के कारनामें आपसे छिपे हुए नहीं हैं। लेकिन राजस्थान की वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए निःशुल्क राजस्थान में हजारों की तादाद में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में जितनी स्कूलें क्रमोन्नत करी हैं वह सारी की सारी स्कूलें निशुल्क क्रमोन्नत करी हैं। यह राजस्थान की गहलोत सरकार का पूरे हिन्दूस्तान के अन्दर एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जहां हम रोजगार की बात करते हैं, हम लोगों ने पैराटीचर्स को जिनको आरक्षण के माध्यम से नौकरी दी है उनमें से 10 हजार लोगों को स्थायी रूप से नियुक्तियां प्रदान की दी हैं। सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। इतना ही नहीं, प्रत्येक पंचायत पर मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत...

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, कोटा में इतना बड़ा धरना है, मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : पैराटीचर्स नौकरी मांग रहे हैं। इतना बड़ा धरना है। मेरी सरकार से मांग है कोटा जिले में जो इतना बड़ा आन्दोलन हो रहा है, उनकी बात सुनें, पैराटीचर्स को नियमित करें और उनके नियमित करने के नियम बनाएं। जल्दी करें।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : वहां रोज आन्दोलन हो रहा है। आज मैं इंफोर्मेशन दे रहा हूं, श्रीमान्।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : इतना ही नहीं, प्रत्येक पंचायत के अन्दर मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 20-20 दुकानें बनायी गयी हैं और अगर हम पूरे राजस्थान में इसका आकलन करें तो कम से कम दो लाख बेरोजगारों को स्वरोजगार मिला है उन दुकानों के माध्यम से। चाहे शहरों के अन्दर लीजिये गुमटियां बन रही हैं, कियोस्क बने हुए हैं उसके अन्दर गरीब जो शिक्षित बेरोजगार थे उनको राजस्थान की गहलोत सरकार ने रोजगार मुहैया कराया है। मैं समझता हूं इन गुमटियों और कियोस्क के माध्यम से अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर जो 20-20 दुकानें बनी हैं उनके माध्यम से लाखों लोगों को सरकार ने स्वरोजगार प्रदान किया है।

सभापति महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और आरक्षण की बात रखी। पी.ई.टी. और पी.एम.टी. में पुराना आरक्षण चला आ रहा था, 6 प्रतिशत से बढ़ाकर जो 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का आरक्षण राजस्थान की गहलोत सरकार की देन रही है। अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात है, पी.एम.टी. और पी.ई.टी. के अन्दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया है, यह भी गहलोत सरकार की देन है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्रवृत्ति 350 रुपये से बढ़ाकर के 675 रुपये की गयी है। एक महत्वपूर्ण योगदान राजस्थान के गरीब तबकों के लिए सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, हम जहां जाति के आरक्षण की बात करते हैं, आज राजस्थान के अन्दर ओ.बी.सी. का आरक्षण दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका गहलोत सरकार ने निभायी है, चाहे वह जाट समाज हो, चाहे जायसवाल समाज हो, चाहे रंगरेज समाज हो। बीसियों जातियों को आरक्षण गहलोत सरकार ने दिया है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो पंचायतों के चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए तब ओ.बी.सी. की उनमें भागीदारी दी। यह राजस्थान की गहलोत सरकार की देन है।

श्री मदन दिलावर : सागवाड़ा, बानसूर और बाली के नतीजे इसलिये इनके पक्ष में आये हैं। यदि यह इतने कारनामे नहीं करते जनता के पक्ष में तो ऐसा सम्भव थोड़ी था।

श्री सभापति : यह माननीय उपाध्यक्ष की सीट है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, यह न तो अपने स्थान से बोल रहे हैं और जब भी कोई बोले तो खड़े होकर इनको उसे टोकना जरूरी है, लाजिमी है। इनकी आदत पड़ गयी। दस बार आसन इनको प्रताड़ना दे चुका लेकिन इनके समझ के बाहर है। दलित वर्ग का व्यक्ति बोल रहा है कम से कम तब तो कुछ ख्याल रख लिया करो। मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से आपको एलर्जी है, एक दलित बोल रहा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

है, उसका तो कम से कम खयाल रख लो। आपकी तो आदत पड़ गयी, इस आदत का इलाज आसन ही कर सकता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राज्यपाल महोदय से कुछ भी बुलाएं अभिभाषण में लेकिन आइना दिखा दिया आइना।

श्री सभापति : अब बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : कैसा लग रहा है, +++ इस सरकार को दिखा दिया है।

श्री सभापति : आप बैठेंगे कि नहीं, यह बताओ न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, आप बोल गये कि मुसलमानों से हम को घृणा है, हम कोई घृणा नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं पर वो कसाईपने का काम नहीं करें, इतना ही हम कह रहे हैं।

श्री सभापति : अब बिराज जाओ आप।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, जो संवैधानिक पद पर बिराजमान हो, महामहिमजी कभी भी कोई +++ बात का अभिभाषण नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री मदन दिलावर : सम्मान करते हैं। अशफाक उल्लाखां की पूजा करते हैं, अब्दुल हमीद हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब।

श्री मदन दिलावर : आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय आहूजाजी, हम यों करते हैं यह यों करते हैं।

श्री मदन दिलावर : हम तो राष्ट्र विरोधी मुसलमानों के खिलाफ हैं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब।

श्री मदन दिलावर : अब्दुल कलाम हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति हैं, हम अशफाक उल्ला खां की पूजा करते हैं, अब्दुल हमीद से प्रेरणा लेते हैं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, अब व्यवधान करना बन्द करते हैं कि नहीं? यह बताओ मुझे आप। वरना वो ही बात कल वाली है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान के लोकप्रिय आदरणीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में, प्रत्येक आदमी के प्राण पखेरू की समय सीमा ऊपर वाला तय करता है लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने चयनित परिवार के लिए जीवन रक्षा की गारंटी दी है। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर गहलोत सरकार पहली सरकार है जिसने जीवन रक्षा की गारंटी दी है, जिसने चयनित परिवार के लिए 23 लाख मेडिकेयर रिलीफ कार्ड बांटे हैं। कोई भी चयनित परिवार का आदमी

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

असाध्य रोग से पीड़ित हो, चाहे उसके गुर्दे का प्रत्यारोपण करना हो, चाहे हृदय का वाल्व बदलना हो, चाहे उसकी बाईपास सर्जरी करानी हो, चाहे टीबी का रोग हो, चाहे वो कैंसर का रोगी हो, चाहे 10 हजार लगे, 20 हजार लगें चाहे एक लाख रुपये लगें, राजस्थान की गहलोत सरकार ने पहली बार मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से उसकी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था का इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है जो मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। ऐसा हिन्दुस्तान के किसी अन्य प्रांत के अन्दर नहीं है।

साथ ही साथ जो चयनित परिवार की परिभाषा में नहीं आता, निर्धन परिवार का व्यक्ति है यदि उसकी आय 24 हजार रुपये सालाना हो तो उस व्यक्ति को राजस्थान के मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से 40 परसेंट की राशि उसने अपने इलाज के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार मुहैया करवाती है। यह भी महत्वपूर्ण कदम राजस्थान की गहलोत सरकार का उस गरीब के हित में है।

श्री सभापति : अब आप बिराज जाओ।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : इतना ही नहीं, सभापति महोदय, राजीव गांधी मिशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की, राजस्थान की गहलोत सरकार ने हर प्रकार से, गांव के अन्तिम छोर पर बैठे हुए उस किसान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करायी है। अगर आज किसी किसान व्यक्ति की खेत में काम करते हुए या पुळी काटते वक्त एक अंगुली कट जाती है तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 1500 रुपये मुआवजा देती है और अगर उस किसान व्यक्ति की दो अंगुली कट जावे तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 3000 रुपये मुआवजा देती है। यदि उसका हाथ कट जावे तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 6000 रुपये मुआवजा देती है और उस किसान व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जावे तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको दस हजार रुपये मुआवजा देती है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, वह किसान व्यक्ति खेत में काम करते हुए, कुआ खोदते हुए, छिड़काव करते हुए और अपनी फसल को कृषि उपज मण्डी तक ले जाते हुए या आते हुए उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 25 हजार रुपये मुआवजा देती है। सभापति महोदय, यदि किसी व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु हो जावे तो राजस्थान की गहलोत सरकार पोषण निधि से उसको 25 हजार रुपये मुआवजा देती है। हर प्रकार से इस राजस्थान की जनता की सामाजिक सुरक्षा का बीड़ा मात्र अशोक गहलोत सरकार ने उठाया है और वह आप लोगों के बीच क्रियान्वित भी हो रहा है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जिस

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

प्रकार से ''प्रशासन गांवों के संग'' कैम्प लगे, अपने दफ्तरों में बैठकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मटरगस्ती करते थे उन लोगों को 28 विभागों को गांवों के अन्दर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भेजकर प्रशासन गांव के संग कैम्प लगाये गये। उस कैम्प के अन्दर विभिन्न प्रकार की जातियों को लाभ हुआ। आपने देखा होगा कि 40-40 साल पुराने नामान्तरण खुले, 40-40 साल पुराने दाखिल खारिज खोले गये। वहां बैठकर जाति के प्रमाण पत्र नि:शुल्क दिये गये। वहां बैठकर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नि:शुल्क दिये गये। इतना ही नहीं, जो भूमि विहीन लोग थे उनको मौके पर भूमि का आबंटन किया गया। वृद्धों के सम्मान के लिए वहां पर पेंशन के फार्म भरवाकर उनको पी.पी.ओ. जारी किये गये। सभापति महोदय, मैं समझता हूं प्रशासन गांवों के संग में बहुत काम हुए। यह भी राजस्थान की गहलोत सरकार की देन है।

सभापति महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार ने नौजवान पीढ़ी के लिए उनके उत्थान के लिए बीयर बार के लाइसेंस को निरस्त किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान की नौजवान पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए किया है। इतना ही नहीं, वृद्धों के सम्मान में, जो पेंशन थी उसको 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया। इससे लगता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने वृद्धों के सम्मान के लिए इतना महत्वपूर्ण फैसला किया है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हिन्दुस्तान के आजादी के अन्दर भाग लिया उनकी पेंशन को एक हजार रुपये से बढ़ा कर बारह सौ रुपया किया। यह भी राजस्थान की गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम रहा है। (व्यवधान) चाहे वह सरकारी भवन, इमारत या मार्ग हो, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से नामकरण किया है। यह फैसला राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, शहादत देने वाले जो शहीद थे उनको विशेष तौर पर पैकेज राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने दिया और उन शहीदों की अर्थी को कंधा भी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया और राजस्थान के तमाम मंत्रियों ने अर्थियों को कंधा देकर शहादत देने वाले को नमन किया। उनको विशेष पैकेज के माध्यम से उनके परिवार की रक्षा की गयी है।

सभापति महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार ने विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया है। जैसे मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। जो दबे हुए, पिछड़े हुए, गरीब, असहाय और निर्धन व्यक्ति हैं उनको आत्मसम्मान से जीने का मौका राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया है। वह मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

दिया है ताकि गरीब व्यक्ति, पिछड़ा हुआ व्यक्ति जो ग्लानि भरी जिन्दगी जी रहा था उनको आम जनता के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा इस मानवाधिकार आयोग के माध्यम से मिली है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, महिला आयोग का भी गठन किया गया। महिला सशक्तिकरण वर्ष के अन्दर महिला को देवी के रूप में संस्कृति के माध्यम से हम लोग उपाधि देते हैं। उनकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए हमने महिला आयोग भी गठन किया। जो कोई महिला पीड़ित हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो उसकी सुनवायी के लिए तत्काल प्रभाव से महिला आयोग के अन्दर सुनवायी की जाती है। जो रक्षक से भक्षक बने हुए हैं उनकी नाक में नकेल डालने का काम भी इस महिला आयोग को दिया गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सभी जगहों पर महिला थाने खोले ताकि कोई भी पीड़ित महिला उसके अन्दर जाकर अपने न्याय की गुहार कर सकती है। राजस्थान की इस गहलोत सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : करोड़ों रुपये खा गये। अभी धारीवालजी के तो +++ थोड़ा डाउन जरूर किया है।

श्री सोहन नायक : आपके डाली है क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप ही थोड़े ही अकेले बोलने वाले हैं। ऐसा मत कीजिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, एस.सी. और एस.टी. की महिला के साथ बलात्कार होता है तो तत्कालीन सरकारें मात्र पांच हजार रुपये मुआवजा देती थीं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने उस नारी के सम्मान के लिए पांच रुपये से बढ़ाकर उसको एक लाख रुपया किया। यह राजस्थान की गहलोत सरकार की देन है। महिला के सम्मान में उसको हर प्रकार के सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है।

सभापति महोदय, आंगनबाड़ी महिलाओं के मानदेय में वृद्धि की गयी है। उनको 500 रुपये से बढ़ाकर 976 रुपये यानी एक हजार रुपये किये हैं। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि गांवों के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा की बात करके मानदेय में बढ़ोतरी इस गहलोत सरकार ने की है।

सभापति महोदय, साथिन महिलाएं जो हैं उनका मानदेय भी पांच सौ रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण कदम गहलोत सरकार का है। सभापति महोदय, जो लोगबाग बात करते

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

हैं कि गहलोत सरकार ने क्या काम किया, पिछली सरकार के टाइम पर मल्ली देवी मीणा बलात्कार काण्ड हुआ, उसके आरोपी मधुकर टण्डन जयपुर की सिविल लाइंस की कोठियों के अन्दर तत्कालीन सरकार के मंत्रियों के बंगलों में छिपा हुआ था। उस आदमी को राजस्थान की गहलोत सरकार ने ही भगोड़ा करार दिया और उस मधुकर टण्डन को सजा देकर उसको मुअत्तल किया। यह काम भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने ही किया। इससे एस.सी. और एस.टी. के समाज के अन्दर एक महत्वपूर्ण संदेश गया है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान की गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया उससे अल्पसंख्यक समाज के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उसके अन्दर महत्वपूर्ण संवैधानिक दर्जा दिया गया। इतना ही नहीं, आठ करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान बैंक गारंटी के रूप में दिया गया।

सभापति महोदय, मदरसा बोर्ड की स्थापना भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने की। पांच सौ से अधिक मदरसे खोलने और 500 पैराटीचर्स रखने का प्रावधान भी गहलोत सरकार ने किया है। उन मदरसों के अन्दर उर्दू के साथ हिन्दी और गणित विषय भी पढ़ाये जायेंगे। यह व्यवस्था भी गहलोत सरकार ने की है। इतना ही नहीं, मौलवीयों के वेतन में बढ़ोतरी भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने की है। उनका वेतन 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया है।

हज यात्रियों के लिए उनका बीमा दो लाख रुपये का किया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने हर सम्प्रदाय और हर वर्ग के उत्थान के लिए उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले और विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यात्रा जाने के लिए इस गहलोत सरकार ने कितना अनुदान तय किया है। यह तो बताइये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, इतना ही नहीं जो लोगबाग पूरे राजस्थान के अन्दर भूख से पीड़ित हैं, कुछ साम्प्रदायिक ताकते हैं जिन्होंने इस बात को लेकर घमासान मचा रखा है। मैं उनको सावधान करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : कि नौजवान पीढ़ी के हाथ में साम्प्रदायिक ताकते जो खंजर शिक्षा दे रही हैं वे साम्प्रदायिक ताकते राजस्थान और हिन्दुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहती हैं और खंजर शिक्षा देकर राजस्थान की नौजवान पीढ़ी को समाप्त करना चाहती हैं। मैं इस सदन से एक अपील करना चाहूंगा कि जो खंजर शिक्षा

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

दे रही हैं उसकी जगह राजस्थान की धर्मनिरपेक्ष गहलोत सरकार उनको कम्प्यूटर शिक्षा दे रही है। हमने कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। नौजवान पीढ़ी के हाथ में खंजर नहीं होने चाहिए उनके हाथ में कम्प्यूटर होने चाहिए।

श्री सभापति : बिराजिए आप।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अगर नौजवान के हाथ से कम्प्यूटर चलेंगे तो मैं समझता हूं कल्पना चावला को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के दिये गये अभिभाषण के लिए उनको पुनः एक बार हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनको धंन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, इनके भाषण में एक बात रह गयी, सृष्टि की रचना भी गहलोत सरकार ने की है। यह शब्द रह गये।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : सभापति महोदय, कल राजस्थान महोदय के अभिभाषण पर बहस प्रारम्भ हुई और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य श्री जुगल जी काबरा ने उसका समर्थन किया। सभापति महोदय, यह प्रजातंत्र में महामहिम का दुर्भाग्य है कि जो भी बहुमत वाली और प्रचण्ड बहुमत वाली सरकार ने जिस प्रकार का अभिभाषण पढ़ने के लिए उनको मजबूर किया उनकी संवैधानिक मजबूरी थी। यह निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। जब तक माननीय महामहिम ने अभिभाषण को पढ़ा हमारा ध्यान बराबर उनकी तरफ था परन्तु उनकी नजर बराबर उधर थी क्योंकि उनको मालूम था कि इन्होंने जो-जो लिखा है एक एक अक्षर मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर संवैधानिक मजबूरी नहीं होती तो इस प्रकार के +++ दस्तावेज को वह नहीं पढ़ते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप प्रोफेसर हैं, इस प्रकार की यह जो भाषा है वह माननीय महामहिम के लिए प्रयोग करना उचित है क्या, आप ही अपने आप में सोचिये।

श्री सांवर लाल : उनके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : +++ शब्द को कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री सांवर लाल : किस शब्द को? +++ तो मैंने बोला ही नहीं है।

श्री सभापति : एक्सपंज कर दें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : +++ दस्तावेज कहा है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : +++ शब्द को एक्सपंज किया जाता है। थोड़ा सा संयत रहिये आप प्रोफेसर हैं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, चार साल में पहली बार जब महामहिम का अभिभाषण हुआ उस समय तत्कालीन सरकार की ओर से महामहिम ने अभिभाषण पढ़ा और उसमें यह कहा कि जाने वाली सरकार ने ये कर दिया। हम श्वेत पत्र जारी करेंगे, ये करेंगे, कानून और व्यवस्था फेल कर दी और हमारी सरकार आने के बाद हम श्वेत पत्र जारी करके एक एक चीज का खुलासा करेंगे। यह चार साल का समय व्यतीत हो गया और चार साल के अन्दर जो जो काम इन्होंने किये सारे के सारे उल्टे काम किये। जो इनका घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को अगर आप देखें, इन्होंने सबसे पहले दिया राजस्थान की दुर्दशा। भा.ज.पा. के आठ साल के कुशासन में राज्य की कानून और व्यवस्था चौपट हो गयी। हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। लूट, बलवे, नकबजनी अपराधों की घटनाएं रोज आम बात हो गयी है। विगत चार वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं इस राजस्थान में हुई हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। पूरे राजस्थान के सन्दर्भ में कल माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने सारी बातें खुलासा की हैं। मैं केवल जयपुर शहर जहां राजधानी में मुख्य मंत्री जी बिराजते हैं, सारे यहां के एम.एल.एज. और बड़ी बड़ी डिग्निटरीज बिराजती हैं। वहां की एक रिपोर्ट है वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।

जयपुर शहर में जो संगीन वारदातों में बीता गत साल, गत साल, माननीय सभापति महोदय, हत्या की 28 वारदातें हुई हैं, लूट की 39 वारदातें हुई हैं, नकबजनी की 498 वारदातें हुई हैं, वाहन चोरी की 693 हुई हैं और बलात्कार की 31 घटनाएं हुई हैं। यूनिवर्सिटी कैम्पस जहां पर लोग सुबह भ्रमण करने के लिए जाते हैं वहां से अपहरण हो जाता है और 17 दिन की मशक्कत के बाद दिल्ली की पुलिस के सहयोग से उसको बरामद किया जाता है और उसकी वाहवाही लूटने का प्रयास यह राजस्थान सरकार करती है। इससे ज्यादा भर्त्सना इसकी नहीं की जा सकती है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इन चार सालों के अन्दर कहां तक पहुंचा दी है। पुलिस के सिपाही सहित पांच पर यौन शोषण का आरोप। इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, जेल सुधारेंगे पर अपने ढंग से, अब इनका ढंग कहां से लाएंगें...

एक माननीय सदस्य : दिल्ली में भी हमारी सरकार है।

श्री सांवर लाल : हमारी सरकार है तो क्या आपको खतरा पैदा हो रहा है क्या?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

जेल की दीवारें फांदकर कैदी फरार, तीन तीन कैदी एक नहीं और यह कुछ नहीं कर पाए। धौलपुर जेल से फिर दो कैदी फरार।

पुलिस के आधुनिकीकरण योजना के लिए भारत सरकार ने 74 करोड़ रुपये का इंतजाम करके इनको दिया। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख तक राजस्थान सरकार उसमें से एक भी पैसा उपयोग में नहीं ले पाई है। क्यों नहीं ले पाई है, कानून और व्यवस्था सुधारने की इनकी मंशा मुझे नजर नहीं आती है। भारत सरकार को चिन्ता है कि प्रदेश के पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो भारत सरकार सभी राज्यों को सहायता देती है कि पुलिस को चुस्त दुरुस्त रखें, आधुनिक हथियार खरीदे, आधुनिक टेक्नोलोजी का सहारा लें, नई गाड़ियां लें, पर उस 74 करोड़ में से एक भी रुपया, सभापति महोदय, आज तक यह खर्च नहीं कर पाए हैं।

मैं कह सकता हूं कि इन चार वर्षों के अन्दर राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है। सिविल लाइंस में भी अगर आप घूमने निकले और जब तक सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपके घरवाले चिन्ता करते रहेंगे कि पता नहीं कौन कहां से आ जाय और उठाकर ले जाय। आज भी एक घटना थी अखबार में।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कितने अपराधी पकड़े गये यह और आप खुलासा कर दें। और पिछले वर्षों की तुलना में कितने अपराध वर्क आउट हुए हैं...(व्यवधान) पुलिस की आप प्रशंसा तो करें।

श्री सांवर लाल : अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे मधुकर टंडन की, इन्होंने घोषणा पत्र में लिया है, हमारा राज आ गया मधुकर टंडन को हम गिरफ्तार करके छोड़ेंगे। चार साल हो गये गिरफ्तार किया क्या उसको? किसको गिरफ्तार किया आपने? इसलिए ऐसी...

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी नहीं सुना दौसा में अपहरण हुआ हाथ की हाथ अपराधी पकड़ लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, आप मदन दिलावरजी दिलावर को तो कहते हो यह सचेतकजी हैं और बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह बड़े हो करके कितनी बार विधान सभा क्षेत्र में सदन में आए हैं, आप इतने बड़े हैं, सचेतक हैं, आप मदन जी को कहते हैं आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं बार बार?

श्री हरिसिंह (महुवा) : खुलासा कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं इंटरप्शन नहीं करता। वह अधिकार मैंने आपको दे रखा है। मैं तो खुलासा कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मूंछों वाले हैं इसलिए आमने सामने कह रहे हैं। आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं माननीय सदस्य?

श्री हरिसिंह (महुवा) : हस्तक्षेप नहीं कर रहा, यह काम तो आपको दे रखा है।

श्री सांवर लाल : थानेदार और पुलिस कर्मियों के द्वारा दलित वर्ग के व्यक्ति की कोलायत थाने के अन्तर्गत मौत कर दी गयी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आपकी और क्या हो सकती है। अपने आपको दलितों का मसीहा कहलाने वाले आज तक आप इस बात पर तैयार नहीं हैं कि उस व्यक्ति की हत्या करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए। यह आपके लिए +++ बात करते हो हम दलितों के मसीहा हैं, दलितों के लिए हम यहां पर बैठे हैं, दलितों को थाने में मारा जा रहा है उसके बावजूद भी आप कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं।

चार वर्ष के अन्दर लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट रही है और जिस मदमस्त तरीके से आप उठ उठ कर जवाब दे रहे हो, अगर यही हालत रही, राजस्थान पूरा अकाल की चपेट में है। गांव में दस बजे के बाद आप बिजली नहीं देंगे, गांव में क्या हालत होगी, चोरी और डकैती की कितनी घटनाएं होती हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। यहां पर वाहवाही लूट रहे हो। हमने चार घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी, यह बहुत बड़ा अहसान कर दिया। भैरोंसिंहजी के टाइम में तो गांवों के अन्दर 24 घंटे सिंगल फेस बिजली आती थी, आप सिंगल फेस बिजली नहीं दे सकते गांवों को। आपको +++ शर्म आनी चाहिए और जिस प्रकार का भीषण अकाल इस वर्ष पड़ा है अब यह तो हम भी क्या कहें दुनिया कहती है कांग्रेस आयी और काल पड़ा, अशोक जी आए अकाल डबल छाप लगा दी आपने और जब से यह राज में आए लगातार पांच साल से बराबर अकाल पड़ रहा है और 1985 से 1990 तक इनकी सरकार थी, उस समय भी लगातार अकाल पड़ा। किसान कर्जे में डूब गया, किसानों की इन्होंने आज तक कोई मदद नहीं की। वह तो माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, चौधरी देवीलाल इनकी कृपा समझिए कि जब उन्होंने गांवों में घूमकर देखा और गांवों की दुर्दशा देखी तो उन्होंने घोषणा की कि चुनाव से पहले कि हमारा राज आ गया, हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का। इसलिए कर्जा माफ करेंगे कि किसान ईमानदार हैं। किसान चुकाना चाहता है पर यह कांग्रेस के राज की वजह से प्रकृति रूठ गयी है, चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। वह देना चाहता है पर देवे कहां से? खेत खाली पड़े हैं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था नहीं है। उस समय जनता ने राज लाने का निर्णय लिया और राज लाने के बाद माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

किसानों के हित में सबसे बड़ा फैसला और पहला फैसला किया किसानों की कर्जा माफी का। आप कहते हो ना हम किसानों के हैं। अगर आज तक कुछ किया हो तो बता दीजिए, एक रुपया माफ किया हो। मूंछे तान कर खड़े हो रहे हो ना बार बार। आप बता दीजिए एक रुपया कांग्रेस ने सन् 1952 में राज में आने के बाद किसी भी प्रकार का किसानों का माफ किया हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : एक ही लीक है जिसको पकड़े चले जा रहे हो।

श्री सांवर लाल : क्या किसानों की बात करते हो आप। अकाल के कारण बारानी जमीन में पैदा नहीं होती है। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत पहले मुख्य मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की है...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : किसानों का तो यह मान लो कि माफ नहीं हो रहा है, हमारे तो उल्टा ब्याज बढ़ गया, 600 रुपये की जगह 900 हो गया और 900 की जगह 800 हो गया। तीन साल तक यह कहते रहे कि कर्जा माफ हो जाएगा, जो हमने भरा नहीं तो उल्टा ब्याज लगाकर हमारे तो दुगुने चौगुने हो गये और माफ बड़े-बड़े आदमियों के हुए होंगे। हमारा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, किसानों का लगान माफ किया बारानी जमीन का। इसलिये किया कि भैरोंसिंहजी शेखावत उस समय के व्यक्ति थे, किसानों के व्याकुल थे। वह जानते थे कि बारानी जमीन में फसल नहीं होती। आसान सौ रुपये होता है पर किसान के लिये सौ रुपये लाना बड़ी मुश्किल का काम है। उन्होंने माफ किया। आपने कभी माफ किया हो तो बता दीजिये। किसान के बच्चे पढ़ने के लिये जाते हैं उनके लिये पुस्तकों की व्यवस्था...

श्री सोहन नायक : नरमे की कपास की फसल खराब होने पर सात करोड़ माफ किया गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अन्दर।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री सांवर लाल : माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया शिक्षा मंत्री थे। इनको मालूम है गरीब के बच्चे के लिये मां बाप समय पर किताब नहीं ला सकते हैं, इन्होंने पुस्तकों की व्यवस्था की। राज्य के कोष से पांचवीं तक के बच्चों के लिये, आठवीं तक की बच्चियों के लिये किताबों की व्यवस्था की माननीय कटारिया साहब ने, भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : हम भी कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : आपने कौनसी नयी व्यवस्था की? आप अगर बन्द कर दें तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। आप मजबूरी में यह कर रहे हो। अगर करना है तो कर्जा माफ करिये इस साल। लगातार पांच साल से अकाल पड़ रहा है। आप

(श्री सांवर लाल)

ब्याज माफ करिये कर्जे का। आप क्या कर रहे हैं बताइये। बार बार भारत सरकार नहीं देती है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : 1999 में थे, एक अनुरोध कर दूं। जिस समय कर्जा माफ हुआ था उस समय मैं भी इस सर्वोच्च सदन का सदस्य था और माननीय भैरोंसिंह जी ने पूछा था आपको क्या नाराजी है। मैंने कहा, कर्जा माफ करके आपने बैंकिंग व्यवस्था को खराब कर दिया, उनको एक गलत आदत डाल दी। मैंने उस दिन भी इसका विरोध किया था, मैं आज भी इसको अच्छी बात नहीं मान रहा हूं।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महुवा से आने वाले माननीय सदस्य किसानों के कर्जे माफ करने का तो विरोध करते हैं पर अगर किसी पूंजीपति का कर्जा माफ कर दिया...

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रचार करना। मैंने उस दिन भी किया था और आज भी कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल : आज सैकड़ों रुग्ण इकाइयों घोषित करके उद्योगपतियों को लाभ दिया जा रहा है। उनका कर्जा माफ किया जा रहा है। उसका विरोध नहीं किया इन्होंने। गरीब किसान प्रकृति का मोहताज है, उसकी फसल नहीं हुई, वह कर्जा नहीं चुका सकता है उसके अगर दस हजार का कर्जा माफ कर दिया उसमें इनको तकलीफ है। मुझे शर्म आती है आप जैसे प्रतिनिधि पर। आप किसानों को रिप्रजेंट करते हैं। मैं उन किसानों से भी अपील करना चाहता हूं ऐसे जन प्रतिनिधि को पहचानो जो पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने की वकालत करे, किसानों के कर्ज माफ करने की और प्राकृतिक आपदा के समय माफ करने का विरोध करे। ऐसों का इंतजाम करके भेजो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कर्जा माफ चाहे पूंजीपति का हो या किसान का हो, नहीं किया जाना चाहिये। बैंकिंग सिस्टम फेल हो जायेगा। पूरा बैंकिंग सिस्टम फेल हो जायेगा।

श्री सांवर लाल : अभी आप सिस्टम में आये ही नहीं हैं। आपको तो केवल एम.एल.एज. की हाजिरी भरने का काम दिया है। सिस्टम में आओ जब सोच लेना आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सिस्टम में आप आ लिये ना।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिन्दुस्तान फेडरल सिस्टम आफ गवर्नमेंट है। केन्द्र में अलग सरकार बन सकती है, राजस्थान में अलग सरकार बन सकती है, कर्नाटक में दूसरी पार्टी की सरकार बन सकती है, पर केन्द्र और राज्यों के बीच में जिस प्रकार का सौहार्द्रपूर्ण

(श्री सांवर लाल)

वातावरण होना चाहिये उसको बिगाड़ा जा रहा है। बिगाड़ा इस बात पर जा रहा है कि अकाल तो पड़ा इनकी वजह से, लगातार अकाल पड़ रहा है, कांग्रेस अकाल। लोग बाग कहते हैं कि इनको हवन-पूजन में विश्वास नहीं है। भगवान का नाम लेते ही भभक जाते हैं जैसे भगवान इनको खाता है...

श्री सोहन नायक : पर आज केन्द्र सरकार ने भगवान को बेच दिया है। भगवान के नाम पर सत्ता हासिल की है।

श्री सांवर लाल : (व्यवधान) इनकी नींद खतम हो जाती है जब तक उसको बाहर नहीं निकलवायें। यह असली नहीं है हमने बार बार कहा। उसके बावजूद भी यह परेशान हो जाते हैं तो भगवान भी इनको देखता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। लगातार अकाल पड़ रहा है, भारत सरकार सहायता नहीं दे रही है। आपने पढ़ा कभी? केवल मूंछों पर बल दिया होगा। यह है इलेवेंथ फाइनेंस कमीशन, इसमें लिखा हुआ है किसको कितना पैसा कब दिया जायेगा। मुख्य मंत्रीजी तक चिट्ठियां लिख दीं। आज तक सैकड़ों चिट्ठियां लिख दी होंगी। इसके अलावा कोई दिमाग ही नहीं लगाया। चिट्ठियां लिखने वाले अफसर बैठे हैं, सर यह लिख दिया, दस्तखत कर दीजिये और तो कोई पढ़ता ही नहीं। भले आदमी, अखबार में दे दिया, मीडिया ने कहा मुख्य मंत्री ने आरोप लगाया केन्द्र ने सहायता नहीं दी।

माननीय सभापति महोदय, नवां वित्त आयोग बना, उसके बाद पूरे हिन्दुस्तान के लिये वित्त आयोग ने एक नियम बना दिया। हर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा कोष की स्थापना कर दी। प्राकृतिक आपदा कोष में केन्द्र का हिस्सा तय कर दिया, राज्य का हिस्सा तय कर दिया, नियमित पैसा आता है। अकाल पड़े या नहीं पड़े, इनको लगातार पैसा मिल रहा है। दसवें वित्त आयोग में मैं माननीय भैरोंसिंहजी की कृपा से सहायता राज्य मंत्री था। आपके यहां तो पूरा पुलिस और सहायता एक के पास ही है। मैंने दो बार ज्ञापन दिये। एक बार ढाई हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगने के, दूसरी बार साढ़े तीन हजार करोड़ अतिरिक्त मांगने के। हमको मिला इक्कीस करोड़ और हमारे दूसरे ज्ञापन का इक्कीस करोड़ भी इनके राज में खाते में एंट्री देख लेना आप गवर्नमेंट की। यह बार बार यह बात कहते हैं हमने ज्ञापन दे दिया। 153 को क्या ज्ञापन देने के लिये जिताया है आपको जनता ने?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने यह ज्ञापन पढ़ा ही नहीं होगा।

श्री सांवर लाल : आपको यह पैसा मिलता है। इलेवेंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बराबर मिल रहा है। यह इलेवेंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इनके राज में आने के बाद लागू हुई है।

(श्री सांवर लाल)

इन्होंने स्टेट प्राकृतिक आपदा कोष का 156 करोड़ 31 मार्च, 2000 तक खर्च नहीं किया। राजीव गांधी पाठशालाओं के लिये बजट को ट्रांसफर कर दिया। उस समय अकाल पड़ा हुआ था। आंकड़े देखकर बता देना, चारे पानी का इंतजाम नहीं किया, रोजगार का इंतजाम नहीं किया, बस सोनियाजी को दिखाने के लिये कि राजीवजी के लिये क्या कर रहे हैं, हम राजीव गांधी पाठशालाएं खोल रहे हैं, 156 करोड़ रुपया बचा लिया। उसके बाद में इलेंवेथ फाइनेंस कमीशन में गये यह, इन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको "Rajasthan is of the view that C.R.F. should be determined on the basis of past expenditure." भले आदमी, 156 करोड़ जो खर्च करना था, खर्च नहीं किया, फिर यह क्लू क्यों दिया फाइनेंस कमीशन में। सौ, पचास करोड़ रुपया और फालतू मिलता और उन्होंने यह जनता के साथ गद्दारी की है। आज भी मैं कह सकता हूं भारत सरकार की मेहरबानी है, भारत सरकार ने फिर भी राज्य प्राकृतिक आपदा कोष के अन्दर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हिस्सा तय किया है वह राजस्थान का किया है और राजस्थान का 1143.81 करोड़ तय किया है। इसमें 75 परसेंट हिस्सा भारत सरकार और 25 परसेंट आपका है। उसके अलावा आपने कहा है ज्ञापन दिया है। आप ज्ञापन देते कि नहीं देते हैं, अटल बिहारीजी तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने कहा पांच लाख टन गेहूं का हिस्सा फ्री में दिया इनको और पचास करोड़ अपने कोष से दिये हैं, 189 करोड़ केन्द्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से दिये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अकाल की डिबेट होगी उसमें क्या बोलोगे आप? आप तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कहिये। अकाल की डिबेट अलग होगी ना।

श्री सांवर लाल : उसमें नहीं, इन्होंने विशेष रूप से लिखा हमने यह मांग की और यह इन्होंने दिया। मैं यह सिद्ध करना चाह रहा हूं...(व्यवधान) वह भी कर देंगे पर आज यह बताना जरूरी है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जरूरी है।

श्री सांवर लाल : जरूरी इसलिये है कि इन्होंने इसमें लिखा है जबकि इनको तो मेहरबान होना चाहिये, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिये कि इतना दिया आपको। हमको तो केवल इक्कीस करोड़ दिया छह हजार करोड़ में से। आपको कितना दे दिया। 31 लाख टन गेहूं का आबंटन, 30 हजार टन दे दिया। किसके लिये पशु आहार, बाटा जानते हो आप। अब कहते हैं कि साहब हमने तो तीन हजार समर्थित गेहूं उठाया। +++ है आपका, उठाओगे कैसे। आपकी व्यवस्था खराब है। आप किसानों को सस्ता बाटा नहीं खिलवाना चाहते हो। उनको

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

लाभ मिले यह आपको पचता नहीं है, गरीबों का भला कैसे हो जाए...

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमने तो मांगा था, समुद्र में मत फेंकिये। राजस्थान के पशुधन को दे दीजिये। समुद्र में फेंकने का निर्णय ले लिया था सरकार ने। हमने तो मांगा है। यह आरोप गलत है कि हमने उठाया नहीं है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ट्रक भाड़ा नहीं है...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : पशु नहीं खायें...(व्यवधान) इसलिये अलाट नहीं किया कि पशु न खा पायें...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आप किसानों की बात करते हैं, डीजल के भाव बढ़ा दिये केन्द्र सरकार ने। वह आपको दिखाई नहीं दिया...

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय राठौड़ साहब, आप तो अकाल के बारे में दो-तीन टर्म पूछूं, फुल फोरम बता देंगे?

श्री सांवर लाल : अब आपकी फोरम दोनों की कोई जानता ही नहीं, क्या बताएं अब...

डा. महेश जोशी : आपकी भी नहीं जान सके वह...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपकी भी जानते हैं...

डा. महेश जोशी : आपकी भी नहीं जानते...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपके और हमारे दोनों के साथी हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय महेश जोशीजी, आपकी +++ हो सकती है, आपकी +++ हो सकती है, राजेन्द्र राठौड़जी की नहीं।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, ऐसा दुर्भाग्य मैं बता रहा हूं। आज भारत सरकार इतनी सहायता दे रही है और इसके बावजूद सरकार के मुख्य सचेतक, सरकारी कहलाते हैं, समुद्र में गेहूं फेंक रहे हैं, भले आदमी, हमारे से पहले फेंके हैं। यह अटल बिहारी जी से पहले ही समुद्र में जा रहे थे। उनके आने के बाद तो राजस्थान में आने लग गये। हैदराबाद में जाने लग गये। पूरे हिन्दुस्तान में अनाज की योजनाएं शुरू कर दीं उन्होंने और जो गेहूं फ्री दे रहे हैं उनको आप चार्ज कर रहे हो लेबर से। आपको डूब मरना चाहिये। उनसे तो पैसे...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप प्रोफेसर हैं। मैं क्या कहूं।

श्री सांवर लाल : अब यह बार बार केवल यह कह कर अपनी इतिश्री कर लेते

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सांवर लाल)

हैं हमने ज्ञापन दे दिया। इससे गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन सरकार नहीं हो सकती है। मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं इन्होंने एक पैसा अपने कोष से राजस्थान के साढ़े चार करोड़ पशुओं और आदमियों को बचाने के लिये अपने बजट से खर्च नहीं किया है। इनको कोई चिन्ता नहीं है राजस्थान के व्यक्ति रहे या पशु रहे या नहीं रहे, यह तो केवल आरोप और मीडिया मैनेजमेंट के तरीके से अपनी बात पत्रकारों को कहना चाहते हैं। हम इसकी निन्दा करते हैं। मारवाड़ी में कहावत है ना, वह कह दूंगा तो चिणका लग जायेगा। है तो कहावत, इसमें तो क्या है। "माल खावे माटी को और गीत गावे बीरा को" लावे कौन देवे कौन और गीत किसके गाओ...

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह बीरा का नहीं है, राष्ट्र की सम्पत्ति है...(व्यवधान) वह तो समान अधिकार है...

श्री सांवर लाल : राष्ट्रीय है जब ही तो कह रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और माननीय सदस्य, यह सब कुछ आरोप लगाने से पहले आप यह भूल गये कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है और अकाल निरन्तर यहां पड़ते रहे हैं। कोई साल ऐसा नहीं होगा जब अकाल न पड़े हो। आप अशोक गहलोत के माथे मंड रहे हो। आपको अशोक गहलोत के सुर में सुर मिलाकर केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक सहायता लेने की...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : जब तक केन्द्र में अटलबिहारी बैठे हैं तब तक हिन्दुस्तान में अकाल पड़ रहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप केन्द्र सरकार से ज्यादा सहयोग और सहायता मांगिये। राजस्थान की जनता का हित इसमें है।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में अपनी सरकार है, मैं इसमें कहां मना कर रहा हूं परन्तु आप थोड़ी बहुत अपनी भी जिम्मेदारी समझे, बार-बार खड़े हो जाते हो।

श्री रोहिताश्व कुमार : भाषण देते हो तब अपनी सरकार नहीं कहते हो।

श्री सांवर लाल : 6 हजार करोड़ का ज्ञापन हमने दिया और उसमें 42 करोड़ रुपया मिला और उसमें से 21 आपको मिल गया। हमने तो उस टाइम इतनी अखबारबाजी नहीं की।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, नहीं उस समय माननीय परसरामजी ने यह कहा था कि आप दिल्ली चलिये, हम चलेंगे हमारी सरकार है हम राजस्थान की वकालत करेंगे।

श्री सांवर लाल : आप चलेंगे? आपको कौन जान रहा है जो वहां चलेंगे?

श्री सांवर लाल : मिलवा देते ना फिर वहां पर। आगे-पीछे तो यहां डोलते हो और बात सोनिया जी की करते हो। सोनिया जी आपको फटकने देती हैं क्या, फालतू की बात करते हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अगर अटल जी आपको फटकने दे तो आप बता दीजिये, आपका नाम भी नहीं जानते।

श्री सांवर लाल : अब आप छोड़े, कटारिया साहब जैसे बैठे हैं इसलिए आपको भरपूर सहायता मिल रही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कम से कम सोनिया जी मुझे चेहरे से पहचानती हैं और मेरा नाम भी जानती हैं।

श्री सांवर लाल : आज भारत सरकार का, अटल बिहारी जी का अहसानमंद होना चाहिए कि चारे और पानी के लिए रेल फ्री कर दी है। बताइये कभी किया है क्या? आप लोगों ने इतना गेहूं कभी दिया है, 31 लाख टन, गेहूं की बोरी-बोरी हो जाये। आपकी नीयत सही नहीं है। आप ट्रक करके गाड़ियों को गोदाम तक नहीं पहुंचा सकते हो। मेरा आरोप है कि आज भी गेहूं नहीं है, गांव के अन्दर गरीब लोग घूम रहे हैं और बातें कर रहे हैं बहुत ऊंची-नीची, यह देखना अब आप, यह अखबार वालों को बता देता हूं कि...

डा. महेश जोशी : आप तो बोल ही इसलिए रहे हो कि वह बैठे हैं, नहीं तो बोलते ही नहीं।

श्री सांवर लाल : पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, इसमें एक और जोड़ दो मास्टर मत लगाओ। आपको तो पढ़ा देगी जनता, थोड़े दिन का आप इंतजार करो।

डा. महेश जोशी : आप पहले ही पढ़े बैठे हो ना।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, बहुत जोर-शोर से मोटे अक्षरों में इन्होंने छपाया है कि 2002-2003 में राजकीय क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। जहां पर स्कूलें क्रमोन्नत की हैं वहां पर भवन नहीं हैं। कहा गया भवन एम.एल.ए. फण्ड से और एम.पी.फण्ड से कबाड़ो। एक हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में, यह क्या होता है, उच्च प्राथमिक, जानते हैं आप हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं पढ़ा ही नहीं इतना।

श्री सांवर लाल : कितने मास्टर लगते थे उच्च प्राथमिक में गुलाब जी के टाइम में।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं इतना पढ़ा ही नहीं।

श्री सांवर लाल : आज कितने मास्टर लग रहे हैं। एक मास्टर नहीं और उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत कर दिया।

डा. महेश जोशी : आपने बहुत सारे लगवाये थे।

श्री सांवर लाल : माध्यमिक को उच्च माध्यमिक में, हमें बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि केवल नाम कमाने के लिए, अभी बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गांव में जब स्कूल खोले जाते हैं, हमारा बड़ा स्वागत किया जाता है कि एम.एल.ए. साहब ने यह कर दिया। दो महीने बाद जायेंगे तो गांव वाले भाटे पटकेंगे कि एक भी मास्टर नहीं लगाया, अंग्रेजी पढ़ाने वाला नहीं, हिन्दी पढ़ाने वाला नहीं, विज्ञान पढ़ाने वाला नहीं, किस बात की स्कूल क्रमोन्नत की, सीनियर हायर स्कूल कर दी वहां पर लेक्चरर नहीं, प्रिंसिपल नहीं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान की जनता तो जान रही है और इनकी जितनी भी एक्टिविटिज हैं उन सबको देख रही है कि स्कूल कागजों में खोल दी। मास्टर एक नहीं और गांव के बच्चों को कहां ले जाकर डुबायेंगे, इसका भगवान ही मालिक है।

अभी वह माननीय करण सिंहजी, डाक्टर साहब कह रहे थे कि हमने अस्पतालों में अगर डाक्टर नहीं आता है तो यह व्यवस्था कर दी कि कार्यवाही हो जायेगी। और यह पढे ड्यूटी से गायब मिले 80 डाक्टर, चिकित्सा मंत्री एस.एम.एस. पहुंचे, इससे बढ़िया और नजदीक सफाखाना और क्या होगा।

डा. महेश जोशी : अभी तो आप कह रहे थे कि डाक्टर हैं ही नहीं तो यह गायब कहां से हुए ड्यूटी से।

श्री सांवर लाल : यह तो आप दीवान साहब को समझाते, इसीलिए हटाया क्या, इसलिए मुक्त किया कि आप सरकार की कमजोरियां मत बताओ। जनता इलाज के लिए जाये, चाहे भटकती ही रहे, डाक्टर नहीं लगाना, नर्स नहीं लगानी, कोई रहे ना रहे, नाम कर दो कि चिकित्सालय खोला। सभापति महोदय, मेरा यह आरोप है कि यह सरकार हर मामले में बिलकुल फेल हुई है।

श्री सभापति : बन्द कीजिये माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : अब आदर्श विद्यालय क्या हैं। कल राजेन्द्र जी ने कहा था कि एक मास्टर वह भी आदर्श विद्यालय में, पांच पद खाली, चपरासी पता नहीं कहां गया। मैं भी किसी गांव में गया, मुझे कहा कि अब की बार हमारे विद्यालय को आदर्श कर दिया, आप देखने चलिये। मैंने कहा कि आदर्श कैसे कर दिया सरकार ने हमसे भी नहीं पूछा, हम भी एम.एल.ए. हैं, जानकारी में तो आये। उन्होंने कहा कि देखें आप कि ऐसे स्कूल आदर्श होते हैं। आपको भी मजा आ जायेगा। मैं गया वहां पर, बरामदे के आगे रेत के अन्दर कुत्ते गुलौटी खा रहे थे और बच्चे-बच्ची खेल रहे थे और मास्टर एक ही नहीं, ना कोई चाक,

(श्री सांवर लाल)

ना डस्टर और ना मास्टर। ऐसे विद्यालयों को आपने आदर्श विद्यालय किया। इन चार सालों के पीरियड में इन्होंने हर वर्ग को तबाह कर दिया। गांव का नाम तो आप अगर कार्यवाही करते हो तो बता दूंगा बाकी बताने से मतलब क्या है।

सभापति महोदय, अब यह कहते हैं कि हमने साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए प्रयास किये हैं। सन् 1999 के बाद साम्प्रदायिक तनाव के कुलमिलाकर 152 घटनाएं हो गयी हैं। चार साल में रिकार्ड बनाया है और यह तनाव हमारी जनता पैदा नहीं करती। यह प्रशासन के द्वारा पैदा करवाया जाता है। हमारे आसीन्द के अन्दर सवाई भोज का मन्दिर है, आज का नहीं है, गुर्जरों का आराध्य देव है, वहां पर कहते हैं कि यहां पर तो पता नहीं कौनसा चबूतरा है और लोगों को लाकर के भिड़ा दिया। वहां पर तीन महीने तक क्लेश रहा। राजस्थान के हर कस्बे को चाहे गंगापुर हो, नसीराबाद हो, उसको तनाव में झौंकने का काम इन्होंने किया। देश आजाद हो गया हर धर्म प्रेमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है परन्तु इन लोगों को चिढ़ क्यों होती है अगर हिन्दू अपना धर्म मानें, हम कहते हैं सबको स्वतंत्रता है, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो। पर इनको हिन्दू का नाम आते ही, अगर कह दें कि यहां पर बजरंग बली की आरती हो रही है तो पता नहीं इनके पसीने छूट जाते हैं। इसको बन्द कराओ यह कैसे हो रहा है। आज यहां पर रामधुनी हो रही है तो इनको तकलीफ होने लगती है। चार साल में इन्होंने हर जगह पर अपनी खुराफात पैदा करने की कोशिश की।

सभापति महोदय, अगर आप इनका घोषणा-पत्र देखे, फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनते ही लागू की, हिन्दुस्तान के 19 राज्यों ने लागू कर दी। प्रधानमंत्री जी ने फार्मूला निकाला कि 50 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार दे, 50 प्रतिशत भारत सरकार देगी। बहुत दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में चार साल में यह फसल बीमा योजना लागू नहीं कर पाये हैं। अगर यह योजना लागू हो जाती तो राजस्थान का किसान आपके भरोसे नहीं रहता। उसकी अपने आप व्यवस्था हो जाती। यह इनका घोषणा-पत्र है इसको अगर पढ़े तो हर मुद्दे पर इन्होंने उलटे-पुलटे काम किये हैं। फसल नष्ट हो जायेगी तो हम मुआवजा दे देंगे। आज 15 हजार से ज्यादा की फसलें नष्ट हो गयीं चार साल में। आपने एक रुपया किसी को मुआवजा या सहायता के नाम से दिया हो तो हमें बता दीजिये।

बिजली के मामले में इन्होंने लिखा है कि हमारा राज आयेगा तो हम 37 पैसे यूनिट कर देंगे। पांच पोल फ्री कर देंगे। आठ घंटे बिना रोक-टोक कृषि को बिजली देंगे, नर्सरी योजना समाप्त कर देंगे। नर्सरी योजना समाप्त कर दी, विशेष योजना उससे भी

(श्री सांवर लाल)

लागू कर दी। राज में आते ही मिनिमम चार्ज लागू कर दिया। वह तो जनता का झटका दिखा तो फिर वापस विथड्रा कर लिया, अभी जाते-जाते कर रहे हैं, यह सारे काम। आपने देख लिया कि 153 आने के बाद आपको राजस्थान की जनता ने पार्लियामेंट चुनाव में 16 भारतीय जनता पार्टी के भेज दिये। तब आप लोगों को तकलीफ हुई होगी कि यह क्या हो रहा है। पीछे बानसूर और तीन अन्य उप चुनाव जीते। बानसूर में कहते हैं कि यहां तो ट्रेडिशनल सीट है, वहां तो पंजे के अलावा तो जानते ही नहीं, अब किसको जाना वहां पर गुड गवर्नेंस, सागवाड़ा हमारी पुश्तैनी सीट है, जागीरदारी है क्या। जनता ने झटका दिया तो मालूम पड़ गया ना कि जनता के साथ विश्वासघात करना कैसा होता है। अभी माननीय यादव साहब कह रहे थे मैंने पिछड़े वर्ग के लिए, भले आदमी जड़ कहां हैं, यह तो देखें, पिछड़ा आयोग आया कहां से, पिछड़े आयोग का गठन स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी ने किया। किसान बिरादरी की जातियों के साथ इंसाफ करने के लिए, अगर वह चौधरी चरणसिंह पैदा नहीं होते तो यह टोपीधारी भी यहां नहीं होते। वहां पता नहीं कौन एम.एल.ए. बना करता था, किसको टिकट दिया करते थे। आज उनके प्रति इनको आभार मानना चाहिए कि वह आदमी इस देश में पैदा हुआ और किसानों की ताकत को जागृत किया जिसकी वजह से मण्डल कमीशन भी आया और एससी, एसटी का भी भला हुआ और आप और हम यहां पर बैठे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह तो मैं भी स्वीकार करता हूं।

श्री सांवर लाल : स्वीकार करो, नहीं तो फिर इलाज हो जायेगा, सही बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये।

एक माननीय सदस्य : अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सभापति : सब अच्छा बोलते हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सदस्य अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जो भी लूंगा। वह हमारी पार्टी के खाते में डाल देना। सभापति महोदय, सबसे बड़ा वादा किया इन्होंने। युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़, राज्य की भाजपा सरकार ने सभी प्रकार की नौकरियों पर पाबन्दी लगाकर प्रदेश के प्रतिभावन युवकों का भविष्य अंधकारमय बना दिया। हमारा राज आ गया तो हम दरवाजे खोल देंगे, गांव के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को भर्ती दे देंगे। महाराज, बता दो आंकड़े, कितनों को भर्ती किया? मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हमने राजीव गांधी पाठशालाओं को खोला है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : 80 हजार लोगों को रोजगार दिया है, 80 हजार लोगों को।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : 80 हजार लोगों को रोजगार दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : 80 हजार को, यह रहा प्रगति प्रतिवेदन। 80 हजार लोगों को रोजगार दिया है, चार साल में 80 हजार लोगों को रोजगार दिया है, यह रही रिपोर्ट पढ़ लो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पढ़ लो, उसमें 80 हजार को दिया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : बेरोजगार कितनों को किया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : बेरोजगारों को दिया है या नहीं दिया, माहिर साहब, आपको जरूर रोजगार दे दिया। 80 हजार को दिया या न दिया आपको जरूर रोजगार दे दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भी हमारे साथी थे उसे क्यों भूल रहे हो? सास भी कभी बहू थी, हां।

श्री सांवर लाल : चार साल में एक सिपाही की भर्ती हुई नहीं, एक बाबू इन्होंने लिया नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अपने खुद के गिरेबान देखे,..आप कहां गए थे?

श्री सांवर लाल : एक एकाउंटेंट भर्ती नहीं हुआ। लोक सेवा आयोग के खाली पड़े मास्टरों के पदों पर भर्ती हुई नहीं और बातें कर रहे हैं कि हमने भर्ती कर दी। एक ही बात कर रहे हैं कि राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दीं। माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी वालों को मिलता है। 200 रुपए और अब 1400 कर दिए होंगे। एक प्राइमरी का मास्टर पढ़ाता है मान लो, उसको तनखाह मिलती है 5000, एक बार मैं गांव गया तो वहां पर हमारे गांव वाले कह रहे थे कि राजीव गांधी पाठशाला में जो मास्टर पढ़ा रहा था...(व्यवधान) वह पढ़ा रहा था, वहां पर एक बार एक पढ़ा लिखा युवक गांव का चला गया, उसने कहा, गंगा नदी हिमालय से निकल कर अरब सागर में गिर जाती है। उस पढ़े लिखे ने कहा कि कहां ले जा रहा है? अरब सागर में? तो उसने कहा कि 1200 रुपए में तो अरब सागर में ही जाएगी, तनखाह बढ़ाकर 5000 कर दो तो बंगाल की खाड़ी में ले जाऊं। अब 1200-1200 रुपए की नौकरी देकर हमारे बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, इर्रिगेशन में इन्होंने आते ही सबसे पहले...

श्री अमराराम (धोद) : गांव का नाम बता दो।

श्री सांवर लाल : गांव का नाम बता दूंगा। राज में आने पर सबसे पहला कदम इन्होंने यह उठाया कि सिंचाई विभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 वर्षों से लगान वसूल नहीं हुआ, उसको कदम से वसूल करेंगे। सभापति महोदय, "कागला

(श्री सांवर लाल)

मार्‌या काळ मिट्‌यो है के आज तक?" आप गरीबों का शोषण करके खजाना भरना चाहते हैं। पैसे के लिए, 10 वर्षों का वसूल कर लिया। तालाबों का कह दिया कि पंचायतों के पास जाओ। रामभरोसे, आज तक चार साल से एक भी तालाब ठीक कराया हो तो बता दीजिए। एक भी तालाब इन्होंने ठीक नहीं कराया। सिंचाई विभाग ने पैसे वसूल कर लिए और गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : आपको दिन में भी रात का अंधेरा दिखे तो कोई इलाज इसका है नहीं। गांवों में जाकर देखो कि कितनी जगह गांवों में तालाब बने हैं, बढ़िया से बढ़िया बने हैं। एनीकट बने हैं, लघु सिंचाई परियोजनाएं बनी हैं, दुनियाभर के लाखों काम हुए हैं और आपको दिख ही नहीं रहा है, अब इसका तो क्या इलाज किया जाए?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : ऐसे ही करते जाओ, ऐसे ही करते जाओ।

श्री सांवर लाल : मुझे बड़ी खुशी है और मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं और भगवान से भी यही करता हूं कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसे ही समझते जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं यह कहती हूं कि आप जो +++ बोलकर और बहुत सारी अच्छी-अच्छी लच्छेदार बातें कह कर जनता को गुमराह करने का काम करते रहे हो, उसके आधार पर जीतने का मन रख रहे हो, वह आगे पता लग जाएगा।

श्री सांवर लाल : यह आपको तो पता लग गया न? बानसूर की बात ही नहीं कर रहा कोई।

डा. (श्रीमती) कमला : पता लग गया।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : मंत्रीजी अगर असंसदीय भाषा बोले वह तो ठीक और कोई दूसरा बोले तो ठीक नहीं।

डा. (श्रीमती) कमला : कौनसी बोली, बताइए? क्या बोली असंसदीय?

श्री केसाराम चौधरी : यह आप ढूंढ़ लो, क्या, कहां बोला है आपने।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उप मुख्य मंत्रीजी को प्रताड़ना दी जाए, सभापति महोदय।

डा. (श्रीमती) कमला : मैंने कहा लच्छेदार भाषण देकर, यह असंसदीय है क्या?

श्री मदन दिलावर : नहीं +++ बोला है, +++।

श्री केसाराम चौधरी : आप क्या बोले यह आपको मालूम है न।

+++ [illegible] अध्यक्षपीठ के आदेश द्वारा अपमार्जित किया गया।

डा. (श्रीमती) कमला : हां, यह तो +++ बोल ही रहे हैं। पहले लाखों की तादाद में जो काम इनके... (व्यवधान) असत्य ले लीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : आप +++ बोलें, उसे +++ कहे तो +++ नहीं होगी? और माननीय सदस्य कहें वह +++ होगी।

डा. (श्रीमती) कमला : आप अपने मन को टटोल कर, सीने पर हाथ रखकर यह बताइए कि क्या यह काम नहीं हुए? सभी विधान सभा क्षेत्रों में काम हुए हैं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, इनको कोई मन्दिर में ले जाकर बुलवाओ, कुछ तो सच बोले।

डा. (श्रीमती) कमला : तीन हजार तालाब गांवों में बनवाए गए ईएफसी में और चार हजार बनवाए गए एनीकट अकाल के अन्दर, बताना पड़ेगा।

श्री सांवर लाल : अच्छा एक बात बताओ, अब मैं बताता हूं। आप बिराजो, हमको पता है कि कौनसे बनाएं हैं, यह भी है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के भैरोंसिंहजी के राज में पक्के काम हुए, एनीकट भी बनता था, उसका इण्डा भी बनता था, इन्होंने केवल 30 आदमियों को गांव में रखा है।

डा. (श्रीमती) कमला : अजी, हमने भी एनीकट सारे एनीकट की तरह ही बनाए हैं, आप कैसे कह रहे हैं एनीकट तो बिना पक्के काम के बन ही नहीं सकता।

श्री सांवर लाल : गांव में जाने की आपकी हिम्मत नहीं है। एक रुपए का पक्का काम नहीं कराया, हिम्मत नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : बिना मटीरियल कम्पोनेंट के एनीकट बनता ही नहीं है और हमने लघु सिंचाई परियोजनाएं नाबार्ड से मंजूर कराई हैं, चालू कराई हैं।

श्री सांवर लाल : एक बताऊं बात, आपको तकलीफ होगी सही बात कहने से।

डा. (श्रीमती) कमला : आप बेतरतीब, असत्य, तथ्यहीन बातें कहते हो तो क्या करें? जवाब तो देना ही पड़ता है।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, आपको +++ बोलने की आदत पड़ गई है।

डा. (श्रीमती) कमला : आप जो शब्द बोल रहे हो, वह तो अब संसदीय हो गया?

श्री सांवर लाल : हो गया।

डा. (श्रीमती) कमला : हो गया।

श्री सांवर लाल : जब आपने बोल दिया तो संसदीय हो गया।

डा. (श्रीमती) कमला : आप बोल लिए इतने बराबर इसलिए हो गया। आप

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. (श्रीमती) कमला)

रेकार्ड उठाकर देखिए, मौके पर जाकर देखिए, क्या-क्या काम किए हैं।

श्री सांवर लाल : सच्ची बात बड़ी कड़वी लगती है। सभापति महोदय, जब उप मुख्य मंत्रीजी अजमेर प्रवास पर थीं।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : आंकी गाड़ी पंचर होगी।

श्री सभापति : आप बिराजो।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, सच्चाई सबको तकलीफ देती है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से अजमेर में पत्रकारों ने एक सवाल कर दिया कि आपको जाट होने के नाते उप मुख्य मंत्री बनाया गया, तो इन्होंने कहा कि मैं तो वरिष्ठ हूं और मेरे से वरिष्ठ चन्दनमलजी बैद हैं। तो पत्रकारों ने जब पूछा तो मैंने कहा कि बैदजी तो मुख्य मंत्री होने चाहिए थे जब वरिष्ठता का ही क्रम चल रहा है, इनको बाहर कैसे कर दिया? इनको इस बात की तकलीफ है कि जाट होने के नाते किसी को सम्मान कैसे मिल सकता है? हमारी जनता से मिल सकता है।

डा. (श्रीमती) कमला : ऐसा है, आप लोग इस राजनीति में इस तरह की तोड़-मरोड़ से क्या निकालना चाह रहे हैं? उन्होंने मुझे पूछा कि आप सिर्फ इसलिए बने हो? मैंने कहा सिर्फ यही नहीं है, यह तो है ही लेकिन मैं अपने आप में काम करने वाली निष्ठावान कार्यकर्ता रही हूं, उसको मान्यता दी है। तो इसमें क्या बुरी बात हो गई?

श्री सांवर लाल : और सबकी निष्ठा डांवाडोल है, यह मान लेते हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : वरिष्ठ नहीं हूं क्या? मैं वरिष्ठ हूं तो मैंने गलत कहा क्या?

श्री सांवर लाल : आपने नहीं कहा, आपके अलावा सबकी निष्ठा डांवाडोल है, यह भी मान लेते हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं तो जो मेरे से पूछेगा पत्रकार उसको यही बात कहूंगी, दूसरों को जब पूछेंगे तो वह अपनी बात कह देंगे।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, वृद्धावस्था पेंशन, फलानी पेंशन, मेरा आरोप है, जब से यह सरकार बनी है, जिन लोगों को भैरोंसिंहजी के टाइम में पेंशन स्वीकृत हुई थी, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे फैमिली पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, सबको बंद कर दिया, जांच करवाकर। सैकड़ों लोगों को यह पेंशन मिलती थी, उनको अधिकार से वंचित कर दिया। इससे ज्यादा यह सरकार उन असहाय लोगों के विरुद्ध क्या कर सकती है?

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो अभिभाषण सदन के अन्दर प्रस्तुत हुआ, उसका मैं विरोध

(श्री सांवर लाल)

करता हूं। यह राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला है और मैं इस सरकार को सावचेत करता हूं कि भविष्य में तो आपको मौका नहीं मिलेगा और पांच-सात साल बाद अगर वाइ द वे चांस बन जाए तो कम से कम वह चीज लाओ जो जनता के बीच में कर रहे हो, जनता को भ्रमित करने के लिए मत लाओ।

बिजली के बारे में सोनियाजी को जाकर बताते हैं कि घोषणा पत्र लागू कर दिया, इसको पढ़कर बताओ कि हमने यह-यह घोषणा की और इसको पूरा कर दिया। यह काम किया, सारे के सारे काम उल्टे किए हैं। (व्यवधान) माउण्ट आबू की तो कल आपने बता ही दी सारी बातें।

श्री सभापति : माननीय रामचन्द्रजी सराधना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अभी माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने एक बात बोली कि ये +++ बोल रहे हैं।

श्री सभापति : आपका नम्बर आएगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : मैं भी निवेदन कर रहा हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : +++ बोल रहे हैं, अभी आप दौसा पधारी थीं, वहां पर गांव वालों ने इनका रास्ता रोका था और इनकी +++ बातें, इतने पोखर खुदा दिए, इतने कुएं खुदा दिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिए, आपको आसन ने अनुमति नहीं दी है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया है।

श्री सभापति : आपको आसन ने अनुमति नहीं दी है, आप बिराजिए। आपको भी आसन ने अनुमति कब दी है?

श्री अमराराम (धोद) : मैं अनुमति ले रहा हूं।

श्री सभापति : बोल दो फिर, हां फरमाओ क्या चाहते हो?

श्री अमराराम (धोद) : मेरा आपसे निवेदन है कि दो सत्ता पक्ष से और दो प्रतिपक्ष से तो कम से कम एक बीच में से भी तो होना चाहिए।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आएगा आपका नाम है।

श्री अमराराम (धोद) : नाम तो है ही, जनता ने भेजा है, नाम आपके कहने से थोड़े ही है। सभापति महोदय, जनता ने भेजा है। मेरा आपसे यही कहना है कि दो इधर से बोले, दो उधर से बोले तो कम से कम एक इधर से भी, ये तो आरोप-प्रत्यारोप की बात कहेंगे, निष्पक्ष वालों को भी बोलने दें।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : आएगा।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में धन्यवाद देने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, वे काम करने वाले, झगड़ा करने वाले, हम तो बीच में बोल सकते हैं न?

(15.00 बजे)

श्री सभापति : बिराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को इस सदन की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में राजस्थान सरकार के चार वर्ष के कार्य करने के साथ इस 2002-2003 के दरमियान जो विकास के कार्य किये गये, उनके बारे में अपनी राजस्थान की जनता को अपने अभिभाषण के माध्यम से एक लेखाजोखा प्रस्तुत किया। यह जरूरी था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने इस वर्ष क्या किया, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसका उल्लेख अपने अभिभाषण में किया। अफसोस इस बात का होता है, माननीय सभापति महोदय, हम लोग पार्टियों के अंदाज में कितने विकृत हो चुके हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय को भी नहीं बख्शते। यहां तक कहा गया कि यह सारहीन व कपोल-कल्पित बातें हैं, राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवा दीं। मैं उन प्रतिभावान-वक्ताओं को जो विपक्ष में बैठकर बात करते हैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने मुंह से बात यों ही नहीं कह दी है, उन्होंने सोच-समझकर कही है। केवलमात्र आप मखौल के हिसाब से बात करना चाहे या बुराई के हिसाब से बात करना चाहे वह अलग

(15.01 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

बात है। विपक्ष में बैठने वाले केवल इस बात के लिए विरोध करते रहे हैं कि हमें विपक्ष में बैठकर विरोध करना है, वह बात अलग है, अन्यथा अभी भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे अपने भाषण में, तीन-चार बार उन्होंने कहा डूब मरो। यह राजनीति करने वाले कितनी बार डूबते हैं, कितनी बार मरते हैं, आपको खयाल नहीं हुआ कितनी बार डूब गये और कितनी बार मर गये। बार-बार ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बार-बार इस बात के लिए कह रहे थे कि आपने देखा नहीं कि बानसूर में क्या हुआ, सागवाड़ा

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

में क्या हुआ। आपके हालात यह हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, यदि ये सारे हालात इनको मालूम थे तो चार वर्ष ये अपना भविष्य नही देख रहे थे, इनके हालात क्यों हो गये ऐसे? हमारा भविष्य देखने के लिए ये तैयार हैं और खुद का भविष्य नजर नहीं आ रहा।

अभी 2002-2003 के कार्यों के बारे में अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में बातचीत हो रही थी, यह कह रहे थे के बलिराम जी भगत ने जब अभिभाषण दिया था, भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, तबकी बातें कर रहे हैं आज की बात करनी चाहिए थी। मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापति महोदय, जब व्यक्ति उधर बैठता है तो बहरा और अंधा हो जाता है। जब व्यक्ति यहां बैठता है तो जागरुक भी होता है और सुनता भी है।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपको इसीलिए बैठा दिया कि आप सुनो, समझो और अपने आपको पहचानो।

श्री सभापति : आपको डाक्टर साहब, दोनों तरफ का अनुभव है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं निवेदन कर रहा था विकास में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। शिक्षा के बारे में इस कांग्रेस की सरकार ने बड़ा चिंतन किया और जो अपने संसाधन थे उन संसाधनों को जुटाकर उनको देखते हुए राजस्थान में शिक्षा का एक सघन माहौल तैयार किया। राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से गांव और ढाणी में जहां बच्चे जा नहीं पाते थे पढ़ने के लिए दूरदराज में, उन लोगों के लिए वहां राजीव गांधी पाठशाला खोलकर शिक्षा का एक माहौल दिया और उस बात को सब जानते हैं, राजस्थान की जनता जानती है, राजस्थान का हर नेता जानता है, चाहे बी.जे.पी. के हों, चाहे कांग्रेस के हों, हर आदमी इस बात को महसूस करता है कि उन्होंने एक शैक्षिक वातावरण बनाया। यह हमारी मजबूरी थी, सरकार की मजबूरी थी कि 1200 रुपये देकर उनको तय किया। लेकिन जब देने के लिए ज्यादा नहीं हो तो कम देकर हम कोई काम क्यों नहीं करवाना चाहें? समाज के साथ खिलवाड़ खेले यह अच्छी बात नहीं थी। जैसे-जैसे स्थितियां बनेंगी सरकार इनका पैसा बढ़ाने के लिए, इनका मानदेय बढ़ाने के लिए तत्पर है। लेकिन रोज-रोज ये बात करें कि 1200 का आदमी "कके" की जगह "बबा" पढ़ाएगा और "अ" की जगह "स" पढ़ाएगा, यह समझदारी की बात नहीं है। आज स्थितियां आपके सामने है। शैक्षिक वातावरण बना है और लाखों बच्चों ने जो कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देख सकते थे उन बच्चों ने जाकर शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया है। चाहे वो मोबाइल स्कूल के माध्यम से बात करें, शिक्षा अपने द्वार की बात करें, चाहे राजीव

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गांधी पाठशाला की बात करें। राजस्थान में दूरदराज के इलाकों में जहां पर अपर प्राइमरी, सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी नहीं थी उन इलाकों में भी राजस्थान सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था की है, क्रमोन्नत करके बच्चों को पढ़ाने के लिए वातावरण दिया है जो अपने घर के पास शिक्षा का लाभ उठा सके।

विस्तृत बात न करके मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का युवक, राजस्थान का छात्र जो इस टेक्निकल शिक्षा के लिए या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे स्टेट्स में जाता था उन लोगों को मौका मिला है राजस्थान की सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से और राजकीय शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी खोलकर उनको यहां पर प्रवेश का काम करने का मौका दिया है।

बात चल रही थी, स्थिति खराब थी, अकाल के बारे में कहा गया था कि राजस्थान में भयंकर अकाल है। निश्चित रूप से इस बात को सब मानते हैं और अकाल में सारी स्थितियां सामने आ जाती हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी सबके सामने है, लेकिन इस सारे संकट को देखते हुए राजस्थान में जिस तरीके से एक कुशल प्रबन्धन के माध्यम से अकाल के दिनों में राजस्थान की जनता को सहयोग और राहत मिल रही है उसके लिए यह राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्य मंत्री, जिनके नेतृत्व में यह सब काम हो रहा है वे धन्यवाद के पात्र हैं। (व्यवधान) यह बात सही है कि बी.जे.पी. के बहुत सारे भाई रोज-रोज एक खबर लाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि राजस्थान हमारा है। राजस्थान में भूख से लोग मर गये। कहां मर गये? कैसे मर गये? भूख से आदमी नहीं मरता है। कल बात आयी, एक माननीय सदस्य कह रहे थे आधी भूख से मर गया, आधा खाने से मर गया। आधा खाने से कैस मरता है, यह समझ नहीं पाये। मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए, निःसहायों, अशक्तों, अपाहित लोगों के लिए एक योजना दी है और इस देश में पहली बार यह योजना दी है कि कोई आदमी रात को भूखा न सो जाए इसके लिए उनको तहसील स्तर पर 25 बोरी, ग्राम पंचायत स्तर पर पांच और गांव में दो बोरी गेहूं की पहुंचाकर सबको सूचना दी, आग्रह किया, निवेदन किया हर कार्यकर्त्ता से, चाहे वह किसी पार्टी का हो, कि वह ध्यान रखे कि अपने पड़ोस में कोई आदमी भूखा न सो जाए। अपनी गली-कूंचली में, कहीं ढाणी या गांव में कोई आदमी भूखा न सो जाए उसका आप इंतजाम करें, उसकी सूचना दें और उस आदमी तक यह सूचना पहुंचाए कि आपके लिए वह व्यवस्था है, आप वहां से गेहूं लेकर अपना काम चलाएं, दो दिन, चार दिन का काम चलाएं। मान्यवर, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि बी.जे.पी.

(श्री रामचन्द्र सराधना)

के भाई यह ढूंढ़ने के लिए तो तैयार नहीं हैं किस आदमी के पास गेहूं नहीं है, किसके पास आज रात का खाना नहीं है और ये गांवों में ढूंढ़ते फिरे कि थारला गांव में कोई मर्‌यो ह के? जब लोगों ने कहा कि मरा नहीं है। भई, कोई न कोई तो मर्‌यो होसी और भूख स ही मर्‌यो होसी?

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी माणोता गांव में इन्होंने एक ऐसा नाटक रच दिया कि भूख से मर गया आदमी। वहां पर सारा प्रशासन चला गया, जिला प्रमुख चली गई और नेता लोग चले गये। जाकर पूछा कि कैसे मर गया? बोले, इसका सारा कामकाज ठीक है, यह तो देन-लेन करता था। बुजुर्ग आदमी था, श्वास की तकलीफ थी, 5-7 दिन से बीमार था, इसलिए खत्तम हो गया। यह बात करके क्या करना चाहते हैं आप? क्या मैसेज देश को देना चाहते हैं? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पहले एक कहावत सुनी होगी– "जननी जने दो पूत जनै, कै दाता कै सूर। नहीं तो रहजे बांझड़ी, मति गंवाजे नूर।" इस प्रदेश में सूर ही पैदा नहीं हुए, दातार भी पैदा हुए, भामाशाह भी पैदा हुए हैं। ऐसा कोई निकृष्ट आदमी नहीं है जिसके पड़ोस में कोई भूखा आदमी मर जाए। यदि किसी को मालूम पड़ जाए कि मेरे पड़ोस में कोई आदमी भूखा है तो उसको रोटी दिये बिना राजस्थान का आदमी नहीं रहेगा। इस बात को भूल रहे हैं और सारे देश में हल्ला मचा रहे हैं कि राजस्थान में भूखा आदमी मर गया। राजस्थान का आदमी भूखा नहीं मर सकता। इसके लिए इतिहास साक्षी है। अपने प्राणों की बाजी लगा सकता है, लेकिन राजस्थान का आदमी भूख के लिए तड़फता नहीं है, मरता नहीं है भूख से। आपने सुना होगा, राणा प्रताप की बात "हरे घास री रोटी जद बिन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्हो सो अमर्‌यो चीख पड्‌यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो।" किस तरह से उन्हें दुख था। सारे दुःख, संकट सब झेले, लेकिन आप की तरह इस तरह से बातें नहीं की कि भूख से मर गया, हमारे भूख से मर गया। कल यह माननीय सदस्य कह रहे थे, बैठे बैठे, मेरे यहां पर मर गया। आपके यहां मर गया तो आप क्या पापड़ बेल रहे थे। आपकी यह ड्यूटी थी, आपको भी मालूम है पांच बोरी कहां रखी हैं, आप भी जाकर उसकी इमदाद कर सकते थे, उसकी मदद कर सकते थे। लेकिन इस वजह से प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कोई मरने की खबर आये तो अखबार में छपवाएं। मान्यवर, यह इंसानियत का सवाल है, यह मानवीय दृष्टिकोण है, इसके लिए बी.जे.पी. और कांग्रेस नहीं हैं। आज राजस्थान में कहीं पर कोई कमजोरी आती है, भूख से मरने की बात आती है, कहीं पर अभाव आता है तो ड्यूटी होती है बी.जे.पी. और कांग्रेस सब लोगों की, वोट की बात आती है जब बी.जे.पी. और कांग्रेस की बात करो लेकिन

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आप इस अकाल में भी बी.जे.पी. और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरे दिमाग में यह बात थी। पहले से मैं यह सोचता था कि केन्द्र की सरकार राजस्थान को मदद नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : नहीं तो गलत क्यों बोल रहे हैं?

श्री रामचन्द्र सराधना : आपको अभी समझने का मौका है। मेरी बात सुनिए मेहरबानी करके। मैं निवेदन यह कर रहा था, मेरे दिमाग में यह बात थी, मैं भी यह सोच रहा था कि केन्द्र की सरकार राजस्थान में मदद नहीं करना चाहती है। लेकिन, मान्यवर, मुझे अफसोस है कि राजस्थान की जनता के दुश्मन हम ही हैं यहां बैठे हैं और अचानक बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, यहां कह रहे हैं। वह कैसे करने देंगे, केन्द्र की सरकार को हमारी मदद कैसे नहीं करने देंगे, राजस्थान की असलियत को नहीं पहचानने देंगे और यहां पर हमसे लड़ाई करते हैं, वह नहीं किया वह नहीं किया। 156 इनपुट सब्सिडी का पैसा देकर 156 करोड़ आप यह कहते हैं कि 60 लाख किसानों में बांट दो। यह कोई 60 लाख लोगों में बांटने का एक तरीका होगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, यह बात सही नहीं है। (व्यवधान) आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप विराजिये, बोलने दीजिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, यह निहायत इंसानियत का मामला है। जैसा मैंने निवेदन किया अकाल के सन्दर्भ में किसी को राजनीति करने का हक नहीं है। यदि वह ऐसा है तो राजस्थान की जनता के साथ में वह अन्याय करता है वह उससे दुश्मनी करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं अकाल के समय में जिस तरह से लोगों को रोजगार देकर बात की है, सब कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ देने की कोशिश की है, हम असलियत को मानने को तैयार नहीं हैं। सिंचाई विभाग के माध्यम से जल संग्रहण के माध्यम से जिस तरह से बूंद बूंद पानी की रक्षा करने के लिए, यह तो कुदरत का सवाल है कि बरसात हो नहीं हो, उसके लिए भी कहते हैं कि हमारे कारण बरसात होती है। यह राजस्थान में बरसात हुई है यह भी इनके कारण हुई है।

श्री रोहिताश्व कुमार : होती है।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह बड़ी हंसी और उपहास का विषय है। हंसी आती है इस बात के लिए कि यह लोग क्या बात करते हैं। जिस तरह से राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के लिए, सिंचित करने के लिए जिस स्तर पर गांव और ढाणी में कहीं नाले पर, नदी पर, जोहड़ की, तलाई की नाडी की जो व्यवस्था की गई है उस बात को भी नकारना चाहते हैं, उस बात को भी स्वीकार नहीं करना चाहते है मैं आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा था कि

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जो सच्चाई भी नहीं मानते वहां पर सब कुछ नहीं है फिर। आज विद्युत की बात कर रहे थे। बार बार एक ही सहारा लिये बैठे हैं कि बिजली के मामले में राजस्थान की जनता बहुत नाराज हो गई है। अब के बिजली के मामले में इनको निपटा देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गई है।

श्री रोहिताश्व कुमार : निपटा दिया तीन उप चुनावों में।

श्री रामचन्द्र सराधना : आप कई बार निपटे हुए हो, अब की बार आ गये तो क्या हो गया, थोड़ी गम्भीरता रखिये। मैं निवेदन कर रहा था माननीय... (व्यवधान) विद्युत की बात कर रहे थे।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह तो आपको भी क्या पता, यह क्या जवाब है अगली बार, यह जो आपने प्रजेंट एक्शन किया है इसका परिणाम जनता ने दे दिया, इसमें क्या बात हुई?

डा. महेश जोशी : यह बात आप अपनी पार्टी वालों को समझाइये न कि अगली बार की बात क्यों करते हैं, यह तो अगली बार की बात कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं बात। आप अपनी पार्टी वालों को समझाइये, अपने पड़ोस वालों को समझाइये।

श्री रोहिताश्व कुमार : आप जो गलत कर रहे हो उसी के परिणामस्वरूप तो हम आये हैं यहां पर।

डा. महेश जोशी : आप तो भुगत रहे हो न अभी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, इनको धन्यवाद दो आप तो, नहीं तो आप कैसे आते।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापति महोदय, आपकी बात से सहमत हूं।

श्री रामचन्द्र सराधना : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य के विचारों से मैं बड़ा सहमत हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपको भी यह मनन करने का मौका दिया। आपको समझ में आ गया कि मैं इधर क्यों आया, आपको मालूम हो गया कि आपने इधर बैठकर क्या किया था, हम वह नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे। राजस्थान की जनता चाहती है हम वही कर रहे हैं, राजस्थान की जनता वाहवाही कर रही है उन कामों को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर आप मेरी बात तो सुन लीजिए। विद्युत के बारे में माननीय भिनाय से आने वाले सदस्य का भाषण बड़ा जोरदार रहा और बड़े गुस्से में रहे और यह कहते रहे कि जानें क्या क्या करना चाहते हैं लेकिन असलियत पर नहीं आ सके। मान्यवर, यदि गये इन चार वर्षों में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया और विद्युत को गम्भीरता से

(श्री रामचन्द्र सराधना)

देखा, इसी को यदि पहले भी किया होता तो आज स्थिति राजस्थान की जनता के लिए यह नहीं होती, कभी गम्भीरता से नहीं लिया इस बात को और आप जब कह रहे हैं कि हमने हजारों रुपया काश्तकारों का ऋण माफ कर दिया। क्या बिगाड़ता है उस मुखिया का जो थोड़े दिन में जाने वाला है, सारे घरवालों को हलवा खिलाने वाला है, जाना है तो खिला पिलाकर चला जाएगा लेकिन जिसके रहना है वह इंतजाम करेगा कि अगली साल लड़की की शादी करनी है, अगली साल यह काम करना है, सारे इंतजाम करके चलता है।

श्री सांवर लाल : किसानों की शादी करोगे क्या? किस किसान की शादी कर दी?

श्री रामचन्द्र सराधना : यह छोटी–सी बातें इसलिए करता हूं, माननीय सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल : आज तक किसानों के लिए कुछ किया हो तो गिना दो। आपने बिजली के पैसे बढ़ाने के अलावा कुछ किया हो तो बता दो।

श्री सभापति : माननीय सांवर लालजी, आप खूब अच्छा भाषण दे चुके हो, दूसरों को सुनिए आप।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है। कल यह बात आई थी, माननीय आजाद साहब ने एक बात कही थी कि यह सरकार माई बाप रह कर जनता की सेवा कर रही है। मान्यवर, एक वरिष्ठ नेता बड़ा जम्प लगाकर आये और कहने लगे आप जनता के माई बाप बनना चाहते हो, यह गलत इंटरप्रिटेशन आपके पास है, यह आपको खूबी दी है आप लोगों को, अन्यथा जो भी सरकार होती आज से नहीं सदा से इतिहास बताता है सरकार जो भी होती है मां बनकर उसको पालन करना पड़ता है, बाप बनकर संरक्षण करना पड़ता है और सेवक बनकर सेवा करनी पड़ती है। यह सरकार का काम है। इसमें चिड़ने की क्या बात है? लेकिन आपको तो छोटी–सी फफूंद चाहिए अखबार में छपाने के लिए कि फलां आदमी ने यह कहा। हरिसिंह जी महुवा ने कह दिया किसानों के लिए कि ऋण के हम विरोध में हैं। यह छपाना चाहते थे आप वे ऋण के विरोध में, नहीं। आपने जो घोषणा की है उसके विरोध में हैं। मैं निवेदन कर रहा था जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने विद्युत के बारे में गम्भीरता से विचार किया और उत्पादन से लेकर, उसके सुधार से लेकर प्रसारण तंत्र तक को ठीक करने की कोशिश की है, जगह जगह पर ग्रिड स्टेशन लगाकर उसके लिए राजस्थान का किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया, पहले पहले इन लोगों के हुडदंग में आ गया था, अब यह समझ गया कि वाकई जितनी बिजली है उसको ढंग से काम लेने

(श्री रामचन्द्र सराधना)

गया था, अब यह समझ गया कि वाकई जितनी बिजली है उसको ढंग से काम लेने के लिए राजस्थान की सरकार अपने प्रसारण में बड़ी तरकीब से काम कर रही है, सभी लोगों के हित में सोच रही है। सड़कों की बात बहुत सारी हो गई है। सड़क का विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। सड़क नहीं हो तो आने-जाने का साधन नहीं होता, सड़क नहीं होती तो सामान इधर से उधर ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का लाभ नहीं मिल पाता है। राजस्थान की सरकार ने गम्भीरता से सोचा। पहले वाली सरकार ने आठ वर्ष तक गड्ढे खोदने के सिवाय भरने का काम नहीं किया लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने...

श्री रोहिताश्व कुमार : आप पहले वाली सरकार, माननीय सभापति महोदय, जो भी सड़क अभी बनी, 3-4 साल में सड़क बन गई और उस पर भी पूरा मसाला नहीं डला गया, पटरी तो बनाई नहीं। पूरा का पूरा इन्होंने खोद दिया रास्ता वापस, दोनों तरफ पटरियां नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय जी, आप जिधर से जाएंगे उधर तो सड़क टूटेगी ही टूटेगी। आप जिधर से जाएंगे सड़क निश्चित रूप से टूटेगी। आपका तो ट्रैफिक ही ऐसा है। मैं निवेदन यह कर रहा था...

श्री रोहिताश्व कुमार : यह ठीक कह रहे हैं, पब्लिक हमारे पास ज्यादा है, इनके पास पब्लिक अब बची नहीं तो बात तो सही है, जाएंगे तो हम ही, इनको तो अब कोई बुलाने वाला नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : खैर, यह अर्थ भी आपका ठीक है। मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति जी, सड़कों के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से जाल बिछाया, सड़कों को ठीक किया, जनता राहत की सांस ले रही है। और स्टेट्स के लोग भी आकर देखते हैं सड़कों को तो खुश होते हैं, राजस्थान में अकाल होने के बावजूद भी राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए, राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : सारा रुपया दिल्ली से आ रहा है, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। सारा रुपया दिल्ली से आया है प्रधानमंत्री सड़क योजना में।

श्री रामचन्द्र सराधना : अब गुमराह आप हो रहे हैं कि मैं हो रहा हूं लेकिन राजस्थान की जनता नहीं हो रही है गुमराह, राजस्थान की जनता आपको बहुत अच्छी तरह से जानती है, जब गणेशजी को आप दूध पिला सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते, कौन क्या करने में माहिर है, यह सब जानती है, बहुत अच्छी तरह से जान गई माननीय सदस्य, सुरक्षा की बात कर रहे हो, राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। सुरक्षा का बड़ा खतरा है, कौन किसको पकड़ कर ले जाएगा, कौन कहां चला जाएगा।

मान्यवर, यह बात सही है, राजस्थान

(श्री रामचन्द्र सराधना)

में आबादी का बहुत प्रसार हुआ है। आबादी बढ़ी है। ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती है त्यों त्यों अपराध भी बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों विकास की बातें आती हैं, मुम्बई से दिल्ली तक जब ब्राड गेज चली है तो इनका नुकसान भी यहां हुआ है, अपराधी लोग भी आने लगे हैं। यह बात भी सही है, दूसरी स्टेट्स से आकर रहने लगे हैं लेकिन हमारा यह फर्ज तो नहीं है कि हम राजस्थान की पुलिस को उपालंभ देते रहे, दिल्ली की पुलिस की वाहवाही करते रहे। यदि राजस्थान की पुलिस किसी भी काम में सहयोग नहीं देती, अभी सुमेधा काण्ड की बात आपको निवेदन करूं, सुमेधा काण्ड में यदि राजस्थान की पुलिस उनको सहयोग नहीं करती, भागदौड़ नहीं करती तो क्या दिल्ली की पुलिस यहां लाकर सुमेधा को घर पर सम्भला देती? कम से कम अपने आदमियों की भी तो सोचो। हां, यह सही है, आपका फर्ज है कि अगर राजस्थान की सरकार का नाम होता है, उसका नाम आप नहीं करना चाहते, उसकी असलियत को आप नहीं जानना चाहते, राजस्थान की सरकार को आप धन्यवाद नहीं देना चाहते, राजस्थान की सरकार को आप धन्यवाद दे देंगे तो फिर आपकी पार्टी के लोग आपको बुरा कहेंगे, आपको अच्छा नहीं मानेंगे, आपको कह देंगे कि आप भी क्या कांग्रेस में मिल रहे हो, यह कह देंगे। यह बात सही है कि आपको राजस्थान की कांग्रेस सरकार को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, लेकिन राजस्थान की पुलिस को तो धन्यवाद दो मुक्त कंठ से जिसने दिन-रात एक करके ऐसे गम्भीर कांड को खोलकर सामने रख दिया और अपराधियों सहित पकड़ लाये।

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, राजस्थान की पुलिस तो हमेशा अच्छा काम करती है पर सरकार पथभ्रष्ट करे तब क्या करे पुलिस? उन पर सरकार का प्रैशर हो जाए तब गड़बड़ हो जाता है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : वह फिरौती को तैयार हो गये थे। फिरौती देकर के आई है वहां पर सुमेधा दुर्लभजी। सरकार को और पुलिस को कोई श्रेय नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : अफसोस इस बात का है, जब इधर बैठते हैं तो वही पुलिस, वही सरकार, वही आफिसर बहुत अच्छे नजर आते हैं और उधर बैठते हैं तो वही आफिसर, वही पुलिस, सारे उनको भ्रष्ट और बेईमान नजर आते हैं। यह नजरिया कैसे बदल जाता है, इसको भी थोड़ा सोचो। इधर जब आप थे तो सारे आफिसर आपके कहने में थे, सारे ईमानदार थे, सारी पुलिस एक्टिव थी और उधर जाते ही सारे निष्क्रिय हो गये। आपकी नजरों में निष्क्रिय हैं। राजस्थान की पुलिस वहां की वहां है, राजस्थान की पुलिस नहीं होती, मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब गुजरात जल रहा था, वे अपने मंसूबे गुजरात में सफल कर रहे थे, यहां लोगों के दिलों में

(श्री रामचन्द्र सराधना)

लड्डू फूट रहे थे कि यहां भी होने वाला है। मैं राजस्थान की इस सरकार को और राजस्थान की पुलिस को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सीमा से इधर नहीं बढ़ने दिया। कुछ फूफंद आई उड़ करके जो इधर से गिरी कभी उधर गिरी, कहीं गंगापुर में चली गई, कहीं इधर-उधर करने की कोशिश की लेकिन पानी की बाल्टी डाल करके उसको भी बराबर कर दिया। यह श्रेय है राजस्थान की पुलिस को और राजस्थान की सरकार को। यह राजस्थान की जनता अमनचैन चाहती है। आप बात करते हैं, चुनाव का आपके भूत सवार हो गया, चुनाव आ गया हम सुपर करना चाहते हैं, हम यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं, इतना भूत सवार मत करो। राजस्थान की जनता रहेगी तो चुनाव रहेगा और राजस्थान की जनता रहेगी तो आप और हम रहेंगे इस बात को आप क्यों भूल जाते हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : हम तो आपको सीख दे रहे हैं कि इन बातों से सम्भलो, इन बातों को समझो ताकि जनता का भला कर सको।

श्री रामचन्द्र सराधना : पहले आपकी सीख को ये आपकी पार्टी के लोग तो माने। हम तो समझ जाएंगे लेकिन आपकी पार्टी के लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि सुरक्षा के मामले में राजस्थान की पुलिस के हौसले बढ़ाने के बजाय आप उसको निरुत्साहित मत करो। जिन लोगों ने काम किया चाहे वह कैसा भी आदमी होता है, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान की सरकार को लेकिन हम उनको नहीं दे सकें तो पुलिस को आप हतोत्साहित मत कीजिये।

सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, बी.पी.एल. फैमिलीज की बात कर रहे थे। देश में कहीं का भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया कि बी.पी.एल. फैमिली का आदमी, गरीबी मिटाने के नारे तो बहुत लगे, कांग्रेस ने भी गरीबी मिटाने की बात की है और बी.जे.पी. ने भी गरीबी मिटाने की बहुत बातें की होंगी। ऊंटगाड़ी आपने भी दी होगी, हमने भी दी है। भेड़, बकरी, भैंस गांवों में गरीबों को हमने भी दी हैं, आपने भी दी होंगी। लेकिन कोई कभी यह भी सोचा कि ऊंटगाड़ी चलाने वाला कभी बीमार हो जाएगा तो इसका खर्चा कौन देगा? शाम को ऊंट का खर्चा कौन देगा, उसको कर्जा कौन देगा, उसकी बीमारी का पैसा कौन देगा? यदि गम्भीर बीमार हो गया तो उसको सहारा कौन देगा? यह राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने विचार किया कि उस गरीब का इलाज करवाने के लिए सरकार पाबन्द है। लाख, डेढ़ लाख, दो लाख, तीन लाख, जितना पैसा लगेगा, सरकार लगायेगी। ये

(श्री रामचन्द्र सराधना)

ऐसे मुद्दे हैं, ये विरोध करने के मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे आपके अन्तरमन को छू रहे हैं, ये आपकी आत्मा को झकझोर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाये। कर तो इसलिए नहीं पाये कि आप लोग +++ के पुलिंदे बनाते रहे।

श्री रोहिताश्व कुमार : फिर +++ शब्द। तिबारा +++ शब्द कहा है।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह +++ लग रहा है। मान्यवर, सरकार की भावनाओं को देखा जाता है। कारगिल का नाम है, कारगिल क्यों बना क्योंकि हम सो गये, हमने लाहौर बसों से आना-जाना शुरू कर दिया और कारगिल को छोड़ दिया। और कारगिल की जो स्थिति हुई और हमारे राजस्थान के कारगिल में जो शहीद हुए उनको जितना सम्मान राजस्थान की सरकार ने दिया, उदाहरण नहीं है आज से पहले का। एक पैकेज दिया, उस सीमा पर लड़ने वाले लोगों के हौसले बुलंद किये।

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, आपने कोई आसमान के तारे नहीं तोड़े। आपने अपनी जेब से नहीं दिये, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से नहीं दिया। यह पैकेज है। आपने जो पैकेज दिया, दूसरी राज्य सरकारों ने भी दिया, हरेक सरकार ने दिया है। कोई नई बात नहीं की है आपने। (व्यवधान) अगर हम भी सरकार में होते तो हम भी ऐसा ही करते और इससे ज्यादा करते।

डा. महेश जोशी : केन्द्र सरकार की तो जेब से जा रहा होगा? केन्द्र सरकार की तो जेब से जा रहा होगा? (व्यवधान) कुछ नहीं करते आप।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, यह तो हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री के शुक्रगुजार रहो कि युद्ध तो कई हुए, हिन्दुस्तान में कई शहीद हुए पर माताओं और पिता और गांव वाले केवल वे कपड़े देख करके संतुष्ट हो जाते। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो भी शहीद हुआ है उसको गांव तक पहुंचाया है, उसका सम्मान किया, उनके नाम से पैट्रोल पम्प दिया तब आपको पता चला कि हम नहीं करेंगे तो जनता छोड़ने वाली नहीं है इसलिए आपने चालू किया है। नहीं तो आपके जमाने में हुआ क्या था?

श्री रामचन्द्र सराधना : धन्यवाद।

श्री सांवर लाल : कई लड़ाइयां हुई हैं, बांग्लादेश की हुई, पाकिस्तान की हुई, सैकड़ों नौजवान शहीद हुए। माननीय सभापति महोदय, वहां पर मां-बाप शक्ल नहीं देख पाते थे, केवल चिट्ठी और तार भेज देते कि आपका लड़का शहीद हो गया। यह हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री ने चाहे लाखों रुपये लग जाएं...(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. महेश जोशी : आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी हासिल करिये।

श्री सांवर लाल : कोई नौजवान शहीद हुआ है उसको गांव में सम्मान के साथ...(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : ...कोफीन बनाये उन्होंने।

श्री श्रवण कुमार : सांवर लाल जी आपके रक्षा मंत्री ने +++

डा. करण सिंह यादव : +++

श्री श्रवण कुमार : सांवर लाल जी, ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : +++

श्री श्रवण कुमार : +++

श्री सांवर लाल : यह तो अपने को बचाने के लिए कर रहे हो सारे काम। आपके मन में सम्मान की कोई बात नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : आपकी सरकार ने +++ और आपको उस बात का पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, इनकी आदत हो गई, जो प्रधानमंत्री करते हैं, फट से रियेक्शन में आ जाते हैं। इनको मालूम है नहीं। मण्डल आयोग के आरक्षण के मामले में प्रधानमंत्री ने...(व्यवधान) दौरा छोड़कर आकर लागू कर दिया। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति जी, मैं संरक्षण चाहूंगा।

डा. महेश जोशी : आपकी तरह +++ नहीं हैं हम लोग।

श्री श्रवण कुमार : +++ मन्दिर के नाम पर जनता को धोखा दिया और मन्दिर के नाम पर, याद है बांग्लादेश में जाकर के, पाकिस्तान में कटवा दिया, मन्दिर के नाम लेकर के क्या कहते हैं। तीन आदमी जीत गये उप चुनाव में तो +++ हो गये। अभी तो पूरा चुनाव नवम्बर में आना बाकी है।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने बात बिलकुल सही कही है कि यह स्थिति किसने पैदा की। यह बात सही है स्थिति पैदा भी भारत की केन्द्रीय सरकार ने की। कारगिल की लड़ाई क्यों पैदा हुई, यह स्थिति पैदा की उन्होंने।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह पाकिस्तान किसने बनाया?

श्री रामचन्द्र सराधना : आपकी आदत हो गई बार-बार बोलने की।

श्री रोहिताश्व कुमार : लड़ाई का कारण प्रधानमंत्री हो गया, भाजपा सरकार हो गई।

श्री रामचन्द्र सराधना : आप बिराजिये।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रोहिताश्व कुमार : सारी दुनिया, सारा देश जानता है कि यह पाकिस्तान किसने बनाया। क्या बात करते हो?

श्री सांवर लाल : ये नौजवान यहां पर शहीद हुए, जीत जीत कर जमीन वापस सुपुर्द की चीन को, पाकिस्तान को। हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री ने कारगिल खाली करवा दिया।

श्री सभापति : माननीय सांवर लाल जी। आप बार-बार व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री रोहिताश्व कुमार : हमारी मातृभूमि का कितना बड़ा भू-भाग आज भी चाइना ने दबा रखा है। यह भी बी.जे.पी. ने किया है क्या?

श्री सभापति : आप कंटीन्यू करने दे, माननीय।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति जी, मैंने माननीय भिनाय से आने वाले सदस्य को बहुत गम्भीरता से सुना है।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य खुद बोल रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। थोड़ी देर पहले तो आप ठीक बोल रहे थे और फिर आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री सभापति : आप बार-बार उनको छेड़ें मत। उनको बोलने दीजिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय भिनाय से आने वाले सदस्य को मैं भी छेड़ सकता था लेकिन मैंने गम्भीरता से सुनां। वो बड़े ताव में थे, पूरे। आपके ताव को मैंने पूरा झेला लेकिन माननीय, आपने जो कहा, यह स्थिति कैसे पैदा हुई, इसको छिपाया नहीं जा सकता। कारगिल में युद्ध हो रहा है, दूसरे देश का आक्रमण होने की तैयारी हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि अब आर-पार की लड़ाई होगी, सहन नहीं होगा, और दूसरे दिन मनाली चले जाते हैं। मनाली जाकर बैठ जाते हैं। इसको कोई नहीं छिपा सकता। मैं नहीं छिपा सकता, आप नहीं छिपा सकते। असलियत से आप मुकर नहीं सकते। यहां नहीं तो जनता सब जानती है। अब मैं यह समझता हूं कि ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको, मान्यवर, थोड़ा धैर्य रखिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सदस्य को माननीय सभापति महोदय जानकारी नहीं है।

श्री सभापति : आप बार-बार व्यवधान मत कीजिये। प्लीज बैठ जाइये। आप उनको कंटीन्यू करने दीजिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : लड़ाई जब शुरू करते हैं तो हमेशा पक्ष, विपक्ष के नेता, सबको विश्वास में लेते हैं तब शुरू की जाती है। अकेले प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेते।

श्री रामचन्द्र सराधना : आप मेरे बोलने पर विश्वास तो रखो थोड़ा सा।

श्री सभापति : माननीय रोहिताश्व जी, यहां पर जो हैं उनमें से कोई लड़ने नहीं गया। कैसे शुरू होती है लड़ाई।

श्री रामचन्द्र सराधना : आप भी विश्वास रखिये, मैं वही कहूंगा जो मैं कह रहा हूं। मान्यवर, राजस्थान में चार वर्ष से पहले जब सरकार बनी थी, हालात खराब थे। किसी से छिपे हुए नहीं थे और यह बात सही है कि इनके कहने से नहीं, लेकिन हम यथार्थ को पहचानते हैं, गरिमाओं के गौरव को बढ़ाते हैं, असलियत को समझते हैं। इनके कारण या हमारे कारण कोई बरसात नहीं रुकती है लेकिन अकाल राजस्थान में पांच वर्ष से लगातार पड़ रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति चौपट हुई है। जो भी विकास करना चाहिए था वह विकास नहीं कर पाये। जो पैसा जहां लगना चाहिए था वह नहीं लग पाया। यहां तक करना पड़ा, रेल से पानी पहुंचाना पड़ रहा है गांवों में। बड़े दुःख की बात है कि ये माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि आप इण्डिया में बैठते हैं, यह भारत है। आप हमेशा ही यही बात कर रहे हैं, आप हमेशा यह कहते हैं कि केन्द्र सरकार यह कर रही है, केन्द्र की सरकार कोई अहसान कर रही है, केन्द्र सरकार अहसान कर रही है। राजस्थान की सरकार जो काम कर रही है, जो सड़क बना रही है, माननीय सदस्य दिलावरजी, उसके ऊपर से नहीं जा रहे हैं? माननीय दिलावर जी के एरिया में वह सड़क नहीं जा रही है? बिजली जो जा रही है आपके यहां नहीं जा रही है? खैर, यह तो नहीं कहा राजस्थान की सरकार ने कि कांग्रेसियों के पास ही जाये, दूसरों के पास नहीं जाये। आप क्या मानना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : यह तो इटली तक जा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह भारत की सरकार कोई अहसान नहीं कर रही है, भारत की सरकार को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। राजस्थान के हर जन जन का दायित्व है कि हमारे हक-हकूकों के लिए लड़ेंगे। भारत की सरकार से कहेंगे, केन्द्र की सरकार से कहेंगे और इन कुदरत की आपदाओं में, संकट के समय में जो उनको करना चाहिए, वह हमें कहना पड़ेगा और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं विपक्ष के माननीय सदस्यों को आप भी अपनी पूरी ताकत लगाइये, राजस्थान की स्थिति गांवों में जाकर देखो, बहुत खराब हो गई, हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि इस मौके पर हमें राजनीति नहीं चाहिए, इस मौके पर हमें खाना, पानी और रोजगार चाहिए और आप लोग इसमें भी रोज रोज यही बातें कहते रहते हैं कि यह केन्द्र कर रहा है। क्या करना चाहते हो आप? क्या मैसेज देना चाहते हो आप जनता के बीच में? इसी आधार को लेकर केवल वोट की लड़ाई को लेकर, वोटों की बात यही बैठे-बैठे कर-करके इस राजस्थान की यह बहुत बड़ी पंचायत है, यह स्थान पंचायत का है, इस

(श्री रामचन्द्र सराधना)

पंचायत में बैठकर यह बातें करके चले जाते हैं। मान्यवर, यह बहुत अच्छी जगह है, सुरक्षित जगह है। कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है यहां खड़े होकर, कोई भी आदमी कुछ भी +++ बोल सकता है और यहां टेबल पर खड़े होते देखा, कपड़े फाड़ते हुए हमने देखा। क्या हमें इसीलिए भेजा है, क्या जनता इसीलिए चुनती हैं माननीय सदस्य, कि वहां जाकर आप यह नाटक करना? लेकिन इसमें एक बात और कहना चाहूंगा अखबार वाले भाई बैठे हैं, बहुत बड़ा योगदान इनका भी है। असली बात कहेंगे, उसको नहीं लिखेंगे और चटपटी बातों को तुरन्त लिख देंगे। कल के अखबार में 2-3 बातें लिखी हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता जो सारहीन बातें थी, उनको लिखने की कोशिश की है। यह मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा सहयोगी है। माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं...

श्री मदन दिलावर : यह अखबार वालों के खिलाफ पोटा लगवाने जा रहे हो क्या आप?

श्री रामचन्द्र सराधना : देखो, माननीय दिलावर जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अपनी जगह ही भूल जाते हैं, कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं। आपका +++ मेरे खयाल से। आप अपनी जगह भूल जाते हैं।

श्री मदन दिलावर : मेरा दिमाग तो इटली तक है ताकि इटली की कोई भी महिला यहां पर प्रधानमंत्री नहीं बन सके, मेरा दिमाग वहां तक चल रहा है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मुझे पता है। एक माननीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके माननीय दिलावर जी का क्या रोल है, कैसे करते हैं? उन्होंने मुझे धीरे से कहा, यह इसी काम का है। (व्यवधान) और इसमें मेरा क्या दोष था। उस दिन के बाद से मैंने इनसे दिन में दो बार नमस्कार करना शुरू कर दिया।

श्री रोहिताश्व कुमार : इन्होंने ठीक कहा है। ये आपकी पोल खोलने के लिए है, इसलिए कहा है, इसी काम का है। उसका मकसद यह था।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं आपकी कुछ नहीं कहूंगा आज।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसके बाद में मैं दो बार दिन में नमस्ते करता हूं दिलावर जी से।

श्री मदन दिलावर : इतना भय है मेरे से।

श्री रामचन्द्र सराधना : इतना भय है। मुझे नहीं, इनके घर वालों को भय है। जब वहां से जयपुर जाते हैं तो वे लोग घर में आराम से, चैन से रहते हैं।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संजीव कुमार : त्रिशूल लेकर आने लग गये हैं यह तो।

श्री मदन दिलावर : यह राष्ट्रद्रोहियों के लिए है। त्रिशूल से ठीक कर देंगे लोगों को। जो इस देश के लिए खतरा बनेंगे, उसको त्रिशूल घुसेड़ देंगे।

श्री नगराज : मन्दिर तो बना लिया, त्रिशूल बाकी है अब। हो क्या रहा है।

श्री रामचन्द्र सराधना : राजस्थान के हालात जो पैदा किये जा रहे हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। वोट बटोरना अलग चीज है, जीत जाना अलग चीज है। यह 15 दिन के अन्दर का खेल है। जो मेसमेरिज्म कर लेता है, वह जीत जाता है लेकिन उसके बारे में असलियत में आने वाला, असलियत में जाने वाले आदमी को महसूस करना पड़ता है कि सरकार कैसे चलती है। आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले जश्न मनाया था गुजरात में। एक फंक्शन में मेरे एक साथी मिल गये। मैंने पूछा, क्या हालात हैं गुजरात के? बोले, बहुत खराब है। मैंने पूछा क्यों, मोदीजी क्या कर रहे हैं? बोले, मोदीजी ने बहुत कर दी ओदी। ओदी का मतलब होता है, बहुत खराब कर दी। वहां जाकर पूछो, सड़क की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, पानी की बात नहीं। आपने आवेग और संवेग को भुना लिया, इमोशनल इलेक्शन लड़ लिया। आपने मन्दिर-मस्जिद की बात कर दी, मियां मुशर्रफ की बात कर दी, गोधरा की बात कर दी, इन बातों के बाद में जनता ने वोट तो दे दिया लेकिन जनता का बड़ा रुदन है, उसको सुनो आप। आपके कहीं कोई लगता है, सुनते हैं तथा आपकी बात को मानते हैं तो मोदीजी को भी इत्तला कर दो कि जनता की भी सेवा करें।

श्री मदन दिलावर : मोदीजी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं।

श्री सभापति : आप अपनी सीट पर बिराजिये। नन्दलालजी से बात हो गई हो तो आप अपनी सीट पर बिराजें।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपकी बात तो सबूत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके कार्य में दखलंदाजी नहीं करना चाहता लेकिन उनको छूट दो, वह कहीं भी बैठ सकते हैं।

श्री मदन दिलावर : मोदीजी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वह हिन्दुस्तान के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मोदीजी क्या हैं, यह सुनो। इसको पढ़ लो, मोदीजी क्या हैं? खुशवंत सिंह ने लेख लिखा है, उसमें कहा है कि +++ नवज्योति में प्रकाशित हुआ है। इसको हमने पढ़ा है।

श्री मदन दिलावर : आपकी तरह तो कोई मूर्तियां नहीं +++ उन्होंने, फिर वह कैसे हो गये? आपकी तरह तो +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : +++ आपकी तरह भेड़ बकरियां नहीं +++ (व्यवधान) आपने भेड़-बकरियां हलाल की है मैं नही हूं उनमें से। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपकी तरह तो +++ (व्यवधान) आप तो सात जन्मों के बाद भी आ जाओ, तब भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते उनसे।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं दिलावर जी के दिल को तकलीफ नहीं देना चाहता।

श्री सभापति : यह +++ शब्द निकाल दो, यह +++ शब्द को कार्यवाही से निकाल दो।

श्री मदन दिलावर : मूर्तियों की +++ है।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय, मैं दिलावर जी के दिल को दुखाना नहीं चाहता, माननीय दिलावर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनके दिल को दर्द नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं, जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर, जिन तरीकों से आप चुनाव जीतने की बात करते हो, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, राजस्थान की जनता को पछताना पड़ेगा, मुझे पछताना पड़ेगा। त्रिशूल की बात करते हो आप, हमने कहा, यह क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बोले, इससे रक्षा होगी। अब बम का ज़माना आ गया, आप त्रिशूल लिये फिर रहे हो। रिमोट का जमाना आ गया। आप आमने सामने की बात कर रहे हो। यह क्या करना चाहते हो आप। यह भी आप इसमें पहचान बनाना चाहते हो कि यह आर.एस.एस. का आदमी है, यह भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, यह पहचान करना चाहते हो। पहचान के बहुत बड़े और तरीके हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभी मैं एक बात बताऊं अजमेर में, मेरे भी मिलने वाले साथी रहते हैं वहां, उसका बच्चा भी कहीं से वह त्रिशूल ले आया। माननीय सभापति महोदय, वह दोनों बच्चे खेलने लगे त्रिशूल से और अपने छोटे भाई के त्रिशूल घोंप दिया। क्या खेल है यह त्रिशूल का, यह आपको पछताना पड़ेगा। मैं भा.ज.पा. और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। जिन खेलों को आप खेल रहे हैं, जिस आग से जलाना चाहते हैं, खुद को भी जलना पड़ेगा। यह राजस्थान की जनता शांतिप्रिय जनता है। विदेशों से आने वाले पक्षी शांति के लिए राजस्थान में आ करके अपना अमन-चैन ढूंढते हैं। विदेश से चला हुआ पक्षी राजस्थान में आकर अपना दिन गुजारता है, यह राजस्थान अमन-चैन के लिए प्रसिद्ध है, शांति के लिए प्रसिद्ध है। देश के अलग अलग इलाकों से आने वाले व्यक्ति यह बड़ाई करते हैं कि राजस्थान बहुत अच्छा

+++ अभिव्यक्त शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

प्रदेश है। मान्यवर, राजस्थान बहुत अच्छा प्रदेश इसलिए है कि यह अभावों में है, यह संकट में रहता है। यह बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, आर्थिक स्थिति यहां बहुत कमजोर हो सकती है लेकिन राजस्थान की जनता का मनोबल बहुत मजबूत है। राजस्थान के वीरों का एक इतिहास है, राजस्थान के भामाशाहों का एक इतिहास है।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह कौन है हाउस में। यह हाउस के अन्दर कौन था अभी?

श्री सभापति : माननीय सदस्य हैं नवलगढ़ से आने वाले भंवर सिंह जी। कुछ नहीं है, भंवर सिंह जी इधर आ गये थे, कह रहे हैं कि वह कौन है। माननीय सदस्य हैं सदन के। आप पहचानते नहीं हैं चार साल से उनको।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय, इसी बात के लिए मैं उनको आगाह करता हूं। आपको जहां देखना चाहिए वहां नहीं देखकर ऐसी जगह देखते हैं जहां नहीं देखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह आदत में शुमार है।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपको केवल मात्र छिद्र दिखते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं, छिद्र ढूंढ़ते हैं कि कोई छिद्र मिल जाये।

एक माननीय सदस्य : यह आदत में शुमार है।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह छेद नहीं माननीय सदस्य दिलावर जी, दरवाजा है, इधर से निकलो। छेद मत ढूंढ़ो, अच्छी बात नहीं है छेद ढूंढ़ना। यह बड़े परेशान हैं। यह आपकी आदत में शुमार है। आप घर में भी छेद ढूंढ़ते रहते हैं, इलाके में भी ढूंढते रहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप कंक्लूड कीजिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : बाहर भी कुछ न कुछ करते रहते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापतिजी, आप आसन पर हैं, यह छिद्र-छिद्र करने लग गये, कौन सी बात है...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : छेद आपके बश की बात नहीं है, यह छिद्रान्वेषण एक शब्द है, इसका अर्थ ढूंढ़ना किसी डिक्शनरी में। माननीय धर्मपालजी, आपका यह काम नहीं रहा। आप ठीक आदमी हैं। (व्यवधान) छिद्रान्वेषण का अर्थ होता है कमी ढूंढ़ना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इनका छिद्र से क्या अभिप्राय है?

श्री रामचन्द्र सराधना : आपके बश की बात नहीं है।

श्री सभापति : समझने की कोशिश करिये। आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : बंशीवालजी, आप भी बैठें, आपके बश की बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : अभी आप लाइन में लगे हुए हो, आपके बश की बात नहीं है।

श्री सभापति : आप बिराजिये, जरूरी नहीं है जो वह कह रहे हैं वह आप समझें।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापतिजी, मैं असंसदीय भाषा नहीं बोलूंगा और मैं वह शब्द भी नहीं बोलूंगा जिसको आप कभी जानते ही नहीं हो। लेकिन आपके दिमाग में नहीं आ रहा अभी, आ जायेगा थोड़ी देर में। मान्यवर, राजस्थान की जनता...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : रहिमन जात कुम्हार का मांगे दीये अंधे, और छेद में डंडा डारकर जाय नांदरे ले।

श्री रामचन्द्र सराधना : हां, वहां भी छेद सही है वह कह रहे हैं जो। लेकिन अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार है, इसका और भी अर्थ लगा सकते हैं आप।

श्री सभापति : वह जिस रेफरेंस में कह रहे हैं और आपने जिस रेफरेंस में कहा उसमें फर्क है। थोड़ी समानता होते हुए भी फर्क है।

श्री रामचन्द्र सराधना : सम्माननीय, निवेदन यों करना चाह रहा था कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में राजस्थान की जनता को यह संदेश दिया है, जो कमियां रह पाई हैं उनको भी हम महसूस करते हैं, जो हम नहीं कर पाये उसको महसूस करते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए काम किया है, उसका हमें गौरव है, गर्व है इस बात का। हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है, किसी भी क्षेत्र को ढूंढ़कर हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि राजस्थान की जनता को एक मैसेज दिया है इस कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने और यह महसूस करवाया है कि सरकार क्या होती है, केवल सरकार राज करने के लिए या कुर्सी पर चढ़ने के लिए नहीं होती है, जब जनता यह महसूस नहीं करे कि सरकार हमारी है, जनता महसूस नहीं करे कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है तो सरकार का कोई मायने नहीं है। आपने अपना समय जिस तरह से निकाला था वह आपको मालूम है। आपने किसी की सुनी नहीं थी, आपने किसी के दर्द को पहचाना नहीं था। यहां दर्द को पहचानते हैं, दर्द को समझते हैं और रोजाना की बात को जानते हैं। आज को भी जानते हैं, कल की भी जानते हैं। भविष्य भी जानते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है लेकिन आपकी तरह दूसरों का भविष्य नहीं देखते, अपना भविष्य भी देख लेते हैं, हम जानते हैं। आप अपनी बात को नहीं पहचान करके दूसरों की बात कह रहे हैं। मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, धोद से आने वाले माननीय सदस्य दो-तीन बार मेरी तरफ इशारा कर चुके हैं कि मेरा नम्बर आ रहा है। धन्यवाद, आपको

(श्री रामचन्द्र सराधना)

बुलायें। तो सभापतिजी, लेकिन मैं मेरी बात को इस बात के साथ विराम देना चाहता हूं कि सारे सदन को मिल करके राजस्थान के महामहिम राज्यपाल को इस अपने अभिभाषण के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम जी (धोद)।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): सत्ता पक्ष की तरफ से दो माननीय सदस्य बोलेंगे, उसके बाद में एक प्रतिपक्ष से बोलेगा। प्रतिपक्ष को आप कृपया डिवाइड नहीं करें।

श्री सभापति : नहीं, मुझे शिवनाथ सिंहजी कह कर गये थे कि आप श्री रामचन्द्र जी के बाद इनको बुला लेना।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप सभापतिजी को डाइरेक्शन दे रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, जो तय हुआ है, प्रक्रिया बताई है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने निवेदन किया है, वह व्यवस्था है। यह निर्देश की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन को डाइरेक्शन।

श्री सभापति : नहीं, आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आसन को कैसे डाइरेक्शन दे रहे हैं, आसन सर्वोपरि है।

श्री सभापति : वह कोई निर्देश नहीं दे रहे, यह जो यहां प्रक्रिया तय की हुई है...(व्यवधान) वह कोई निर्देश नहीं दे रहे। जो समय का बंटवारा किया गया है और समय के हिसाब से जो प्रक्रिया की गई है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन सर्वोपरि है, यह सदन नियमों से, प्रक्रियाओं से चलता है...

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय राठौड़ साहब, आप विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह आसन का अपमान किया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने अनुरोध किया है, प्रक्रियाओं के तहत किया है।

श्री सभापति : प्लीज टेक योर सीट, आप विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अब पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि संख्या बल के हिसाब से बोलने का अवसर प्रदान करें। कांग्रेस का तीन-चौथाई बहुमत है, हमारे तीन सदस्य बोलने के बाद में एक प्रतिपक्ष का नम्बर आता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : डाइरेक्शन दे रहे हैं आप। आप डाइरेक्शन दे रहे हैं उनको...

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं-नहीं, यह मेरा अधिकार है। नो। आप मेरे अधिकार का हनन नहीं कर सकते, उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकते।

श्री रोहिताश्व कुमार : नहीं, अनुरोध भी आदेशात्मक भाषा होती है, आप स्लिप लिखकर भेज दीजिये।

श्री सांवर लाल : यहां संख्या बल गिन लीजिये, माननीय सभापति महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, यस। संख्या बल के आधार पर तय होता है, ऐसे नहीं होता।

श्री सभापति : आप बिराजिये। जो समय का बंटवारा माननीय अध्यक्षजी ने किया है उसके अनुसार सत्ता पक्ष की तरफ से दो सदस्य बोलेंगे, प्रतिपक्ष से एक बोलेगा लेकिन चूंकि माननीय अमरारामजी ने निवेदन किया था कि इनको पहले बुला दें इसलिए यह सही है कि उस लाइन पर चलने के लिए इन्होंने निवेदन किया है और कोई निर्देश नहीं दे रहे। आप बिराजिये। आप बिराजिये। अमरारामजी, आप शुरू कीजिये।

श्री सांवर लाल : नहीं, संख्या बल गिन लो न, कितनी उपस्थिति है इनकी।

श्री सभापति : अमरारामजी, आप शुरू कीजिये। बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : संख्या बल गिन लो, संख्या भी देख लो।

श्री सभापति : आप बिराजिये, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सरकार सदन के प्रति गम्भीर नहीं, सारी ट्रैजरी बैंचेज खाली पड़ी है।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्रजी साहब, आप बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : संख्या को उपस्थित तो रखो यहां।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह मेरी चिंता का विषय है।

श्री धर्मपाल चौधरी : इसलिए करवा रहे हैं, करो चिन्ता।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में जो अभिभाषण रखा गया उस पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। क्योंकि जो राज्यपाल महोदय से यहां अभिभाषण रखा गया है उसमें वह बातें, घोषणाएं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार ने की है लेकिन उनको कार्यरूप में परिणत करने में सरकार बिलकुल असफल रही है। जहां तक राजस्थान के किसान और ग्रामीण जनता पर और पशुधन पर जो भयंकर अकाल की मार है, सरकार इस बात को मानती है कि राजस्थान में सौ साल के इतिहास में ऐसे भयंकर अकाल की मार राजस्थान के

(श्री अमराराम)

किसान, गरीब और पशु पर नहीं आई है। लेकिन यह मानने के बाद, सात महीने गुजरने के बाद आज भी उस अकाल पीड़ित किसान, गरीब और पशुधन को बचाने के लिए जो प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए थे उन तमाम प्रयासों में सरकार बिलकुल असफल रही है। सरकार के आंकड़े, हर बार सरकार जो आंकड़े देती है इसी से पता लगता है। सरकार ने अभी 13 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें अकाल पीड़ित जनता और पशुधन की संख्या और है। राजस्थान की सरकार हिन्दुस्तान की सरकार को ज्ञापन देती है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मोबाइल तो बन्द कराओ।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब का मोबाइल है।

श्री मदन दिलावर : मेरा नहीं है।

श्री सभापति : बन्द कर रहे हैं आप इसको। अभी कर रहे हो आप इसको।

श्री मदन दिलावर : मेरा बजा ही नहीं।

श्री सभापति : अभी कर रहे हो आप बन्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बूंदी से आने वाली माननीय सदस्य का मोबाइल है सभापति महोदय और मेरा आपसे निवेदन है, यह पहली बार नहीं है...

श्री सभापति : वह बन्द कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमेशा माननीय सदस्य मोबाइल लेकर आती हैं और मोबाइल को बन्द नहीं करती हैं। यह सदन की...(व्यवधान)

श्रीमती ममता आर्य (बूंदी) **:** माननीय सभापति महोदय, ऐसा कोई मोबाइल होता हो कि आवाज उधर से आये और बजे इधर से तो फिर मेरा ही है।

श्री सभापति : जो भी सदस्य मोबाइल लेकर आते हैं उन्हें मोबाइल नहीं लेकर आना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : मेरा मोबाइल नहीं बजता।

श्री अमराराम (धोद) **:** सभापति महोदय, इसमें जो आंकड़े हैं, अभी 13 तारीख से लेकर 24 तारीख को अभिभाषण रखा गया, इसी में एक-एक लाख पशुओं की अकाल पीड़ा में और किसान और मजदूर की संख्या में भी एक लाख का अन्तर है। अभिभाषण का जब सरकार उत्तर दे तो कम से कम बताये कि 13 तारीख से 24 तारीख के बीच में एक लाख पशु की संख्या बढ़ गई है क्या? और पीड़ा आ गई या मदद कम हो गई। मतलब जो सरकार अपने आंकड़े पिछले छह महीने में चार दफा चाहे वह केन्द्र सरकार को भेजे हो, चाहे सर्वदलीय बैठक में रखे हो और चाहे यह जो अभिभाषण के माध्यम से रखा गया है,

(श्री अमराराम)

उन आंकड़ों में अन्तर है। और न केवल आंकड़ों में अन्तर है बल्कि राजस्थान में अकाल पीड़ित किसान की मदद के लिए तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष की तरफ से और प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार पिछले चार अकाल में आरोप और प्रत्यारोप लगाकर राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता और पशुधन की चिंता नहीं है, हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हुए, प्रतिपक्ष में बैठे हुए, उनको केवल इस बात की चिंता है कि राजस्थान का अकाल पीड़ित किसान और पशुधन जितना परेशान होगा, राजस्थान की सरकार केन्द्र सरकार पर आरोप लगाकर उस पीड़ा को वोट में भुनाने का काम करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर हिन्दुस्तान की सरकार और केन्द्र में बैठे हुए मंत्री यह कहते हैं कि राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता की मदद के लिए हमने खूब दिया है, राजस्थान की सरकार व्यवस्था करने में असक्षम है। राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के लिए इस बात के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता राजस्थान की पांच करोड़ आबादी जो अकाल से चार साल से जूझ रही है, जो अपनी जिन्दगी से जूझ रही है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि भूख से आदमी नहीं मरते, भूख से पशुधन नहीं मरता। उस गरीब का आप अंदाजा कीजिए जिसके लिए खेत में काम नहीं है जिसके लिए गांव में काम नहीं है जिसके लिए शहर में काम नही है। और आपके अकाल राहत कार्यों में जाते हैं और 8 दिन काम मिलता है और प्रतिदिन का एक किलो गेहूं और डेढ़ रुपया मिलता है। जिसके परिवार में 5 से 10 सदस्य होंगे, आप काम देंगे, उसमें एक किलो अनाज और डेढ़ रुपये मिलेंगे। और फिर वो जिन्दा रह जाएगा? क्या हवा खाकर जिन्दा रह जाएगा? लेकिन इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि अकाल पीड़ित जो चार साल से मार झेल रहे हैं उनको राजस्थान के खजाने से अधिकतम पहली प्राथमिकता राजस्थान की सरकार की होनी चाहिए कि उस अकाल पीड़ित जनता को अकाल पीड़ित को, पशुधन को बचाने के लिए राजस्थान की सरकार चार साल से इस बात से चिंतित नहीं है। राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता है कि राजस्थान के 6 शहर सुन्दर होने चाहिए। सत्तापक्ष के माननीय सदस्य भी कह रहे थे नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा पांच साल पहले जयपुर आकर देखा और आज देखेगा तो उसको वो जयपुर दिखायी नहीं देगा हैरिटेज सिटी होगी। उन गरीबों को हटा दिया गया, सड़कें चौड़ी बना दी गई, जनपथ बना दिया गया उस पर सांकलें लगा दी गई करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नगर से आने वाले माननीय सदस्य अब सदन में नहीं है इसलिए आप क्यों बात करो।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता राजस्थान के उस अकाल पीड़ित किसानों और पशुधन को बचाने की है या राजस्थान के 6 शहरों को सुन्दर बनाने की। सुन्दर बने, सुन्दर हो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन सबसे पहले जिन्दगी को बचाने के बाद अगर हमारी सरकार के पास पैसा है तो उससे हम सुन्दर बनायें। शहर बनायें, गांव बनायें सुन्दर राजस्थान की जनता बनेगी तब उस राजस्थान के शहर भी सुन्दर होंगे और राजस्थान का किसान जो 80% है गांव का वो गरीब जिसके आज मुंह में निवाला नहीं है अगर वो खुशहाल नहीं है तो आप जयपुर को कितना ही सुन्दर बना दे राजस्थान की विधान सभा को कितना ही सुन्दर बना दें राजस्थान सुन्दर नहीं बन सकता। उनके लिए हम एक नहीं होंगे।

अभी हमारे सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े चिंतित हो रहे थे राजस्थान की पांच करोड़ जनता और पशुधन को बचाने के लिए हम एकजुट होकर हिन्दुस्तान की सरकार से राजस्थान की जनता को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद लाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। लेकिन अपने वोट की खेती को पुख्ता करने के लिए जब भी जातियों का सम्मेलन होता है राजस्थान में चाहे वह किसी भी जाति का हो, जाति के सम्मेलन में हिन्दुस्तान की सरकार के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और राजस्थान की कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि पार्टियों से मतलब नहीं हैं। हम पार्टियों से पहले इस जाति के हैं, जाति के लिए हैं पार्टियों के लिए नहीं हैं। क्या राजस्थान के किसान, क्या जाट पीड़ित नहीं हैं? क्या राजपूत पीड़ित नहीं है, क्या ब्राह्मण पीड़ित नहीं हैं? क्या हरीजन पीड़ित नहीं है? आज राजस्थान का वो गांव में रहने वाला खेती पर अपनी आजीविका चलाने वाला हर जाति का चाहे वह किसी भी जाति का है वो इस अकाल की मार को झेल रहा है वो सब पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा को सबकी एक साथ मिटाने के लिए हम प्रयास करें तो बात समझ में आती है। लेकिन कोई ब्राह्मण-ब्राह्मण को एक होने की बात करता है, मुझे तो दुःख है इस सदन में कहते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता नहीं है अपनी जातियों के सरदार हैं। हम जातियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं आये हैं यहां हम हमारे अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर जिन पार्टियों से आये हुए हैं उनके कार्यक्रम हैं और उनकी नीतियां हैं उनके अनुसार वो राजस्थान के किसान, मजदूर और पशुधन को बचाने के लिए बात करें तो बात समझ में आती है। क्या पीड़ा केवल एक अकेली किसी जाति पर है? आज उसके लिए हम एक नहीं होंगे, उसके लिए हम नहीं कहेंगे कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों का छोड़ कर राजस्थान के खजाने पर उनका हिस्सा हो। हिन्दुस्तान की सरकार

(श्री अमराराम)

में अधिक से अधिक राजस्थान के पीड़ित उस किसान की मदद के लिए हम आगे आयें उसके लिए नहीं होंगे। यही हमारे मंत्री, मुझे अफसोस है कि जिस संविधान की शपथ लेकर हम यहां मंत्रिमण्डल में बैठे हुए हैं यहां से बाहर जाकर उस संविधान की जिसकी शपथ लेकर हम मंत्री बने हुए बैठे हैं उनकी धज्जियां हम राजस्थान के गांवों में जाकर उड़ाते हैं न केवल गांवों में उड़ाते हैं, इस +++ इस संविधान की जिस धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां यह सरकार +++ कोई भी धर्म को मानने वाले, मैं रामकथा के खिलाफ नहीं हूं। कुरान के पाठ करायें इसके भी मैं खिलाफ नहीं हूं कोई भी जिस धर्म को मानता है गुरुग्रंथ की अगर उनकी गाथाओं को सुनाया जाए जो जिस धर्म को मानता है वो अपनी रामकथा का पाठ करें, कुरान का पाठ करे इसके खिलाफ कोई नहीं है लेकिन संविधान क्या इस बात की इजाजत देता है कि हमारे +++ राजस्थान की सरकार रामकथा का आयोजन कराये अकाल का मुकाबला करने के लिए? अकाल का मुकाबला रामकथा से नहीं होगा। राजस्थान की सरकार के खजाने से और हिन्दुस्तान की सरकार के खजाने से होगा जिस पर सबसे पहला हक राजस्थान के उस किसान और गरीब का है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम रामकथा से हम राम को राजी कर देंगे? हम कुरान का +++ आयोजन करवाकर क्या हम अल्लाह को राजी करके हम अकाल का मुकाबला कर पाएंगे?

श्री श्रवण कुमार : तीन बरसात हो गयी न।

श्री अमराराम (धोद) : रामकथा से हुई है? इस बात की होड़ लगी हुई है। इस बात में फर्क नहीं है रामकथा के लिए राजभवन का उपयोग करने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल सकती है लेकिन राजस्थान के उस किसान को जो अकाल पीड़ित है उसको बचाने के लिए नहीं है। इसलिए मेरा आरोप है इस सरकार पर इस तरह ओछी राजनीति करके हम राजस्थान का भला नहीं कर रहे हैं। हो सकता है राजनीति की गोटियां सेक कर हम वोटों की राजनीति की फसल काट लेंगे लेकिन राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाएंगे।

जहां तक राजस्थान में बिजली का, बहुत बड़ा हमारे सत्ता पक्ष के साथी महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी कहा है लेकिन राजस्थान के उस किसान के साथ राजस्थान के उस ग्रामीण के साथ क्या व्यवहार हुआ है पिछले चार साल में पिछले एक साल में, क्या वायदा था? 1208 मेगावाट बिजली बनायी है मैं इससे इनकार

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम)

नहीं कर सकता। लेकिन राजस्थान में यही सरकार जब सत्ता सम्भालती है तो राजस्थान के किसान को 8 घंटे बिजली मिलती है। बिजली 1208 मेगावाट बनायी जाती है लेकिन किसान की बिजली 8 घंटे से घट कर 3 घंटे में, ढाई घंटे में यह रिकार्ड राजस्थान की इस सरकार ने बनाया है। सबसे कम राजस्थान के किसान और गांवों को बिजली देने का रिकार्ड किसी ने बनाया है तो वो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार है जिसने यह रिकार्ड बनाया है।

डा. बी. डी. कल्ला : 6 घंटे बिजली मिलती है।

श्री अमराराम (धोद) : आपका 8 घंटे का वादा कहां गया? आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 8 घंटे, 8 घंटे...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अभी तीन साल तक तो तीन घंटे भी मिली तो मंत्री जी कह दें कि तीन घंटे है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस साल की बात नहीं कर रहे हैं चार साल की बात कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अमरारामजी, 2004 में 20 घंटे मिलेगी, 20 घंटे।

श्री श्रवण कुमार : सुमित्रा जी, 7 घंटे मिली है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कह रहे हैं पिछले तीन साल की, इस साल की नहीं कह रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : पिछले चार साल में केवल एक साल ऐसा रहा जिसमें राजस्थान सरकार बिजली देने में असमर्थ है बाकी तीन साल 8 घंटे बिजली दी है। आज 2003 की बात कर रहे हैं या 2005 की बात कर रहे हो?

श्री अमराराम (धोद) : श्रवणजी, आप तो यह कह दो कि बिजली 8 घंटे मिली है। खड़े होकर कहो कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने चार साल में 8 घंटे बिजली दी है।

श्री श्रवण कुमार : 6 घंटे 6 घंटे।

श्री अमराराम (धोद) : 8 घंटे की बात कहो, फिर पिलानी में बात कहना।

श्री श्रवण कुमार : 6 घंटे मिली है।

श्री अमराराम (धोद) : श्रवणजी को पता है।

श्री सांवर लाल : पिलानी में कह देना कि मैं संतुष्ट हूं कि 8 घंटे बिजली मिल रही है।

श्री श्रवण कुमार : हां, बिजली मिली है। मैं कह रहा हूं 7 घंटे बिजली 6 घंटे पूरी एक घंटा ट्रिप को पूर्ण करके दी। 7 घंटे बिजली दी है। राजस्थान की धरती...

श्री सांवर लाल : 10 घंटे जलाओ... (व्यवधान) शपथ ले रखी है क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गीता की सौगंध खाकर बोलो।

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान की धरती पर इस प्रकार का हुआ है।

श्री जीतमल खांट : गरीब ढाणी में रहता है उसको पूछो।

श्री श्रवण कुमार : ...(व्यवधान)... मावठ हुआ करती थी लेकिन रामनारायणजी के राज में तीन बार मावठ हुई है तीन बार।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : श्रवण कुमारजी, गीता की सौगंध खाकर बोल दो। खाओ गीता की सौगंध।

श्री सभापति : अमराराम जी, कंक्लूड कीजिये 12 मिनट हो गये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बोलो गीता की सौगंध खाकर आप।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान में बिजली का उत्पादन बढ़ा है इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बोलो गीता की सौगंध खाकर आप।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन उत्पादन किसके लिए बढ़ा है?

श्री सभापति : नन्दलालजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : खाइये गीता की सौगंध।

श्री सभापति : नन्दलालजी बंशीवाल।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री)**:** बिजली का जो 6 घंटे का कृषि का ब्लाक है वो निरन्तर सारी जगह पर पूरी तरह से लागू है कहीं-कहीं पर अगर हो जाता है तो वो तुरन्त ठीक भी हो जाता है लेकिन...(व्यवधान) पूरी बात तो सुनो।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यह बता दीजिये।

डा. (श्रीमती) कमला : बात तो पूरी सुनें। बात तो पूरी सुनिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बिजली के मामले को लेकर आपका घेराव किया है दौसा में।

डा. (श्रीमती) कमला : आप बात तो पूरी सुने।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपका घेराव किया था दौसा में रास्ते में।

डा. (श्रीमती) कमला : घेराव काहे का हुआ था, वो चारे का हुआ था।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रास्ते में रोका था आपको बिजली के लिए।

डा. (श्रीमती) कमला : बैठिये आप। आप तो वहीं रहते हैं और उसको ही पता नहीं कि किसलिए घेराव हुआ था।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको बिजली के लिए रोका था।

डा. (श्रीमती) कमला : आप तो जबरदस्ती बात दूसरी लगा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि 6 घंटे जो खेती का ब्लाक है वह पूरी तरह से आपरेट हो रहा है यह बिलकुल निश्चित बात है कहीं-कहीं अगर ट्रांसफार्मर की और की गड़बड़ होती है तो तुरन्त उसकी भी पूर्ति करते हैं। 6 से 10 का जो घरों की रोशनी का है,

(16.00 बजे)

वह भी पिछले कुछ समय में अनियमित रहा लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से उसको भी इम्प्रूव किया है। और मैं यह समझती हूं कि उसमें भी अनेक जगहों पर जो शिकायतें थीं वह खतम हुई हैं। मैं तीनों जगहों जहां निगम बने हुए हैं तीनों जगहों के निगमों से मैं बराबर सम्पर्क रख रही हूं और बराबर इस बात को देख रही हूं कि किसी प्रकार से इस वक्त जब खेती का काश्तकार का भी पीक पीरियड है और बच्चों की पढ़ाई का भी पीक पीरियड है तो उस वक्त में खेती और घर की बिजली किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिये। जले हुए ट्रांसफार्मर भी बहुत बड़े पैमाने पर बदले हैं। इसलिए बिजली के मामले में काफी अच्छी व्यवस्था सुधरी है। कहीं कोई गलती होती है, सूचना आती है तो उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं इस बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा इस सरकार को कि राजस्थान के किसानों ने इस सरकार को और इनके मंत्रियों को पाठ पढ़ा दिया है।

डा. (श्रीमती) कमला : आप तो अपने आप बोलते हैं और हम पाठ पढ़ाये हुये बोलते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हर रोज जो लोगों के बीच जा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो हमको पाठ पढ़ाया है इसलिए बोल रहे हैं। क्या हम लोग जन प्रतिनिधि नहीं है, क्या हम लोग जनता में नहीं जाते हैं? पाठ पढ़ाया हुआ है ऐसा तो मत कहो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : घेराव हो रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं बिलकुल पुरजोर ढंग से इसका विरोध करती हूं कि हम दबाव से बोल रहे हैं, किसका दबाव होगा बताइए। दबाव तो मात्र प्रकृति का हो रहा है कि बारिश नहीं बरसी वरना तो आपको तालाब, एनीकट और बंधे सारे लबालब भरे हुए मिलते और दुनिया खुशहाल होती। लेकिन इन्द्र भगवान ने मदद नहीं की उसका क्या है। फिर भी आपको पता है कि अभी जो तीन बारिश हुई है उन तीन बारिश ने किसान की फसल को, रबी को बचाया है और बहुत अच्छा मौसम बना है। मैं भी इन्द्र भगवान का ही कह रही हूं सुमित्रा जी, कोई मेरा थोड़े ही कह रही हूं। मेरा ही बस चलता तो मैं बरसात के मौसम में बरसात कराती।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह तो रामकथा ने बचाया है।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, सरकार तीन साल तक बिजली तीन घंटे देती थी और हमारे मंत्रीजी यहां खड़े होकर कहते थे बिजली 8 घंटे आ रही है। किसान को बिजली 3–4 घंटे मिलती थी और मंत्रीजी कहते हैं हम तो 8 घंटे दे रहे हैं। कम से कम इस बात पर आये कि 6 घंटे दे रहे हैं। लेकिन मैं उप मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा आप जवाब के वक्त बता दें कि जो खरीफ की फसल में अकाल पड़ा, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक राजस्थान की तीनों बिजली कम्पनियों को सप्लाई के कितने आदेश थे। आप रिकार्ड उठा लें, अगर जुलाई से अक्टूबर तक कभी भी 6 घंटे सप्लाई आपके यहां से मिली हो तो जो कुछ आप कहेंगी मैं वह कर लूंगा। आप इस बात की गारंटी दे दें कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 6 घंटे लगातार बिजली मिली है तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं वरना कमलाजी आज आप इस्तीफा दे दें। आप किसान की बात करते हैं, जिन नीतियों पर विश्व बैंक से लोन लिया है आपने, जिसकी शर्तों के आधार पर राजस्थान के बिजली बोर्ड को तोड़ा है, राजस्थान का बिजली बोर्ड हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया बिजली बोर्डों में था। लेकिन आपने जिस विश्व बैंक की शर्तों के आधार पर राजस्थान के बिजली बोर्ड को तोड़ कर 5 कम्पनियों में विभक्त किया है, जिसकी शर्तों के आधार पर आप चल रहे हैं। और उन शर्तों का ही नतीजा है कि राजस्थान सरकार ने 1208 मेगावाट बिजली बना ली और गांव और किसान की बिजली को कम कर दिया। इन्होंने एक ही तरीका लिया है कि राजस्थान के गांव और किसान को बिजली नहीं देनी है। अभी बड़ी वाह वाही लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने राजस्थान के चालीस हजार गांवों को विद्युतीकृत कर रखा हैं, उनको 6 से 10 तक बिजली दे दी है। मैं पूछना चाहता हूं बाकी 20 घंटे का क्या हुआ? क्या राजस्थान का गांव में रहने वाला गरीब, किसान इस राजस्थान का दो नम्बर का नगरिक है? राजस्थान के शहर में 24 घंटे बिजली आयेगी और गांव में केवल शाम को 6 बजे से 10 बजे तक बिजली आयेगी। किस बात का अहसान कर रहे हैं आप? राजस्थान के गांव 24 घंटे में से 20 घंटे अंधेरे में रहेंगे। अभी मार्च के बाद गर्मी शुरू होगी। क्या गांव क्या वह किसान, वह गरीब अपना खरीदा हुआ पंखा दिन में नहीं चला सकता? क्या रात को 10 बजे के बाद मच्छर को उसको खाने की छूट है? क्या वह राजस्थान का दो नम्बर का नागरिक है? लेकिन इन नीतियों का नतीजा है कि गांव और किसान को आप बिजली नहीं देंगे। 50 पैसे वाली बिजली छूट की बात करते थे, जिस नर्सरी की बात करते थे, जिस नर्सरी का वायदा था, 23–24 हजार किसान जिन्होंने नर्सरी, इनकी चोर योजना, चारा योजना जिनको इस आधार पर लिया था कि दो साल के बाद

(श्री अमराराम)

में सामान्य में बदल दिया जायेगा। इस राजस्थान की सरकार ने आदेश निकाला है कि दो साल तक जो भारतीय जनता पार्टी नर्सरी के नाम से लूटती थी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने छूट दी है वह 14 साल तक लूटेगी। 14 साल तक डबल बिल लेगी। आपने तो छूट दी है न। नर्सरी स्पेशल योजना की बात समझ में आ सकती है, राजस्थान के किसान को आपने कहा है कि जनरल प्रायोरिटी में आयेगा उस दिन आप का सामान्य में बदलेगा। लेकिन जिस नर्सरी और स्पेशल चारा योजना और चोर योजना में जो दो साल का काम था, हार्स पावर चार्जेज नर्सरी में आप लेते थे। आपने सरकार में आते ही आदेश निकाला कि यह बिल में समायोजन आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। और शायद यह सरकार जब तक रहेगी वह आगामी आदेश उस किसान के जमा पैसे को भरने के लिये नहीं आयेगा। जो पैसा किसान से बिल में समायोजित करने के नाम पर वसूल किया गया चार साल से आपने बन्द कर रखा है और आज तक भी उसको वापस समायोजित करने का आदेश नहीं निकाला है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले नवम्बर तक भी आप उस आदेश को वापस नहीं निकालेंगे। किसान के लिये बिजली नहीं है, गांव के लिये बिजली नहीं है, चाहे कितनी ही बिजली पैदा हो जाये, राजस्थान के 80 प्रतिशत लोगों के लिये बिजली नहीं है तो ऐसी बिजली का उत्पादन भी राजस्थान के विकास में योगदान नहीं दे सकता, विकास नहीं कर सकता। इसलिए नीति बदलनी पड़ेगी। जिस विश्व बैंक की शर्तों के साथ आपने बिजली का उत्पादन, निजीकरण किया है आज क्या हालत हो रही है। मैं 20 साल में पहली बार देख रहा हूं कि राजस्थान के किसान का इस अकाल में अगर ट्रांसफारमर जल जाये तो 10-12 दिन से पहले नहीं बदला जाता। हमारे मुख्य मंत्री जी यहां से घोषणा करते हैं कि तीन दिन में किसी भी हालत में ट्रांसफार्मर बदल दिया जायेगा। हमारे ऊर्जा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं वह जब सीकर में जाते हैं तो कहते हैं कि व्यवस्था करेंगे, ट्रांसफार्मर भेजेंगे। सभापति महोदय, आप अंदाजा कीजिए कि जिस किसान का ट्रांसफार्मर जलने के बाद इस अकाल में 15 दिन तक नहीं बदला जायेगा तो क्या फसल बच सकती है।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): कहां नहीं बदल रहे हैं, हाथों हाथ बदल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान में नहीं बदल रहे हैं। इस अकाल का मुकाबला करने के लिये स्पेशल में इन्होंने जो भी शर्तें रखीं उन पर करोड़ों रुपया राजस्थान के किसान ने जमा कराया। 7 महीने बीतने के बाद भी 25 हजार में से केवल 5 हजार को कनेक्शन दिया है। 20 हजार आज भी सरकार की इस असक्षमता को रो रहा है। जिन्होंने करोड़ों रुपया जमा कराया है।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : कंक्लूड कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां शिक्षा का कहा जा रहा है, बड़ी वाह वाही करते हैं तीन लाख में, पांच लाख में भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों को बेचा है, आप क्या कर रहे हैं। राजस्थान में स्कूलें हजारों की संख्या में खोली हैं और मास्टर सैकड़ों में नहीं लगाये हैं। कोई बात नहीं है। कब लग जायेंगे, आर.पी.एस.सी. से चल रहा है, पी.ए.सी. से चल रहा है। आज यह हालत नहीं है कि स्कूलों में ट्रेंड टीचर नहीं हैं। लाखों की संख्या में है। हम उनको लगाने की बात नहीं करेंगे, हम समानीकरण की बात करेंगे। आज शिक्षकों की कमी की मार, डाक्टर की कमी की मार राजस्थान के सबसे दूरस्थ ग्रामीण इलाकों को सबसे पहले भुगतनी पड़ेगी। चाहे अस्पताल हो, चाहे विद्यालय हो राजस्थान के ग्रामीण इलाके को भुगतनी पड़ेगी शहर में तो फिर भी भरी हुई मिलेगी लेकिन राजस्थान के ग्रामीण और ग्रामीण में भी जो सबसे दूरस्थ होगा उसको सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है चाहे वह शिक्षा विभाग हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, आयुर्वेद विभाग हो, कौनसा ऐसा विभाग है...

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : चाहे परिसीमन कमीशन हो।

श्री अमराराम (धोद) : परिसीमन की चिंता आपको और मेरे को तो है नहीं। मैं परिसीमन की चिंता नहीं करता, मैं राजस्थान के किसान, मजदूर की चिंता करता हूं। उनको अगर आवश्यकता होगी तो जरूर यहां भेजेंगे। इसलिए आज राजस्थान की तमाम वह जन कल्याणकारी सेवाएं, राजस्थान में चार साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। रिक्रूटमेंट होगा पर कांट्रेक्ट बेस पर होगा। डाक्टर कांट्रेक्ट बेस पर...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (आयुर्वेद मंत्री) : अभी बैक लाग भरा है। अभी एक महीना भी नहीं हुआ। खास कर ट्राइब का बैक लाग भरा है।

श्री अमराराम (धोद) : वह कांट्रेक्ट बेस पर होगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार भी कांट्रेक्ट बेस पर है।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : आयुर्वेद मंत्रीजी, आप तो...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आयुर्वेद मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री सभापति : जीतमलजी, आप बैठिए, आपका नम्बर भी है।

श्री अमराराम (धोद) : आपके यहां पर नियुक्तियां हुई। जो ट्रेंड बैठे हुए हैं उनको तो नहीं दी, तो अनट्रेंड थे उनको दे दी। आपका विभाग तो सबसे मास्टर है इसलिए आप ज्यादा नहीं कहें। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान का वह ग्रामीण

(श्री अमराराम)

इलाका न केवल अकाल की मार से, राजस्थान के तमाम उन विभागों में जो कर्मचारियों की कमी या उसका नुकसान भी राजस्थान को, आज कोई भी डाक्टर हो, कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी, आज आप किसी भी जिले में चले जाइये, पोस्टेड जरूर हैं लेकिन गांवों में सेवा देते हुए नहीं मिलेंगे।

राजस्थान में जिस तरह से साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने की कोशिश, आज भी राजस्थान में बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि राजस्थान को हम गुजरात बनाएंगे। राजस्थान के और देश के हिन्दुओं की रक्षा अब तोगड़ियाजी करेंगे। वह त्रिशूल से करेंगे। मैं नहीं मानता क्योंकि राजस्थान की इस एकता को भंग करने के लिए जिस तरीके की कोशिश साम्प्रदायिक शक्तियों ने की है, आज सरकार भी उसी तरह से, मैं समझता हूं उसको रोकने में बिलकुल असफल रही है, इसलिए आज मेरा आपसे निवेदन है...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : यह जो अभिभाषण रखा गया है वह दिशाहीन है। राजस्थान के किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, इनके भविष्य पर अंधकार हो रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो बेरोजगार हाथों को काम देने की योजना, सरकार की कोई प्राथमिकता में नहीं है। आने वाले समय में राजस्थान के समाज के सामने सबसे बड़ा खतरनाक, राजस्थान के नौजवान के सामने न खेत में काम है, न कारखाने में काम है, न सरकार में काम है। और कोई भी काम सृजित करने का सरकार का इरादा नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए मेरा निवेदन है कि...

श्री सभापति : माननीय श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया।

श्री अमराराम (धोद) : मैं इस अभिभाषण का, धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि अपने किए वायदों को पूरा करने की कोशिश करे वरना राजस्थान की जनता से आपको दो-दो हाथ करने पड़ेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : तमसो मा ज्योतिर्गमय। माननीय सभापति महोदय, अहम किंचित निवेदयामी। 24 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने 11 वीं विधान सभा के दसवें सत्र का उद्घाटन करते हुए जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया और जोधपुर से पधारे हुए माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है और श्रीमन् आपने जिसका अनुमोदन किया है, उस सम्बन्ध में मैं

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

कोई भी सरकार अपने प्रान्त और देश की बहबूदी के लिए प्रयत्न करती है, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने राजस्थान की अभिवद्धि और समृद्धि के लिए प्रयास करने का प्रयत्न किया है। इस अभिभाषण में जो आंकड़ों का जाल है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण आदि से अन्त तक पठन किया उसके लिए मैं हमारे संसदीय मंत्री और विधि मंत्री, माननीय खेतसिंहजी राठौड़ को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार महामहिम राज्यपाल महोदय को यह निवेदन नहीं किया कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अब तक जितने राज्यपाल महोदय यहां पधारे उन्होंने पूरा भाषण कभी नहीं पढ़ा। शुरू किया तो उनके खड़े होकर पढ़ने में विधि मंत्रीजी को बड़ी परेशानी होती थी और वह तत्काल खड़े होकर कहते, आप अस्वस्थ हैं, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। आप इस सदन की कार्यवाही को देखेंगे। मैंने उस वक्त भी विरोध किया था कि गलत परम्परा इस सदन में नहीं डाली जाए। बिना पढ़े हुए ही पढ़ा हुआ मान लिया जाए, इससे ज्यादा असत्य क्या हो सकता है। यह पवित्र सदन है। इसमें जो कुछ भी कहा जाए वह तथ्यात्मक सत्य होना चाहिए। सत्य के अलावा कोई भी कुछ भी कहता है तो न तो जनता उसका विश्वास करती है और न सदन में बैठे हुए लोग ही उसको पसन्द करते हैं।

इस अभिभाषण में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन मुझे इस सरकार की जो सबसे अच्छी बात लगी, जिसकी मैं सब जगह चर्चा करता हूं, वह यह है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री शोषित, पीड़ित समाज के अंतिम व्यक्ति के हृदय तक पहुंचा है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में राजस्थान के सभी मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के कार्यकाल को देखा है। किसी भी मुख्य मंत्री ने गरीब आदमी के हृदय तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। अशोकजी गहलोत ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आप तो सारे पूर्व मुख्य मंत्रियों को एक तरह से कण्डम कर रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सबको देखा है, मैंने सबको देखा है इसलिये यह बात कही है।

श्री सभापति : रास्ते के आगे से नहीं आना चाहिए आपको।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं तो आया तो दो बार ही दूं। 80 से 85 और अब की बार आपकी सेवा में हूं, बाकी देखा

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

सबको है। व्यक्तिशः जानता सबको हूं। सुमित्राजी इस बात को आप चेलेंज करती हैं, यह सत्य से परे है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को सरकार के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था का जो उन्होंने प्रावधान रखा है वह मुझे इन 4 वर्षों के बीच में सबसे अच्छा लगा। इसलिये मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

अब सरकार आएगी तो स्कूलें खोलेगी और दूसरे काम भी होंगे। शिक्षा के मामले में राजस्थान ने अभूतपूर्व कार्य किया है। उसका प्रतिशत भी बढ़ा है। मैं नहीं कहता, सारा समाज कहता है और केन्द्र सरकार ने भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। और शिक्षा की प्रगति के लिये स्वयं केन्द्र सरकार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को इसके लिये सम्मानित भी किया है। इस बार भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुआ है और रचनात्मक काम हुआ है जो दूर-दराज, ढाणियों में निवास करने वाले परिवार हैं उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा देने के लिये नजदीक से नजदीक स्थान पर राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं। अब कितनी खोली हैं यह तो इसमें सब लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा हुआ है उस बात की समीक्षा के लिये मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

प्राथमिक स्कूलों को मिडल स्कूल किया। मिडल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किया और माध्यमिक स्कूलों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अच्छी तादाद में क्रमोन्नत की गयी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन व्यवस्था में सुधार करना है और यह तब होगा जब आप यह भर्ती की जो पाबन्दी लगा रखी है अध्यापकों की, उसको हटाएंगे और नये अध्यापकों की व्यवस्था करेंगे। मैं नियमित रूप से 2-3 गांवों में प्रतिदिन जाता हूं। आप लोग भी जाते हैं। लेकिन आपके जाने में और मेरे जाने में थोड़ा फर्क है और फर्क यह है कि मैं सूचना देकर नहीं जाता। मैं जिधर मेरी इच्छा हुई उस साइड में निकल गया। तो जो कुछ आपने निर्णय किये हैं उसके अनुसार क्रियान्विति नहीं मिल रही है धरती के ऊपर। ऐसी स्कूलें हैं जिनको आप क्रमोन्नत किया है, प्राचार्य नहीं, विज्ञान का अध्यापक नहीं, गणित का अध्यापक नहीं, संस्कृत का अध्यापक नहीं, हिन्दी का अध्यापक नहीं, ऐसी स्थिति में अब मैं आप पर ही छोड़ता हूं सरकार के ऊपर ही छोड़ता हूं कि उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की क्या स्थिति होगी। हो सकता है सर्कूलर के कारण उन सबको पास कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक जो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाना चाहिए था, होना चाहिए था वह उस ज्ञान से आज

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

का छात्र शून्य है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी वित्तीय स्थिति अब धीरे धीरे ठीक हो रही है जो पहले वित्त नहीं था वह शिकायत अब आपको शायद कम हो गयी होगी। बहुत प्रयत्न किये हैं। क्योंकि आपकी चाहे जो मजबूरी हो, यह सड़कों पर जो जुलूस निकलते हैं और जो एजीटेशन होते हैं, जो घेराव होते हैं वह एक ही बात कहते हैं कि "चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो" इस पर आपको गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए और वह बात इसलिये कहते हैं, इस बात को कहने के वे हकदार भी हैं क्योंकि उन्होंने प्रचण्ड बहुमत से आपको यहां आसीन किया है। आपका दायित्व है कि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को समय रहते पूर्ण करें।

माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रारम्भ ही अपने भाषण को बिन्दू 2 से शुरू किया। बिन्दू एक तो अंकित ही नहीं है, दो से ही शुरू किया है और वह अकाल से किया है कि अकाल की विषम परिस्थिति है और सत्य भी है। यह पांचवीं साल भयंकर अकाल है जिसको त्रिणकाल के नाम से पुकारा जाता है, सारे राजस्थान में पड़ा हुआ है। अब इतने भयंकरतम अकाल का मुकाबला अकेले सरकार नहीं कर सकती है। उसकी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि इस भयंकर अकाल की स्थिति का वह मुकाबला करे। इसलिए मैंने गत सत्र में भी कहा था कि इस अकाल का मुकाबला सरकार और समाज दोनों मिलकर करेंगे तो इसको हम पार कर जाएंगे।

माननीय सभापतिजी, जब भी आपको कोई असुविधा हो तो धीरे से मेरे को इशारा कर देना मुझको कितने मिनट बोलना है। मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो अकाल की स्थिति के बारे में सरकार ने अपने सीमिति संसाधनों के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया। और इस अकाल राहत के पहले जितने भी अकाल के समय काम शुरू हुए हैं वह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर से हुए हैं। लेकिन अकाल की भीषणता को देखते हुए माननीय अशोकजी गहलोत की सरकार ने 16 अगस्त से ही अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अकाल पीड़ित व्यक्तियों को रोजगार दें। पशुधन की रक्षा करें। और मैं यह कहूं कि सबसे ज्यादा अकाल का असर पशुधन पर पड़ा है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पशुओं को बचाना बहुत जरूरी है। जो कृषक हैं उनके जीवन का आधार कृषि और पशुधन ही है और कृषक इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वह उत्पादन करता है, देश को कुछ देता है इसलिए उसको बचाना बहुत जरूरी है। जगह-जगह पशु शिविर खोले गये, चारा डिपो भी खोले गये। मैं अपने क्षेत्र के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। ज्यों ही यह अकाल घोषित हुआ

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

सबसे पहले मेरे दिमाग में यह आया कि पशुधन की रक्षा करना बहुत जरूरी है।

रतनगढ़ के अन्दर दो ऐसे गौ-शिविर हैं, एक जे.के.जे. वालों की तरफ से और दूसरा अकाल गौ-सहायता शिविर है। उनमें कम से कम दोनों में साढ़े पांच हजार के आस पास पशु हैं, उसमें राहत कार्य के लिए रखे गये हैं और उन शिविरों की एक विशेषता है कि वो राज्य सरकार से अनुदान नहीं लेते। आपनी शक्ति पर वह शिविर चला रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसलिए इस अकाल में सरकार, स्वयं सेवी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, दानदाता, जिन लोगों का भी पशुधन को बचाने में योगदान है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम सबको दो-तीन महीने और मेहनत करनी पड़ेगी और आगे आने वाले जो महीने हैं, सभापति महोदय, अप्रैल, मई और जून, यह बहुत खतरनाक महीने हैं। गर्मी पड़ेगी, आज जो स्थिति है, उससे ज्यादा पानी की मांग होगी। उस वक्त में हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करा सकें, इसके लिए अभी से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। आज भी पेयजल की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। रतनगढ़ तहसील और सुजानगढ़ तहसील में जो पूर्णतया पीने का पानी खारा है। दूसरी जगहों से पानी आता है। मेरी तहसील में शेखावाटी से पानी आ रहा है, बिदानिया स्कीम से, सुजानगढ़ में लाडनूं तहसील का पानी आ रहा है और यदि उसमें कभी व्यवधान हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए समय रहते मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि अभी से योजनाएं बनाकर पेयजल की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने तो मुख्य मंत्रीजी को यह सालासर में निवेदन किया था कि सरकार करोड़ों रुपये पानी की व्यवस्था में लगा रही है, हर साल लगा रही है लेकिन परिणाम नहीं आ रहे हैं। परिणाम आने चाहिए।

राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक बात कही थी, उसमें कोई अशुद्धि हो तो आप शुद्ध कर लेना। उन्होंने कहा था–''बी वांट्स टू रिजल्ट्स'', क्यों डाक्टर साहब इसका यही मतलब है न कि हम परिणाम चाहते हैं। तो यदि परिणाम नहीं आते हैं, यदि परिणाम सकारात्मक नहीं आते हैं तो आप चाहे कितना भी अच्छा काम करो उसका हमको वह प्रतिफल नहीं मिल सकता जो हम बांधा करते हैं, इच्छा करते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है इस सरकार से और विशेषकर मुख्य मंत्रीजी से कि हमको मीठा पानी इन्दिरा गांधी नहर से उपलब्ध कराओ क्योंकि रुपयों के अभाव के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। रुपये तो मैंने खुद ने लगभग 35 लाख रुपये रतनगढ़ को पिछले वर्ष दिये थे और आलसर से पड़िहारा पानी पहुंचाने के लिए 10 लाख 45 हजार रुपये दिये विधायक कोष से लेकिन पड़िहारा पानी तो नहीं पहुंचा।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

आलसर में पांच कुएं हैं, पांचों बन्द हैं। कोई आदमी नहीं। अभी मैंने सरप्राइज निरीक्षण किया था, आकस्मिक, पांचों कुएं बन्द थे। कोई वहां पर आदमी नहीं। मैं अभी आपको अच्छी तरह से जानता नहीं हूं परिचय हो जाएगा तब मैं कुछ आपके लिए कह सकूंगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री रोहिताश्व कुमार : मेरे लिए कहने की जरूरत नहीं है। मुख्य मंत्रीजी को आपने नम्बर वन बता दिया और पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं मैं। नहीं, आप दूसरी भाषा में कहते हैं, मैं अपनी भाषा में कहता हूं।

श्री सभापति : पण्डितजी, आपस में बात मत करिये। अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं मेरे मन के भाव अपनी वाणी से और अपने तरीके से कहूंगा और आप अपनी बात अपने तरीके से कहते हैं। मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि पैसा खूब लगा है पानी पहुंचाने के लिए चेष्टा की गई है लेकिन पानी पहुंचा नहीं है। उसके बाद में उस राजलदेसर में जहां से पानी सप्लाई होता है, वहां पर गया। एक मिनट, बैठ जाऊं?

श्री सभापति : आप कंक्लूड कर दें, कोई और बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, आज जितने भी भाषण हुए सबसे अच्छा भाषण इनका ही है। इनको कहने दो, मन की बात तो अब आ रही है। मन की बात कहां आई?

श्री सभापति : पूरी बात आ गई इनकी। माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं आपको नहीं मानूंगा, मैं इनको मानूंगा।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए आभार प्रदर्शित करते हुए माननीय जोधपुर के विधायक ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, गत वर्ष के बजट भाषण के बाद में आज का अभिभाषण आप और हम सबके सामने है महामहिम का। उसमें राज्य के कार्य-कलापों पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने विशेषकर अकाल से प्रारम्भ किया है भाषण को, कि राजस्थान भयंकर अकाल से ग्रस्त है और विशेषकर मेरा जिला जैसलमेर सर्वाधिक अकाल से प्रभावित है। यदि कहीं अकाल है पशुओं का और मनुष्यों का तो जैसलमेर में है।

जब चर्चा करते हैं अकाल के बारे में, अकाल की चर्चा करेंगे अकाल के विषय

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पर जब 3 तारीख को चर्चा होगी 3 तारीख को विशेष डिटेल में जायेंगे। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि जो अकाल प्रबन्धन वर्तमान सरकार ने किया है वह स्तुति के योग्य है। आज यह कहा जाता है कि अकाल से मौत हो गयी। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, यह कहना बिलकुल सही नहीं कि अकाल से मौत हो गयी। इस युग में कोई अकाल से मौत की चर्चा करता है, जब देश में अनाज के विपुल भण्डार हैं तो मुझे लगता है कि यह बेमानी है और विशेषकर भारतीय संस्कृति में जहां हम गांव के किसी मेहमान को ही भूखा नहीं सोने देते तो कोई गांव में भूखा मर जाये यह कहना मुझे ठीक नहीं लगता है। इसलिये मेहरबानी करके इस तरह का जो चित्रण किया जाता है राजस्थान का, वह उचित नहीं है।

इस सरकार ने चार वर्ष पूर्व चार्ज सम्भाला तब कहा था हम पारदर्शी सरकार देंगे, हम संवेदनशील सरकार देंगे, हम जवाबदेह सरकार देंगे। यह तीन वायदे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये थे। मुझे लगता है इन चार वर्षों में इन वायदों पर हम खरे उतरे हैं। इस सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। जो हमने कहा है उस ओर हम कार्य करने को अग्रसर हैं। मुझे विश्वास है कि जो संकल्प लेकर सरकार को जनता ने बहुमत दिया था, उसके आधार पर सरकार अपना काम कर रही है। मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा।

सभी क्षेत्रों में चर्चाएं हमारे मित्र कर चुके हैं। परन्तु यह व्यवस्था जो एक मिशनरीज के आधार पर सरकार काम कर रही है, जो मिशंस बनाये हैं इन्होंने पांच मिशन, पांच कार्य दल बनाकर के जो सरकार संचालन कर रही है, वह निश्चित एक सही दिशा है सरकार चलाने की।

वित्त की चर्चा हम कर रहे थे कि वित्त पर नियंत्रण नहीं है। हम फिगर्स देखें तो कर राजस्व 15 प्रतिशत बढ़ा है, वर्तमान में 20 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। तभी तो वित्त आयोग ने 171 करोड़ की राशि विशेषकर राजस्थान सरकार को दी है। यह वित्तीय प्रबन्धन है जिस कारण से हमें 171 करोड़ मिले। दसवां वित्त आयोग हो, ग्यारहवां वित्त आयोग हो, मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं 31.3.2000 को कितना पैसा हमारे पास था इस सी.आर.एफ. जिसको हम रिलीफ फण्ड कहते हैं। सीमित पैसों से हमने अकाल राहत कार्य शुरू किये 15-16 अगस्त से तो निश्चित आपको मानना चाहिये कि हमारे पास वित्तीय संसाधन कितना था, जो केलेमिटीज है, जो परिस्थिति है, छपनिया का अकाल लोगों ने सुना, 96 का अकाल सुना और अब सम्वत् 59 का अकाल है जिसको भयंकर अकाल और महाकाल कहते हैं, उस अकाल में सी.आर.एफ. का जो पैसा था 31.3.2002 को, उसको लेकर अकाल का प्रबन्ध किया है। मैं मानता हूं कि इस सरकार का जो वित्तीय मिशन है

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

उसी आधार पर इन्होंने एक अच्छा काम किया है। जब अकाल की भयंकर स्थिति है। हम केन्द्र और स्टेट के आपस में रिलेशन की चर्चा करें। यह फेडरल स्ट्रक्चर है। अभी हमारे विरोधी दल के साथी कह रहे थे कि पैसा केन्द्र देता है तो वह फेडरल स्ट्रक्चर में केन्द्र का दायित्व है और पश्चिमी राजस्थान में तो मैं ऐसा मानता हूं कि नेशनल केलेमिटी है और नेशनल केलेमिटी में केन्द्र सरकार का ही दायित्व है कि वह सारा का सारा फैमिन का पैसा दे।

फैमिन की बात करूं। मेरा छोटा-सा जिला है जहां पांच लाख की आबादी है और पच्चीस लाख की पशु संख्या है। चार करोड़ रुपये प्रति माह हम खर्च कर रहे हैं पशुओं के संरक्षण है। सवा-डेढ़ लाख पशुओं को प्रतिदिन बाहर रुपये हम दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिये कितना बड़ा अकाल का काम करने के बाद में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दे रहे हैं। स्टेट के अन्दर करीबन 55 लाख व्यक्तियों को काम देने की बात है। दस दिन महीने में काम देते हैं। इसका मतलब हर परिवार को एक बोरी अनाज देते हैं। हमारे कुछ साथी कह रहे थे एक-डेढ़ रुपया मिलता है। मैं कहता हूं कि सरकार के आदेश हैं, 25 रुपये प्रतिदिन से कम मजदूरी तो उस समय मिल रहा है जब काम बन्द हो रहे हैं। हमारी ऐवरेज है 50-60 के बीच में, प्रतिदिन 50-60 के बीच में राजस्थान की एवरेज आ रही है तो कैसे मान कर चले, 9 किलो, 10 किलो अनाज प्रतिदिन मिलता है तो दस दिन के अन्दर एक बोरी अनाज परिवार में जाता है पांच आदमियों के परिवार में, तो भूख से मरने की जो चर्चा करते हैं मुझे नहीं लगता कि उनके तथ्यों में, उनके भाषणों में कुछ वजन है। केवल कहने के लिये, विरोध करने के लिये विरोध करना एक अलग बात है। सही मायने में सही तथ्य पर जाये कि राजस्थान के वित्तीय साधनों के बावजूद केन्द्र से जो साधन मिले हैं उन आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, क्या मिले क्या नहीं मिले। परन्तु केन्द्र सरकार का नेशनल केलेमिटीज मानते हुये उनका दायित्व है कि पूरा का पूरा पैसा इनको देना चाहिये, वह नहीं दे रहे हैं। इसको मंजूर करना चाहिये। इसमें आपस में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिये।

जहां तक मिशन की मैंने चर्चा की, पांच मिशन बनाये हुये हैं–जनसंख्या मिशन है, जल-प्रबन्धन मिशन है, पर्यटन मिशन है, सामाजिक सुरक्षा मिशन है, प्राथमिक शिक्षा का मिशन है। इस मिशंस के माध्यम से आप देखे कि जीवन की सारी मुख्य पहलुओं को टच करती है। सामाजिक सुरक्षा और जल प्रबन्धन की चर्चा मैं डिटेल में नहीं करूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो हृदय है, जो लास्ट के फोलोअर्स हैं, जो गांधीजी की फिलासफि के नजदीक हैं, उनका विचार है कि आखिरी इंसान जो भूखा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

है, जो प्यासा है, जिनको जरूरत है उस आधार पर जो भी निर्णय लिया है इन चार वर्षों के अन्दर, मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ा जम्प किया। विकास करना हर सरकार का दायित्व हैं। हर सरकार विकास करती है बस प्लीड और एक्सप्लेनेशन का फर्क है। हम उस इकोनोमी को, राजस्थान की सोशल आटोनोमी स्ट्रक्चर को दबाते जा रहे हैं कि आने वाली सरकार यानि इस पार्टी की सरकार आये चाहे किसी पार्टी की सरकार आये, वह विकास की गति को तेज करेगी। चार वर्षों में जो एक्सप्लेनेशन दिया इकोनोमी और सोशल सैक्टर में, मुझे लगता है यह सरकार वास्तव में धन्यवाद की पात्र है। केवल विरोध के लिये विरोध नहीं करना चाहिये। चार वर्षों में जितने निर्णय लिये हैं, भूमि से लेकर, नगरीय डवलपमेंट्स से लेकर शहर की चर्चा करने लगे कि शहर में ही विकास होता है। किस आधार पर, किस फण्ड से विकास हो रहा है? ए.डी.बी. से ऋण लेकर वह जो संस्थाएं हैं, जो नागरिक व्यवस्था है, वह अपना कर्जा पे करेगी, उसको अकाल से जोड़ने का कहां मतलब है? कहने में बड़ी सुविधा होती है कि शहर का ही विकास हो रहा है, अकाल से इंसान भूखा मर रहा है, यह कहने का कोई औचित्य नहीं है। हर मद का अलग अलग फण्ड है। इस तरह से चर्चा करना उचित नहीं है।

पेयजल की चर्चा, जैसे अभी कहा, महामहिम के अभिभाषण में बोले 1100 नये नलकूप, नौ हजार हैण्डपम्प से पेयजल व्यवस्था होगी। मेरा जिला छोटा-सा जिला है, 44 करोड़ रुपये हमने खर्च किये हैं पेयजल की व्यवस्था के लिये इन चार वर्षों में। अब कल्पना कीजिये कि कितना बड़ा काम हमने किया है। हर गांव में, हर झोपड़ी में पानी पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इस तरह कहने लगे कि सूखे पड़े हैं। एनीकट वगैरह की चर्चा की। परम्परागत जल स्रोत के आधार पर कितना बड़ा काम किया, तालाबों और छोटी नाड़ियों को बांधने का काम पहले किया और अकाल में भी हम काम को किये जा रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, अन्य कोई व्यवस्था हो।

शिक्षा के बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा। हमारे पूर्व साथी कह रहे थे अध्यापक नहीं हैं। हमारे जो वित्तीय संसाधन हैं, हम और आप, सभी 200 विधायक चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में चार स्कूलें खोली जावें। आप और हम सबने मांग की कि स्कूलें खोली जायें पर वित्तीय साधनों के आधार पर जैसी भी व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में जो कोई कमी है तो उस कमी को मंजूर करते हैं कि वस्तुत: कहीं अध्यापक कम हुये हैं, फिर समानीकरण के माध्यम से या अपाइंटमैंट के माध्यम से जैसे सरकार घोषणा कर रही है कि दस हजार अध्यापकों की नियुक्ति करके आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम शिक्षा में जो कमी है उसको

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पूरा करेंगे। सामाजिक सुरक्षा, भूमि प्रबन्धन, प्रशासन गांवों के संग के माध्यम से कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिये आप और हम सब गये थे गांवों के अन्दर प्रशासन गांवों के संग जो अभियान चला उसमें आपने, हमने गांव की व्यथा देखी और कोशिश की। वैसी ही नगरीय विकास में हमने नगर के संग जो आयोजन किये। शिक्षा आपके द्वार में आइडेंटिफाई किया है कि कौनसे बच्चे हैं 9 से 14 साल तक के जो विद्यालय में नहीं जाते हैं। एक-एक ढाणी का आकलन करके आपने और हमने कोशिश की कि सारे वह बच्चे किस तरह से स्कूल से जुड़ जाएं। इतने बड़े आयोजन के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी का नारा है कि हम इन चार वर्षों में राजस्थान को विकसित देखना चाहते हैं, राजस्थान को इस रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं जिसमें हम विकसित राजस्थान बना सकें।

सभी सैक्टर्स में, जैसे 5 मिशन बने हैं, 5 कार्यकाल बनाये गये हैं, कार्यबलों के आधार पर काम कर रहे हैं। ऊर्जा की चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे क्षेत्र में रामगढ़ पावर हाउस से 300 करोड़ का पावर प्लांट लग गया। वहां पर मुझे 12 जी.एस.एस. मिले थे जो आज 25 से अधिक जी.एस.एस. मेरे क्षेत्र में हो रहे हैं। हमने करीब 25 मेगावाट के विंड मिल्स पैदा की है, हवा से। इतना बड़ा काम बिजली का, इतना बड़ा काम शिक्षा का, इतना बड़ा काम सड़कों का किया। 600 करोड़ देकर काम कर रहे हैं तो मेरा विरोधी दलों के साथियों से कहना है कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करें, सही को सही कहना सीखें। जो काम हुआ है उसकी तो प्रशंसा करें और जो कमी है उसके लिए कहें कि इस फील्ड में यह कमी है।

वित्तीय प्रबन्धन के बारे में विरोधी दल के साथियों को बैठा करके मुख्य मंत्रीजी ने एक मीटिंग ली थी और बताया था कि यह साधन हैं हमारे पास, सारी व्यवस्थाएं हैं फिर कहने की कहां शंका है कि हमारे पास साधन होते हुए हम अकाल का काम नहीं कर रहे हैं। यह सारे आरोप मिथ्या हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई तथ्य हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पधार कर जो सभी विषयों पर अपना प्रकाश डाला और राजस्थान के विकास के लिए जो बातें बतायीं उनके लिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं और जोधपुर से आने वाले हमारे साथी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आधा घंटे में क्या होता है? आधे घंटे में चाहते क्या हो? इतने लोग बोलने वाले हैं अभी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, आपकी जो समय सीमा निर्धारित की गयी है आसन द्वारा उसमें मात्र 36 मिनट शेष हैं, बाकी का आपने यूटिलाइज कर लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : देखो शेष-वेष से तो कोई समस्या का समाधान नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन से मुझे और आपको बैठ कर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आपके पास बोलने वाले लोग नहीं हों और उसका सारा हमारे माथे मढना चाहते हो तो अलग बात है। हमने चार दिन की चर्चा रखी इसीलिए थी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : 4 दिन की चर्चा इसीलिए रखी है कि समय आपके पास काफी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो बढ़ाइये न।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और आपका समय बहुत सीमित रह गया जिसमें इन्क्लुडिंग आपका प्रवचन भी होना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सीमित समय जैसे ही आप आवर्स बढ़ायेंगे तो उसमें समय बढ़ जायेगा। अभी तो आपने 5 बजे के समय के हिसाब से कैलकुलेशन निकाला है, उसको आप 8 बजे तक बढ़ा दीजिये तो रोजाना 3 घंटे के हिसाब से बढ़ जायेगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं और आप, दोनों आसन से रिक्वेस्ट करेंगे। आसन को बाइपास तो नहीं कर सकते न?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं बाइपास नहीं करें लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 7 बजे तक रखा जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घंटे और बढ़ाया गया।

श्री कन्हैया लाल मीणा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज जो चर्चा हुई थी...

श्री सभापति : और बढ़ा देंगे, बाद में आप इनसे बात कर लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप ऐसे ही खतम करना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर ब्रुटल मैजोरिटी का इतना ही गुमान है, अगर आप समझते हो ब्रुटल मैजोरिटी से जो परम्पराएं आज तक रही हैं...

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्रजी, आप मुख्य सचेतकजी से बात कर लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य सचेतकजी, आज तक सदन की परम्परा रही है कि सदन प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर और ज्यादा से ज्यादा प्रतिपक्ष अपनी बात सदन में कहता है उसका लाभ सरकार को ही होने वाला है। मेरी समझ में नहीं आता, अपनी सुबह बात हुई थी तब यह तय हुआ था कि 7 बजे तक सदन चलायेंगे और उसके बाद और जरूरत पड़ी तो समय और बढ़ायेंगे। आप एक तरह से हमारे पर अहसान कर रहे हो आधा घंटा बढ़ा दिया, पौन घंटा बढ़ा दिया। अगर आपकी मंशा यही है कि अगर आप सदन अकेले ही चलाना चाहते हो तो वैसे बता दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सचेतक महोदय, आपको स्वयं को जानकारी है कि सदन का समय बढ़ाने के लिए लम्बे समय के लिए आसन से रिक्वेस्ट नहीं की जाती। जैसे जैसे आवश्यकता पड़े आसन से रिक्वेस्ट कर दी जाती है। उसमें क्या बात है?

श्री सभापति : यह कह रहे हैं और आवश्यकता होगी तो। श्री कन्हैया लालजी मीणा। अब आप इस समय का उपयोग करिये। आपकी ही पार्टी का समय जाया हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा आसन से निवेदन है कि कल जिस तरह से 15 मिनट बढ़ाया और उसके बाद अचानक हाउस एडजोर्न हो गया, मैं समझता हूं यह नयी परम्पराएं क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नयी परिपाटी डाल रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके पास कल का और परसों का भी समय है, दो मिनट का टाइम और है। आप पधारें, आसन से रिक्वेस्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं अगर यही रवैया है, आधे घंटे में समाप्त करने का मानस है...

श्री सभापति : और बढ़ा दिया जायेगा, आप उनको बोल देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, कल इसी विश्वास में रहे थे और अचानक चेयर से कह दिया कि कल तक के लिये स्थगित की जाती है। वैसे ही जैसे ही आधा घंटा समाप्त हुआ चेयर से व्यवस्था दे दी कि कल तक के लिए स्थगित, फिर क्या करेंगे उस समय खड़े होकर?

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, आप तो स्वयं जानते हैं कि आसन को जो प्रस्ताव आता है उस पर सदन से सहमति लेकर ही समय बढ़ाया जाता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन आसन हमारी सुरक्षा करने के लिए आगे तक भी तो इस बात को पहुंचाये। मंशा तो यह थी कि हम ज्यादा से ज्यादा...

श्री सभापति : उन्होंने आपको आश्वस्त किया है कि आवश्यकता को देखते हुए समय और बढ़ाना होगा तो बढ़ा दिया जायेगा। श्री कन्हैया लालजी मीणा।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिस अभिभाषण को यहां पर पढ़ा मैं उसके विरोध में बोल रहा हूं। क्योंकि उसमें तोड़ मरोड़ करके जिस प्रकार राजस्थान की जनता को यह बताने की कोशिश की है कि हमने बहुत बड़ा काम जनता के लिए किया है। वर्तमान में राजस्थान में अकाल भयंकर रूप से है, आम जनता उससे पीड़ित है और सरकार कह रही है कि 16 अगस्त से हमने काम चालू कर दिये। सभापति महोदय, 16 अगस्त से काम चालू कर दिये तो कितने काम चालू किये? एक-एक पंचायत समिति में दो-दो काम खाली नमूने बतौर एक पंचायत समिति में दो काम और उसमें भी 10 व्यक्ति।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : सभापति महोदय, एक सूचना है अगर आप इजाजत फरमाएं तो।

श्री सभापति : क्या सूचना है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, मुझे अभी पता चला है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से कोई गेस्ट आये थे ऊपर बैठाने के लिए तो मुझे अभी बताया गया कि 5 बजे के बाद किसी को हम अलाउ नहीं करते सिवाय सुरक्षाकर्मी बैठेंगे यहां पर। मैंने मार्शल साहब से यह बात पूछी कि आपने कब से इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही 5 बजे के बाद बैठने के लिए दर्शकदीर्घा में अधिकृत हैं?

श्री सभापति : संसद में और असेम्बली में यही व्यवस्था है, 5 बजे तक का समय निश्चित होता है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : तो उसके बाद कोई बैठेगा ही नहीं?

श्री सभापति : आपको इसमें कुछ कहना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय से बात कर लीजिये। सदन की व्यवस्था के बारे में आप सदन में कोई बात नहीं उठा सकते। अध्यक्षजी से बात करिये। श्री कन्हैया लालजी मीणा।

श्री कन्हैया लाल : अकाल राहत के लिए बढ़-चढ़ कर कहा गया कि हमने 16 अगस्त से कार्य चालू कर दिये गये हैं और हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जिस जिस क्षेत्र में 16 अगस्त को काम चालू किया गया है उसमें एक काम के ऊपर 10 मजदूर से चालू किया और एक पंचायत समिति में दो काम दिये। उनसे कहा गया कि इन दो कामों से क्या होगा, 20 मजदूर एक पंचायत समिति में लगा रहे हो, एक पंचायत समिति में दो काम तो एक पंचायत समिति में 20 मजदूर से क्या होगा तो सरकार ने कहा कि यह तो परीक्षण कर रहे हैं हम अभी। अभी प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं।

(16.58 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अभी काम बाद में खोलेंगे। यह अगस्त का नमूना है। और बारबार पुकार रहे हैं कि

(श्री कन्हैया लाल)

अगस्त के अन्दर काम चालू कर दिया और एक बहुत बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं।

गेहूं, चारा और पानी की राशि और चारा, पानी हेतु परिवहन की जो व्यवस्था भारत सरकार ने की उसको इनको धन्यवाद देना चाहिए था। इस अभिभाषण के अन्दर उनका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है और वैसे ही वाहवाही लूट रहे हैं। भारत सरकार द्वारा दिल खोल कर जो मदद राजस्थान की, की है, कभी भी राजस्थान सरकार ने यह नहीं कहा कि उन्होंने इतना पैसा दिया, इतना अनाज दिया कहा कि, नहीं, बहुत कम दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। हमेशा यही कहते रहे। अभी पशु शिविर के लिए कह रहे थे कि पशु शिविर में हमने बहुत सारा अनुदान दिया और पशु शिविर चलाये, मैं कह रहा हूं कि पशु शिविर जहां-जहां चले वहां अगर परसेंट से ज्यादा अनुदान दिया हो तो यह बता दें। जितने भी पशु शिविर लगे, पशु शिविरों को वापस तोड़ना पड़ा।

(17.00 बजे)

अभी सांगानेर और चाकसू से सारे जानवरों को खोलकर जयपुर के अन्दर, करीब एक हजार पशु तीन दिन से, जो पशु शिविर हैं, उन पशु शिविरों के पशुओं को यहां लाकर छोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करूं कि वर्तमान में गायों की जो दुर्दशा हो रही है वह इस सरकार में हुई है। चारा डिपो जहां-जहां खोले हैं, चारा डिपो कागजों में जरूर खुले हैं लेकिन कहीं भी चारे की व्यवस्था नहीं की गयी है। जहां खोल दिये वहां एक-एक ट्रक भेज दिया, कहीं दो ट्रक भेज दिया। लोगों को एक दिन में एक मन के करीब ही चारा दिया गया। उससे क्या होने वाला है? ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम इस सरकार ने किया है। यह सरकार बढ़-चढ़ कर बातें कर रही है। अगर आप गांवों में जाकर देखें तब आपको पता चलेगा। यहां पर जो-जो सत्तापक्ष के विधायक महोदय बैठे हैं, मंत्री साहिबान बैठे हैं वहां जाकर इस प्रकार से बोलेंगे तो इनको पता चलेगा। वास्तव में गांवों की क्या दुर्दशा हो रही है। गांवों में तीस से ज्यादा मजदूर नहीं लगाये गये हैं और एक पंचायत में एक काम नहीं दिया है। वर्तमान में जाकर दस दिन में एक मजदूर काम करेगा। सारे पंचायतों के लोग कहीं काम करने में यदि एक-एक दिन भी काम करे उन दस दिन के पीरियड में तो उन लोगों को कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा है और बीच में पक्षपात करके उन कामों को दिया जाता है और बीच में कामों को रोकते गये और काटते गये। अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र में 17 कामों को बीच में ही रोक दिया, दस दिन भी काम नहीं चला, कैंसिल कर दिया। वर्तमान में जो काम चल रहे हैं जहां-जहां चल रहे हैं पचास प्रतिशत काम भी राजस्थान में अकाल राहत के नहीं चल रहे हैं और यहां आकर वाहवाही लूटना यह एक तरह से बेमानी होगी।

(श्री कन्हैया लाल)

दस दिन में मजदूरी देने का जो वायदा सरकार ने किया था वह पूरा नहीं हो रहा है। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। जमुवारामगढ़ के विधायक महोदय यहां पर बैठे हैं, मेरे क्षेत्र में दो महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। नांगल बोहरा में तलाई का है, बोरई के अन्दर तलाई का पेमेंट है। उसका अब तक भुगतान नहीं हुआ है। दो महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। अनेक उदाहरण हैं ऐसे। दस दिन तो दूर की बात है, दो–दो महीने तक मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है। इस तरह से जो थोथी वाहवाही लूटी जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है।

आज सरकार कह रही है कि हमने 631 मेगावाट बिजली पैदा कर दी। इसके लिए तो आपको बहुत–बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 631 मेगावाट बिजली लेकर आपने क्या किया किसानों के साथ? भारतीय जनता पार्टी के राज में मंत्री महोदय परसादीलालजी मीणा के क्षेत्र में गेहूं लहराते थे, सरसों लहराती थी और वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में बिजली की दुर्दशा हो रही है। छह घंटे देने की आप बात कह रहे हैं लेकिन चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। बार बार ट्रिपिंग होती है। मशीन को चलाते हैं पानी आता है खेत तक पानी पहुंचते–पहुंचते बिजली चली जाती है। फिर बिजली आती है पानी खेत तक पहुंचता है और फिर बिजली चली जाती है। एक घंटे में बीस–बीस बार ट्रिपिंग आ रही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान गवर्नमेंट की क्या हालत हो रही है और कह रहे हैं कि हमने इण्डिया के अन्दर रिकार्ड कायम कर लिया, भारत के अन्दर हमको स्वर्ण पदक मिलने वाला है। ऐसा स्वर्ण पदक लेकर आप क्या करोगे? यहां किसान की क्या हालत हो रही है। चोर योजना, नर्सरी योजना और स्पेशल योजना बनाकर 15400 कनेक्शन हमने दे दिये। प्रायोरिटी के आधार पर भी कनेक्शन दिया आपने और इन योजनाओं के अन्दर आपने करोड़ों रुपये किसानों से लेकर एक डी.एन. जमा कराने के बाद आपने यह तय किया था कि इन योजनाओं में हम तीन महीने में कनेक्शन देंगे और आज दो–दो साल हो गये लोगों ने डिमाण्ड नोटिस जमा करवा रखा है, करोड़ों रुपये जमा करवा रखे हैं। जमा कराने के बाद भी आज उन किसानों को कनेक्शंस नहीं दिये जा रहे हैं। वर्तमान में आपने पाबन्दी और लगा दी। साढ़े बारह–बारह हजार रुपये किसानों से ले लिये आपने धोखे से और वह किसान आज त्राहि–त्राहि कर रहा है, उनको कोई कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने डिमाण्ड नोटिस जमा करवा दिये, सरकार ने यह तय किया था कि किसी भी किसान को विजिलेंस नहीं पकड़ेगी वहां जाकर। आप देखो हर जगह विजिलेंस उन किसानों पर छापा मार रही है और वह किसान यदि उसने डायरेक्ट

(श्री कन्हैया लाल)

ले लिया तो उससे फिर वापस पैसा वसूल किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के लिए कह रहे हैं। बी.आर. के साढ़े सात हजार रुपये माफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के राज में। वह साढ़े सात हजार रुपये राजस्थान सरकार ने किसानों से वापस वसूलना शुरू कर दिया है। पूर्व में राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि 48 पैसे की जगह 24 पैसा करके किसानों को लाभ देंगे। 48 पैसा भारतीय जनता पार्टी के राज में लेते थे और वर्तमान में 95 पैसा प्रति किसान लिया जा रहा है। प्रायोरिटी के आधार पर 2.20 रुपये प्रति यूनिट वसूला जा रहा है। चारा योजना, चोर योजना और नर्सरी योजना इसके अलावा इनके पास लेने देने को है ही नहीं और किसानों से इकट्ठा करके पांच कम्पनियां बनाकर तोड़ते-मरोड़ते हैं। कहते हैं कि हमने बिजली बहुत पैदा कर ली है। आज विद्यार्थी अंधेरे में पढ़ रहा है। पचास साल पहले विद्यार्थी चिमनी में पढ़ता था। वर्तमान में भी विद्यार्थी चिमनी से पढ़ रहा है। करीब पन्द्रह दिन से दस बजे तक चालू किया है उसमें से भी अनेक बार तो उस बिजली को वापस काट लेते हैं। कहते हैं कैपेसीटर चलाते हैं किसान। किसानों को तो ये चोर समझते हैं। ये अपने गिरेबान में नहीं देखते हैं। किसानों ने आपको 153 की तादाद में यहां इसलिए बैठाया था कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा आप देंगे, उनको बिजली सस्ती देंगे। उनको पता नहीं था कि बिजली कम देंगे और पैसा ज्यादा लेंगे। पहले बिजली ज्यादा मिलती थी और पैसा कम लेते थे। आज उल्टा काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। खैर जनता आपको बता देगी।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया?

श्री कन्हैया लाल : शिक्षा के अन्दर जो रिक्त स्थान हैं प्राइमरी स्कूल के अन्दर, वायदा किया था कि 40 छात्रों के ऊपर एक अध्यापक होगा। आज डेढ़ सौ विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक है। अगर आज अध्यापक छुट्टी चला गया तो स्कूल ही बन्द हो जाती है। आज ऐसी हालत शिक्षा विभाग की कर दी गयी है। राजीव गांधी पाठशालाओं की आप वाहवाही लूट रहे हैं। अभी माननीय प्रोफेसर सांवर लालजी ने कहा था, बिलकुल सही कहा था कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। आज पढ़ाई इस प्रकार की हो रही है। आज शिक्षा की दुर्दशा हो रही है। अब तक ऐसी कभी नहीं हुई। प्राइमरी स्कूल्स में अध्यापक नहीं हैं। राजीव गांधी पाठशालाएं आपने खोल दीं। उन्हीं स्कूल्स के बच्चे राजीव गांधी पाठशालाओं में हैं। दूसरे कहीं से बच्चे नहीं आये। आप कह रहे हैं कि 40 वर्ष के राज में 38 परसेंट शिक्षित थे और वर्तमान में पांच साल में 76 प्रतिशत कर दिया। शायद

(श्री कन्हैया लाल)

आपको यह पता नहीं है कि 1997 में 55 प्रतिशत शिक्षित थे। वर्तमान में लगातार गति थी वह बढ़ती रही है। इसकी वाहवाही लूटना एक गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन लाल वर्मा। (अनुपस्थित)। श्री नाथू लाल अहारी।

श्री कन्हैया लाल : मेरा एक निवेदन यह है कानून के मामले में। शिवसिंहजी एक सैनिक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो।

श्री कन्हैया लाल : वह एस.टी. का व्यक्ति है। वह अपने घर पर छुट्टियों में आया था। छुट्टियां व्यतीत करके वापस जा रहा था टिक्कड गांव में बुआ से मिलकर। जहाजपुर की पुलिस चौकी के डंडे के पास में एक हैण्ड पम्प लगा हुआ है। वह हैण्ड पम्प पर पानी पीता है। वहां पुलिस वालों की एक बाल्टी रखी हुई है और उस बाल्टी को उठा कर वह पानी पी लेता है। आते ही उसको कहते हैं कि यह कौन +++ है। उन्होंने आपस में गाली-गलौच की, फिर उनके गुत्थमगुत्था हो गयी। उन्होंने उसको लातों से इस तरह से मारा है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई। उनको आज तक सस्पैण्ड नहीं किया गया और यह सरकार एस.सी. और एस.टी. की हिमायती बनती है। यह सरकार इस प्रकार की थोथी वाहवाही लूट रही है। आम जनता इनको बता देगी आने वाले चुनाव में। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 24 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हाउस में अभिभाषण पढ़ा उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और पुरजोर समर्थन करता हूं। चार साल और यह पांचवें साल में लगातार अकाल होते हुए भी इस कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो व्यवस्था की है ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। इस व्यवस्था में खास करके गरीब लोगों को, असहाय लोगों को जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अकाल तो पहले भी पड़े थे लेकिन इस अकाल में जो व्यवस्था की है उसमें दो बोरी मैम्बर के यहां गेहूं, पांच बोरी सरपंच के यहां, 25 बोरी तहसीलदार के यहां रखी गई। गांव में कोई भी भूखा नहीं रहे, इस तरह से यह व्यवस्था की है, अति उत्तम है। कभी भी यह बी.जे.पी. के लोग इस तरह की बातें करते हैं भूख से मर गया और इस तरह से हो गया। भूख से कभी भी कोई...

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर बी.जे.पी. का नाम ले लिया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नाथूराम अहारी : सही बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कांग्रेस का ले लेना।

श्री रोहिताश्व कुमार : हम बोलेंगे फिर, यह छेड़खानी क्यों करते हैं?

श्री नाथूराम अहारी : आप तो बोलते ही हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो जब कांग्रेस कह देना।

श्री नाथूराम अहारी : यह छेड़खानी करते हो, क्यों बोलते हो, हम तो नहीं बोलते हैं। आदत पड़ गयी है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : आपको दोनों का अनुभव है ना इसलिए आपको मालूम है।

श्री नाथूराम अहारी : मैं लगतार 23 साल से आ रहा हूं। आठ साल के बी.जे.पी. के शासन में अकाल राहत के काम मैंने भी देखे हैं। आपने 15 जून को काम शुरू किये हैं और 31 जून को बन्द कर दिये। यह काम किए थे आपने। कहीं भी आपके मेट लगते थे आपके वही लोग लगते थे, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया आपने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जनता नहीं है अब तो सच बोलो। अब तो जनता नहीं है ऊपर सुनने वाली।

श्री नाथूराम अहारी : क्या सच बोलें, सच ही बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट आपको बुला रहे हैं, इनके बाद आप।

श्री नाथूराम अहारी : इसलिए अभी जो अकाल की व्यवस्था की गयी है, इस तरह की व्यवस्था किसी भी राज में नहीं हुई है और इसके लिए जहां पानी नहीं है, वहां टैंकरों की व्यवस्था की है। घास नहीं है वहां के लिए चारा डिपो खोले हैं। कई जगह गौ-शिविर लगाये गये हैं तो इसके अलावा और क्या करें? जहां भी सूचना आ जाती है कि यहां चारा नहीं है तो तुरन्त चारा डिपो खोल दिया जाता है। यह भी नहीं कि कोई आज कहे और बीस दिन बाद खोला जाता है। ऐसा नहीं है तो जहां जहां भी आवश्यकता पड़ती है वहां इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है।

राजस्थान में 4.48 करोड़ जनता प्रभावित है और पांचवीं साल लगातार अकाल पड़ रहा है। इस अकाल को देखते हुए हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है यह बहुत ही अच्छी की है।

मैं अब शिक्षा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने आठ साल के शासन में शिक्षा की मांग की थी, स्कूलों की मांग की थी तो इन्होंने स्कूल तो नहीं खोलीं पर बाद में जा करके इन्होंने कह दिया कि आप इतना पैसा दोगे, एक लाख या दस हजार या बीस हजार, अमुक स्कूल के लिए एक लाख रुपया तब खोलेंगे। आपने गरीबों के लिए इस तरह की योजना बनायी थी यह ठीक थी क्या? आज गांव गांव, ढाणी-ढाणी में राजीव गांधी स्कूल खोली है, और लगभग इक्कीस हजार

(श्री नाथूराम अहारी)

राजीव गांधी स्कूलें खोलीं और उसमें उतने ही मास्टर लगाये गये हैं। 1200 रुपये के लिए टीका-टिप्पणी करते हो कि 1200 में लगाये, पर ऐसा है कि हमारी सरकार सोच रही है और इनको भी स्थाई कर रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतने ही स्कूल भवन भी बनाये हैं।

इस तरह से हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि शिक्षा का जो भी काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। शिक्षा के लिए स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं यह बताया जाता है। वाकई में कई अध्यापक नहीं हैं उसका भी प्रोसेस शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी यह कमी पूरी कर देंगे। इसमे कोई लापरवाही नहीं होगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को जो भी सुविधा दी है, कभी आप लोगों ने सोचा था गरीबों को लाखों रुपया देकर, उस असाध्य रोग को मिटाया जाय, ऐसा कभी आपने सोचा था और इसको कह रहे हैं...

श्री रोहिताश्व कुमार : 350 करोड़ रुपया खर्च किया था।

श्री नाथूराम अहारी : गरीब को नहीं दिया था, औरों को दे दिया था। इसी तरह मेडीकेयर के बारे में भी असाध्य रोगों के लिए काफी ऐसी व्यवस्था दी है जो कि सराहनीय है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत काफी परिवारों को फायदा मिला है और दस करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गयी है। इससे 3557 व्यक्तियों को फायदा हुआ है।

सड़कों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सड़कों के बारे में आपने आठ साल के राज में एक किलोमीटर सड़क नहीं बनायी। यहां तक कि...

श्री रोहिताश्व कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में **+++** तो नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लो ना।

श्री रोहिताश्व कुमार : एक हजार तक के गांव को सड़क कैसे मिले यह जानकारी तो हमने ही दी है। आपने तो कभी सोचा भी नहीं कि गांव में सड़क जाय।

श्री नाथूराम अहारी : (व्यवधान) अतिवृष्टि से सड़क टूटी थी। ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने चौथे साल उसको ठीक करवाया...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने राजस्थान के विकास पर खर्चा किया। आपको ज्ञान है?

श्री नाथूराम अहारी : हमको ज्ञान नहीं है। आप तो मेरा खयाल है मेरे से जूनियर हैं। ज्ञान क्यों नहीं है हमको?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रोहिताश्व कुमार : सवाल जूनियर-सीनियर का नहीं होता है, हाउस में जिम्मेदारी का होता है। (व्यवधान) आठवीं पंचवर्षीय योजना कितने रुपये की थी आप बता सकते हो?

श्री नाथूराम अहारी : आप बता सकते हो तो इस तरह से बातचीत कैसे कर रहे हो? हमको पता ही नहीं है। आप आंकड़ों के जाल में फंस रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या फायदा है?

श्री रोहिताश्व कुमार : इसमें सीनियर और जूनियर का सवाल नहीं है। सवाल पढ़ने का है।

श्री नाथूराम अहारी : पढ़ने का है तो पढ़ो ना। पढ़ो पर इस तरह से आपने जो काम किए हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो ना उनको। अब क्या प्राब्लम है? बैठ जाओ ना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पण्डित जयदेव प्रसाद जी इन्दौरिया ने कितनी अच्छी बात रखी, किसी ने नहीं रोका। आप गलत बोलते हो +++ बोलते हो... (व्यवधान) टाइम वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। पण्डित जी बोले किसी ने नहीं टोका। जब उन्होंने सही तथ्यात्मक बात रखी, आप तथ्यपरक बात रखो, आप चिढ़ाने का काम क्यों कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी।

श्री नाथूराम अहारी : आपसे राय लूं तो आपको ठीक लगे...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्यों +++ बोलते हो। देवता घूम रहे हैं, सत्यानाश हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो नाथूरामजी। आप अगर नहीं चाहते हो, हम चाहते हैं कि डिबेट चले और आपके जितने माननीय सदस्य हैं उनको बोलने का मौका दूं। यदि आप बीच में डिस्टर्ब करके चाहते हैं कि डिबेट नहीं चले तो आधा घंटे का टाइम दिया है, मैं समाप्त करूंगा। नहीं तो आप क्यों बोलते हो? Let him speak. आप जवाब दे देना। बीच-बीच में आप हर पांच मिनट में, हर दो मिनट में उठते हो, ऐसे थोड़े ही कोई डिबेट चलती है। ऐसे डिबेट नहीं चल सकती। प्लीज कोआपरेट करिये आप।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : इतना असत्य तो नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : बिलकुल असत्य नहीं है, सही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनका जवाब दे देना।

श्री नाथूराम अहारी : आप बीच में मत बोलो। आप जब बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे डिबेट चल सकती है ऐसे? माननीय सदस्य बोल रहे हैं जिनको आप ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो उनका फ्लो ही बन्द हो जाएगा। समझो ना आप इस बात को।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी फ्लो बन्द किया है कई बार।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, बिराजें प्लीज मैं दोनों तरफ कह रहा हूं यह बात। आपको अवसर मिलेगा आप बोलिये उसके बाद आपको अवसर मिलेगा, आप जवाब दे दीजिए। कौन रोकता है वट एवरी सैकण्ड मिनट आप खड़े होओ तो कैसे तो अगला बोले।

श्री रोहिताश्व कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिए कोई भी नहीं बोलेगा। जो हमारी तरफ से बोलते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : I am telling not only you, I am telling both the sides.

लेकिन आप एक तरफ से खड़े हाते हो, दूसरी तरफ से होते हैं।

श्री नाथूराम अहारी : आपके चार-पांच आदमियों ने ठेका ले रखा है हरेक के बोलने में इंटरवीन करना, यही काम है आपका।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री नाथूराम अहारी : इसके अलावा जयपुर में बरामदे खाली करवाये। यह असत्य है क्या बरामदे खाली करवाये? कभी भी आजादी के इतने साल बीते, आपने भी नहीं किया होगा लेकिन बरामदे खाली करवाये यह अच्छा काम नहीं किया? जयपुर व पांच छह सिटीज में यह काम किया, बुरा काम किया? तो इस तरह बुरा नहीं किया बहुत बढ़िया किया। इसकी योजना के अनुसार जो पैसा था वह खर्च किया। इसमें अकाल का कहां खर्च किया?

इसके अलावा आप बार-बार ढिंढोरा पीटते हो कि हमने कर्जा माफ कर दिया, कर्जा आपने दिया था? आप दे करके बात करो तो समझ में आवे।

श्री रोहिताश्व कुमार : आप हमारी तरफ मुखारबिंद मत होइये। आप माननीय उपाध्यक्षजी को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नाथूराम जी, आप मेरी तरफ देखो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अगली बार मंत्री बनना है हम लोगों को। आप लोगों को इधर बैठना है, हमको उधर बैठना है।

श्री नाथूराम अहारी : सपने देखो वह तो। इसके अलावा बिजली के बारे में जो कांग्रेस सरकार ने चार साल में उन्नति की है, बिजली का उत्पादन किया है, इस तरह की इन्होंने तो एक किलोवाट बिजली पैदा नहीं की थी लेकिन हमने ताप बिजली का भी उत्पादन किया है और बिजली में भी हमको अच्छी सफलता मिली है। केन्द्र सरकार के बारे में आप कहते हो कि केन्द्र सरकार ने इतना गेहूं दे दिया। गेहूं की योजना

(श्री नाथूराम अहारी)

तो कांग्रेस ने बनायी थी, आपने नहीं बनायी, आप तो विरोध करते थे और केन्द्र ने अनाज की योजनाएं बनायीं और केन्द्र में जो सरकार बनी उस पर आप बैठे हो और आप देते हो। उसमें भी जोर आता है आपको।

यहां तक कि सोने के जितने भी भण्डार थे, सब बेच खा गये आप। कहां की बात कर रहे हो? आपने अभी केन्द्र सरकार के जो उपक्रम थे, सब बेच दिये। उपक्रम बेचने से कोई काम होने वाला नहीं है और आप कहते हो कि हमने खूब काम कर दिया। आप कहते हो कि हमने वहां 16 संसद सदस्य भेजे। वह भी यही काम करते हैं कि विरोध करते हैं और कोई काम नहीं करते है। फिर कहोगे कि हम जीत आयेंगे। कैसे जीत आयेंगे? मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह से नहीं सोचे। राजस्थान की जनता तो हमारी सबकी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभिभाषण पर बोल रहे हो आप। अभिभाषण पर बोलना नहीं आता तो काहे को बोलते हैं...

श्री नाथूराम अहारी : आपसे सीखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी काम हुए हैं कांग्रेस के इस चार साल में, ऐसे काम कोई नहीं कर सकता। मैं 24 तारीख को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम जी। मैं तो...(व्यवधान) नम्बर से बोल रहा हूं। मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं।

श्री शंकर लाल अहारी : शर्मा साहब, खरी-खोटी बात तो अब सुननी ही पड़ेगी आपको।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 24 तारीख को जो अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों के बारे में पढ़वाया गया, उस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं।

चार साल से राजस्थान में अकाल की स्थिति है और जब से यह सरकार कुर्सी पर आयी है उस समय से अकाल है और राजस्थान की जनता अकाल से जूझ रही है। अभी यह पांचवां साल है...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आधा।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा। आप एक घंटा बोलो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी मैं यहीं हूं, आप भी यहां बिराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आधा आधा क्यों, एक घंटा बोलो ना।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके हुक्म की पालना होगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो बोलो ना अब। एक घंटा बोल दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी होगी। पहले आधा घंटा...

श्री उपाध्यक्ष : कह रहा हूं ना, हुक्म दे रहा हूं ना एक घंटा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय आपके आदेशानुसार एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलो।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गणेशीराम मेघवाल : अकाल से निपटने के लिये जिस जनता ने जिस आशा से इस सरकार को प्रबल बहुमत दिया था उसके अनुसार जनता के लिये कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस महा अकाल के अन्दर सरकार का यह दायित्व होना चाहिये कि हर मनुष्य काम चाहता है, रोजगार चाहता है। आज बी.पी.एल. का हो, ए.पी.एल. का हो, इसके अलावा जो बी.पी.एल., ए.पी.एल. में नहीं आते जनरल कास्ट के लोग भी हैं उनके पास में बेरे हैं, कुएं हैं, उसमें पानी नहीं है, फसल नहीं है, वह सारे के सारे काम चाहते हैं। यहां पर सबसे प्रारम्भ में दस मजदूरों को

(17.24 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

रोजगार दिया गया था। 16 जुलाई से शुरू किये गये अकाल राहत कार्य। उससे बाद में 20 हुए, 30 हुए, कहीं कहीं 40 हुए लेकिन जहां जहां पांच सौ, छह सौ, सात सौ बड़े बड़े कस्बे जहां रोजगार पाने के लिये जब नाम लिखने की बारी आती है तो लोग उमड़ पड़ते हैं कि हमारा नाम लिखो। अब उसमें 20 आदमी या 30 मजदूरों के नाम लिखे जाते हैं, बाकी सब निराश होकर अपने-अपने घरों को जाते हैं।

शिक्षा की बात कही गयी, यह सरकार पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेही कहने वाली अपने-अपने चहेते, अपने-अपने विधायक बंधु जो कांग्रेस पार्टी से आये हुए हैं उनके यहां पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं। पारदर्शी, संवदेनशील और जवाबदेही सरकार का यह दायित्व नहीं होता है। जब कुर्सी पर आती है सरकार तो उसका यह दायित्व होता है कि राजस्थान की सम्पूर्ण जनता के लिये न्याय से काम करे। जहां भी विपक्ष के, मैं जालौर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, चार साल के अन्दर एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया। यह पारदर्शी सरकार का दायित्व है? यह पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेही सरकार

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

का दायित्व है? जहां-जहां पर विद्यालय क्रमोन्नत किये गये वहां विद्यालय के अन्दर अध्यापक नहीं हैं। आज प्राथमिक विद्यालय से मिडल स्कूलों में क्रमोन्नत किये गये। एक हजार उच्च प्राथमिक बनाये गये, उसके अन्दर एक हजार अध्यापकों के सैकण्ड ग्रेड में प्रमोशन होने चाहिये। परन्तु इसमें एक भी सैकण्ड ग्रेड का अध्यापक उच्च प्राथमिक में नहीं लगाया गया। किस तरह से उसकी व्यवस्था और अध्यापन कार्य चल रहा है वह देखने लायक है। गांवों में जाएं तो मालूम पड़े। जहां पर भी उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये, क्रमोन्नत करने से पहले यह आवश्यक होता है वहां पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का अध्यापक का होना नितान्त आवश्यक है और जब तक प्रधानाध्यापक नहीं होगा तो कौन अध्यापक स्कूल समय पर आयेगा, कौन जायेगा, अनुशासन कैसे होगा और कैसे पढ़ायेगा। जहां प्रधानाध्यापक की जगह खाली हो, जहां विज्ञान, गणित और अंग्रेजी का अध्यापक नहीं हो, वह बोर्ड का इम्तहान कैसे दे सकेंगे। आज गांवों के अन्दर माध्यमिक विद्यालय की हालत इस तरह बदतर हुई है कि लड़के घूम रहे हैं पढ़ने के लिये, ट्यूशन के लिय घूम रहे हैं। कैसे पढ़ें, कैसे उनके बोर्ड के रिजल्ट रहेंगे, भगवान ही मालिक है। माध्यमिक से सीनियर, माध्यमिक विद्यालय बनाये उनमें लैक्चरर के पद सारे के सारे खाली हैं। न प्रिंसिपल है, न अंग्रेजी के लैक्चरर हैं, न हिन्दी के लैक्चरर हैं, ऐसी सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की हालत हुई। जहां विज्ञान फैकल्टी होती थी वहां न तो फिजिक्स के लैक्चरर लगे, न केमेस्ट्री के लगे, न बायालॉजी के लगे, सारी की सारी फैकल्टी बन्द हो गयी और बच्चे दर-दर घूमते हुए आखिर अन्त में चार, छह महीने बाद उनको आर्ट्स के विषय लेने पड़ रहे हैं। वहां प्रिंसिपल की पोस्टिंग नहीं, यह हालत है स्कूलों की।

सरकार पोस्टिंग देने के बजाय, नियुक्ति देने की बजाय समानीकरण पर हर साल जोर दे रही है। समानीकरण किया जाये, क्या समानीकरण किया जाए? हिन्दी का अध्यापक एक स्थान से दूसरे स्थान लगा दिया, वहां से वहां लगा दिया, समानीकरण ऐसे हो जाता है? आखिर जो सब्जैक्ट टीचर होगा वही तो पढ़ायेगा। बिना सब्जैक्ट टीचर के कैसे पढ़ायेगा, कैसे अध्यापन करायेगा? सब्जैक्ट टीचर एक भी नहीं लगाया।

कहने को तो राजीव गांधी पाठशाला खोल दी। प्रारम्भ के अन्दर राजीव गांधी विद्यालय खोले उसमें आठवीं, नवीं और दसवीं पास लगाये। अब सरकार चाहती है कि एक अपना नाम करने के लिये कि हम उनको तृतीय वेतन श्रृंखला के अन्दर प्रमोशन दे देंगे। उस समय तो थे ही नहीं। कोई बी.ए., बी.एड., एम.ए., एम.एड. अध्यापक ही नहीं थे। आठवीं, नवीं पास, उनको क्या

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

देंगे। एक नाम करने के लिये कि हमने ऐसा कर दिया है और चार साल के बाद में ज्यों ज्यों चार साल होते रहेंगे सबको हम देते रहेंगे। चार साल किसके होंगे, आपका समय अभी आठ, नौ महीने रहा है। उसके बाद में कहां आप बैठेंगे, कहां हम बैठेंगे, उसका कोई पता नहीं है लेकिन वाहवाही लूटने के लिये एक बात कही जा रही है।

जहां तक चिकित्सालयों का सवाल है, कल ही हमारे चिकित्सा मंत्रीजी कह रहे थे कि जालौर में 15 तो कनिष्ठ विशेषज्ञों के, 9 मेडिकल आफिसर्स के पद खाली हैं। यह सारे खाली खाली ही हैं। कहां तो लोगों की चिकित्सा होती है, इंटीरियर के अन्दर ऐसे अस्पताल हैं उनमें वहां पर चिकित्सक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कम्पाउण्डर नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सालय के ताले लगे हुए हैं। जहां पर एक चपरासी है, एक कम्पाउण्डर है। हमारे जालौर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आयुर्वेद चिकित्सालय महोक, आयुर्वेद चिकित्सालय डूडसी, आयुर्वेद चिकित्सालय सियाणा, सारे के सारे पद खाली पड़े हैं। कोई चिकित्सक नहीं है वहां पर। कल हमारे बाली से आने वाले विधायक महोदय पुष्पेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि हमारे भीनमाल में तीन साल से अस्पताल में डाक्टर नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। यह व्यवस्था हमारी सरकार की है। यह जवाबदेही, पारदर्शी, संवेदनशील और साथ में कल्याणकारी सरकार है।

जालौर विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय दूबलसर है, जहां प्रधानाध्यापक एक साल से लगे हुए थे उनको किसी कारणवश, राजनीति से प्रेरित होकर वहां से ट्रांसफर कर दिया। सारे के सारे गांव वालों ने कलेक्टर के सामने धरना दिया, प्रदर्शन किया और आमरण अनशन पर बैठ गये। उन लोगों ने पांच दिन तक आमरण अनशन किया। जिला कलेक्टर ने और वहां के प्रतिनिधियों ने कहा कि जो प्रधानाध्यापक हटाया है और माध्यमिक विद्यालय डूडसी में लगाया है उसे हम वापस आपके दूबलसर में कर देंगे। इस आश्वासन के साथ में उनका अनशन तुड़वाया। लेकिन आज चार महीने हो गये न तो हैडमास्टर लगा है और न उसको चेंज किया है। चाहे जनता आमरण अनशन करे, चाहे धरना करे, प्रदर्शन करे सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती। भगवान ही इनका मालिक है।

जो घोषणाएं और वादे करके यह सरकार जिस प्रबल बहुमत से आयी, उसमें यह वादे किये थे, कि किसान के बेटे को, हम 60 साल से 58 साल की उम्र कर रहे हैं, नौकरियों में, उसके अन्दर हम उन्हें नौकरी देंगे। आज किसान का बेटा गांवों में एम.ए., बी.एड., बी.ए., बी.एड. करके दर–दर घूम रहे हैं। उनको रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी बाली के चुनाव हुए थे, आप चाहे कुछ भी कहें वहां की जनता कांग्रेस के खिलाफ इतनी उमड़ पड़ी कि

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

जो पक्के कांग्रेसी वोट थे वह सारे के सारे पलट गये हैं और पुष्पेन्द्र सिंह जी 17 हजार वोटों से जीते। जीतना ही बड़ा मुश्किल होता है और 17 हजार की लीड लेना बहुत मायने रखता है। किसान सरकार की नीति से दुःखी और पीड़ित हैं। सरकार ने कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं के अन्दर किसान की अगर फसल नष्ट होगी तो मुआवजा दिया जायेगा। लेकिन चार साल से अकाल पड़ रहा है, उन्होंने अपनी फसल बोयी, ट्रैक्टर लाये, बीज बोये और बरसात नहीं होने से फसल नष्ट हो गयी। लेकिन उसने किसी भी किसान को मुआवजे के रूप में कोई मदद नहीं दी।

इसके अलावा भी सरकार ने कई वादे किये थे कि अगर किसान की फसल पकेगी तो हम उसके समर्थन मूल्य के अनुसार 75 परसेंट पैसा देंगे और 25 प्रतिशत पैसा अनाज के बिकने के बाद में जो रहेगा, वह हम दे देंगे। लेकिन फसल का समर्थन मूल्य तय होने के बाद में सरकार ने कोई भी फसल किसान की नहीं खरीदी। उसने गहने, आभूषण बेच करके अपनी फसल तैयार की और वह जब सरकार ने नहीं ली तो उसको आधे मूल्य में व्यापारियों को बेचना पड़ा तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ।

सरकार ने आने से पहले बिजली के बारे में कहा कि हम 54 पैसे के बजाय 37 पैसे यूनिट देंगे। उसके बाद में आज 94 पैसे यूनिट हो गयी। पोलों के पैसे नहीं लेंगे। उसके देने पड़े। शिफ्टिंग चार्ज नहीं लगेगा, आज हजारों रुपयों की डिमाण्ड नोटिस भरने के बाद भी कोई कनेक्शन नहीं है। और तो और शिड्यूल्ड कास्ट के लिए भी ऐसी बात है कि कनेक्शन मैरिट के हिसाब से दिये जाते हैं। उसमें मैरिट नहीं होती है। लेकिन आज शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी किसी जनरल कास्ट की जमीन को खरीदता है तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है। एक अनुसूचित जाति का आदमी जिसने स्वर्ण जाति की जमीन खरीद ली, पांच साल तक जब तक उसकी गिरदावरी नहीं होती है या पांच साल तक उसका पेजशन नहीं होता है तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है।

आजकल पशुओं की बहुत बदतर हालत है। हमारे जालौर जिले में पथबेरा के अन्दर बहुत बड़ी गौशाला है। वहां पर पशुओं की 25–30 हजार की संख्या है। पांच दिन पहले 150 गायें मर गयीं और महामहिम राज्यपाल महोदय 15 फरवरी को जालौर आये थे तो वहां पर 25 लाख की घोषणा चारे और पानी के लिए करके आये थे। वहां जो अनुदान गायों के लिए दिया जाता है।

श्री हीरालाल विश्नोई : इतनी बड़ी घोषणा करने के बाद मर गयी। 15 लाख रुपये की महामहिम महोदय ने घोषणा कर दी फिर भी मर गयी। अब उसका इलाज क्या है, यह बताओ ना।

श्री सांवर लाल : नम्बर आ रहा है, तैयारी कर लें।

श्री गणेशीराम मेघवाल : वह तो पहले ही मर गयी थीं।

श्री हीरालाल विश्नोई : पहले नहीं मरी हैं, बाद में मरी हैं, घोषणा करने के बाद मरी हैं।

श्री गणेशीराम मेघवाल : हां तो पहले पूरी व्यवस्था नहीं थी ना...(व्यवधान) यह हालत है पशुओं की।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, यह लोग टोकते हैं, बीच में इंटरप्शन करते हैं। इनको नहीं कहा जाता है, हम लोगों को ही कहा जाता है। यह लोग हमें क्यों टोकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बीच में ना टोकें।

श्री गणेशीराम मेघवाल : अनुदान जो पांच और दस रुपये किया गया है वह दस-बीस होना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। रेबारी समाज के लिए भेड़ और बकरियां हैं उनके लिए भी अनुदान मिलना चाहिए। आज वह इतनी भेड़ और बकरियां लेकर घूम रहे हैं। कहीं चारे, पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार का दायित्व है कि उन पशुओं के लिए जो छोटे पशु हैं उनके लिए भी अनुदान की व्यवस्था करें ताकि रेबारी अपने पशुओं को बचा सकें। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण सरकार ने अपने कार्य-कलापों का पढ़वाया, उसका घोर विरोध करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : सभापति महोदय, मैं आज इस पवित्र सदन में सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय अंशुमान सिंह जी और महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय भैरोंसिंह जी शेखावत का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस भयंकर अकाल में, जब राजस्थान अकाल की भयंकर विभीविका से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के लिए जयपुर में रामकथा करवायी और मैं परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू का हार्दिक चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में इतनी शानदार रामकथा करी और एक करोड़ इक्यावन लाख रुपये राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के लिये दिये हैं। उसके लिये तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, इस शताब्दी के अन्दर ऐसा भीषण अकाल नहीं पड़ा जैसा भीषणतम अकाल इस वर्ष है और यह सरकार उस अकाल को इतनी सहजता से ले रही है। अभी 10-15 दिन पहले हजारों गायें चारे के अभाव में मर गयी और उन पशुओं के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर पायी। इन्होंने घास के डिपो खोले हैं, वह डिपो केवल मात्र कागजों में हैं और उनका

(श्री केसाराम चौधरी)

रिकार्ड देख लो। मेरे यहां 39 डिपो की स्वीकृति दी है मगर उनकी जब परफारमेंस देखते हैं तो मात्र पांच गाड़ी या दस गाड़ी चारा बेचा है। और अभी गौ सुरक्षा सेवा समिति ने मारवाड़ जंक्शन में एक डिपो खोला, जिसको करीबन 15 दिन हुए हैं। और 15 दिन के अन्दर उस गौ रक्षा समिति डिपो ने 30 गाड़ी चारा बेचकर रिकार्ड क़ायम किया है और आसपास के गांवों की जनता उसकी सराहना कर रही है और कह रही है कि गौ रक्षा समिति वालों ने जो डिपो खोला, उससे हमें बहुत राहत मिली है और भाव जो 140–145 रुपए मण चल रहा था वह 120–125 रुपए पर आ गया जिससे जनता को राहत मिली है।

सभापति महोदय, अकाल राहत के अन्दर माननीय खेत सिंहजी राठौड़ जो हमारे पाली जिले के प्रभारी मंत्री लगे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मजदूर पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। मगर हमारे यहां पर ऐसे प्रभारी लगाए हैं जो परबारै-परबारै काम होता है और उनको कोई मालूम ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मारवाड़ जंक्शन में कुल लेबर 24 हजार है और उस 24 हजार में से 8 हजार की स्वीकृति दी हुई है। उस 8 हजार में से भू-संरक्षण में 1300 के स्थान पर 200 लेबर लगी हुई है, सिंचाई में 7 कामों पर 280 लेबर लगी हुई है, पी.डब्ल्यू.डी. में 1200 के स्थान पर 800 की लेबर लगी हुई है और पंचायत समिति से जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उसमें 5500 के बदले 4500 मजदूर काम कर रहे हैं। इस तरह 8000 के बदले 5780 मजदूर ही कुल काम पर लगे हुए हैं और जो लेबर लगी हुई है, उनके भुगतान के लिए इस अभिभाषण में यह आया कि हम 10 दिन में कर देते हैं मगर मेरे पास यह शिकायत पड़ी है कि करीब सातवें महीने से भुगतान बकाया है और एस.सी.आर.वाई. के ट्रैक्टरों का भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ है और वे लोग अपने ट्रैक्टरों के भुगतान के लिए बार-बार उस पंचायत समिति के चक्कर लगा रहे हैं। एस.सी.आर.वाई.के जो भी काम हुए हैं उनमें भारी घोटाले हुए हैं और उन घोटालों का नमूना अगर आपको देखना है तो, आप कहते हैं कि हमारे अकाल राहत कार्यों में पारदर्शिता है और अच्छे काम हो रहे हैं, मगर वहां पर पारदर्शिता के बजाय बी.डी.ओ. और जे.ईएन., जो वहां लगे हुए हैं, उनको कलेक्टर द्वारा ए.पी.ओ. पोस्टिंग दी गई है। उस जे.ईएन. को महीने भर में ही वापस उसी स्थान पर भेजा गया, जिसको भ्रष्टाचार के कारण से हटाया था और ए.पी.ओ. पोस्टिंग जयपुर दी गई थी। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, अभी जो बी.डी.ओ. लगा हुआ है उसको हटाकर कलेक्टर ने 10 दिन तक पाली हैडक्वार्टर लगाया मगर प्रभारी मंत्रीजी ने वापस मारवाड़ जंक्शन लगा दिया। इसी तरह प्रभारी मंत्रीजी ने रेवेन्द्र सिंह, जो

(श्री केसाराम चौधरी)

आर.आई. के पद पर था जिसका रिवर्शन हुआ, वह व्यक्ति पाली में लगा हुआ है, उसको आन डैपुटेशन मारवाड़ जंक्शन लगाया हुआ है। वहां पर उसका कोई काम नहीं, सिर्फ कूपन बांटने के अलावा कोई काम नहीं करता, फालतू में पोस्टिंग देकर सरकार के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मारवाड़ जंक्शन के फुलाद से राणावास होते हुए अउवा तक पानी भेजने की एक योजना बनाकर यहां भेजी गई और उसके लिए माननीय सिंचाई मंत्रीजी को फुलाद बांध में पानी रिजर्व करने के लिए एक साल पूर्व पत्र दिया मगर आज दिन तक उस फुलाद बांध में पानी रिजर्व नहीं किया गया। फुलाद बांध आज भी 9 फुट भराव क्षमता से भरा हुआ है और उसमें काफी पानी है और मारवाड़ जंक्शन से सिरियारी से जो स्कीम बनी हुई है उस सिरियारी स्कीम में मारवाड़ जंक्शन से पानी आएगा, वह मात्र 15 दिन का रहा है और फुलाद बांध की स्वीकृति हो जाती तो मारवाड़ जंक्शन और फुलाद स्कीम, दोनों एक साथ जुड़ जाती और एक्सीलेटेड वाटर सप्लाई स्कीम के तहत सूरसिंह गुढ़ा और उसके साथ में लगा हुआ गुढ़ा मयकरण, उस स्कीम में वह भी एक साथ में जुड़ जाते और फ्लोराइड युक्तगांव बिठोडा कलां जिसमें करीब 100 से 150 आदमी आज भी बिलकुल कुबड़े होकर चल रहे हैं, 90 डिग्री, जमीन के होरिजोंटल होकर बिलकुल, उनके चलने जैसी स्थिति है, करीबन 150 व्यक्ति वहां बिठोडा कलां, नरसिंहपुरा, भगवानपुरा में मिलते हैं, उन व्यक्तियों को पानी पहुंचाने के लिए अगर यह सरकार संवेदनशीलता से काम लेती और सिंचाई मंत्रीजी अगर फुलाद डैम में पानी का रिजर्वेशन कर देते तो निश्चित रूप से यह योजना स्वीकृत हो जाती। माननीय रामसिंहजी विश्नोई साहब ने उसके लिए पहल की थी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मगर उनके जाने के बाद यह स्कीम खटाई में पड़ गई और आज भी वह खटाई में पड़ी है। मैं आपके मार्फत सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि फुलाद डैम में फुलाद-राणावास-आउवा स्कीम के लिए पानी रिजर्व कराए और पानी रिजर्व करके 25 गांवों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की जाए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : पण्डित जी भी प्रशंसा करते थे रामसिंहजी की, अब तो आपका कोई हैल्पर ही नहीं रहा। पहले तो आप कहते थे कि रामसिंहजी ने अच्छा काम किया।

श्री केसाराम चौधरी : संवेदनशीलता का एक और नमूना बताता हूं। वर्ष 1999 में ग्राम सेवकों की लिखित परीक्षा हुई। पाली में, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत की भर्ती की लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ, उस परीक्षा में अंक तालिका और उत्तर तालिका में अंक भिन्नता के कारण उस परीक्षा को रद्द कर दिया। अगर गलती थी और उसको रद्द कर दिया तो उस बात

(श्री केसाराम चौधरी)

को मैं मानता हूं लेकिन उसके लिए दोषी कौन था? उसके खिलाफ आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और वह परीक्षा जिसमें 6 हजार परीक्षार्थी बैठे, उन्होंने अपनी कमाई के एक हजार रुपए खर्च करके वह परीक्षा दी, उनका आज दिन तक कुछ नहीं हुआ, न तो परीक्षा का रिजल्ट आउट हुआ और न उनको नौकरी में लिया गया इसलिए उनको मुआवजा देना चाहिए। अगर उसमें कोई दोषी था तो उस व्यक्ति को दण्ड देना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

सभापति महोदय, समाज कल्याण की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने एस.सी. और एस.टी. के लिए यह काम किए, वह काम किए मगर मैं मारवाड़ जंक्शन के छात्रावास की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मारवाड़ जंक्शन में समाज कल्याण का जो छात्रावास है उसके बारे में एक साल पहले एक प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा है–जी हां, पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में कम्बल, लोहे के पाटे, जर्जर अवस्था में हैं। इस हेतु बजट आबंटित हो गया है, खरीद की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह एक साल पहले इन्होंने जवाब दिया है। सभापति महोदय, आज दिन तक उस छात्रावास में किसी भी बच्चे को न तो कम्बल दिया गया और न पाटे दिए गए। मैं उसका अध्यक्ष होने के नाते जब भी मारवाड़ जंक्शन में रहता हूं तो मोस्टली 5 बजे जाकर उन बच्चों को देखता हूं और एक-एक पाटे पर दो-दो बच्चे सोते हैं शामिल, ऐसी दशा है कि ओढ़ने के लिए उनके पास पूर्ण रूप से कम्बल भी नहीं है। जिस समय छात्रावास खुला उस समय उनको जो कम्बल दिए थे, वही आज तक हैं। आप उन कम्बलों की दशा देख लीजिए, वे बिलकुल पाउडर की तरह हो गए हैं, ऐसी अवस्था में मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रावास की व्यवस्था को ठीक करें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): उसको शिफ्टिंग कर दिया होगा?

श्री केसाराम चौधरी : यह तो इतनी मेहरबानी रही कि उसको शिफ्टिंग नहीं किया क्योंकि भवन बना हुआ था।

आउवा गांव में एक पशु चिकित्सालय बना हुआ है। उस पशु चिकित्सालय में आज दिन तक डाक्टर नहीं लगाया। इसी सदन में पशु पालन मंत्रीजी ने यह कहा था कि उस दानदाता ने तो 50 हजार रुपए जमा कराए हैं हम वापस दे देंगे, न तो पैसे वापस दिए और न ही आज दिन तक कोई डाक्टर लगाया। जो डाक्टर लगाया वह एक-दो-तीन दिन के लिए लगाया था, वह भी कभी आता नहीं। इसलिए आउवा के पशु चिकित्सालय में डाक्टर लगाने की व्यवस्था की जाए।

(श्री केसाराम चौधरी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इस अभिभाषण में अगर कोई बात सबसे अच्छी और बढ़िया कही गई है और अकाल से निपटने के लिए अगर कोई बात कही गई है तो वह पैरा नम्बर 30 पर कही गई है। "राज्य सरकार गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के अधिकाय जल को राजस्थान में लाने के लिए शारदा-यमुना, राजस्थान-साबरमती लिंक नहर शीघ्र बनाने के लिए प्रयासरत है।" इस विषय में मैं तो यह चाहूंगा कि राजस्थान में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो सिंचाई के लिए पानी नहीं चाहिए, जब बरसात का पानी एक्सेस हो तो हमारी अरावली से निकलने वाली नदियों के पानी के अन्दर उस पानी को छोड़ा जाए और उससे उसर जमीन का जल स्तर जो नीचे चला गया है उसके लिए अगर प्रयास किए जाएंगे तो आज जो अकाल की मार से राजस्थान जूझ रहा है, उसका इलाज हो सकता है। दूसरे विकास कितना ही कर दो जब तक पानी की व्यवस्था राजस्थान में नहीं होगी तब तक सारे विकास गौण रहेंगे और उस सारे विकास को भक्षण कर जाएगा। अत: इसके लिए पानी परम आवश्यकता है और इस बात की मैं सराहना करता हूं। इस योजना को अतिशीघ्र लागू किया जाए और दूसरे विकास के कार्य चाहे रोक दिये जाएं, लेकिन नदियों में पानी लाने के लिए यह व्यवस्था सबसे पहले की जाए।

आप ढिंढोरा पीटते हैं, सड़क के लिए कहते हैं हमारी सरकार ने यह किया, वो किया, मगर आप थोड़ी-बहुत केन्द्रीय सरकार की भी सहारना कर दें। पैरा 23 में लिखा है "प्रदेश में केन्द्रीय निधि के अन्तर्गत राज्य उच्च मार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने व नवीनीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस निधि के तहत दिसम्बर, 2002 तक 3 हजार 512 किलोमीटर सड़कों के लिएं 255.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।" इसकी कोई कांग्रेसी बंधु ने भी तारीफ की होती तो कोई अच्छी बात होती। सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए इसी प्रकार 151 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं। आप उनसे लेना तो चाहते हैं, लेकिन उनको इतनी दिलासा भी नहीं देना चाहते। पैसा देने के बाद उनका मनोबल अगर बढ़े ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने पहले बी.जे.पी. राज में टिबरेवाल जी के अभिभाषण में 8 जनवरी, 1999 को यह पढ़वाया था कि कृषि के लिए नर्सरी योजना लागू करके किसानों को लूटा है। लेकिन मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बिजली के अन्दर किसान को आपने किस तरह से लूटा है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मिनिमम चार्ज जो अगले नवम्बर

(श्री केसाराम चौधरी)

तक के लिए इन्होंने माफ किया है वह सभी कोड का मिनिमम चार्ज माफ नहीं किया है। टोटल जो कोड है 4400, 4100, 4300 और 4000 उनमें से सबका किसानों का अलग-अलग बांट दिया है। क्या किसान का गेहूं एक नर्सरी के कनेक्शन से, स्पेशल श्रेणी के कनेक्शन से पैदा होकर उसकी रेट में फर्क रहेगा? इस तरह से किसानों को बांटकर अलग-अलग रेट चार्ज करके किसानों को लूटना कतई किसान के हित में नहीं है। अगर राजस्थान की कृषि बरबाद होगी तो राजस्थान वैसे ही गौण हो जाएगा। इसलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सारे मिनिमम चार्ज माफ करने चाहिए। जो फ्लेट रेट मीटर से काश्तकार के कनेक्शन चल रहे हैं उसमें किसान संघ को आपने वादा भी किया था कि हम फ्लेट रेट से चलने वाले कनेक्शन हों उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जो फ्लेट रेट के स्थान पर मीटर के आधार पर कनेक्शन लेना चाहेगा उसके लगा देंगे। मगर उसके लिए भी जबरदस्ती करते हैं और अगर वो जबरदस्ती नहीं मानता है तो उसको डबल बिल बनाकर भेजते हैं। इससे किसान को लूटा जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्शन करने पर पोल की दर व रोड क्रासिंग का 10 हजार रुपया अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। पोल का पैसा ले रहे हो, लेकिन अगर कहीं रोड क्रासिंग है तो उसके लिए भी सरकार 10 हजार उससे अतिरिक्त ले रही है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कांग्रेस के एम.एल.एज. से भी, आप भी किसानों के हित में सोचे और आपस में एक दूसरे को ऊपर-नीचे बात कहने से कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन आप भी इस बात के लिए किसानों के हित के लिए मांग करें ताकि किसान को सरकार द्वारा लूटा जा रहा है उससे बचाव हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आठ परसेंट बी.आर. के चक्कर में किसानों को लूटा जा रहा है। जो ए.ईएन. व जे.ईएन. लगे हुए हैं वे आठ परसेंट बी.आर. के चक्कर में, एक काश्तकार ने फाइल जमा करायी, उसका कनेक्शन करने के लिए टैक्निकल रिपोर्ट दी और उसमें बताया कि टैक्निकली फिजिबल है और उसका डिमाण्ड नोट जमा हो गया। डिमाण्ड जमा होने के डेढ़ महीने बाद उससे कोई बात सैट नहीं हुई, लेन-देन का उनका काम नहीं चला तो ठीक डेढ़ महीने बाद में दूसरी टैक्निकल रिपोर्ट उसमें अनफिजिबल बता दी। वही जे.ईएन. है, वही ए.ईएन. और टैक्निकल रिपोर्ट देकर अनफिजिबल बता रहे हैं। इस तरह से उस काश्तकार को मजबूर होकर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और आज की तारीख में खारची सब डिवीजन में एक भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, उसमें स्टे ले लिया है। स्टे के बावजूद कुछ ऐसे कनेक्शन जो ए.ईएन. करना चाह

(श्री केसाराम चौधरी)

रहे हैं कोर्ट की अवहेलना करके भी कर रहे हैं और उसमें पैसा खाकर लूट मचा रखी है, उसको रोका जाए।

इसके साथ एक चतराराम/मरधाराम चौधरी, रडावास, खाता संख्या 07020220 है। उसका डिमाण्ड 23.3.2000 को भरा गया। 6 अक्टूबर को उसने एप्लीकेशन दी कि मेरा कनेक्शन नहीं किया जाए, मेरे कुएं में पानी नहीं है, मगर 18 नवम्बर, 2002 को 18 हजार रुपये का बिना कनेक्शन किये उसको बिल जारी कर दिया गया। यह बिल की कापी है। उसके साथ ही तीन बार उसको डी.सी. आदेश हुए। उस डी.सी. आदेश की रिपोर्ट है। कभी तो कहते हैं डी.सी. लिखा हुआ है, इस गांव में कनेक्शन नहीं लिखा हुआ है, खाली जगह है। लाइनमैन रज्जाक खां को दिया हुआ है डी.सी. करने के लिए। लेकिन मौके पर कनेक्शन ही नहीं हुआ, खम्भा भी नहीं लगा। इस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए हैं। कल्याणकारी और संवेदनशील सरकार कहती है अपने आपको।

आपसे अंत में एक बात कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार कह रही है हमने बिजली पैदा की है। मैं कह रहा हूं इन्होंने जो बिजली पैदा की है, विक्रय हेतु बिजली उपलब्ध, इन्हीं के आंकड़ों से मैं बता रहा हूं और इन्हीं आंकड़ों में वर्ष 2001 में जो बिजली विक्रय हेतु उपलब्ध थी वो थी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी : एक ही बात तो कह रहा हूं। बिजली की बात है। ये कहते हैं हमने बहुत पैदा कर दी, उसकी बात बता रहा हूं।

श्री सभापति : महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की सारी बात तो आपने कह दी, अब कुछ रहा नहीं।

श्री केसाराम चौधरी : एक ही बात कह रहा हूं, बिजली की बात। ये बहुत कहते हैं बिजली पैदा की। मैं बताना चाह रहा हूं...

श्री सभापति : आपके और भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने विक्रय हेतु ऊर्जा उपलब्ध करायी थी तीनों वितरण निगमों को 20881.169 मिलियन यूनिट 2001 में। 2002 में यह बिजली घटकर 20498.512 मिलियन यूनिट रह गई। फिर बिजली ज्यादा पैदा की तो गयी कहां? कम पड़ रही है ना। बिजली 382.657 मिलियन यूनिट कम पैदा हुई 2002 में। यह आपका दिया हुआ है, मेरा नहीं है, प्रसारण निगम का है। माननीय सभापति महोदय, आगे और बताना चाहता हूं। 2001 में प्रसारण क्षति

(श्री केसाराम चौधरी)

712.388 मिलियन यूनिट छीजत थी और 2002 में 1155.769 मिलियन यूनिट बिजली छीजत हो गई। छीजत हो रही है और कह रहे हैं हम पैदा ज्यादा कर रहे हैं। छीजत का मूल कारण है कि जो ट्रांसफार्मरों की खरीद की गई उनकी खरीद में भारी घोटाला हुआ है और उसमें जयपुर वितरण निगम व अजमेर वितरण निगम के अधिकारियों को निलम्बित किया गया। उसी तरह के ट्रांसफार्मर जोधपुर में खरीदे गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी की +++ जोधपुर में उन अधिकारियों को सस्पैंड नहीं किया गया। वहां भी ट्रांसफार्मर वे ही गये थे जो ब्लैक लिस्टेड डीलर थे उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, मगर वहीं से ट्रांसफार्मर फिर खरीदना शुरू कर दिया और इस सरकार ने विद्युत नियामक आयोग का बजट 77 लाख रुपये खर्च किया।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय मदन लालजी।

श्री केसाराम चौधरी : मुझे थोड़ा सा बोलने दो, दो मिनट।

(18.00 बजे)

श्री सभापति : आपने वैसे ही 25 मिनट ले लिये, दो मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय श्री मदनलाल जी।

श्री केसाराम चौधरी : प्रसारण में क्षति इसी बात से हुई मतलब क्षति होने का कारण ही यही था कि जो ट्रांसफार्मर खरीदे गये उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और गुणवत्ता की वजह से पावर लासेस हुआ। और पावर लासेस की वजह से...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप सहयोग करें, माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री केसाराम चौधरी : 443.38 मिलियन यूनिट क्षति हुई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री केसाराम चौधरी : उस क्षति के लिए बोर्ड को कितना घाटा हुआ और बोर्ड में एक तकनीकी सहायक लगाया गया और वह तकनीकी सहायक...

श्री सभापति : अब आप सहयोग करें। धन्यवाद। कृपया बिराजें। मदन लाल जी वर्मा।

श्री केसाराम चौधरी : जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय मदन लाल जी वर्मा।

श्री केसाराम चौधरी : मगर तीनों वितरण निगम की खरीदी के लिए उस तकनीकी सहायक को लगाया गया और कितने बड़े स्कैंडल की कल्पना की जा सकती है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सहयोग करें, आसन ने आपको सहयोग किया है।

श्री केसाराम चौधरी : कितना बड़ा घोटाला करने के लिए एक व्यक्ति को लगाया। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस सरकार ने केवल उसको घोटाला करने के लिए तकनीकी सहायक के पद पर भाटिया को लगाया है।

श्री सभापति : आप आसन को सहयोग करें।

श्री केसाराम चौधरी : और वह भाटिया करोड़ों रुपये का घोटाला कर रहा है।

श्री सभापति : आप बिराजें, अब आप बिराजें, हो गया आपका।

श्री केसाराम चौधरी : राजस्थान सरकार भी समझती है, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो इस तरह से वितरण हो रहा है उसको रोका जाय और यह अभिभाषण 24 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय से पढ़ाया गया है मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री मदन लाल वर्मा (डग) : माननीय सभापति महोदय, 24 तारीख को महामहिम राज्यपाल द्वारा सदन में जो भाषण पढ़ा गया, मैं उसका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, किसी भी राज में विकास का जो आधार होता है और उस आधार के ऊपर जिस प्रकार महामहिम ने अपने अभिभाषण में सभी पहलुओं को देखते हुए विषयवार जानकारी दी है और उसमें हर विभाग द्वारा किस प्रकार से राजस्थान में चार साल में प्रगति हुई, चार साल की क्या उपलब्धियां राजस्थान की कांग्रेस सरकार की हुई और किस प्रकार एक योजनाबद्ध तरीके से विकास को गति मिली, इस पूरे भाषण में महामहिम ने दर्शाया। मैं आपसे इस संदर्भ में इस सदन में एक निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जो विकास के मुख्य आधार होते हैं और इन पहलुओं को जिस प्रकार से महामहिम ने दर्शाया, निश्चित ही वह बधाई के पात्र हैं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं इस अवसर पर कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में सबसे आखिर में मेरा डग विधान सभा क्षेत्र है जहां पर पिछले 50 सालों में विकास काफी धीमा रहा, विकास की बात वहां का किसान और मजदूर सोच ही नहीं सकता था कि किस प्रकार यहां पर विकास होता है और क्या यहां पर पैसा आता है, किस विभाग से क्या पैसा मिलता है। आज चार साल में जिस प्रकार डग विधान सभा क्षेत्र में बिजली की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की मैं आपको विभागवार बताना

(श्री मदन लाल वर्मा)

चाहता हूं कि आज बिजली के क्षेत्र में एक दिसम्बर, 1998 के बाद 47 गांव मेरे क्षेत्र में विद्युतीकृत होने से बच रहे थे और 110 गांवों को मध्य प्रदेश से बिजली मिल रही थी। आज चार साल में 47 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया और 110 गांव जिनको मध्य प्रदेश से बिजली मिलती थी उनको सौ करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बना कर आज उन गांवों को बिजली उपलब्ध की जा रही है तो यह निश्चित ही बिजली के क्षेत्र में हमारे लिए वह क्षेत्र, जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहां के लिए उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि वहां पर इतना पैसा आएगा। यह हमारे क्षेत्र के किसानों और गरीबों के लिए विकास की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

दूसरी सड़कों की स्थिति जो थी हमारे यहां पर आज भी यही स्थिति बनी हुई थी। पिछले साल तक की सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी थी, जिस प्रकार 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर आर.यू.डी.पी. में नवीनीकरण का जो दिया उसमें हमारे क्षेत्र की पूरी सड़कों का नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। उसके अलावा कृषि उपज मण्डी द्वारा गत वर्ष ढाई तीन करोड़ की सड़कें बनी। ग्रामीण सड़कें तो गांव गांव में आज यह विकास की गति जिस प्रकार गांवों को जोड़ने में आई, निश्चित ही हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी की लहर इस बात की है कि आज हमारे उस क्षेत्र का, पिछड़े हुए क्षेत्र का हर गांव सड़क से जुड़ रहा है और प्रगति पर है।

इस प्रकार आज पानी के क्षेत्र में लें। हमारे क्षेत्र में भवानी मण्डी 50 हजार की आबादी का सबसे बड़ा कस्बा जो पानी के लिए काफी हम दु:खी थे। आज मुख्य मंत्री जी द्वारा तीन करोड़ का पेयजल का एक प्रोजेक्ट आहोर नदी पर, काली सिंध नदी पर बड़े-बड़े एनीकट का जलदाय विभाग के माध्यम से स्वीकृत कर और आज निर्माण कार्य वहां पर प्रगति पर है। यह उस क्षेत्र के लिए, पानी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तीन साल से लगातार अकाल राहत कार्य जिस प्रकार गांव गांव में किये जा रहे हैं और हर गांव में प्राथमिकता से तालाब बन चुका जो निश्चित ही आने वाले सालों में हमारे उस क्षेत्र में पठार क्षेत्र जो हमारा कहलाता है, झालावाड़ जिला जो बारिश के कारण चेरापूंजी कहलाता है उसके बावजूद भी पठार क्षेत्र भौगोलिक स्थिति इस प्रकार होने के कारण हमारे यहां वर्षा का पानी ठहर नहीं पाता है। आज जिस प्रकार से इन चार सालों में पेयजल के ऊपर और सिंचाई के ऊपर राजस्थान सरकार ने जो पैसा खर्च किया निश्चित ही उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सिंचाई के क्षेत्र में तीन परियोजनाएं स्वीकृत होकर एक परियोजना का काम पूर्ण हो चुका है, दो परियोजनाएं इसी माह से चालू होने वाली हैं।

(श्री मदन लाल वर्मा)

इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में गांव गांव में राजीव गांधी विद्यालय डी.पी.ए.पी. के माध्यम से वैकल्पिक विद्यालय और शिक्षाकर्मी बोर्ड के माध्यम से जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में क्रांति आई है निश्चित ही उस पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारी महिलाओं की शिक्षा बहुत कमजोर थी। आज उस क्षेत्र में पंचायत समिति डग में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है तो निश्चित ही हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि चार साल में शिक्षा में जो क्रांति आई है, शिक्षा में क्रांति के कारण जिस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों को उसका जो लाभ मिला है इस सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जनता में इसका बहुत बड़ा संदेश है। आज हमारे क्षेत्र में एक दूर गांव में एक झोपड़ी में बैठने वाला किसान और मजदूर इस बात का अहसास करता है कि चार साल में राजस्थान की सरकार ने हमारी तरफ ध्यान दिया है क्योंकि एक झोपड़ी में बैठने वाला, 75 रुपया महीना पेंशन पाने वाला वृद्ध दो सौ रुपये महीना जब उसको मिल रहे हैं तो निश्चित ही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत आज हमारे क्षेत्र में जहां पांच सौ किलोमीटर से एक मरीज जयपुर आकर अपना इलाज करवाता है। आज 25 आदमियों के हार्ट के आपरेशन हमारे यहां क्षेत्र में हुए। यह हमारे लिए उस क्षेत्र के नागरिकों में इस बात का बहुत बड़ा हर्ष है कि आज किसी प्रकार से गरीब की सुध तो ली है। एक गरीब आदमी दो लाख रुपये लगाकर अपना गांव में इलाज नहीं करा सकता है और जयपुर में उसका इलाज फ्री हो रहा है तो यह एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार सरकार का जो संदेश है गांव में और गरीब में, जो वहां पर गरीब का जो सोच है यह निश्चित ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं निश्चित ही महामहिम राज्यपाल के पढ़े गये इस भाषण का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने इस अभिभाषण में हर पहलु को छुआ है।

उस पिछड़े हुए क्षेत्र में ए.सी.एम. कोर्ट का खुलना, पी.जी. कालेज का प्रारम्भ होना हर तरह की विकास की गति को लगातार एक से एक कड़ी वहां पर जुड़ती जा रही है और निश्चित ही उस क्षेत्र के लिए आने वाले सालों में हमारी लघु माध्यम सिंचाई परियोजना है, जो बन रही है। (व्यवधान) यह कौन क्या बनाता है, कौन क्या नहीं बनाता है, यह अलग बात है। साहब, इसके लिए हम आपसे नहीं पूछते। मैं निश्चित ही आपके माध्यम से, सभापति महोदय, आपसे निवेदन कर रहा था सदन में, कि विकास की जो हमारी सोच और तरीका यह योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है वह निश्चित ही हमारे लिए आगे एक शुभ संदेश है और मैं महामहिम राज्यपाल के द्वारा पढ़े हुए भाषण का धन्यवाद और स्वागत करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री डा. रघुवीर सिंहजी। समय का ध्यान रखना, आपके और भी माननीय सदस्य हैं।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : महामहिम के अभिभाषण के ऊपर, जिसका कि प्रस्ताव माननीय जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया तथा नगर से पधारे हुए माननीय सदस्य ने अनुमोदन किया और यह आशा प्रकट की है कि हम सभी सदस्य इसका समर्थन करें। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि हालात इस समय ऐसे हैं कि समर्थन करना शायद किसी के भी बस की बात नहीं है। जब हमारे प्रदेश में अकाल की काली छाया छा रही है, लाखों पशु पलायन कर चुके हैं, हजारों मर चुके हैं, हड्डियों के सौदागर खुशियां मना रहे हैं। भैंसें बकरियों के भाव बेची जा रही हो, ऐसे समय में हम धन्यवाद किस प्रकार से किसको दे सकते हैं?

महोदय, यही हालत पानी की भी है और पानी, चारा इस समय मुख्य समस्या है जिसको सरकार सम्भाल नहीं पा रही है। कहने को तो चारे के डिपो बहुत खोले जा रहे हैं पर वो दिखते नहीं हैं। मैं तो अपने क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि पूरे राजस्थान का दौरा मैंने नहीं किया है। अपने क्षेत्र के आधार पर ही मैं कह सकता हूं कि हमारे ग्रामवासियों ने जैसे-तैसे करके कुछ शिविर लगाये थे, उसमें कुछ पशु रखे थे। लेकिन उसमें न तो चारा मिला है, न सरकार से कोई अनुदान मिला। अपने ही आधार पर उन्होंने बहुत कुछ सहायता की है लेकिन फिर भी जब इन शिविरों में हर दूसरे-तीसरे दिन 2-4 पशु मरते हैं तो उन गांव वालों के आंसू आ जाते हैं। ऐसे गांवों की हालत देखते हुए किसे धन्यवाद दिया जा सकता है। इसी प्रकार पानी की हालत है। कुएं, बावड़ी सूख चुके हैं। हमारा 100 साल पुराना बूचारा बांध सूख चुका है। दो वर्षों से उससे किंचित मात्र सिंचाई नहीं हुई है और कहीं भी भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि सारे तमाम हैण्ड पम्प भी सूख चुके हैं लेकिन व्यवस्था के नाम पर मात्र कंटींजेंसी से हमको 10 हैण्ड पम्प दिये गये हैं। केवल इसलिए कि हमारा जिला सैक्टर रिफोर्म में आता है। सैक्टर रिफार्म में आना न हुआ, हमारे लिए पाप हो गया। अगर हमारी जनता इतनी विकसित होती, इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो किसी सैक्टर का मुख क्यों देखती। लेकिन चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वे सैक्टर रिफोर्म का फायदा नहीं उठा सके, उनके यहां अभी तक समितियां नहीं बन सकीं तो इस अकाल में भी संवेदनशील सरकार ने यह नहीं सोचा कि कम से कम हैण्ड पम्प कंटींजेंसी प्लान से तो दे दिये जाएं। इसी प्रकार जल स्तर बढ़ाये जाने के लिए बहुत बात कही जाती है। एनीकट बनाये जा रहे हैं। मैंने निवेदन किया था, मेरा क्षेत्र पहाड़ियों से भरा हुआ है, उसमें दो स्थल ऐसे हैं कि जहां अगर पानी को रोक दिया

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

जाता है तो न केवल पीने का पानी पशुओं और मनुष्यों को मिले, कुछ सिंचाई का भी साधन हो सकता है। मैं इसके लिए कई बार निवेदन कर चुका। मात्र सवा करोड़ रुपये का खर्चा है। पंचपहाड़ी स्थल पर एक बांध बनाया जा सकता था और उससे कम से कम 50 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो सकती थी और कुछ कुओं का भी जल स्तर बढ़ता लेकिन सरकार के मंत्रियों ने कहा, हमको यह बताया गया कि यह बांध फिजिबल नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, 500–700 करोड़ रुपये खर्च करके बीसलपुर से पानी पीने के लिए यहां लाया जा सकता है लेकिन गांवों के गरीब किसान के लिए, पशुओं के लिए सवा करोड़ रुपये का बांध फिजिबल नहीं है। इसलिए फिजिबल नहीं है कि उससे सिंचाई होने के बाद उससे जो आमदनी होगी वह उससे मैच नहीं खाती इसलिए फिजिबल नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि ऐसे अकाल के समय में जब हर जगह पर पानी इकट्ठा करना हमारी योजना है, इसके बिना काम आगे चलने वाला भी नहीं है, हर पहाड़ी का पानी एक जगह, हर खेत का पानी खेत में, मैं तो यह कहूंगा कि ऐसी स्थिति आने वाली है और शहरों में है भी कि हर घर का पानी बरसात का रोक कर रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार के दो छोटे बांध न बनाये जाएं और उसकी फिजिबिलिटी का हवाला दे करके उसको छोड़ दिया जाए तो यह बहुत हमारे लिए शर्म की बात है।

इसलिए मैं इस संवेदनशील सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि भूजल स्तर उठाने के लिए पंचपहाड़ी पर एक छोटा डैम बनाया जाए और दूरा पुरषोतमपुरा पर एक डैम बनाया जाए क्योंकि इन दोनों स्थानों पर 10 किलोमीटर दूर से पानी आता है। निश्चित रूप से इतना पानी इकट्ठा हो सकता है जिससे कि भू-जल स्तर भी अधिक होगा, सिंचाई भी हो सकेगी और पीने का पानी भी मिल सकेगा।

अब बात सड़क की है। प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत वास्तव में सड़कें बनी हैं, मजबूत सड़कें बनी हैं, दिख रही हैं लेकिन अब कुछ सड़कों पर मुलम्मा भी आजकल लगाया जा रहा है। मैं तो इसको मुलम्मा इसलिए कहूंगा कि यह मुलम्मा दिसम्बर तक लग जाना चाहिए था किन्तु अभी दूसरा फेज ही प्रारम्भ नहीं किया गया है। शायद इसलिए कि चुनाव नजदीक आ जाएगा, चुनाव के नजदीक तक यह मुलम्मा चढ़ जाएगा, हो सकता है कि बाद में वह उखड़ जाए इसलिए इस मुलम्मे की अवधि दिसम्बर में जो हो जाना चाहिए था वह आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी दूसरा फेज भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। सड़कों के केवल पलस्तर लगाने से ही काम नहीं चलेगा, सड़कों में पुरानी पुलियाएं भी हैं जो टूटी हुई हैं, जो रास्ते में पड़ती हैं।

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

उस सड़क का कोई लाभ नहीं जब तक कि उसको बरसात में गांव का आदमी या कोई लड्ढा क्रोस नहीं कर सके। इसलिए मेरा इसमें निवेदन था कि इसमें पूर्ति जब ही होगी जब इनके बीच में जो छोटी-छोटी पुलियाएं आ रही हैं जिनको छोड़ा जा रहा है वो भी किसी भी तरह से गांव के किसान के हित में नहीं है।

रही बात चिकित्सा की, चिकित्सा में बार-बार आयुर्वेद की बात आती है। मैं तो यह कहूंगा कि आयुर्वेद की जितनी भी संस्थाएं हैं, वैद्य जी महाराज को घर बैठे ही तनखाह दी जाती है। मैं नहीं समझता कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं उसमें कभी भी वैद्य जी महाराज के दर्शन होते हों। केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक कम्पाउण्डर बैठकर कभी दवा दे दे तो भला हो जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े संस्थान को, इतना बड़ा खर्चा करके क्यों खड़ा किया गया है। इसकी व्यवस्था पूरी की जानी चाहिए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। यही हालत पी.एच.सीज. की है। किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि आज सरपंच इस स्थिति में है कि चाहे डाक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कम्पाउण्डर हो, उसको वहां से शिकायत करके या उसकी रिपोर्ट करके, अनुपस्थिति लगाकर, पर ऐसा कहीं कुछ प्रेक्टिकल या व्यावहारिक रूप से नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र में ही नहीं, मेरे सभी बन्धुओं से पूछने पर यही मालूम हुआ, मेरे क्षेत्र में तो है ही कम से कम, जितनी भी पी.एच.सीज. है, या तो डाक्टर आते ही नहीं हैं, आते हैं तो 15 दिन, 7 दिन, पूरे महीने तो शायद ही कोई सौभाग्यशाली डिस्पेंसरी ऐसी हो जिसमें कोई डाक्टर 24 घंटे जिसकी ड्यूटी है, रहना चाहिए, रहता हो। लेकिन इसकी सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। शिकायत करने पर भी उसका कोई असर नजर नहीं आता है। इसलिए चिकित्सा की व्यवस्था तो एक तरह से फेल है।

यह बात सही है कि बी.पी.एल. को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। चाहे हार्ट का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो लेकिन ये पेंशेंट कितने होते हैं? यह ठीक बात है उनके साथ ऐसा हुआ अच्छी बात है। लेकिन आज जनता, करोड़ों की जनता, लाखों की जनता गांवों में रहती है, अपना बी.पी.एल. कार्ड लिये फिरती है। किसी भी डिस्पेंसरी में, किसी भी अस्पताल में उसको 10 रुपये की दवा फ्री में नहीं मिलती जब तक कि वह बड़े अस्पताल में नहीं पहुंचे जहां पर थोड़ी बहुत जरूर दवा मिल जाती है। लेकिन सवाल तो यह है कि जो दर्द हर गरीब को रोजाना भुगतना पड़ता है उस दर्द की देखभाल कौन कर रहा है। जो पीड़ा उसे रोज हो रही है, रोजमर्रा का बुखार हो,

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

चाहे दस्त हो, चाहे उल्टी हो, रात को उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, रात को आता है तो उसको डाक्टर नहीं मिलता है या उसको दवा नहीं मिलती है, उसकी व्यवस्था क्या है? उसकी व्यवस्था मैं कहता हूं कि पूरे तंत्र में बड़े अस्पतालों को छोड़कर कहीं भी नहीं है और बड़े अस्पताल भी नर्सिंग होम की तरह काम कर रहे हैं। वहां पर जब तक पूरा पेमेंट नहीं होता, किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं हो पाता है, चाहे आपरेशन की व्यवस्था हो, चाहे कोई हो। मैं तो यह कहूंगा कि सरकारी अस्पताल हो सकता है कि नर्सिंग होम से कुछ सस्ता पड़ता हो लेकिन उतनी ही उसको परेशानी भी भुगतनी पड़ती है। नर्सिंग होम में कम से कम प्यार तो मिलता है, इज्जत तो मिलती है लेकिन इन सरकारी अस्पतालों में न तो प्यार है, न इज्जत है, न दवा है, न दारू है उसको केवल चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था से जनता को कोई लाभ नहीं है।

शिक्षा की बहुत बातें हो रही हैं। सभापति महोदय, शिक्षा के नाम पर जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ठीक है, हम संख्या में तो कह सकते हैं कि हमारे 21 हजार स्कूल खुल गये हैं लेकिन उन 21 हजार स्कूलों में कई सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं कि विद्यार्थियों के नाम राजीव गांधी पाठशाला में भी है और दूसरी पड़ोस के प्राइमरी स्कूल में भी है। एक छात्र के नाम दोनों स्कूलों में पाये जाते हैं। यह क्या व्यवस्था है?

जहां तक टीचर्स का सवाल है, वह तो हालत बहुत ही खराब है। मिडल स्कूल में कहीं कहीं दो टीचर, कहीं कहीं पी.टी.आई. अकेला है कहीं अकेला हैडमास्टर है तो कहीं तीन टीचर हैं। तथा ऐसे माध्यमिक स्कूल है जहां विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का टीचर नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता, ऐसे काम भी हुए हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य। श्री रामलाल जी गुर्जर।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : दो मिनट और। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, एक बात के लिए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय नहीं रहा है। आधा मिनट।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : केवल एक मिनट। आज के इस अवसर पर विशेष रूप से मुख्य मंत्री महोदय को इस बात की बधाई दूंगा कि उनका प्रबन्धन वास्तव में अच्छा है। तभी तो हमारे एक माननीय सदस्य जो चार साल तक पानी पी-पीकर कोसते रहे कि यह सरकार हर स्तर पर फेल है, यह सरकार मदरसे नहीं दे रही है, यह सरकार उर्दू को बढ़ावा नहीं दे रही है, यह सरकार वक्फ का कोई ध्यान नहीं रखती, यह सरकार पानी नहीं दे रही है, बिजली नहीं दे रही है, वह

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

महोदय आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं लेकिन यह जादू की लकड़ी है वह जाने वाली है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब बना दिया मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी भी बना दी, पिछला सारा काम कर दिया इसलिए कसीदे पढ़ रहे हैं।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : इसलिए वह बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से वह जादू की छड़ी चलाई है, वह उनको...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य रामलाल जी गुर्जर। माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : लेकिन अफसोस इस बात का है, यह वकालत अधिक देर तक चलने वाली नहीं है, बहुत थोड़े समय की है सभापति महोदय। एक सैकण्ड, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अन्त में...

श्री सभापति : आपका निवेदन हो गया है।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : "वादा किया था भर देंगे चांद-सितारे दामन में, हकीकत में मिली फकतखाक कू-ए यार में।" बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय रामलाल जी गुर्जर।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : माननीय सभापति महोदय, दिनांक 24 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और कल से ही जो बोला जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने न जाने कौनसा ऐसा काम कर दिया, वाहवाही के काम ऐसे कौनसे

(18.22 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किये, मुझे तो मालूम नहीं, इतने वाहवाही के काम कौनसे किये। और टोटल आरोप लगाये जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया, केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, केन्द्र सरकार ने हमें कोई राशि नहीं दी है। जबकि केन्द्र सरकार ने जब-जब भी राज्य सरकार ने मांग की है, एक लाख टन अनाज चाहिए तो एक लाख टन लीजिये, दो लाख टन चाहिए तो दो लाख टन लीजिये, तीन लाख टन लीजिये, पांच लाख टन लीजिये, अब तो दिल खोलकर 21 लाख टन अनाज के लिए घोषणा कर दी और अकाल राहत के बारे में हम भी ज्यादा चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि भा.ज.पा. चिंतित नहीं है। अकाल में भाजपा के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं तो अकाल का मुकाबला तो मिलकर करना चाहिए, बाकी अकाल का मुकाबला आसान नहीं है। पार्टीबाजी, आरोप-प्रत्यारोप से, अकाल के समय में जानवरों की क्या हालात हैं आप सबको मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य। इनका अभिभाषण समाप्त हो, तब तक के लिए बढ़ा दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इतने में ही समाप्त हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बन्द करा दूंगा, आप क्यों चिंता करते हो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानवरों से बढ़कर और समस्या तो क्या खड़ी हो सकती है। इस भयंकर अकाल में खाकला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खाकले का भाव 400-450 रुपये क्विंटल तक गया, 450 रुपये क्विंटल के बाद भी खाकला उपलब्ध हो पा रही है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि खाकला-घास जहां भी उपलब्ध है तो व्यवस्था की जाये। और समय-समय पर अनुदान दिया जाये, अभी तक अनुदान भी नहीं दिया जा रहा है, अग्रिम राशि के नाम पर राशि दी जा रही है जबकि डेयरी वगैरह जो खाकला जा रही है, उनके लिए बड़ा संकट है क्योंकि लाखों रुपये जब डेयरी पर चढ़ जाते हैं तो डेयरी इतनी सक्षम नहीं है, गांव भी इतने सक्षम नहीं है क्योंकि एक ओर तो अकाल में यह कहा जा रहा है कि 16 अगस्त से हमने पहली बार अकाल राहत के कार्य चालू किये हैं तो अकाल हमारे समय में तो पड़ा भी इतना जल्दी नहीं था। जब रेगुलर अकाल पड़ने लगा है। जब एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चौथे साल अकाल पड़ा है। जब भयंकर अकाल पड़ा है तो 16 अगस्त से काम खोलना ही है और खोला तो उसमें कौनसा मोटा काम कर दिया। खाली 10-10 आदमी एक गांव से मजदूरी के लिए दिये हैं। जहां 500 घर हैं, वहां पर 10 आदमी दे करके आपने लड़ाई पैदा कर दी है। चाहे आप काम लेट खोलते, कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन काम खोलना चाहिए, एक घर से एक परिवार से रोजगार पर लगना चाहिए था, तभी जाकर काम चलता यह आपने जो अभी काम खोले हैं, काम से कोई संतुष्टि नहीं है, काम की बड़ी समस्या है, काम खोलकर और नई समस्या पैदा कर दी। इसी तरह से नगरपालिका एरिया में अभी तक तो काम देंगे, देंगे लेकिन नगरपालिका में लेबर भी अभी तक नहीं लग पाई है तो नगरपालिका के लिए कितनी विकट समस्या है। वहां

(श्री रामलाल गुर्जर)

पर भी गरीब रहते हैं तो इतना समय बीता जा रहा है। यह आपको सोचना है कि नगरपालिकाओं के लिए भी यह व्यवस्था करवानी चाहिए।

यही नहीं, आपने माउंट आबू में सम्मेलन करके वहां पर फाइव स्टार होटलों में रह कर इस अकाल की मार पर आप कोई सहयोग करते, किन्हीं कोई दानदाता के लिए या और सम्मेलन बुलाकर, जैसे महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने यह मुरारी बापू द्वारा जो कथा प्रवचन रखा गया है और करीब एक करोड़ 51 लाख जो कलेक्शन हुआ है, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को इस नाते बधाई देना चाहता हूं कि राज्य सरकार वह कहीं कर पाई लेकिन माननीय अंशुमान सिंह जी ने यह काम किया है, इसके लिए मेरी ओर से हार्दिक आभार है...

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ठीक है, 6.30 भी नहीं हुए। आप बोलो। धन्यवाद दे दिया उन्होंने, फिर क्या बच गया?

सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 27 फरवरी, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.26 बजे, गुरुवार 27, फरवरी, 2003 के प्रातः 11. बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-21 की सूची) परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा पूर्व में निर्मित सड़क जिन पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना प्रथम चरण के अन्तर्गत डामरीकरण कार्य किया गया है

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	विशेष विवरण
1.	जाटूवास से ऊजोली	1.30	1.30	—
2.	कोटकासिम से मेवली	1.60	1.60	--
3.	बिलाहेड़ी से रामपुर	1.50	1.33	170 मीटर बीलियावास गांव का भाग शेष है, जो नहीं कराया जाना है।
4.	घीकाका से गंगापुरी	1.00	1.00	--
5.	शेखपुर से जौडिया	1.50	1.50	—
6.	बूढ़ी बावल रोड से नसोपुर वाया कमालपुर	4.10	3.03	1.00 कि.मी. 70 मीटर शेष भाग में से गांव कमालपुर में 470 मीटर मे पंचायत समिति द्वारा सीमेंट सड़क बनवा दी है, बकाया 600 मीटर में पहले से सड़क ही नहीं बनी हुई है। अतः सुदृढ़ीकरण नहीं कराया जा सकता है, इसलिए इस 600 मीटर को तकनीकी स्वीकृति में शामिल नहीं किया गया है।
7.	शाहबाद से राईखेड़ा	1.50	1.50	—
8.	शाहबाद से हिंगवाहेड़ा	1.50	1.15	350 मीटर शाहबाद गांव का भाग शेष है, जो नहीं कराया जाना है।
9.	सम्पर्क सड़क गहनकर	1.00	0.89	110 मी. लम्बाई में सीमेंट कंकरीट का कार्य पंचायत द्वारा करवाया।
	योग	15.00	13.30	

संवेदकों की सूची

परिशिष्ट 'ब'

क्र.स.	सड़क का नाम	संवेदक का नाम	अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण की तिथि	पूर्ण करने की वास्तविक तिथि
1	[illegible]	मै मेवात ग्रिट उद्योग, रेवाड़ी	6.7.2002	5.7.2002
2.	[illegible]	मै. मेवात ग्रिट उद्योग, रेवाड़ी	6.7.2002	5.7.2002
3	किलाहेड़ी से [illegible]	मै. मेवात ग्रिट उद्योग, रेवाड़ी	6.7.2002	5.7.2002
4	धीकाका से [illegible]	मै मेवात ग्रिट उद्योग, रेवाड़ी	6.7.2002	5.7.2002
5	तिजारा मण्डाना से लाडपुर	मै. मेवात ग्रिट उद्योग, रेवाड़ी	6.7.2002	5.7.2002
6.	शेखपुर से जोडिया	मै. मुंशीराम यादव, तिजारा	12.7.2002	11.7.2002
7.	बूढी बावल रोड से नसोपुर वाया कमालपुर	मै. मुंशीराम यादव, तिजारा	12.7.2002	11.7.2002
8.	शाहबाद से राईखेड़ा	मै. मुंशीराम यादव, तिजारा	12.7.2002	11.7.2002
9	शाहबाद से हिंगवाहेड़ा	मै. मुंशीराम यादव, तिजारा	12.7.2002	11.7.2002
10.	तिजारा टपूकड़ा से खिदरपुर	मै. मुंशीराम यादव, तिजारा	12.7.2002	11.7.2002
11.	तिजारा हिंगवाहेड़ा वाया असलीमपुर	मै. मुंशीराम यादव, तिजारा	12.7.2002	11.7.2002
12.	स.म. गहनकर	मै. जगदीश प्रसाद अगवाल, अलवर	15.8.2002	14.8.2002

परिशिष्ट 'स'

विधान सभा क्षेत्र तिजारा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कें जिन पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना प्रथम चरण के अन्तर्गत डामरीकरण कार्य किया गया है

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	विवरण
1.	तिजारा मण्डाना से लाडपुर	3.00	3.00	—
2.	तिजारा-टपूकड़ा रोड से खिदरपुर	4.50	3.90	सड़क की वास्तविक लम्बाई 3.900 कि.मी.
3.	तिजारा . हिंगवाहेड़ा वाया असलीमपुर	4.00	3.20	गांव का भाग
	योग	11.50	10.10	

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर्स की नियुक्ति हेतु गठित समिति

23. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2002 को 197 आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर्स को नियुक्तियां दी गई? यदि हां, तो अपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त 19 अभ्यर्थियों को किस आधार पर नियुक्तियां दी गई तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले की जांच हेतु माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कोई जांच समिति गठित की गई है? यदि हां, तो समिति ने जांच पूर्ण कर रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तथा इसके निष्कर्ष क्या रहे? अब तक उन्हें हटाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(3) क्या जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट एक माह में सौंप कर उक्त 19 अभ्यर्थियों को अयोग्य एवं दोषी करार दिया है? यदि हां, तो सरकार उन्हें राजकीय सेवा में क्यों रख रही है?

उत्तर

(1) जी हां। नियोक्ता द्वारा नियुक्तियां उनके समक्ष उपलब्ध रिकार्ड व प्रमाण पत्रों के आधार पर दी गई थी। वरवक्त नियुक्ति नियोक्ता के समक्ष अपूर्ण प्रशिक्षण का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अतः वर्तमान में किसी के दोषी होने या ना होने का प्रश्न नहीं है।

(2) यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री के निर्देश पर विभाग द्वारा उप निदेशक आयुर्वेद विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच की गई थी। समिति द्वारा रिपोर्ट 18.4.2002 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के निष्कर्ष परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विभाग के निर्देश पर प्रकरण में बगरू थाना जयपुर में प्रथम सूचना दर्ज करवाई जा चुकी है जो अनुसंधानाधीन है। पुलिस केस में अन्तिम निष्कर्ष के पश्चात् ही नियमानुसार तदनुरूप कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(3) जी नहीं। प्रश्न के भाग दो में दिये गये विवरण अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। अन्वेषण उपरान्त अन्तिम निर्णयानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

"परिशिष्ट-1"

रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्न हैं :

1. प्रार्थी श्री विष्णुदत्त सोनी एवं श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री हुकम चन्द शर्मा के प्रमाण-पत्रों की सत्यता की पुष्टि होती है।
2. श्री भगवती आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भांकरोटा जयपुर द्वारा रिकार्ड उपलबध न कराने की स्थिति में जारी प्रमाण-पत्रों की पुष्टि सम्भव नहीं है।

3. उपस्थिति के आधार पर भी पुष्टि की जावे किन्तु उपस्थिति में 3.12.1998 से आरम्भ कर दिनांक 31.5.1999 तक इन्टर्नशिप करना दर्शाया गया है जबकि प्रमाण पत्रों में दिनांक 2.12.1998 से 30.5.1999 तक उपस्थिति का उल्लेख अंकित किया हुआ है।

4. कार्यालय सम्बन्धी प्रक्रिया को (यथा पत्रों का आवक-जावक) पूर्ण नहीं किया गया है।

निदेशक, पुरातत्व के विरुद्ध प्रस्तावित जांच

24. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुरातत्व निदेशक के विरुद्ध विभिन्न प्रकरणों में राज्य अन्वेषण ब्यूरो में मुकदमे दर्ज किये गये हैं? क्या उक्त प्रकरणों की विभागीय जांच भी करवाई गई है? क्या उक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रकरण संख्या 350/02 में विभागीय जांच प्रारम्भ की जा चुकी है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि

25. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय व कालेजों में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में सीटें बढ़ाई गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में दिन प्रतिदिन प्रवेश लेने वाले छात्रों का प्रतिशत बढ़ रहा है? यदि हां, तो सीटें नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। शैक्षणिक सत्र 2002-2003 में राजकीय महाविद्यालयों में कला एवं वाणिज्य संकाय में सीटें बढ़ाने के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परिशिष्ट-1 में अंकित महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाई गई हैं। विज्ञान संकाय में सीटें बढ़ाने के महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्रयोगशाला सम्बन्धी आवश्यक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुमति प्रदान नहीं की गयी।

राज्य के सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों में बढ़ाई गई सीटों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सीटें बढ़ाने की मांग होने पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सीट बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

परिशिष्ट-1

राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2002-2003 में विभिन्न संकायों में बढ़ाई गई सीटों का विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	संकाय	स्वीकृत वर्ग	बकाया प्रवेश योग्य आवेदन पत्रों की संख्या	प्रत्येक वर्ग में बढ़ाई गई सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	राज. महा. सागवाड़ा	कला	1	91	60 से बढ़ाकर 80
2.	राज. कन्या महा., झुंझुनूं	कला	5	200	60 से बढ़ाकर 80
3.	एम.एल.वी. कालेज, भीलवाड़ा	कला	7	138	60 से बढ़ाकर 80
		वाणिज्य	7	197	60 से बढ़ाकर 80
4.	राज. महा. मण्डफिया	कला	1	49	60 से बढ़ाकर 80
5.	राज. महा. भवानीमण्डी	कला	3	32	60 से बढ़ाकर 75
6.	राज. महा. बारां	कला	10	448	60 से बढ़ाकर 80
7.	राज. महा. सवाईमाधोपुर	कला	9	509	60 से बढ़ाकर 80
8.	राज. महा. सूरतगढ़	कला	3	117	60 से बढ़ाकर 80
9.	राज. महा. रामगंजमण्डी	कला	1	53	60 से बढ़ाकर 80
10.	राज. महा. कोटा	कला	22	कलक्टर द्वारा प्रस्तावित	60 से बढ़ाकर 75
		वाणिज्य	8	150	60 से बढ़ाकर 76
11.	राज. महा. तारानगर	कला	1	77	60 से बढ़ाकर 80
12.	राज. महा. झालावाड़	कला	10	275	60 से बढ़ाकर 80
13.	राज. महा. श्री गंगानगर	कला	5	245	60 से बढ़ाकर 80
		वाणिज्य	1	19	60 से बढ़ाकर 80
14.	राज. महा. निम्बाहेड़ा	कला	2	58	60 से बढ़ाकर 80
		वाणिज्य	1	44	60 से बढ़ाकर 80
15.	राज. कन्या महा. श्रीगंगानगर	कला	8	120	60 से बढ़ाकर 75
16.	राज. महा. नोखा	वाणिज्य	1	48	60 से बढ़ाकर 80
17.	राज. महा. आमेट	कला	1	20	60 से बढ़ाकर 80
18.	राज. महा. सीकर	कला	19	1060	60 से बढ़ाकर 80
		वाणिज्य	4	112	60 से बढ़ाकर 80
19.	राज. महा. राजसमन्द	कला	3	—	60 से बढ़ाकर 80

1	2	3	4	5	6
20.	राज. जेडीबी. कन्या महा. कोटा	वाणिज्य	4	40	60 से बढ़ाकर 70
		कला	11	439	60 से बढ़ाकर 70
21.	राज. कन्या महा. सवाईमाधोपुर	कला	2	86	60 से बढ़ाकर 80
22.	राज. कन्या महा. पाली	कला	1	24	60 से बढ़ाकर 80
23.	राज. कन्या महा. चौमूं	कला	2	40	60 से बढ़ाकर 80
24.	राज. कन्या महा. रतनगढ़	कला	1	42	60 से बढ़ाकर 80
25.	राज. महा. किशनगढ़	कला	5	109	60 से बढ़ाकर 80
26.	राज. कन्या महा. शाहपुरा	कला	2	98	60 से बढ़ाकर 80
27.	राज. कन्या महा. जैसलमेर	कला	1	05	60 से बढ़ाकर 65
28.	राज. महा. चित्तौड़गढ़	वाणिज्य	2	56	60 से बढ़ाकर 70
		कला	10	353	60 से बढ़ाकर 80
29.	राज. कन्या महा. कोटपूतली	कला	2	39	60 से बढ़ाकर 80
30.	राज. महा. सिरोही	कला	6	97	60 से बढ़ाकर 77
31.	राज. कन्या महा. भीलवाड़ा	कला	6	185	60 से बढ़ाकर 80
32.	राज. महा. नाथद्वारा	कला	4	46	60 से बढ़ाकर 72
		वाणिज्य	1	5	60 से बढ़ाकर 65
33.	राज. महा. लालसोट	कला	3	विधायक द्वारा प्रस्तावित	60 से बढ़ाकर 80
34.	राज. महा. बूंदी	कला	13	105	60 से बढ़ाकर 70
		वाणिज्य	1	7	60 से बढ़ाकर 70
35.	राज. कन्या महा. दौसा	कला	3	13	60 से बढ़ाकर 65
36.	राज. महा. चूरू	वाणिज्य	2	45	60 से बढ़ाकर 80
		कला	9	79	60 से बढ़ाकर 80
37.	राज. महा. गंगापुरसिटी	कला	7	341	60 से बढ़ाकर 80
38.	राज. महा. कालाडेरा	कला	9	316	60 से बढ़ाकर 80
		वाणिज्य	1	43	60 से बढ़ाकर 80
39.	राज. महा. सरदारशहर	वाणिज्य	1	20	60 से बढ़ाकर 80
40.	राज. महा. नीमकाथाना	कला	10	391	60 से बढ़ाकर 80
41.	राज. महा. करौली	कला	10	211	60 से बढ़ाकर 80
42.	राज. महा. डूंगरपुर	कला	14	301	60 से बढ़ाकर 80
43.	राज. कन्या महा. अलवर	कला	07	189	60 से बढ़ाकर 80

1	2	3	4	5	6
44.	राज. कन्या महा. झालावाड़	कला	02	10	60 से बढ़ाकर 65
45.	एम.एस.जे. महा. भरतपुर	कला	22	338	60 से बढ़ाकर 75
		इलैक्ट्रोनिक	सीट-30	10	30 से बढ़ाकर 40
46.	राज. महा. कोटपूतली	कला	09	365	60 से बढ़ाकर 80
		वाणिज्य	01	11	60 से बढ़ाकर 71
47.	राज. महा. नसीराबाद	कला	01	मा. कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तावित	60 से बढ़ाकर 80
48.	राज. महा. सांभरलेक	कला	03	मा. विधायक द्वारा प्रस्तावित	60 से बढ़ाकर 80
49.	राज. कन्या महा. बालोतरा	वाणिज्य	01	20	60 से बढ़ाकर 80
50.	राज. महा. पाली	कला	05	39	60 से बढ़ाकर 68
51.	राज. महा. नोहर	कला	05	139	60 से बढ़ाकर 80
52.	राज. महा रामगढ़	कला	01	20	60 से बढ़ाकर 80
53.	राज. कन्या महा. नीमकाथाना	कला	02	10	60 से बढ़ाकर 65
54.	राज. महा जैसलमेर	कला	02	60	60 से बढ़ाकर 80
55.	राज. महा. चिमनपुरा	वाणिज्य	01	24	60 से बढ़ाकर 80
56.	राज. महा. बांदीकुई	कला	07	525	60 से बढ़ाकर 80
57.	राज. कन्या महा. बांसवाड़ा	कला	04	—	60 से बढ़ाकर 80
58.	राज. महा. शिवगंज	कला	02	80	60 से बढ़ाकर 80
59.	राज. महा. आबूरोड	कला	02	56	60 से बढ़ाकर 80
60.	राज. कन्या महा. करौली	कला	01	43	60 से बढ़ाकर 80
61.	राज. महा. केकड़ा	कला	03	51	60 से बढ़ाकर 77
		वाणिज्य	01	10	60 से बढ़ाकर 80
62.	राज. महा. दौसा	कला	18	999	60 से बढ़ाकर 80
63.	राज. महा. नागौर	कला	04	65	60 से बढ़ाकर 80 -3 वर्ग 60 से बढ़ाकर 65 -1 वर्ग
64.	राज. महा. बाड़मेर	कला	06	117	60 से बढ़ाकर 80 -5 वर्ग 60 से बढ़ाकर 77 -1 वर्ग

परिशिष्ट-2

राज्य के सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों में गत वर्षों में बढ़ाई गई सीटों का विवरण

1. **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर**
शैक्षणिक सत्र 2002-03 में स्नातक स्तर पर अतिरिक्त सीटों की मांग नहीं होने के कारण कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में सीटें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन स्नातकोत्तर विभागों में आवश्यकता के अनुरूप सीटों में 10% की वृद्धि की गयी।

2. **महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर**
विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कक्षाएँ संचालित नहीं हैं। स्नातकोत्तर विभागों में सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं।

3. **जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर**
छात्रों की मांग होने पर दो वर्ष पूर्व ही कला एवं वाणिज्य संकायों में सीटों में वृद्धि स्ववित्तपोषी आधार पर कर दी गई थी। प्रयोगशाला आदि की सुविधायें सीमित होने के कारण विज्ञान संकाय में सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं।

4. **मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर**
प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या सीमित होने एवं वित्तीय भार को देखते हुये कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं।

5. **वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा**
विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों को शिक्षा मुहैया करायी जाती है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों को प्रवेश देने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आवेदित सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

रेगिस्तानी जिलों में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

26. श्री अमीन ख़ान (शिव) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार रेगिस्तानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस आधार पर?

(2) रेगिस्तानी जिलों में ए.एन.एम. व कम्पाउण्डर के कितने पद रिक्त हैं?

उत्तर

(1) रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रति 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खोले जाने का प्रावधान है। माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा बजट अभिभाषण में 200 डिस्पेंसरी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) खोले जाने की घोषणा की गई। जिस पर बजट व्यवस्था के लिये कार्यवाही विचाराधीन है। उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(राज्य मंत्री, परिवार कल्याण)

(2) रेगिस्तानी जिलों में ए.एन.एम. व कम्पाउण्डर के पद निम्न प्रकार रिक्त हैं :—

रेगिस्तानी जिले	नर्स-2	ए.एन.एम.
1. झुंझुनूं	25	—
2. सीकर	01	08
3. चूरू (रतनगढ़)	94	08
4. बीकानेर	90	59
5. जैसलमेर	13	31
6. बाड़मेर	02	110
7. जालौर	16	66
8. नागौर	106	77
9. हनुमानगढ़	06	18
10. जोधपुर	58	04
11. पाली	16	22

उक्त ए.एन.एम. के रिक्त पदों में जिला बाड़मेर में 70 एवं जैसलमेर में 33 पदों पर यूरोपियन योजना के तहत दिनांक 15.7.2003 तक मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी द्वारा संविदा पर ए.एन.एम. के पदों पर नियुक्ति दी गई है।

विभिन्न जिलों में संविदा के आधार पर नर्स-2 के 563, तथा ए.एन.एम. के 744 पदों पर अस्थाई नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है तथा प्रक्रिया चल रही है।

जिला अलवर में नकली खाद, बीज की शिकायतों पर कार्यवाही

27. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को नकली खाद, बीज एवं दवाइयों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त शिकायतों के आधार पर कितने लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर में प्राप्त शिकायतों में कितने लोग दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नकली खाद, बीज व दवाईयों के बारे में जिला/खंण्ड/राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायतें, प्राप्ति दिनांक एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जिला अलवर में दिनांक 2.2.2003 को पेहल (मुण्डावर) निवासी श्री प्रभुसिंह चौधरी पुत्र श्री हरचन्द, श्री बलवीर चौधरी पुत्र श्री सुलतान वगैरह से दिनांक 7.2.2003 को प्राप्त शिकायत द्वारा मैसर्स भारत खाद-बीज भण्डार पेहल के प्रतिष्ठान पर बिना अधिकार पत्र के श्रीराम डी.ए.पी., श्रीराम यूरिया, श्रीराम पोटाश तथा श्रीराम जिंक सल्फेट उर्वरक के अवैध रूप से विक्रय की शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त प्रकरण की जांच सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ़वास से कराई गई जांच के दौरान शिकायत निराधार पाई गई।

परिशिष्ट-1

खण्डवार प्राप्त शिकायतों एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	नाम ख़ण्ड	शिकायत का विवरण	प्राप्ति दिनांक	दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	सीकर जिले में दिवराला (अनन्तपुरिया) में अवैध व्यापार के क्रम में।	02.11.02	कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीमाधोपुर द्वारा मौके पर तुरन्त दबिश देकर उपलब्ध 65 कट्टे डी.ए.पी. आई.पी.एल. के जब्त कर पुलिस थाना अजीतगढ़ में प्रकरण की प्रथम सूचना दर्ज कराई गई।
2.	भरतपुर	1. मै. विष्णु कुमार नरेन्द्र कुमार, बयाना के द्वारा अनियमित व्यवसाय के क्रम में।	19.09.02	जांच पश्चात् शिकायत निराधार पाई गई।
		2. मै. भारत खाद बीज भण्डार पेहल जिला अलवर द्वारा बिना अधिकार पत्र के उर्वरक बेचने के क्रम में।		सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ़वास से जांच कराई गई। जांच के दौरान शिकायत निराधार पाई गई।
3.	श्रीगंगानगर	मै. वर्मा पेस्टीसाईड्स पन्नीवाली जाटान के विरुद्ध मिलावटी डी.ए.पी. उर्वरक के क्रम में।	20.12.02	फर्म के मालिक श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री केसराराम, श्री तनसुख बंसल एवं श्री गोकुल व मुख्य व्यवस्थापक एवं अधिकृत व्यक्तियों, क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्वेषण हेतु दर्ज कराई गई।

1	2	3	4	5
4.	जोधपुर	मै. सौलंकी सीड स्टोर भोपालगढ़ व मै. श्रीराम खाद बीज भण्डार बिराई व मै. महादेव पेस्टीसाइड भोपालगढ़ व मै. सैनी खाद बीज भण्डार, बिराई की शिकायत।	16.05.02	जांच के दौरान शिकायत झूठी पाई गई।
5.	जोधपुर	देशी लाल प्याज माणक ब्राण्ड के बीज होने से सीकर जिले में 50 बीघा में प्याज की फसल बरबाद होने के क्रम में।	21.05.02	मै. किसान एग्रो सेल्स, पावटा-जोधपुर द्वारा उक्त प्याज बीज विक्रय किया गया था। फर्म का बीज अनुज्ञा पत्र दिनांक 3.8.2002 को निरस्त कर दिया गया। विक्रेता द्वारा अपीलेट अथोरिटी को अपील की गई। अपील में निर्णय पश्चात् अनुज्ञा पत्र बहाल कर दिया गया।
6.	जोधपुर	पीपाड़ के कृषकों द्वारा खाद, बीज की शिकायत के क्रम में।	22.06.02	उर्वरक एवं बीजों के नमूने क्षेत्र से लिये गये जो विश्लेषण उपरान्त मानक घोषित किये गये। अतः शिकायत झूठी पाई गई।
7.	जोधपुर	जोधपुर के कृषकों द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उर्वरक निर्माता कम्पनी जी.एन.वी.एफ.सी. का उर्वरक एन.पी. 20:20:0 नकली होने की शिकायत के क्रम में।	03.10.02	शिकायत के तुरन्त बाद उक्त उर्वरक का नमूना लिया गया जो विश्लेषण उपरान्त सही पाया गया। अतः शिकायत झूठी पाई गई।

1	2	3	4	5
8.	जोधपुर	मै. एग्रो सेल्स एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग काआपरेटिव लि., मेड़तासिटी द्वारा मिलावटी खाद, बीज व कीटनाशी विक्रय के क्रम में।	27.11.02	जांच के दौरान शिकायत सही नहीं पाई गई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।
9.	जोधपुर	फल-सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., मेड़तासिटी की शिकायत के क्रम में।	24.12.02	जांच के दौरान शिकायत सही नहीं पाई गई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

तारांकित प्रश्न संख्या-28

(स्थगित)

खादी संस्थाओं में अनियमितताओं की जांच

29. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में गम्भीर वित्तीय अनियमितता व ओडिट नहीं होने के कारण राजस्थान के महालेखाकार ने बोर्ड के विरुद्ध नकारात्मक प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या खाटूश्यामजी खादी परिषद् संस्था ने बिना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी वैध लाइसेंस के सरकार के विभिन्न महकमों में घटिया सामग्री विक्रय किये जाने की कोई शिकायत सरकार/बोर्ड को प्राप्त हुई? यदि हां, तो शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त संस्था का भौतिक सत्यापन कब किया गया?

(3) गत तीन वर्षों में महिला जागृति खादी ग्रामोद्योग, जयपुर द्वारा सरकारी विभागों में कितने खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के सामान की आपूर्ति की गई व संस्था का पंजीयन कब हुआ तथा संस्था के पास वैध प्रमाण-पत्र कब तक रहा?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ द्वारा बीकानेर जोधपुर के फिनिशिंग प्लाट को बेचा गया? यदि हां, तो कितने-कितने में? क्या उक्त संदर्भ में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा आडिट वर्ष 1999-2000 का दिनांक 28.5.2001 से 15.1.2002 तक किया जाकर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 4.9.2002 को प्राप्त हुआ है। वर्ष 2000-2001 के प्रोविजनल लेखे महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 3.1.2002 को प्रस्तुत कर दिये गये हैं, इस प्रकार आडिट कार्य महालेखाकार राजस्थान

(राज्य मंत्री, खादी ग्रामोद्योग)

के आडिट दल को करवाया गया है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 1999-2000 के प्रमाण-पत्र यह उल्लिखित किया है कि टू एण्ड फेयर स्थिति प्रदर्शित नहीं करते हैं।

(2) यह सही नहीं है। खादूश्यामजी खादी परिषद् संस्था के सम्बन्ध में समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के आधार पर राज्य सरकार के स्तर पर उप शासन सचिव, वित्तीय के द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है। संस्था का भौतिक सत्यापन सम्बन्धी कार्य बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है।

(3) महिला जागृति खादी ग्रामोद्योग जयपुर के नाम से कोई संस्था राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में न तो पंजीकृत है, न ही वित्त पोषित है इस नाम की कोई संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में भी पंजीकृत एवं वित्त पोषित नहीं है। केन्द्रीय प्रमाण-पत्र समिति खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा इस संस्था को मात्र खादी उत्पादन एवं बिक्री हेतु खादी का प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो दिनांक 31.3.1996 तक वैध था।

(4) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्त पोषित नहीं है यह संस्था जयपुर में कार्यरत खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं का एक स्वायत्तशासी संघ है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग झालाना डूंगरी द्वारा यह सूचित किया गया है कि संघ द्वारा बीकानेर, जोधपुर स्थित फिनिशिंग संयंत्र की बिक्री समिति की बैठक दिनांक 22.4.2002 में लिये गये निर्णयानुसार अपने स्तर पर की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट "ए" संलग्न है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मण्डी समिति झुंझुनूं के निर्माण कार्यों की जांच

30. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में झुंझुनूं कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगण में करवाये गये निर्माण कार्यों की जांच करवाने हेतु घोषणा की गई थी।

(2) क्या उक्त जांच पूरी कर ली गई है? यदि हां, तो क्या परिणाम निकले और जांच किसके द्वारा की गई तथा किन-किन निर्माण कार्यों की जांच की गई एवं क्या मूल्यांकन जांच में आया तथा उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि का व्यय दिखलाया गया था?

(3) क्या उक्त जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया गया? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) उक्त जांच किन-किन तारीखों में की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्राथमिक जांच कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोन-प्रथम, जयपुर श्री डी.सी. कटारा द्वारा की गई है।

(i) जिन-जिन निर्माण कार्यों की जांच की गई है, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। किये

(कृषि विपणन मंत्री)

गये व्यय का विवरण भी परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(ii) प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन अभी परीक्षणाधीन है, परीक्षणोपरान्त ही जांच परिणाम स्पष्ट हो सकेंगे।

(3) प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के पश्चात् ही, यदि प्रथम दृष्टया कोई अधिकारी दोषी पाया गया, तो नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त जांच कार्यावाही दिनांक 27.1.2003 को की गई है।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	नाम निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख रु.)	व्यय की गई राशि (लाख रु.)
1.	आर.सी.सी. ओवर हैड टैंक	10.12	6.51	5.11
2.	पम्प रूम निर्माण		0.50	0.37
3.	बाउण्डरीवाल रेजिंग कार्य	6.62	6.09	6.52
4.	ट्यूब वैल निर्माण मण्डी प्रांगण	6.57	4.35	2.777
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास निर्माण	7.12	6.81	4.49
6.	प्रथम श्रेणी आवास निर्माण	5.56	4.72	3.65
7.	कार्यालय भवन के प्रथम तल का विस्तार	2.62	2.54	2.188
8.	पाइप लाइन बिछाने का निर्माण कार्य	2.20	1.85	1.90
9.	पानी का खेल का निर्माण	0.60	0.57	0.368
10.	कम्पाउण्डवाल स्टाफ क्वार्ट्स	2.70	2.69	1.86
11.	विशेष मरम्मत आन्तरिक सड़क निर्माण	8.25	8.21	5.85
12.	वार्षिक भवन मरम्मत कार्य वर्ष 1999-2000	0.59	0.56	0.398
13.	वार्षिक भवन मरम्मत कार्य वर्ष 2000-2001	0.59	0.59	0.29
14.	भवन विस्तार में आन्तरिक विद्युत कार्य	2.62	0.10	0.076
15.	भवन मरम्मत कार्य वर्ष 2001-2002	0.59	0.59	0.53
	योग	56.75	46.68	36.377

कुल स्वीकृति राशि : छप्पन लाख पिच्चेत्तर हजार रुपये

कुल तकनीकी स्वीकृति : छियालीस लाख अड़सठ हजार रुपये

कुल व्यय की गई राशि : छत्तीस लाख सैंतीस हजार सौ रुपये

तारांकित प्रश्न संख्या-31
(स्थगित)

राज्य में वेयर हाउसिंग गोदामों की स्थापना

32. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कृषि उपज बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों के कुप्रभाव से बचाने के लिये किसानों के लिये वेयर हाउसिंग गोदामों की व्यवस्था करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो राज्य में कितने स्थानों पर उक्त व्यवस्था की गई और वर्ष 2002-2003 में कितना अनाज़ का भण्डारण हुआ?

(2) क्या सरकार ने फसल को भण्डार गृह में रहन रख कर उसकी खरीद मूल्य की 75% राशि किसान को उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो जिला चूरू व अलवर में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में राज्य में कुल 85 स्थानों पर राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा भण्डारगृह स्थापित किये हुए हैं। वर्ष 2002-2003 में अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक कुल औसत 729318 मै. टन भण्डारण क्षमता की व्यवस्था की गई। वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान माह जनवरी, 2003 तक निगम के भण्डारगृहों पर संग्रहित कुल औसत कृषि उपज 428410 मै. टन संग्रहित रही, जिसमें से 114213 मै. टन खाद्यान्न एवं दलहन तथा 311289 मै. टन तिलहन व 2908 मै. टन कपास रही है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2002-2003 में चूरू व अलवर जिले में राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की रहन ऋण योजना का किसी किसान द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है।

कृषि मण्डी समिति खैरथल (अलवर) में धर्मकांटे के आबंटन में अनियमितता

33. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि मण्डी समिति खैरथल (अलवर) में धर्मकांटे का ठेका देने हेतु अखबार में कोई निविदा नहीं छपाई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेका सचिव कृषि मण्डी समिति, खैरथल ने चुपचाप चार व्यक्तियों को निविदा देकर दे दिया?

(3) क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। निविदा छपी है।

(2) जी नहीं। मण्डी समिति द्वारा धर्मकांटे का ठेका नहीं दिया गया है।

(3) भाग संख्या 1 व 2 के जवाब को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले में किसी प्रकार की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

मारोठ (नागौर) में श्मशान हेतु भूमि आबंटन

34. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर, तहसील नावां के ग्राम मारोठ में सरकारी रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 779 व 786 की भूमि काबिल काश्त भूमि है?

(2) क्रमांक 1 में वर्णित सिवाय चक भूमि में से कितनी भूमि खुली पड़ी है तथा कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और उक्त अतिक्रमण कब किसके द्वारा किया गया व अतिक्रमण हटाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई? उक्त अतिक्रमण बनाये रखने का दोषी अधिकारी-कौन है?

(3) क्या यह सही है ग्राम मारोठ के खसरा नं. 699 व 698 सरकारी रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन श्मशान है?

(4) क्या ग्राम मारोठ में उक्त भूमि के अतिरिक्त भी श्मशान भूमि उपलब्ध है? यदि हां, तो किस खसरे में कितनी भूमि?

(5) ग्राम मारोठ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? क्या उक्त श्मशान भूमि उक्त ग्राम के लिये पर्याप्त नहीं है?

(6) क्या मारोठ जनकल्याण गोपाल गौशाला ने खसरा नं. 786 में से 0.80 हैक्टेयर भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया तथा उक्त खसरे की कुल भूमि 1.72 हैक्टेयर मौके पर खाली होने की पुष्टि सहायक जिला कलक्टर, नागौर व सदर कानूनगो नागौर तथा नायब तहसीलदार नावां में दिनांक 2.9.2000 को मौका निरीक्षण कर की थी?

(7) क्या जिला कलक्टर, नागौर ने राजस्व विभाग के पत्रांक प. 4 (73) राज/3101 दिनांक 21.1.2002 के सन्दर्भ में खसरा नं. 779 रकबा 2.06 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय सिवाय चक (ग्राम मारोठ) में उक्त गौशाला हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध होना बताई थी?

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर तहसील नावां के ग्राम मारोठ में सरकारी रेकार्ड के अनुसार ख.नं. 779 व 786 की भूमि किस्म बारानी द्वितीय काबिल काश्त (सिवाय चक) भूमि है।

(2) ग्राम मारोठ के ख.नं. 779 रकबा 2.06 है. व ख.नं. 766 रकबा 1.72 हैक्टेयर की भूमि पर वर्तमान में अधिकांश भाग पर बिखरे हुए श्मशान; तिबारी, चबूतरे, धर्मशाला व कुएं आदि विभिन्न समाजों के सावर्जनिक निर्माण हैं तथा मौके पर उक्त के बीच में कहीं-कहीं भूमि खाली है। उक्त के अलावा कोई अतिक्रमण नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। ग्राम मारोठ के ख.नं. 699 रकबा 4.28 है. तथा ख.नं. 698 रकबा 0.40 है. के अतिरिक्त ख.नं. 317 रकबा 0.02 हैक्टेयर गै.मु. श्मशान रेकार्ड में दर्ज है।

(5) ग्राम मारोठ की वर्तमान जनसंख्या लगभग 7,000 है। ग्राम मारोठ के ख.नं. 699 रकबा 4.28 है., ख.नं. 698 रकबा 0.40

(राजस्व मंत्री)

है, ख.नं. 317 रकबा 0.02 हैक्टर गैमु. श्मशान एवं ख. नम्बर 779 रकबा 2.06 हैक्टेयर, ख.नं. 786 रकबा 1.72 हैक्टेयर किस्म बारानी श्मशान के काम में ली जा रही है। उपरोक्त कुल 8.48 है. भूमि ग्राम मारोठ में श्मशान के लिये पर्याप्त है।

(6) मारोठ जन कल्याण गोपाल गौशाला के लिये वाके मौजा मारोठ के ख.न. 786 में से 1.72 हैक्टेयर भूमि आबंटन की मांग का आवेदन किया गया था। उक्त भूमि का मौका निरीक्षण दिनांक 2.9.2000 को सहायक कलक्टर, मुख्यालय नागौर, सदर कानूनगो नागौर तथा नायब तहसीलदार नावां द्वारा किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में 0.77 हैक्टेयर भूमि खाली बताई गई थी।

(7) जी हां।

ग्रामीण क्षेत्र के महिला महाविद्यालयों को अनुदान

35. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की उच्च शिक्षा में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं विशेष रूप से महिला महाविद्यालयों के लिये सरकारी अनुदान दिये जाने की क्या प्रक्रिया है?

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है।

(3) क्या सरकार पूर्व में सहकारी संस्थाओं अथवा शिक्षा सहयोगियों द्वारा संचालित महिला महाविद्यालय को सरकारी क्षेत्र में अधिग्रहित करने का विचार रखती है।

(4) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु शिक्षा सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित महाविद्यालयों को आर्थिक अनुदान देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार महिला महाविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना बना रही है?

उत्तर

(1) उच्च शिक्षा में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुदान सूची में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। निर्धारित प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। महिला महाविद्यालयों के लिए नियम-21 (प) के अन्तर्गत सम्बद्धता के बाद संचालित अवधि में एक शैक्षणिक सत्र का शिथिलीकरण दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(2) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नये महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जावेगा।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित महिला महाविद्यालयों को अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार ने महिला महाविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र व महाविद्यालय विकास समिति योजना में प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन महाविद्यालयों के प्राप्त प्रस्तावों में महिला महाविद्यालय को प्राथमिकता दी जाती है तथा महाविद्यालय प्रारम्भ करने के निर्धारित मानदण्डों में शिथिलता प्रदान करना तथा समिति/संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता हेतु 5 वर्षीय मियादी जमा के रूप में रखी जाने वाली राशि को 10.00 लाख रुपये से घटा कर 2.00 लाख रुपये की सुविधा दी गई है। (परिशिष्ट-3)

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को वितरित क्रेडिट कार्ड

36. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने के भारत सरकार ने आदेश दिये थे? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के किस-किस जिले में उक्त प्रकार के बैंकों द्वारा किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अकाल वर्ष होने के कारण इस वर्ष किसानों के उक्त प्रकार के ऋण के ब्याज को माफ करने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट घोषणा वर्ष 1998-1999 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 अगस्त, 1998 को सभी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्रियान्वित करने के निर्देश जारी किये गए। प्रति संलग्न एक के रूप में प्रस्तुत है।

(2) राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 2,63,465 किसान क्रेडिट कार्ड (दिसम्बर, 2002) तक जारी किये गये हैं। संलग्नक : 3

(3) जी हां। अकाल वर्ष होने के कारण खरीफ फसली ऋण पर स्थगित ब्याज की 20 प्रतिशत राशि (प्रथम किस्त) को माफ करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। प्रति संलग्नक दो के रूप में प्रस्तुत है।

(निर्देशों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-39 का विवरण)

बिन्दु संख्या 3 से सम्बन्धित राजस्व ग्रामों की सूची तहसील चाकसू विधान सभा क्षेत्र-बस्सी, जिला-जयपुर (राजस्थान)

क्र.सं.	नाम राजस्व ग्राम	नक्शे की वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	गरूड़वासी	अस्पष्ट, फटा हुआ
2.	यादगारपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
3.	बाढ़यादगारपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
4.	बद्रीनाथपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
5.	बाढ़ मुरलीपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
6.	महाराजपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
7.	बाढ़ राजपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
8.	गढ़ी लश्करी	अस्पष्ट, फटा हुआ
9.	राडोली	अस्पष्ट, फटा हुआ
10.	नैनूपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
11.	नन्दलालपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
12.	जगरामपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
13.	कोहल्या	अस्पष्ट, फटा हुआ
14.	महेशपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
15.	कोटखावदा	अस्पष्ट, फटा हुआ
16.	रूपाहेड़ीकलां	अस्पष्ट, फटा हुआ
17.	रमजानीपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
18.	गोडकावास	अस्पष्ट, फटा हुआ
19.	हरिनारायणपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
20.	बाढ़ चान्दपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
21.	चक यान्दपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
22.	हिगोटी	अस्पष्ट, फटा हुआ
23.	माधोपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ

1	2	3
24.	महादेवपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
25.	दामोदरकावास	अस्पष्ट, फटा हुआ
26.	ताजखांकावास	अस्पष्ट, फटा हुआ
27.	कूपाकावास	अस्पष्ट, फटा हुआ
28.	खेड़ारानीवास	अस्पष्ट, फटा हुआ
29.	इन्द्रपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
30.	जगदीशपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
31.	श्री किशनपुरा चक नं. 1	अस्पष्ट, फटा हुआ
32.	श्री किशनपुरा चक नं. 2	अस्पष्ट, फटा हुआ
33.	चक चौरासी	अस्पष्ट, फटा हुआ
34.	श्री किशनपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
35.	श्री ताजखांकावास	अस्पष्ट, फटा हुआ
36.	बलुसम्पुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
37.	चक बलरामपुरा नं. 1	अस्पष्ट, फटा हुआ
38.	चक बलरामपुरा नं. 2	अस्पष्ट, फटा हुआ
39.	बाढ़ महाराजपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
40.	रामचन्द्रपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
41.	चक महाराजपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
42.	मण्डावरी	अस्पष्ट, फटा हुआ
43.	नरोतमपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
44.	श्यामपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
45.	बाढ़ श्यामपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
46.	बालमुकन्दपुरा उर्फ बासड़ा	अस्पष्ट
47.	रामनगर	अस्पष्ट
48.	कुशलपुरा	अस्पष्ट
49.	विनोदीलालपुरा	अस्पष्ट
50.	विनोदीलालपुरा चक नं. 1	अस्पष्ट

1	2	3
51.	विनोदीलालपुरा ...	अस्पष्ट
52.	महाराजपुरा	अस्पष्ट
53.	चौमापुरा	फटा हुआ
54.	श्री रूघनाथपुरा उर्फ ...	अस्पष्ट, फटा हुआ
55.	हीरापुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
56.	झापदाकलां	अस्पष्ट, फटा हुआ
57.	गढ़कापाडा	अस्पष्ट, फटा हुआ
58.	त्रिलोकीनाथपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
59.	विमलपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
60.	डोबलाकलां	अस्पष्ट, फटा हुआ
61.	ठिकरिया मीनान	अस्पष्ट, फटा हुआ
62.	बाढ़ फतेहपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
63.	नन्दकिशोरपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
64.	श्री सम्पतपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
65.	भिडक्यावार	अस्पष्ट
66.	बाढ़ बावनपुरा	अस्पष्ट
67.	बाढ़ चौहान	अस्पष्ट, फटा हुआ
68.	श्रीपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
69.	श्री रघुनाथुपरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
70.	बाढ़ परमानन्दपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
71.	परमानन्दपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
72.	धर्मपुरा	अस्पष्ट, फटा हुआ
73.	परमानन्दपुरा उर्फ मण्डगलिया	अस्पष्ट, फटा हुआ
74.	गूरहेडा	अस्पष्ट, फटा हुआ
75.	खेजड़ीखुर्द	अस्पष्ट
76.	ठीकरिया गूजरान	अस्पष्ट

1	2	3
77.	नृसिंहपुरा	अस्पष्ट
78.	विशनपुरा	अस्पष्ट
79.	रलावता	अस्पष्ट
80.	कांकरिया	अस्पष्ट
81.	अजमेरीपुरा	अस्पष्ट
82.	मालपुरिया	अस्पष्ट
83.	देहलाला	अस्पष्ट

ह०/-
कलक्टर (भू.अ.)
जयपुर

परिशिष्ट "ब"

बस्सी तहसील

क्र.सं.	नाम राजस्व ग्राम	नक्शे की वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	कानोता	जीर्ण-शीर्ण
2.	रामसिंहपुरा	जीर्ण-शीर्ण
3.	भटेसरी	जीर्ण-शीर्ण
4.	बैनाड़ा	जीर्ण-शीर्ण
5.	बीलवाखुर्द	जीर्ण-शीर्ण
6.	फिसलन बिहारीपुरा	जीर्ण-शीर्ण
7.	भांकरी	जीर्ण-शीर्ण
8.	लालगढ़	जीर्ण-शीर्ण
9.	किशनपुरा	जीर्ण-शीर्ण
10.	ढिढोल	जीर्ण-शीर्ण
11.	बस्सी	जीर्ण-शीर्ण
12.	मोहनपुरा	जीर्ण-शीर्ण
13.	भोन्यावाला	जीर्ण-शीर्ण
14.	चैनपुरा	जीर्ण-शीर्ण
15.	दूधली	जीर्ण-शीर्ण
16.	सुजानपुरा	जीर्ण-शीर्ण
17.	कल्याणपुरा	जीर्ण-शीर्ण
18.	रामपुरा बासदूधली	जीर्ण-शीर्ण
19.	खिजूरिया ब्राह्मणान	जीर्ण-शीर्ण
20.	बराला	जीर्ण-शीर्ण
21.	हनुमानपुरा	जीर्ण-शीर्ण
22.	साम्भरिया	जीर्ण-शीर्ण
23.	झींझा	जीर्ण-शीर्ण
24.	रामपुराबास देवगांव	जीर्ण-शीर्ण
25.	बिमलपुरा	जीर्ण-शीर्ण
26.	रामसिंहपुरा	जीर्ण-शीर्ण
27.	बांसखोह	जीर्ण-शीर्ण
28.	निमोरा	जीर्ण-शीर्ण
29.	जटवाड़ा	जीर्ण-शीर्ण

1	2	3
30.	पड़ासोली	जीर्ण-शीर्ण
31.	हंसमहल	जीर्ण-शीर्ण
32.	भटेरी	जीर्ण-शीर्ण
33.	गढ़ोली	जीर्ण-शीर्ण
34.	कानेटी	जीर्ण-शीर्ण
35.	रामपुरा बास चण्डालिया	जीर्ण-शीर्ण
36.	श्रीनगर	जीर्ण-शीर्ण
37.	उगावास	जीर्ण-शीर्ण
38.	तिलपट्टी	जीर्ण-शीर्ण
39.	रोजवाड़ी	जीर्ण-शीर्ण
40.	चक रोजवाड़ी	जीर्ण-शीर्ण
41.	रामसर	जीर्ण-शीर्ण
42.	पृथ्वीपुरा	जीर्ण-शीर्ण
43.	लालावाला	जीर्ण-शीर्ण
44.	नगराजपुरा	जीर्ण-शीर्ण
45.	लालपुरा	जीर्ण-शीर्ण
46.	चक तूंगा	जीर्ण-शीर्ण
47.	हिम्मतपुरा	जीर्ण-शीर्ण
48.	गुमानपुरा	जीर्ण-शीर्ण
49.	घोली	जीर्ण-शीर्ण

ह०/-
कलक्टर (भू.अ.)
जयपुर